VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अप्रैल - 2020

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution) 6

1.1. पंचायतें और महामारी (Panchayats and Pandemic) 6

1.2. संकटकाल में नागरिक समाज की भूमिका (Role of Civil Society In Times of Crisis)....8

1.3. कोविड-19 और भारत का विधिक ढांचा (COVID-19 and India's Legal Framework)....10

1.3.1. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश (Ordinance to Protect Health Workers)....13

1.4. आरक्षण नीति (Reservation Policy)....14

1.5. ऑनलाइन न्याय प्रदायगी (Online Justice Delivery)....16

1.6. सरकारी विज्ञापनों का विनियमन (Regulation of Government Advertisements)....18

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 21

2.1. चिकित्सा कूटनीति (Medical Diplomacy)....21

2.2. कोविड जनित आपात स्थितियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्रवाई (Collective Action in the Times of COVID)....23

2.3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका (Role of WHO)....25

2.4. सीमापारीय नदी जल प्रबंधन (Trans-Boundary River Water Management)....28

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 31

3.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP)....31

3.2. संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (Revised FDI Policy)....34

3.3. कोविड-19 तथा निर्धनता (COVID-19 and Poverty)....36

3.4. कोविड-19 के विभिन्न प्रभावों पर अन्य रिपोर्ट (Other Reports on Various Impacts of COVID-19)....38

3.4.1. शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सॉलिडैरिटी रिपोर्ट (Shared Responsibility, Global Solidarity Report)....38

3.4.2. ILO मॉनिटर: कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क (ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work)....40

3.4.3. अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट पर अद्यतन जानकारी (Update of Unctad's Trade and Development Report)....41

3.4.4. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 (Global Energy Review 2020)....43

3.5. म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष तरलता सुविधा (Special Liquidity Facility for Mutual Funds: SLF-MF)....43

3.6. सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा (Public Utility Service)....45

3.7. औद्योगिक संबंध संहिता पर रिपोर्ट (Report on Industrial Relations Code)....46

3.8. तेल की ऋणात्मक कीमतें (Negative Oil Prices)....47

3.9. WTO का शांति खंड (WTO Peace Clause)....49

3.10. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDR)....50

3.11. लघु वनोपज (Minor Forest Produce)....52

VISION IAS

3.12. जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF)....53

3.13. प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 {Draft Electricity (Amendment) Bill, 2020}....55

3.14. खुला बाजार बिक्री योजना (Open Market Sale Scheme: OMSS)....56

3.15. अटल नवोन्मेष मिशन (ATAL Innovation Mission)....57

4. सुरक्षा (Security) 59

4.1. महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा (Epidemics and National Security)....59

4.2. रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)....61

5. पर्यावरण (Environment) 63

5.1. कोविड-19 और आपदा प्रबंधन (COVID-19 and Disaster Management)....63

5.2. ग्रीन बॉण्ड (Green Bonds)....65

5.3. उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत स्टेज-IV संबंधी समय-सीमा में छूट (Supreme Court Relaxes BS-IV Deadline)....66

5.4. पेटकोक (Petcoke)....68

5.5. यूरेनियम संदूषण (Uranium Contamination)....69

5.6. आर्कटिक ओजोन छिद्र (Arctic Ozone Hole)....70

5.7. पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद (Petersberg Climate Dialogue)....72

5.8. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण (Naming of Tropical Cyclones)....72

5.9. अंटार्कटिका में प्रथम ज्ञात हीट वेव का अवलोकन (Antarctica Experiences First Known Heat Wave)....73

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 75

6.1. शहरों में महामारियों का संकेंद्रण (Urbanisation of Pandemics)....75

6.2. लैंगिक हिंसा और कोविड-19 (Gender Violence and COVID-19)....77

6.3. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Internal Displacement)....80

6.4. ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन (Global Education Coalition: GEC)....81

6.5. विद्यादान 2.0 (VidyaDaan 2.0)....82

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 84

7.1. BCG वैक्सीन और कोविड-19 (BCG Vaccine and COVID-19)....84

7.2. कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपडेट (Updates on Various Aspects of COVID-19)....85

7.2.1. संचरण, परीक्षण और रोकथाम विधियां (Transmission, Testing and Prevention Methods)....85

7.2.2. वैक्सीन और अन्य उपचार पद्धतियां (Vaccines and Other Treatment Methods)....87

7.2.3. ट्रैकिंग और निगरानी (Tracking and Surveillance)....88

7.2.4. जागरूकता सृजन और शिकायत निवारण (Awareness Generation and Grievance Redressal)....89

7.2.5. क्षमता निर्माण और नवोन्मेष संवर्धन (Capacity Building and Promoting Innovation)....91

7.3. इंडियन इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग (Indian Initiative on Earth Biogenome Sequencing: IIEBS)....92

VISION IAS

8. संस्कृति (Culture) 94

8.1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची (National List for Intangible Cultural Heritage: ICH) 94

8.2. किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार (Qissa Khwani Bazaar Massacre) 95

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 97

9.1. सामाजिक कलंक: कोविड-19 (Social Stigma: COVID-19) 97

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) 100

10.1. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नामनिर्देशन का मुद्दा (Issue of nomination of Maharashtra Chief Minister) 100

10.2. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले (Bodoland Territorial Area Districts: BTAD) 100

10.3. प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (Press Freedom Index) 101

10.4. भारत का अमेरिका की 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' में स्थान बरकरार (India remains on U.S. Priority Watch List) 101

10.5. सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑरिजिन (Certificate of Origin) 101

10.6. बैंक ऑफ स्कीम्स, आइडियाज़, इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल (Bank of Schemes, Ideas, Innovation & Research Portal) 101

10.7. SIPRI द्वारा जारी 'ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, 2019' रिपोर्ट (Trends in World Military Expenditure, 2019 Report by SIPRI) 102

10.8. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (Global Terrorism Index) 102

10.9. यू.एन.75 पहल (UN75) 102

10.10. बल्क ड्रग्स के उत्पादन हेतु EIA अधिसूचना में संशोधन (EIA Notification Amended for Production of Bulk Drugs). 103

10.11. ग्लोबल ग्राउंड वाटर मैप्स (Global Groundwater Maps) 103

10.12. उतराखंड में दुर्लभ हिम तेंदुआ देखा गया (Rare Snow Leopards Spotted in Uttarakhand) 104

10.13. ग्रेट बैरिएर रीफ का वृहद् स्तर पर विरंजन (Great Barrier Reef's Mass Bleaching) 104

10.14. सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल (Daporijo Bridge Over Subansiri River) 105

10.15. अनाक क्राकाटाओ (Anak Krakatau) 105

10.16. आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व की पूर्व सूचना देने वाला नवीन मॉडल (New Model To Predict Ionospheric Electron Density) 105

10.17. भारत पढ़े ऑनलाइन (Bharat Padhe Online) 105

10.18. परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश (UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities) 106

10.19. हॉस्पिटल इमपैनलमेंट मॉड्यूल लाइट {Hospital Empanelment Module (HEM) LITE} 106

10.20. चीन द्वारा वुहान नाम से संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा (China to Launch Communication Satellites Named after Wuhan) 106

10.21. तियानवेन-1 (TIANWEN-1) 107

10.22. सनराइज मिशन (Sunrise Mission) 107
10.23. डेमो-2 मिशन (DEMO-2 Mission) 107
10.24. चंद्रमा का डिजिटल भूगर्भिक मानचित्र (Digital Geological Map of Moon) 108
10.25. लीथियम संपन्न विशालकाय तारें (Lithium Rich Giant Stars) 108
10.26. फॉमलहॉट बी (Fomalhaut B) 109
10.27. केप्लर-1649c (Kepler-1649c) 109
10.28. जून अल्मीडा (June Almeida) 109
10.29. सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) 109
10.30. साइटोकाइन स्टॉर्म (Cytokine Storms) 110
10.31. एंथुरियम (Anthurium) 110
10.32. सेल्फ-सर्विस ब्लॉकचेन ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिज़नेस (Self-Service Blockchain Track and Trace Platform for Businesses) 111
10.33. मेज़ रैनसमवेयर (Maze Ransomware) 111
10.34. एक्सरसाइज एनसीसी योगदान (Exercise NCC YOGDAN) 111
10.35. स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल (Stranded in India Portal) 111
10.36. सुर्ख़ियों में रहे त्यौहार (Festivals in News) 112
10.37. निहंग (Nihangs) 112
10.38. देखो अपना देश (Dekho Apna Desh) 113
11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) 114
11.1. पीएम केयर्स फंड (PM-CARES Fund) 114
11.2. उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान पर विशेष बल (Intensification of Research in High Priority Areas: IRHPA) 115
11.3. ई-नाम प्लेटफॉर्म (E-NAM Platform) 116

1. राजव्यवस्था एवं संविधान (Polity & Constitution)

1.1. पंचायतें और महामारी (Panchayats and Pandemic)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा संकट की इस घड़ी में उनके द्वारा अपनाए गए अग्रसक्रिय दृष्टिकोण के लिए स्थानीय सरकारों की सराहना की गई।

परिचय

- **73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के माध्यम से स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन अनिवार्य घोषित कर दिया गया था।
    - यह ज़मीनी स्तर पर सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए **शक्तियों व उत्तरदायित्वों** की प्रदायगी हेतु प्रावधान करता है।
- **तीस लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ** देश का स्थानीय शासन अथवा पंचायती राज वर्तमान महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अग्रसक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
    - पंचायतों द्वारा लोगों के उपचार हेतु अवसंरचनाओं को तैयार करने, सामुदायिक रसोइयों (community kitchens) के लिए खाद्यान्नों की व्यापक आपूर्ति का प्रबंधन करने और ग्राम स्तर पर **स्वच्छता व "सोशल डिस्टेंसिंग" को बनाए रखने** में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया है।
    - पंचायतें नीति निर्माताओं और समुदाय के मध्य एक सेतु के रूप में उभरी हैं, जिन्हें इस प्रकार के निर्णयों को अनुकूलित या कार्यान्वित करना होगा।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 2020 के अवसर पर

प्रधान मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण देश की ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साथ संवाद स्थापित किया गया। उन्होंने एक एकीकृत **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल** और **स्वामित्व योजना** का शुभारंभ किया।

- **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल** ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगा। यह पोर्टल वास्तविक समय में निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **स्वामित्व योजना** ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति प्रमाणन समाधान उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित भूमि का सीमांकन विविध सर्वेक्षण विधियों द्वारा किया जाएगा, जैसे- पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभागों, राज्य राजस्व विभागों तथा सर्वे ऑफ़ इंडिया के सहयोगात्मक प्रयास से ड्रोन तकनीक का उपयोग।

महामारी के दौरान पंचायतों की भूमिका

- **स्थानीय स्तर के ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग:**
    - अपनी निकटता के कारण, पंचायतें अधिकांश नागरिकों हेतु **संपर्क का प्रथम बिंदु** होती हैं तथा इस प्रकार, ये गत्यात्मकता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ज्ञात करने हेतु सर्वोत्तम स्थल हैं।
    - राज्य स्तर से संसाधनों के परिनियोजन की तुलना में इनके माध्यम से **समुदाय स्तरीय संलग्नता** और **सूचना का प्रसार** अधिक सुगम होता है।
    - राज्यों अथवा जिलों से होकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की निगरानी के लिए अंतिम बिंदु तक समन्वयात्मक प्रयासों को जारी रखना अनिवार्य है। इस प्रयास में पंचायतें, विशेष रूप से सामुदायिक संगरोध (community quarantine) के दौरान, व्यक्तियों और परिवारों के प्रवेश एवं निकास की निगरानी हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकाय हैं।
- **प्रशासनिक पक्ष:**
    - प्रशासनिक रूप से, यद्यपि पंचायतों के कार्य विविधतापूर्ण हैं, तथापि पंचायत सदस्य अधिकांश समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए **नोडल बिंदु** होते हैं तथा उन्हें प्रत्यक्ष पहुंच का लाभ प्राप्त है।
    - **2.6 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों (अथवा ग्राम पंचायतों) और 10 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (ASHAs व ANMs आदि)** के साथ पंचायतें यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि कल्याणकारी सेवाएं ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से वितरित की जाएं तथा कोई भी व्यक्ति दस्तावेज़ों अथवा ज्ञान के अभाव के कारण राहत पैकजों तक पहुंच से वंचित न रह जाए।
    - त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में **महिलाओं हेतु आरक्षण, इन्हें** कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** की लाखों सदस्यों के साथ सहयोग में कार्य करने का अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।

- **विश्वास का स्तर**
  - नागरिकों के परिप्रेक्ष्य से, **पंचायत सर्वोत्कृष्ट समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है।** नागरिक तुलनात्मक रूप से अपने स्थानीय शासन के प्रति अधिक विश्वास प्रदर्शित करते हैं तथा इस प्रकार, अपनी आवश्यकताओं हेतु उनकी अन्य अधिकारियों की बजाय पंचायतों से सहायता प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है।

अग्रिमपंक्ति पर संघर्षरत पंचायती राज संस्थान (PRIs)

- स्वास्थ्य मंत्रालय की **'कोरोना वायरस (कोविड-19) के स्थानीय संचरण को रोकने हेतु सूक्ष्म योजना' {Micro Plan for Containing Local Transmission of Coronavirus Disease (COVID-19)}** के अंतर्गत सामुदायिक गतिशीलता में वृद्धि करने और सक्रिय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को अग्रिम पंक्ति पर रखा गया है।
- सरकार ने पंचायतों को **कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों हेतु 14वें वित्त आयोग के तहत निर्धारित निधियों का प्रयोग करने** की अनुमति प्रदान की है।
  - संवैधानिक रूप से **स्वच्छता बनाए रखना स्थानीय शासन का कार्य है।** कोविड-19 से संबंधित क्रियाकलापों को इस कार्य की परिधि के अंतर्गत लाया गया है।
- विभिन्न राज्यों ने स्वास्थ्य गतिविधियों के संपादन, सूचना के प्रसार और सभी सुभेद्य समुदायों की खाद्य आपूर्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु **समन्वय के लिए पंचायतों को नोडल एजेंसी घोषित किया है।**
- **केरल**
  - **विकेंद्रीकरण के अपने दीर्घकालिक इतिहास** तथा प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को त्रि-स्तरीय संस्थाओं के दायरे के अंतर्गत शामिल करने के साथ केरल में पंचायतें लोगों की निगरानी, स्वास्थ्य जांच शिविरों के आयोजन, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग के संदेश के प्रचार इत्यादि कार्यों में सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं।
  - केरल की लगभग एक-तिहाई योजना निधियां लोचशील विकास और अनुरक्षण निधियों के रूप में पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई हैं।
  - **कुदुंबश्री योजना** (जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों एवं अपने संघों का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करती है), पंचायतों के साथ सहयोग में तथा उन्हें उनके प्रदर्शन हेतु जवाबदेह बनाते हुए, उनके (पंचायतों) लिए एक पूरक व संगठित नागरिक समाज के रूप में कार्य करती है।
- **ओडिशा**
  - ओडिशा सरकार ने सरपंचों को **ग्राम स्तर पर क्वारंटाइन के प्रवर्तन हेतु ज़िलाधीश के समान शक्तियां प्रत्यायोजित** की हैं।
  - महामारी से निपटने की विकेंद्रित रीति को सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत को समुदाय आधारित निगरानी हेतु पंजीकरण सुविधा और तंत्रों के साथ प्राधिकृत किया है।
- **आंध्र प्रदेश**
  - ग्राम स्वयंसेवकों (लगभग 2.5 लाख) ने 14.3 मिलियन परिवारों में से **14.1 मिलियन परिवारों के सर्वेक्षण में सहायता प्रदान की है।**
  - उन्होंने विदेशों से लौटे लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ उनको ट्रेस करने और राज्य में कोविड-19 के संक्रमणों के प्रसार को रोकने हेतु राज्य सरकार की सहायता की है।

आंध्र प्रदेश की ग्राम स्वयंसेवक प्रणाली (Village Volunteer System of Andhra Pradesh)

- इस प्रणाली के तहत ग्राम स्वयंसेवकों/वार्ड स्वयंसेवकों के एक नवीन विभाग और ग्राम सचिवालय/वार्ड सचिवालय का सृजन किया गया है।
- प्रत्येक **ग्राम सचिवालय** को 2,000 की आबादी पर स्थापित किया गया है तथा प्रत्येक सचिवालय में लगभग 12 ग्राम अधिकारी नियुक्त हैं।
- प्रत्येक स्वयंसेवक को **प्रति माह 5,000 रुपये का भुगतान किया जाता है** तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि गाँव में **50 घरों** में लोगों को लाभ (खाद्य आपूर्ति आदि) प्राप्त हुआ हो। कस्बों में वार्ड स्वयंसेवकों को नियोजित किया गया है।

इस प्रणाली को सृजित करने हेतु तर्काधार

- यह प्रणाली **कल्याणकारी योजनाओं के तहत** लोगों को विभिन्न लाभों की **बेहतर आपूर्ति** सुनिश्चित करने हेतु सृजित की गई है। ये स्वयंसेवक राज्य के 11,000 से अधिक ग्रामों में सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे।

- यह प्रणाली परोक्ष रूप से ग्रामीण आंतरिक क्षेत्रों में **रोज़गार का सृजन करेगी** तथा साथ ही साथ **अभिगम्यता और जवाबदेही युक्त श्रृंखला** का निर्माण भी करेगी। इसके परिणामस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन में **विकेंद्रीकरण** में वृद्धि होगी तथा **स्थानीय कार्यकर्ताओं** में क्षमता निर्माण भी सुनिश्चित होगा।

PRIs को सशक्त बनाने हेतु आगे की राह

- यद्यपि, संविधान द्वारा अधिदेशित अनेक कृत्य पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं, तथापि एक निर्वाचित सरकार की भांति प्रभावपूर्ण रीति से कार्य करने हेतु उन्हें अभी तक उचित निधि एवं कार्यबल पूर्ण रूप से हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। ऐसे संकट से बेहतर तरीके से निपटने हेतु पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का यह उपयुक्त समय है।
- प्रारंभिक कदम के रूप में **11वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243G के तहत) की प्रविष्टि 23** सर्वोत्तम सिद्ध हो सकती है। इस प्रविष्टि के अंतर्गत **"स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी हैं"** का कार्य उपबंधित है।
- आर्थिक गतिविधियों के पूर्णतः सामान्य होने तक प्रत्यावर्तित प्रवासी श्रमिकों सहित लाखों ग्रामीणों को निःशुल्क अथवा उच्च सब्सिडीकृत खाद्य उपलब्ध करवाने की नितांत आवश्यकता होगी।
    - **11वीं अनुसूची की प्रविष्टि 28** में हस्तांतरण के विषयों के रूप में **"सार्वजनिक वितरण प्रणाली"** समाविष्ट है।
    - जांच, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और संभावित सीमा तक सोशल डिस्टेंसिंग सहित **प्रवासी श्रमिकों के अंतर्वाह को प्रबंधित करने हेतु योजना निर्माण** तथा सभी के लिए खाद्य आपूर्ति, शरणस्थल व मौद्रिक अनुदान की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
    - **अंतिम बिंदु तक आपूर्ति** केवल पंचायतों (और नगरपालिकाओं) के सशक्तीकरण द्वारा **अनुच्छेद 243A एवं 243S** के अधीन अधिदेशित उनसे संबंधित ग्राम सभाओं तथा वार्ड सभाओं को सूचित करते हुए व्यापक रूप से सुनिश्चित की जा सकती है।
    - कोविड-19 के संचरण का प्रतिरोध करने हेतु योजना के निर्माण के लिए **अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत प्रावधानित जिला नियोजन संबंधित तंत्र के पूर्ण परिनियोजन** की आवश्यकता है। इसके तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के तीनों स्तर को समाविष्ट करते हुए जिला योजना समिति का गठन किया जाना चाहिए।

1.2. संकटकाल में नागरिक समाज की भूमिका (Role of Civil Society In Times of Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नागरिक समाज संगठन (Civil Society Organisations: CSOs) कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की सहायता करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

परिचय

- **विश्व बैंक** औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की एक विस्तृत श्रेणी के रूप में नागरिक समाज संगठनों को परिभाषित करता है: जिसमें सामुदायिक समूह, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), श्रमिक संघ, स्वदेशी समूह, धर्मार्थ संगठन, विश्वास-आधारित संगठन, व्यवसायी संघ और अन्य प्रतिष्ठान (foundations) शामिल हैं।
- सरकार द्वारा कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की अभूतपूर्व चुनौती से निपटने हेतु CSOs के नेटवर्क का लाभ प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (श्री अमिताभ कांत) की अध्यक्षता में **अधिकार प्राप्त समूह-6 {Empowered Group 6 (EG 6)}** का गठन किया गया है।
- **EG 6** ने 92,000 CSOs/NGOs के एक नेटवर्क को उनके सामर्थ्य और संसाधनों तथा पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता व शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता एवं समुदाय में उनकी व्यापक पहुंच का लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हें सक्रिय करने में सफलता प्राप्त की है।

संकटकाल में CSOs की भूमिका

- **संसाधनों के संग्रहण और उन्हें चैनलाइज़ करने में:** समुदायों के साथ निकटतम एवं सुदृढ़ संबंधों तथा स्वयंसेवकों और संसाधनों के तैयार पूल का लाभ प्राप्त करने हेतु CSOs महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त ये संसाधनों को नियोजित करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए एक चैनल के रूप में भी कार्य करते हैं।
    - **EG 6** द्वारा चिन्हित CSOs/NGOs शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले, विशेष रूप से प्रवासियों और निराश्रय लोगों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में स्थानीय प्रशासन को सहायता और समर्थन प्रदान करते रहे हैं।
- **तत्काल राहत प्रदान करने में:** किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में, सिविल सोसायटी (नागरिक समाज) शिविरों में भोजन प्रदान करके, जल और स्वच्छता की सुविधा सुनिश्चित करके तथा विशेष रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित करके प्रथम उत्तरदाताओं (first responders) के रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं। सरकार के अनुसार, EG 6 द्वारा संगठित NGOs निम्नलिखित कार्यों को करने में सफल रहे हैं:

- निराश्रय, दिहाड़ी मजदूरों और शहरी गरीब परिवारों को आश्रय प्रदान करना।
    - सामुदायिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों (PPE) के वितरण हेतु व्यापक समर्थन।
    - स्वास्थ्य शिविर स्थापित करने में सरकार का समर्थन करना।
    - हॉटस्पॉट्स तथा बुजुर्गों, दिव्यांग जनों, बच्चों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य सुभेद्य समूहों को सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त स्वयंसेवकों एवं देखभाल करने वालों की पहचान करना।
    - प्रवासी मजदूरों के सामूहिक पलायन को नियंत्रित करना। NGOs जिला प्रशासन और राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके प्रयासों एवं कार्यों का समन्वय कर रहे हैं ताकि देखभाल, क्वारंटाइन और उपचार के उपाय साथ-साथ उपलब्ध कराए जा सकें।
- **जागरूकता अभियान के संचालन में:** गलत सूचना के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, समुदायों, पंचायतों और जन प्रतिनिधियों के मध्य जागरूकता बढ़ाने में CSOs की प्रमुख भूमिका है। सरकार के अनुसार, EG 6 द्वारा संगठित CSOs/NGOs के नेटवर्क निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने में सफल रहे हैं:
    - रोकथाम, स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और कलंक का सामना करने में।
    - उन्होंने सामुदायिक स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सक्रिय भागीदारी के साथ कम्युनिकेशन रणनीति को अलग-अलग स्थानीय भाषा में विकसित किया है ताकि कोविड-19 के प्रसार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सके।
- **सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में:** इस संकटकाल में भ्रष्टाचार का व्यापक जोखिम विद्यमान है। ऐसे में कोविड-19 महामारी के दौरान निर्दिष्ट उद्देश्य पर धन का व्यय सुनिश्चित करने में नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
    - उदाहरण के लिए, विभिन्न RTI याचिकाओं के माध्यम से यह जानकारी मांगी गई है कि PM-केयर्स में दान किए गए धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है।

महामारी के दौरान नागरिक समाज द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

विद्यमान महामारी के दौरान लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन उपायों के परिणामस्वरूप, नागरिक समाज को अपने कार्यों को संपादित करने में विभिन्न अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है।

- **उनकी जवाबदेही से संबंधित चिंताएं:**
    - विगत कुछ वर्षों में हजारों NGOs पर की गई कार्रवाई ने CSOs को प्रशासनिक विवेकाधिकार के अधीन ला दिया है। भ्रष्टाचार में लिप्त होने और विदेशी फंडिंग से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण अनेक NGOs की आलोचना की गई है।
    - इससे CSOs के लिए ऐसे संकटकाल में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो गया है। यहां तक कि ये स्वयं भी अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के प्रयास में संलग्न हैं।
- **सूचना तक पहुँच:**
    - लॉकडाउन के कारण कार्य स्थल, शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों आदि में उपलब्ध सूचनाओं तक भौतिक पहुंच बाधित हुई है।
    - इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पर प्रतिबंध और डिजिटल निरक्षरता के साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी का अभाव व्यापक रूप से हितधारकों को डिजिटल जुड़ाव या सूचना और संचार तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है।
- **नागरिक पहल की प्रगति में बाधा:**
    - संकट की इस घड़ी में किसी पहल की प्रगति और उसके लिए प्रतिभागियों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि मीडिया तथा जनता का ध्यान मुख्यत: वर्तमान आपात स्थिति पर केंद्रित है।
- **आवागमन पर प्रतिबंध उन गतिविधियों को बाधित करता है जिसके लिए प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता होती है:**
    - यह विशेष रूप से सामाजिक जवाबदेही से संबंधित नागरिक समाज के कार्यक्रमों को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिकांश सामाजिक जवाबदेही कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता होती है। किंतु, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन की स्थिति में यह संभव नहीं है।

महामारी के दौरान नागरिक समाज के समक्ष अवसर

- वर्तमान में नागरिक समाज के पास यह अवसर है कि वह ऑनलाइन पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क द्वारा समुदाय (जिसमें वे निवास करते है) के साथ एक सुदृढ़ संबंध स्थापित कर अपनी वैधता को बढ़ाएं।
- वर्तमान स्थिति में व्यापक भागीदारी की आवश्यकता उत्पन्न हुई है तथा इसे PM-केयर्स फंड में अत्यधिक दान से समझा जा सकता है। अधिकांश संगठन और लोग प्रवासियों को उनके गृहनगर जाने के मार्ग में सहायता करने हेतु आगे आए हैं। ऐसे में इस कार्य-निष्पादन में शामिल लोगों को रचनात्मक समर्थन प्रदान कर, नागरिक कार्य के वैकल्पिक रूपों के साथ उन्हें संबद्ध किया जा सकता है।

- गैर-सरकारी संगठनों से परे अन्य प्रकार के CSOs के रूप में नए संगठनों का निर्माण किया जा सकता है, जैसे- पेशेवर संघ (यथा- नर्सों का यूनियन), सदस्यता-आधारित संगठन आदि।
    - CSOs के इन विभिन्न रूपों में प्रायः बेहतर संचार संरचनाएं होती हैं और यह कोविड-19 प्रतिक्रियाओं की निगरानी एवं निरीक्षण में विभिन्न लोगों को संलग्न कर सकता है।
    - नए संगठन और नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से नागरिक समाज संगठनों को साइलो को समाप्त करने में सहायता मिल सकती है। पुनः संगठनों के मध्य नवीन तरीके से सामंजस्य स्थापित करने से संकट की इस स्थिति में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **डिजिटल नागरिक जुड़ाव के लिए प्लेटफॉर्म निर्माण:** इस बात के विभिन्न उदाहरण मौजूद हैं कि किस प्रकार डिजिटल भागीदारी का उपयोग करने के लिए अनेक अप्रयुक्त संसाधनों के साथ नागरिक जुड़ाव और जवाबदेही बढ़ाने हेतु इन संगठनों ने ऑनलाइन पद्धति का उपयोग किया है।
    - उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम में, **'फ्रंटलाइन PPE'** व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (PPE) की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्पेन में, 'फ्रीन ला कर्वा' (Frene La Curva) भोजन या दवा लेने के लिए सहायता या प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रकाशित करता है।

कोविड-19 के दौरान CSOs का योगदान

केंद्र सरकार द्वारा 7 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए एक हलफनामे के अनुसार, 25 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन के पश्चात् से देश भर में 84 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया।

- इनमें से 54.15 लाख लोगों को राज्य सरकारों और शेष 30.11 लाख को NGOs द्वारा भोजन उपलब्ध कराया गया।
- केंद्र द्वारा प्रस्तुत राज्य-वार आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, गैर-सरकारी संगठनों ने राज्य सरकारों को निःशुल्क भोजन के रूप में मानवीय राहत प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। इनमें से अधिकांश भोजन फंसे हुए प्रवासी मजदूरों और गरीबों को मुहैया कराया गया था, जो लॉकडाउन के दौरान आय हानि के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
    - कुल मिलाकर, 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे, जहां NGOs ने लॉकडाउन के दौरान 75% से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था।
- जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, देश भर के गैर-सरकारी संगठनों ने शरण लेने वाले लोगों के लिए राहत या आश्रय गृह स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार के हलफनामे के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:
    - भारत में 10.37 लाख लोगों ने राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए गए आश्रय गृहों में शरण ली। इन 10.37 लाख लोगों में से 39.14%, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित शिविरों में रह रहे हैं।
    - महाराष्ट्र में, 83.56% लोग गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित शिविरों में रह रहे थे। मेघालय में यह आंकड़ा 95% था।
- एक अन्य घटनाक्रम (जो जमीनी स्तर के संगठनों और श्रमिकों के महत्व को प्रदर्शित करता है) यह देखने को मिला है कि, सरकार ने बिना ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार में बिक्री दर (OMSS) के आधार पर इन संगठनों को गेहूं और चावल प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निर्देशित किया है।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र संघ सरकारी और निजी व्यवसायों के साथ नागरिक समाज को "तृतीय क्षेत्र" के रूप में संदर्भित करता है। संकट की इस घड़ी में, CSOs राहत पहुँचाने हेतु राज्य के एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में उभरे हैं। उन्होंने राज्य की पहुंच को व्यापक बनाने में सहायता प्रदान की है। इस प्रकार उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, राज्य के साथ वार्ता करने के तरीके को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल उनकी वैधता बढ़ेगी बल्कि व्यापक और गहन सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

1.3. कोविड-19 और भारत का विधिक ढांचा (COVID-19 and India's Legal Framework)

सुर्खियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी के संकट ने भारत के घरेलू कानूनों में व्याप्त अंतराल और ऐसी स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक अति महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता को उजागर किया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान के द्वारा लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य को **राज्य सूची** के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा-निर्देश पारित करने के लिए **महामारी अधिनियम, 1897** {Epidemic Diseases Act (EDA), 1897} लागू किया।

- इसके पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा **आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA), 2005** के तहत, "देश भर में विभिन्न उपायों के अनुप्रयोग और कार्यान्वयन में सामंजस्य" स्थापित करने के लिए एक व्यापक उपाय के रूप में लॉकडाउन लागू किया गया।
- संविधान की **सातवीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन** के संबंध में कोई स्पष्ट प्रविष्टि उपबंधित नहीं है। इसलिए, संसद द्वारा समवर्ती सूची की **प्रविष्टि 23** - "सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेरोजगारी" के आधार पर ही इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग किया जाता है।
- इन कानूनी प्रावधानों को जिस तरह से प्रयुक्त किया गया है, उसने **केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान के तहत अपनी भूमिकाओं की व्याख्या के संबंध में स्पष्टता के अभाव** को उजागर किया है।
- इस प्रकार कई विशेषज्ञ समान स्थितियों से निपटने के लिए एक अति-विस्तृत विधिक ढांचे के निर्माण का समर्थन कर रहे हैं।

कोविड-19 के दौरान प्रयुक्त की गईं भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ

- **IPC की धारा 271 -** जो भी व्यक्ति क्वारंटाइन नियमों की अवेहलना करता है उसे कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
- **IPC की धारा 269 -** उपेक्षापूर्ण कृत्य, जिससे संक्रमण के प्रसार की संभावना व्याप्त हो जाए।
- **IPC की धारा 188 -** इसका उपयोग उन आरोपियों के लिए किया जाता है जो लॉकडाउन के दौरान लोक सेवकों के आदेशों की अवहेलना करते हैं।

महामारी अधिनियम, 1897 और इसकी सीमाएँ

- **बॉम्बे** में **ताऊन** (bubonic plague) के प्रकोप के दौरान यह अधिनियम अस्तित्व में आया था।
- औपनिवेशिक युग का यह अधिनियम भारत का **एकमात्र कानून** है, जिसको ऐतिहासिक रूप से **हैजा और मलेरिया** सहित विभिन्न रोगों के प्रसार के दौरान एक ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता रहा है।
- यह कानून **केंद्र और राज्य सरकारों** को "असाधारण उपाय करने तथा विनियमों को निर्धारित करने" के लिए अधिकृत करता है ताकि नागरिकों के मध्य किसी भी रोग के प्रसार को रोका जा सके।
  - इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लेख है कि राज्य सरकार **यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपाय** कर सकती है और उनके निरीक्षण के लिए नियमों को निर्धारित कर सकती है।
- यह **उल्लंघन करने वाले** व्यक्ति के लिए दंड संबंधी प्रावधानों को भी निर्दिष्ट करता है।
- **EDA निम्नलिखित तीन प्रमुख कारणों से त्रुटिपूर्ण बना हुआ है:**
  - **प्रथम,** इसमें "खतरनाक", "संक्रामक", या "संक्रामक रोगों" और "महामारी" को **परिभाषित नहीं किया गया** है। इस अधिनियम में यह निर्धारित करने के लिए मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि किस मानक पर पहुंचने के पश्चात् एक विशेष रोग को महामारी घोषित किया जाना चाहिए।
  - **द्वितीय,** EDA में **आइसोलेशन (अलगाव) और ड्रग्स/वैक्सीन के प्रसार के लिए आवश्यक अनुक्रमण और क्वारंटाइन उपायों** तथा अन्य निवारक उपायों के बारे में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।
  - **तृतीय,** यह अधिनियम महामारी के दौरान केवल केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों पर बल देता है, लेकिन यह महामारी को रोकने एवं नियंत्रित करने में सरकार के कर्तव्यों का वर्णन नहीं करता है तथा न ही यह किसी महत्वपूर्ण बीमारी की स्थिति के दौरान नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित मुद्दे

- कोविड-19 को **"अधिसूचित आपदा" (notified disaster)** के रूप में घोषित किया गया था, जो आपदा के प्रति अनुक्रिया करने तथा आपदा प्रबंधन के लिए समयबद्ध रीति से और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार को नीतियों एवं योजनाओं को बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।
- DMA, 2005 की **धारा 72** में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के उपबंध, अन्य सभी कानूनों पर उस सीमा तक प्रभावी होंगे जिस सीमा तक वे असंगत हैं।
- केंद्र द्वारा अनेक अधिसूचनाएँ, दिशा-निर्देश, सर्कुलर और स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं, जहाँ समन्वय का अभाव है या इनके कार्यान्वयन अथवा परिणामों पर पूर्व चिंतन नहीं किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों में असममिति (asymmetry) (अर्थात् अधिकारिता संबंधी विषमता) विद्यमान है, जहाँ केंद्र DMA से इन शक्तियों को प्राप्त करता है। यह राज्यों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को डिजाइन तथा लागू करने के अवसरों को सीमित कर देता है।

- एक अन्य मुद्दा यह उत्पन्न हुआ है कि DMA को कोविड-19 संकट का सूक्ष्म प्रबंधन करने के लिए एक पूर्णाधिकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार को अपनी एकपक्षीय कार्यवाही करने के बजाए राज्यों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को सीमित करना चाहिए।

पूर्ववर्ती पहलें और अन्य सिफ़ारिशें

- **लोक स्वास्थ्य (महामारी, जैव-आतंकवाद और आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन) विधेयक का मसौदा**
    - इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त अंतरालों को समाप्त करने हेतु वर्ष 2017 में प्रस्तावित किया गया था। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। साथ ही, इसमें प्रत्येक आपातकालीन स्थिति की विशिष्टताओं को देखते हुए स्थानीय सरकारी निकायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया था।
    - यह अपेक्षा की गई थी कि इस कानून के लागू होने के साथ ही, महामारी अधिनियम, 1897 को निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक, 2009:** यह स्वास्थ्य को लोगों के मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने पर लक्षित था। इसके तहत सहयोगी संघीय ढांचे की रूपरेखा तैयार कर लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल किया गया था।
    - हालाँकि, राज्यों द्वारा इसे अपने अधिकार-क्षेत्र के अतिक्रमण के रूप में माना गया था।
- **मॉडल पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1955** (वर्ष 1987 में अद्यतित) जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति समर्पित क़ानूनों का मसौदा तैयार करने का प्रयास किया गया। हालांकि, केंद्र सरकार राज्यों को यह कानून अपनाने के लिए सहमत नहीं कर सकी क्योंकि **स्वास्थ्य राज्य सूची का एक विषय** है।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वर्ष 2006)** ने "प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और आपात स्थितियों के प्रबंधन" के लिए समवर्ती सूची में एक नई प्रविष्टि को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार की अनुशंसा **संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग (वर्ष 2002)** द्वारा और बाद में **DMA की समीक्षा करने के लिए गठित गृह मंत्रालय के एक कार्यबल (वर्ष 2013)** द्वारा भी की गयी थी।

निष्कर्ष

- विधि के शासन द्वारा शासित किसी भी देश में, यह आवश्यक है कि **सभी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक रूप से वैध रीति से किया जाए।**
- स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल उत्तरदायी और कुशल शासन हेतु लोक स्वास्थ्य संबंधी संकटों से निपटने का उत्तरदायित्व केंद्र से पर्याप्त समर्थन के साथ **राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों** को ग्रहण करना चाहिए।
- कोविड-19 से संबंधित लोक स्वास्थ्य संबंधी संकट ने केंद्र सरकार को देश के **कानूनों को अद्यतित करने और उन्हें एक नए तरीके से संरचित करने के लिए एक दुर्लभ अवसर** प्रदान किया है, ताकि भविष्य में भारत द्वारा ऐसी स्वास्थ्य आपात स्थितियों को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख प्राप्त करना

- **कनाडा:** संघीय स्तर पर आपातकालीन उपायों और आपातकालीन प्रबंधन को **इमरजेंसी एक्ट, 1988** और **इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, 2007** द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
    - अधिकांश प्रांतों के स्वयं के स्वास्थ्य अधिनियम भी प्रचलित हैं, जो स्वास्थ्य आपातकाल के मामले में किए जाने वाले उपायों को अधिसूचित करते हैं।
    - इसलिए, कनाडा में अधिकांश स्वास्थ्य संकटों को केंद्र सरकार के समन्वय के साथ प्रांतीय स्तर पर नियंत्रित किया जाता है।
- **ऑस्ट्रेलिया: नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट, 2007**, प्रक्रियाओं और संरचनाओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थितियों में प्रथम कार्यवाही करने, उन्हें रोकने और उनसे निपटने के लिए, नामित संस्थाओं के साथ समन्वय और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने तथा प्रांतों को अपने अनुप्रयोग के लिए कानून, न्यायिक प्रतिक्रियाएँ और समन्वय प्रक्रियाएँ निर्धारित करने का प्रावधान करता है।
- **इंग्लैंड: पब्लिक हेल्थ (कंट्रोल ऑफ डिजीज़) एक्ट, 1984** को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में विभिन्न प्राधिकरणों के लिए विशिष्ट कार्य निर्धारित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह अधिनियम एक स्पष्ट पदानुक्रमित व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अनुक्रिया कर्ताओं को कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है।

VISION IAS

1.3.1. स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश (Ordinance to Protect Health Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और स्वास्थ्य अवसंरचना (जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों का आवास एवं कार्य परिसर भी शामिल है) की सुरक्षा के उद्देश्य से **महामारी अधिनियम, 1897** में संशोधन के लिए **महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020** {Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020} का प्रख्यापन किया गया।

इस अध्यादेश की प्रमुख विशेषताएँ

- **परिभाषा:** यह अध्यादेश स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जिन पर अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान महामारियों के संपर्क में आने का जोखिम होता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  (i) पब्लिक एवं क्लिनिकल स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता, जैसे- डॉक्टर, नर्स, पराचिकित्सीय कर्मी और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता;

  (ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत बीमारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए नियुक्त किया गया है; तथा

  (iii) अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार ने इस हेतु नामित किया है।
- **हिंसक कार्य:** इसमें स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के विरुद्ध किए जाने वाले निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:
  - जीवन या कार्य की स्थितियों को प्रभावित करने वाला उत्पीड़न;
  - जीवन को हानि, चोट, क्षति या खतरा पहुंचाना;
  - उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अवरोध उत्पन्न करना; तथा
  - स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की संपत्ति या दस्तावेज़ों को नुकसान या क्षति पहुँचना।
- **सजा का प्रावधान:** हिंसक कृत्यों को करने या उसके लिए उकसाने पर तीन माह से लेकर पांच वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। न्यायालय की अनुमति से पीड़ित द्वारा अपराधी को क्षमा किया जा सकता है।
  - यदि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई से गंभीर क्षति पहुँचती है, तो अपराध करने वाले व्यक्ति को छह महीने से लेकर सात वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
  - ऐसे अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती की श्रेणी में रखा गया है।
- **क्षतिपूर्ति:** इस अध्यादेश के तहत अपराधों के दोषी व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु भी उत्तरदायी माना जाएगा, जिन्हें उन्होंने क्षति पहुँचाई है।
- **जाँच:** इस अध्यादेश के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। FIR के दर्ज होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपराधों की जांच पूरी हो जानी चाहिए।
- **ट्रायल:** इंक्वायरी या ट्रायल को एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। यदि इस अवधि के दौरान यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो न्यायाधीश के समक्ष विलंब का कारण प्रस्तुत करना होगा और इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि, यह समय सीमा केवल छह माह तक आगे बढ़ाई जा सकती है।
  - दोषी को स्वयं अपराध के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

इस अध्यादेश की आवश्यकता

- **कठोर कानून का अभाव:** अतीत में कई राज्यों द्वारा डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कानून बनाए गए थे। हालांकि, इन कानूनों में निहित दंडात्मक प्रावधान असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर नहीं थे।
  - ये कानून सामान्यतया आवास और कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर नहीं करते हैं तथा सामान्यतः केवल शारीरिक हिंसा पर केंद्रित हैं।
- मिथकों और झूठी मान्यताओं के कारण लोगों में स्वास्थ्य साक्षरता का स्तर काफी निम्न है, जिससे अक्सर तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाने में वे विफल हो जाते हैं।
  - **समाज में यह गलत धारणा** विद्यमान है कि प्रत्येक रोगी की होने वाली मृत्यु डॉक्टरों की विफलता, उसके द्वारा अपने कर्तव्यों से बचने आदि के कारण होती है।
- अधिकांश अस्पतालों, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में **पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण संबंधी उपायों का अभाव** है।

निष्कर्ष

- यद्यपि, यह अध्यादेश कुछ सीमा तक निवारक के रूप में कार्य करता है, परन्तु यह केवल महामारी के दौरान ही लागू रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के प्रति होने वाली हिंसा की घटनाओं को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए एक **व्यापक कानून अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता** है।

VISION IAS

- **'डॉक्टरों, चिकित्सा पेशेवरों और चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम विधेयक, 2018'** पारित किया जाना चाहिए। इसमें चिकित्सीय लापरवाही या कुप्रबंधन के पीड़ितों को प्रभावी और समय पर सहायता प्रदान करना, ऐसे पीड़ितों को उपयुक्त मंच से उचित राहत प्राप्त करने के संबंध में सहायता एवं सलाह प्रदान करने हेतु **जिला वार कमेटी** की स्थापना जैसे प्रावधान शामिल हैं।

1.4. आरक्षण नीति (Reservation Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है कि **किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना स्वीकार्य नहीं है।**

संविधान की पांचवीं अनुसूची

- संविधान के **अनुच्छेद 244** के तहत **पांचवीं अनुसूची** में पूर्वोत्तर भारत से भिन्न अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं।
- वर्तमान में, **आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा** और **राजस्थान** में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
- किसी **राज्य में अनुसूचित क्षेत्र** को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् **राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाता है।**
- राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति अपेक्षा करे, राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 'अनुसूचित क्षेत्र' वाले प्रत्येक राज्य में 20 से अनधिक सदस्यों वाली एक **जनजातीय सलाहकार परिषद** का गठन किया जाएगा।
    - इन सदस्यों में से निकटतम तीन-चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।
- राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा।

विवरण

- आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2000 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों के पद के लिए **अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान किया गया था (जिसमें से 33% महिलाएँ होंगी)।**
    - इससे पूर्व, वर्ष 1986 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने **5वीं अनुसूची** के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था।
- हालाँकि, हाल ही में, **उच्चतम न्यायालय ने माना कि 100% आरक्षण भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य है,** क्योंकि इसने संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता), 15 (विभेद का प्रतिषेध) तथा 16 (अवसर की समता) का उल्लंघन किया है।
    - अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% आरक्षण वस्तुतः सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उनके उचित प्रतिनिधित्व से भी वंचित करता है। **न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद के निर्णय का भी उल्लेख किया, जो आरक्षण को 50% तक सीमित करता है।**
    - इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी कहा कि अवसर की समता और अनुच्छेद 51A के तहत चयन के अनुसरण (pursuit of choice) को स्वेच्छाचारी रूप से वंचित नहीं किया जा सकता है।
    - न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत किसी भी संसदीय कानून में 'अपवादों और उपांतरणों' को स्पष्ट करने की राज्यपाल की शक्ति उसे कानून का विकल्प प्रदान करने या पूर्णतः नए कानून के निर्माण का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(4)** राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु कोई विशेष उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रावधान को **93वें संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर) में प्रवेश के लिए विस्तारित किया गया था।**
- **अनुच्छेद 16(4)** राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने की अनुमति प्रदान करता है।

 ©Vision IAS

VISION IAS

- **अनुच्छेद 46** में उपबंध किया गया है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 243D** प्रत्येक **पंचायत** में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 243T** प्रत्येक **नगरपालिका** में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 330** में उपबंध किया गया है कि **लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।**
- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।**

भारतीय संदर्भ में आरक्षण

- यह **सकारात्मक कार्रवाई** का एक स्वरूप है, जिसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जिन सेवाओं व संस्थानों में इनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उन सरकारी सेवा तथा शैक्षणिक संस्थानों में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं हैं।
- हाल ही में, **103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** द्वारा **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS)** को **10% आरक्षण** प्रदान किया गया था। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी पदों हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए **अनुच्छेद 15 एवं 16** में संशोधन किया गया था।
- खुली प्रतिस्पर्धा के तहत अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में **अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) को क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण** प्रदान किया जाता है।
- **नि:शक्तजन अधिनियम, 1995** भारत में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत, दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों, दोनों में 3% आरक्षण प्राप्त हुआ है।

आरक्षण के संबंध में न्यायिक निर्णय

- **चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य वाद (वर्ष 1951)**
  - इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को यथावत रखा, जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित आरक्षण के संबंध में वर्ष 1927 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था।
  - इस निर्णय ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(4) को अंत:स्थापित करने हेतु आधार का सृजन भी किया था।
- **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 1992)**
  - उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से निर्णय दिया कि केंद्र सरकार द्वारा **पिछड़े वर्गों के लिए 27% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने का निर्णय (क्रीमी लेयर के अलावा) संवैधानिक रूप से मान्य है।**
  - सीटों का आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होगा और पदोन्नति में यह लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा **कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।**
- **एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2006)**
  - उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को पदोन्नति तक विस्तारित करने के संसद के निर्णय को निम्नलिखित **तीन शर्तों के साथ वैध घोषित किया गया:**
    - राज्य को आरक्षण से लाभान्वित होने वाले वर्ग के पिछड़ेपन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
    - राज्य को सार्वजनिक रोज़गार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दर्शाते हुए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा।
    - राज्य को यह प्रदर्शित करना होगा कि पदोन्नति में आरक्षण कैसे प्रशासनिक दक्षता को और अधिक विस्तारित करेगा।
- **जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद (वर्ष 2018)**
  - उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सार्वजनिक कर्मचारियों के पिछड़ेपन को प्रदर्शित करने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता **नहीं** है।
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने **"कर्नाटक में आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी सेवकों तक परिणामी वरिष्ठता का विस्तार (राज्य की सिविल सेवा में पदों के लिए) अधिनियम, 2018"** को मान्य ठहराया है। यह अधिनियमन वर्ष 1978 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान करता है।

o परिणामी वरिष्ठता (consequential seniority) वस्तुतः आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के अपने सहकर्मियों से वरिष्ठता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करती है। यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को पदोन्नति में आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से पहले पदोन्नत किया जाता है, तब अनुवर्ती (subsequent) पदोन्नति के लिए आरक्षित उम्मीदवार को वरिष्ठता प्राप्त होती है। वास्तव में, परिणामी वरिष्ठता 'अधिग्रहण (कैच-अप) नियम' को रद्द कर देती है, जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की पदोन्नति को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की पदोन्नति के अधीनस्थ करती है।

1.5. ऑनलाइन न्याय प्रदायगी (Online Justice Delivery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी न्यायालयों के लिए **न्यायिक कार्यवाही हेतु वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का व्यापक रूप से उपयोग करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं** ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अधिवक्ताओं और वादियों के एकत्रीकरण से बचा जा सके।

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली सभी कार्यवाहियों को मान्य ठहराने के लिए **संविधान के अनुच्छेद 142** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।
  - o संविधान का **अनुच्छेद 142** उच्चतम न्यायालय को ऐसी डिक्री या आदेश पारित करने की अधिकारिता प्रदान करता है, जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।
- केरल उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही करने के साथ साथ कार्यवाही का लाइव प्रसारण भी किया।
- न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए अतीत में भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि:
  - o देश भर के जिला न्यायालयों के लिए न्याय विभाग (भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन) का **ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट।**
  - o 488 न्यायालयिक परिसरों और 342 जेलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाएं प्रदान करना।

न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी न्यायिक प्रणाली में विभिन्न मुद्दों से निपटने में किस प्रकार सहायक है?

- **लंबित मामलों के संदर्भ में:** वर्ष 2006-2019 के मध्य, सभी न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में 22% की समग्र वृद्धि हुई है। ऑनलाइन न्यायिक सेवाएं इस कार्यसंचय को समाप्त करने और इसमें लगने वाले समय तथा लागत को कम करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती हैं।
- **न्यायालयों की दक्षता में वृद्धि:** विशेष रूप से दीवानी मामलों में, मानक प्रणाली द्वारा उत्पन्न नित्य निर्णयों और आदेशों के प्रारूपों को न्यायालयों द्वारा न्याय की त्वरित प्रदायगी हेतु उपयोग किया जा सकता है।
  - o कागजी कार्यवाही में कमी से न्यायाधीशों और न्यायालय के अन्य कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यभार से राहत प्राप्त होगी तथा वे न्यायिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
  - o रीयल-टाइम ऑनलाइन डेटा, मामलों की बेहतर पहचान और वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करेगा तथा उच्च न्यायालयों को **अधीनस्थ अदालतों पर उचित पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाएगा।**
- **अवसंरचनात्मक बाधाओं का निपटान:** दृश्य-श्रव्य विधि के माध्यम से मामलों की सुनवाई, न्यायालय की कार्यवाही के लिए भवन, कर्मचारी व अवसंरचना एवं सभी पक्षों के लिए सुरक्षा, परिवहन आदि के संदर्भ में लागत को कम कर सकती है।
- **न्यायिक आंकड़ों की उपलब्धता:** भारतीय विधि आयोग ने अपनी 245वीं रिपोर्ट में वर्णित किया है कि संपूर्ण देश के न्यायालयों के मामलों से संबंधित व्यापक और सटीक आंकड़ों के अभाव से सरकार द्वारा कुशल नीति निर्धारण में बाधा उत्पन्न होती है। न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी द्वारा निर्मित डिजिटल डेटाबेस इस आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं।
- **न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार:** न्यायिक कार्यवाहियों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग की स्वीकृति कार्यवाहियों का सटीक रिकॉर्ड प्रदान करके न्यायालयों की पारदर्शिता में वृद्धि कर सकती है। साथ ही, इससे न्यायालयों में अनुचित आचरण और न्यायालय के समय के अपव्यय को हतोत्साहित किया जा सकता है।
  - o सार्वजनिक डोमेन में न्यायिक आँकड़ों से संबंधित जानकारी प्रमुख हितधारकों, जैसे- अधिवक्ताओं, वादियों, शोधकर्ताओं और जनता को न्यायिक प्रणाली की स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकती है।
- **व्यवसाय करने की सुगमता (इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) में वृद्धि:** अनुबंध संबंधी विवादों के ऑनलाइन समाधान से घरेलू और विदेशी व्यवसायियों के विश्वास में बढ़ोत्तरी होगी, क्योंकि वे भारत में निवेश की योजना बनाते हैं।

चुनौतियाँ

- **न्यायालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना में निवेश की कमी:** अत्याधुनिक ई-न्यायालयों के प्रभावी परिचालन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, जैसे- उच्च गति युक्त इंटरनेट कनेक्शन, नवीनतम दृश्य-श्रव्य उपकरण, क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्याप्त बैंडविड्थ की उपलब्धता आदि।

- **न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य तकनीकी जानकारी का अभाव** और समर्पित संस्थानिक तकनीकी सहायता की अनुपस्थिति।
- **वादियों और अधिवक्ताओं में जागरूकता का अभाव:** एक सर्वेक्षण के अनुसार 40 प्रतिशत से भी कम मामलों को विशेष रूप से कंप्यूट्रीकृत प्रणाली के माध्यम से दायर किया गया था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त अवसंरचना, विद्युत और इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता तथा अल्प डिजिटल साक्षरता के कारण **न्याय तक पहुंच में डिजिटल विभाजन विद्यमान है।**
- विभिन्न विभागों के मध्य सॉफ्टवेयर के समन्वय, संचार और अन्तरसंक्रियता के अभाव के कारण **अंतर्विभागीय चुनौतियां।**
- **साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे:** न्यायिक डेटा में संवेदनशील मामलों की जानकारी और अभियोग के आंकड़े शामिल होते हैं, इसलिए उनके इलेक्ट्रॉनिक भंडारण एवं प्रसारण की सुरक्षा तथा गोपनीयता की चिंता बनी रहती है।
- **प्रक्रियात्मक समस्याएं:** जैसे- दृश्य/श्रव्य प्रसारण के माध्यम से प्राप्त साक्ष्यों की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता, अभिसाक्ष्य की पहचान एवं/या व्यक्तियों की सुनवाई के विषय, सुनवाई की गोपनीयता आदि।

आगे की राह

- **प्रत्येक स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास,** जैसे- न्यायालय परिसरों के प्रवेश द्वारों पर ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाले सुविधा केंद्र; एकीकृत सॉफ्टवेयर्स आदि।
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग के लिए नियम निर्माण:** न्यायालयों की कार्यवाहियों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग करने और दिनचर्या के निर्णयों तथा आदेशों के मानक प्रणाली से उत्पन्न स्वरूपों को बनाए रखने के सुझावों को शामिल करने के लिए प्रक्रियात्मक क़ानूनों / नियमों में भी संशोधन करना आवश्यक हो सकता है।
- **नियमित प्रशिक्षण कोर्स का सृजन और उपलब्धता:** ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग और ई-डेटा {जैसे- ई-फाइल मिनट (स्मरणार्थ लेख) प्रविष्टियों, समन, वारंट, जमानत आदेश, आदेश आदि के रिकॉर्ड} का रखरखाव करने के लिए न्यायाधीशों, न्यायालय कर्मचारियों तथा पैरालीगल व्यक्तियों हेतु आवश्यक। कोर्स की अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने हेतु आभासी शिक्षण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।
- **उपयोगकर्ता के अनुकूल ई-कोर्ट तंत्र और जागरूकता सृजन,** जो जन सामान्य द्वारा सरलता और सुगमता से सुलभ हो तथा कई भारतीय भाषाओं में जानकारी प्रदान करता हो।
- **डेटा गोपनीयता पर स्पष्ट नियम:** इनमें डेटा अतिक्रमण के परिणाम, गोपनीयता का उल्लंघन आदि तथा एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र संबंधी नियम शामिल होने चाहिए।

कुछ महत्वपूर्ण पहलों का विवरण

- **ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट**
  - यह एक **अखिल भारतीय परियोजना** है, जिसकी निगरानी और वित्त पोषण देश भर में ज़िला न्यायालयों के लिए **न्याय विभाग** (भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन) द्वारा की जाती है।
  - ई-कोर्ट्स परियोजना का उद्देश्य देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ITC) में सक्षम बनाते हुए नागरिकों व साथ ही साथ न्यायलयों को भी निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना है।
  - नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में मामलों के पंजीकरण की स्थिति, मामले की स्थिति, मामले की सूची, दैनिक आदेश पत्र और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं।
  - **ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप्लिकेशन और ई-कोर्ट्स नेशनल पोर्टल भी विकसित किए गए हैं।**
- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड:** यह एक वेब पोर्टल है, जो देश के किसी भी न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या से संबंधित डेटा प्रदान करता है।
- **न्यायिक सेवा केंद्र (JSC):** इन केंद्रों की स्थापना सभी कंप्यूटराइज्ड न्यायालयों में की गई है, जो **वादियों/अधिवक्ताओं द्वारा याचिका और आवेदन दाखिल करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में कार्य करते हैं।** साथ ही, ये जारी मामलों तथा आदेशों एवं निर्णयों आदि की प्रतियों के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं।
- **उच्चतम न्यायालय की ई-समिति:** यह भारत सरकार द्वारा भारतीय न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण पर एक राष्ट्रीय नीति निर्माण और तकनीकी संचार एवं प्रबंधन संबंधी परिवर्तनों के संबंध में परामर्श प्रदान करने हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए उच्चतम न्यायालय में स्थापित एक निकाय है।
- **उच्च न्यायालयों में रिइंजीनियरिंग कमेटी:** इनकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के ई-कमेटी संबंधी आदेश के अनुसार की गई है। इन समितियों की भूमिका वर्तमान न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और इनमें सुधार करने, निरर्थक प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को ITC सक्षम बनाने के संबंध में नई प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करके न्यायिक प्रक्रिया को रिइंजीनियरिंग (एक प्रकार से पुनर्रचना) करने की है।
- **विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS):** यह एक वेब आधारित पोर्टल है, जिसे विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय

मंत्रालय द्वारा सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों के विभिन्न अदालती मामलों की निगरानी तथा संचालन के लिए विकसित किया गया है।

- **इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS):** इसका उद्देश्य ई-कोर्ट और ई-प्रिजन डेटाबेस के साथ-साथ आपराधिक तथा न्यायिक प्रणाली के अन्य स्तंभों, जैसे- फोरेंसिक, अभियोजन और बाल सुधार गृहों के साथ चरणबद्ध तरीके से क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) परियोजना को एकीकृत करना है।

1.6. सरकारी विज्ञापनों का विनियमन (Regulation of Government Advertisements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ राज्यों ने सरकारी विज्ञापनों के विषय में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए समितियों के गठन के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र का प्रत्युत्तर दिया है।

सरकारी विज्ञापनों के अतंर्निहित तर्क

- **सरकारी पहलों के संबंध में जानकारी साझा करना:** ये विज्ञापन सरकार की नीतियों या पहलों के संबंध में, या नागरिकों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा अथवा अन्य मामलों के संबंध में आवश्यक जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **सूचना का अधिकार:** नागरिकों का सरकार के कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत एक मूल अधिकार है।
- **विज्ञापनों की प्रकृति:** सरकार के अनुसार, विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से **विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP)** द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में से 60% विज्ञापन भर्ती, निविदा और सार्वजनिक नोटिस जैसे मुद्दों से संबंधित होते हैं।
- **विज्ञापनों की जांच करने के लिए उपाय:** सरकारी विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए भूतपूर्व DAVP द्वारा जारी किए गए पर्याप्त दिशा-निर्देश मौजूद हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकारी विज्ञापन, जोकि सामान्यतः राजनीति से प्रेरित होते हैं, को जारी करने के लिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में दो संगठनों, यथा- **कॉमन कॉज़** और **सेंटर फ़ॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन** द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी।
  - इसके अंतर्गत न्यायालय से **बाध्यकारी दिशा-निर्देशों को जारी** करके भारत और सभी राज्य सरकारों को ऐसे विज्ञापन के लिए सार्वजनिक वित्त का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी।
- इस याचिका के आधार पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीति से प्रेरित विज्ञापनों से प्रचार के दौरान अनुमेय विज्ञापनों की सीमा निर्धारण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी।
  - इस समिति ने सितंबर 2014 में न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनियमन पर दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय शामिल था।
- वर्ष 2015 में, उच्चतम न्यायालय ने **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, सरकारी विज्ञापनों पर सामग्री और व्यय को विनियमित करने के निर्देश जारी किए।

सरकारी विज्ञापन की सामग्री विनियमन पर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

- **विज्ञापनों का दायरा:**
  - इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर या डिजिटल मीडिया में प्रकाशित **कॉपी** (लिखित पाठ/श्रव्य) और **क्रिएटिव** (विजुअल/वीडियो/मल्टीमीडिया) दोनों शामिल हैं।
  - इसमें वर्गीकृत विज्ञापन **शामिल नहीं** होता है।
- **विज्ञापनों में सामग्री के पाँच मार्गदर्शक सिद्धांत:**
  - **सरकारी उत्तरदायित्वों से संबंधित-** सरकारी विज्ञापन की सामग्री सरकारों के **संवैधानिक** और **विधिक दायित्वों** के साथ-साथ नागरिकों के **अधिकारों** तथा **पात्रताओं** के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए।
  - **निष्पक्ष रीति से प्रस्तुत-** विज्ञापन सामग्री को एक उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष और सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा संबंधित अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
    - लक्षित दर्शकों के साथ वृहद पैमाने पर अभियान के मामले में सामग्री का पूर्व-परीक्षण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
  - **सत्तारुढ़ दल के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए-**
    - उनमें सत्ताधारी दल का नाम, दल का प्रतीक चिन्ह या लोगो शामिल नहीं करना चाहिए तथा किसी भी रूप में विपक्षी दलों के विचारों/कार्यों पर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिए।

- उनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अपवाद सहित सरकारी नेताओं की **तस्वीरें** समाविष्ट नहीं करनी चाहिए।

  - **विज्ञापनों की लागत प्रभावशीलता-** सार्वजनिक निधियों का इष्टतम उपयोग होना चाहिए, जो एक आवश्यकता-आधारित विज्ञापन दृष्टिकोण को दर्शाता है।
  - **प्रक्रियाओं का अनुपालन-** सरकारी विज्ञापन को **विधिक आवश्यकताओं** (निर्वाचन विधियों और स्वामित्व अधिकारों) एवं **वित्तीय विनियमों** तथा प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
- **अनुपालन और प्रवर्तन:** सरकार को ऐसे **तीन सदस्यीय निकाय** का गठन करना चाहिए जिसमें असंदिग्ध रूप से तटस्थ और निष्पक्ष व्यक्ति शामिल हों तथा जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो।
  - यह निकाय इन निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
  - यह न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर जन-सामान्य की शिकायतों को संबोधित करेगा।

सरकारी विज्ञापनों को विनियमित करने की आवश्यकता

- **निहित स्वार्थों के प्रयोजन का प्रदर्शन:** जनहित की पूर्ति के विपरीत, कई सरकारी विज्ञापन राजनीतिक व्यक्तित्व और दलों का महिमामंडन करते हैं।
  - इससे निजी हितों को बढ़ावा देने में राज्य की दुर्लभ निधियों का अपव्यय होता है, जो विधि के शासन के विरुद्ध है।
- **सार्वजनिक उद्देश्य के संबंध में स्पष्टता का अभाव:** नागरिकों के लिए सरकारी संदेश और मतदाताओं के लिए राजनीतिक संदेश के मध्य अत्यल्प अंतर होता है।
  - यह आवश्यक है कि विशेष रूप से सार्वजनिक निधियों एवं संपत्तियों के उपयोग के दौरान, सभी सरकारी गतिविधियां तर्कशीलता और जनहित की पूर्ति पर आधारित हों।
- **लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध:** सत्तारुढ़ सरकार विशेष रूप से निर्वाचनों से पूर्व ऐसे विज्ञापनों का उपयोग करके अन्य दलों और प्रत्याशियों की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करती है।
  - ऐसे कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को अवरोधित करते हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के पास अपने वादों एवं तर्कों को चिन्हांकित करने के लिए समान संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं।
  - यह सरकारों को प्रकाशनों और मीडिया संगठनों को संरक्षण देने की भी अनुमति प्रदान करता है, ताकि विज्ञापन जानकारी के **चयनात्मक प्रसार** द्वारा अनुकूल मीडिया कवरेज प्राप्त हो सके।
- **लागतों में घातांकी वृद्धि:** सूचना के अधिकार के तहत दायर किए गए विभिन्न आवेदनों के माध्यम से प्राप्त जानकारी से ज्ञात होता है कि हाल के दिनों में प्रत्येक चुनावी वर्ष में विज्ञापनों पर किए गए सरकारी व्यय में लगभग 40% की वृद्धि हुई है।
  - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुदान की मांग पर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट (वर्ष 2017) के अनुसार, सरकारी व्यय चुनावी राज्यों के पक्ष में झुका हुआ प्रदर्शित होता है।

कार्यान्वयन की स्थिति

- इन निर्देशों के अनुसरण में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार-
  - उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में अनुमानित सामग्री को विनियमित करने के लिए एक कानून लागू होने तक एक **स्थानपन्न व्यवस्था** के रूप में कार्य करेंगे।
  - केंद्र में **तीन सदस्यीय समिति** का गठन किया जाएगा तथा ऐसी ही समिति समानान्तर रूप से राज्य स्तर पर भी स्थापित की जाएगी, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित किया जाएगा।
- **समिति की नियुक्ति:**
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में एक समिति का गठन किया था। हालांकि, कथित तौर पर कुछ सदस्यों के सत्तारुढ़ राजनीतिक दल से संबद्ध होने के कारण आलोचनाएँ हुई थीं।
  - राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की समितियों के गठन की अपेक्षा थी, हालाँकि कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में न तो ऐसी कोई समिति गठित की गई तथा न ही उन्होंने उसके गठन की प्रक्रिया ही आरंभ की है।
- **हित संघर्ष:** सरकार ने पूर्ववर्ती विभागों को एकीकृत करते हुए **ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC)** का गठन किया है। इसे विज्ञापनों की जांच करने और समिति को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के किसी भी कथित उल्लंघन की रिपोर्ट करने हेतु अधिदेशित किया गया है। इस प्रकार, यह समिति सरकारी निकाय के इनपुट पर निर्भर हो जाती है, जो समिति की स्वायत्तता के विरुद्ध है।
  - इससे पूर्व भी, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP) द्वारा भी सरकार के विज्ञापन और प्रचार का कार्य किया जाता था तथा यह सरकारी विज्ञापनों को नियंत्रित करने वाली समिति को निधियों को वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी था।

ब्यूरो ऑफ़ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (BOC)

- इसे पूर्ववर्ती विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (DFP) और गीत एवं नाटक प्रभाग (S&DD) के एकीकरण द्वारा वर्ष 2017 में गठित किया गया था।
- यह सरकार की विभिन्न एजेंसियों को **संचार समाधान** प्रदान करता है।
- यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने में संलग्न है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
- इसकी अध्यक्षता एक **महानिदेशक (DG)** द्वारा की जाती है तथा इसका संचालन भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों एवं पूर्ववर्ती DAVP, DFP और S&DD के पूर्व-संवर्ग कर्मियों द्वारा किया जाता है।

- **मानदंडों का उल्लंघन:** विभिन्न राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायलय के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की है, जैसे कि- छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा को सरकारी धन का उपयोग करके विज्ञापित किया गया था, जिसमें विभिन्न राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था।

निष्कर्ष

- अतीत में, निर्वाचन सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) तथा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) सहित विभिन्न निकायों ने इस प्रकार के विज्ञापन को विनियमित करने के लिए मानकों की अनेक बार मांग की है।
  - भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि मौजूदा सरकारों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले किसी भी विज्ञापन को, विधायिका के लिए निर्वाचन से पूर्व छह माह की अवधि हेतु प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- इन विनिमयों की उपेक्षा **राजनीतिक अभियानों और रैलियों** में सार्वजनिक धन के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं भी प्रदर्शित करती हैं।

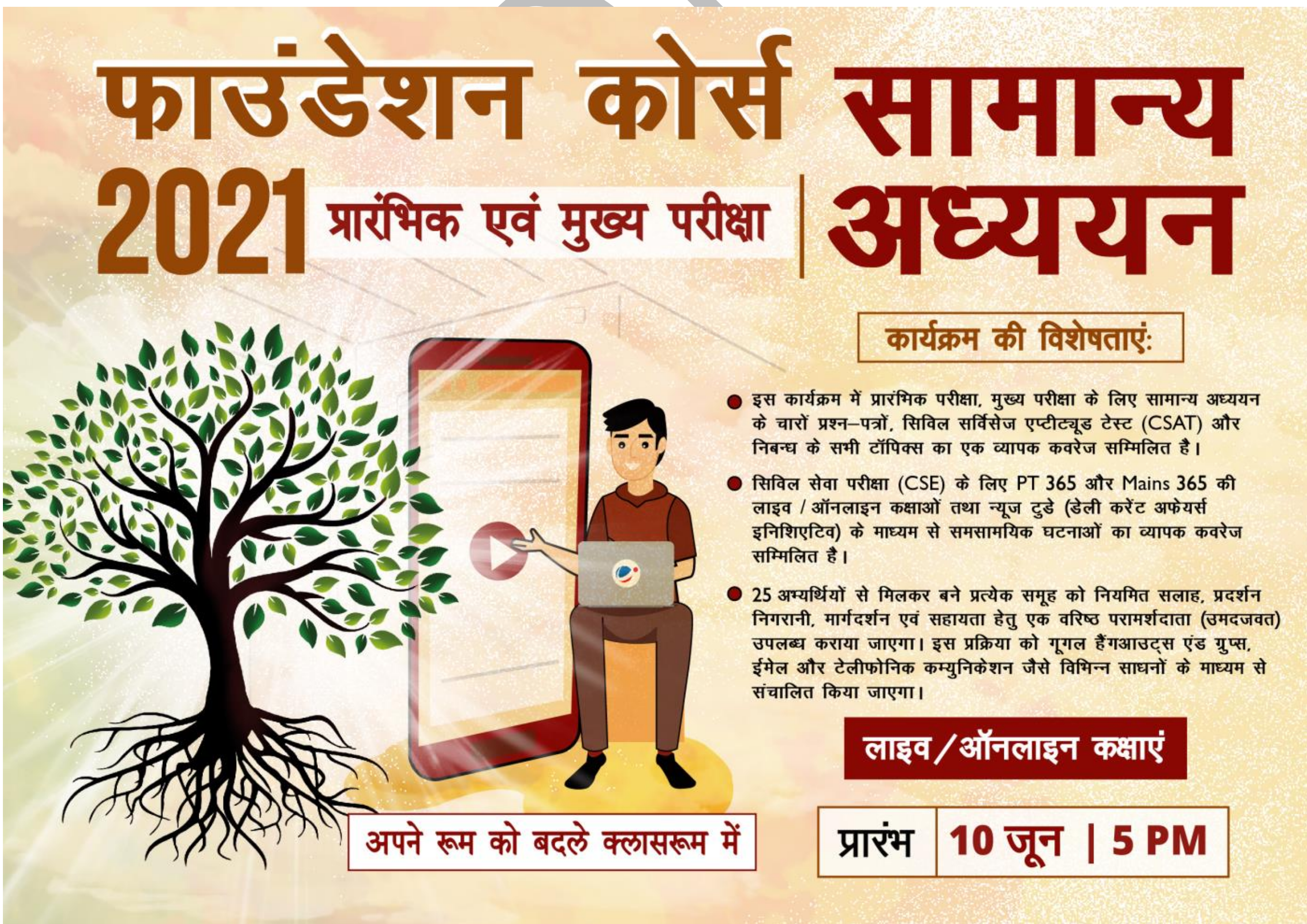

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. चिकित्सा कूटनीति (Medical Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत नॉवल कोरोनावायरस से गंभीर रूप से प्रभावित अपने पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों को भी **पैरासिटामोल और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ)** सहित आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करेगा, इससे वैश्विक चिकित्सा कूटनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने **HCQ** के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लगभग दो सप्ताह पश्चात्, इसके निर्यात पर आरोपित प्रतिबंध को हटा दिया था।
- वर्तमान में, भारत 97 कोरोनोवायरस-पीड़ित देशों को **मलेरिया-रोधी दवा HCQ** की आपूर्ति अनुदान के साथ-साथ वाणिज्यिक आधार पर भी कर रहा है।
  - भारत **HCQ की वैश्विक आपूर्ति का 70 प्रतिशत** हिस्सा विनिर्मित करता है तथा इसने वित्त वर्ष 2019 में इस दवा का 51 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था।
  - **HCQ एक मलेरिया-रोधी दवा है,** जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में चिन्हित किया है।
- **97 देशों की सूची में शामिल प्रमुख देश हैं:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका के 20 देशों के अतिरिक्त भारत के कई पड़ोसी देश, जैसे- नेपाल, मालदीव आदि।
- HCQ की आपूर्ति के अतिरिक्त, भारत कोरोना वायरस के रोगियों के परीक्षण और उपचार हेतु भारतीय चिकित्सक दलों को नेपाल भी भेज रहा है।
  - भारत इस महामारी के दौरान मध्य-पूर्व के देशों के साथ भी निकटता से कार्य कर रहा है।
- कोविड-19 प्रबंधन रणनीतियों तथा संबंधित पहलुओं पर **दक्षिण एशिया और अन्य पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण** आयोजित किया गया है।
- भारत के आग्रह पर कई देशों ने **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर उच्च स्तरीय संपर्क** भी स्थापित किए हैं।
  - इनमें **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) सदस्य देशों का वर्चुअल समिट और G-20 देशों के नेताओं की वार्ता** शामिल हैं।

चिकित्सा कूटनीति क्या है?

- हालिया वर्षों में, विश्व के कई देशों और क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य को एक **रणनीतिक विदेश नीति तथा कूटनीतिक सरोकार** के रूप में अपनाया गया है।
- **चिकित्सा कूटनीति** एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो **वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाने के दोहरे लक्ष्यों को समाविष्ट करता है।**
- **यह मुख्य रूप से सॉफ्ट पॉवर का एक घटक है,** जिसमें चिकित्सा देखभाल, विशेषज्ञता तथा कर्मियों का निर्यात करके उन देशों के लोगों से सुदृढ़ एवं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जाता है, जिन्हें इनकी सर्वाधिक आवश्यकता है।
- यह न केवल विकास पर **खराब स्वास्थ्य के आर्थिक दुष्प्रभाव** से या वैश्विक बाजार पर महामारी के प्रकोप से संबंधित है, बल्कि **स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते वैश्विक बाजार के लाभ से भी संबंधित है।**
- यह स्वास्थ्य को एक सामाजिक मूल्य और मानवाधिकार के रूप में सुदृढ़ता प्रदान करता है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करता है, दवाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करता है तथा उच्च आय वाले देशों से वैश्विक स्वास्थ्य पहल की एक विस्तृत श्रृंखला में निवेश करने की मांग भी करता है।

भारत की चिकित्सा कूटनीति को संचालित करने वाले कारक

- **वैश्विक उपस्थिति:**भारत के फार्मास्युटिकल उत्पादों की अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान व ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के अधिकांश देशों में एक सुदृढ़ और व्यापक उपस्थिति है।
  - भारत का निर्धन अफ्रीकी देशों, लैटिन अमेरिका, मध्य-पूर्व और कैरिबियन देशों में चिकित्सा तथा औषधीय सहायता प्रदान करने का विस्तृत इतिहास रहा है।
  - भारत द्वारा इन देशों के चिकित्सा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के विस्तार हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल का उपयोग करने के लिए अफ्रीकी देशों में **ई-आरोग्यभारती जैसी टेलीमेडिसिन** पहल प्रारंभ की गई है।

- **औषधि निर्यात:** औषधियों और चिकित्सा उपकरणों सहित इस उद्योग का कुल आकार लगभग 43 बिलियन डॉलर है, जिसमें से यह 20 बिलियन डॉलर मूल्य की औषधियों का निर्यात करता है।
- **जेनेरिक दवाइयां:** भारत जेनेरिक दवाओं का प्रमुख उत्पादक भी है, वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात के मूल्य (नवंबर 2019 तक) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भारतीय दवाओं की थी, जिसमें उत्तरी अमेरिका को सर्वाधिक निर्यात किया गया था।
- **पारंपरिक चिकित्सा:** भारत **पारंपरिक चिकित्सा, जैसे- आयुर्वेद और योग** में भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश है।
  - भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सफलतापूर्वक अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त किया था।
  - भारत और अमेरिका पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए एक साथ कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं।
- **वैक्सीन विनिर्माण:** भारतीय निर्माताओं ने विश्व भर के लाखों लोगों के लिए दवाओं व टीकों की कीमतों को कम करने तथा टीकों और एचआईवी / एड्स उपचार तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - भारत **कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रेपरेडनेस इनोवेशन (CEPI)** का संस्थापक सदस्य है, जो संक्रामक रोग महामारी को रोकने और नियंत्रित करने हेतु नए टीके के विकास के लिए वित्त एवं समन्वय हेतु एक गठबंधन है।
- **प्रशिक्षण:** भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण में अग्रणी होने का अवसर भी प्राप्त किया है, क्योंकि भारतीय डॉक्टर व चिकित्सा विशेषज्ञ सार्क देशों के डॉक्टरों तथा चिकित्सा कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं।
- **चिकित्सा पर्यटन:** 1990 के दशक के पश्चात् भारत **"चिकित्सा पर्यटन"** में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ है। चिकित्सा पर्यटन को लोगों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु अपने मूल देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश में की गई यात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- अन्य देशों के रोगी भारतीय अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त, अमेरिका तथा ब्रिटेन की तुलना में चिकित्सा लागत अत्यधिक कम होने के कारण भी चिकित्सा उपचार हेतु भारत की यात्रा करते हैं।

चिकित्सा कूटनीति से संबंधी चुनौतियां

- **विदेशी विनियम:** चूंकि भारत का आधे से अधिक दवा निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों में होता है, इसलिए भारतीय निर्माताओं को कठोर अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ता है। इन दिशा-निर्देशों में अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु नियमित एवं कठोर निरीक्षण अनिवार्य किया गया है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार:** यह स्वास्थ्य चिकित्सकों द्वारा सामना किए जाने वाले उन महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जहां स्वास्थ्य और विदेश नीति के मध्य परस्पर असंगत स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।
  - TRIPS समझौता राष्ट्रों को लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने की दिशा में पर्याप्त नम्यता प्रदान करता है। पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) एवरग्रीनिंग पर प्रतिबंध आरोपित करती है, जो विदेशी दवा कंपनियों द्वारा अपनी मौजूदा दवाओं में अल्प व नगण्य परिवर्तन करके अपने पेटेंट अधिकार का विस्तार करने और **इसके माध्यम से जेनेरिक दवाओं के प्रवेश को बाधित करने की पद्धति है।**
- **सक्रिय औषध सामग्री (API):** कई देशों में दवाओं के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, भारत कच्चे माल जैसे- API और **बल्क ड्रग्स** के लिए (यहां तक कि आधारभूत दवा क्रोसिन के उत्पादन हेतु भी) चीन पर अत्यधिक निर्भर है। अनुमानों के अनुसार, भारत का 70 प्रतिशत API चीन से आयात किया जाता है।
- **पर्याप्त समर्थन और अवसंरचना का अभाव:** भारत में दशकों से स्वास्थ्य सेवा में पर्याप्त और प्रभावी निवेश का अभाव रहा है (वर्तमान में GDP का 3.5 प्रतिशत, जिसमें निजी निवेश भी शामिल है)।
  - वैश्विक स्तर पर भारतीय डॉक्टरों की गुणवत्ता और नैदानिक आधारभूत संरचना को उत्तम माना जाता है। हालांकि, **सामान्य अवसंरचना** पर्यटकों को संतुष्ट नहीं करती है।

आगे की राह

- **प्रवासी भारतीयों** ने अपने निवास के देशों (countries of their residence) में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतर पहचान स्थापित की है।
  - प्रवासी भारतीय, भारत को स्वास्थ्य सेवा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये दवा उद्योग के विस्तार और विकास में प्रभावी रूप से योगदान कर सकते हैं।
- **चिकित्सा पर्यटन के व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं** को अपने सेवा क्षेत्रों की स्थापना और अपनी सेवाओं का वितरण लक्षित समुदायों के साथ दीर्घकालिक रूप से संलग्न होने के उद्देश्य से करना चाहिए।
- भारत को **API उत्पादन में असाधारण रूप से उच्च मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है** ताकि चीनी API के क्रेता भारत से आयात हेतु प्रेरित हो सकें।

VISION IAS

- कोविड-19 जैसी चुनौतियां भारत को HCQ जैसी दवाएं प्रदान करके अपने मानवीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती हैं। **यह भारत के लिए विश्व भर में लॉकडाउन के दौरान पारंपरिक कल्याण तकनीकों, जैसे- योग को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान कर सकती है।**

2.2. कोविड जनित आपात स्थितियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्रवाई (Collective Action in the Times of COVID)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक आपात स्थितियों का सामना करने के लिए **सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता** के संबंध वैश्विक बहस प्रारंभ हो गई है। हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए एक नई **'वैश्विक सरकार'** के गठन का आह्वान किया है।

ऐसी आपात स्थितियों में सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता

- **सर्वसम्मति का निर्माण:** देशों को इस महामारी की प्रतिक्रिया में मिलकर कार्य करना चाहिए।
  - ऐसी स्थितियों में, देशों को राष्ट्रीय मांगों के आधार पर सीमित दायरे में कार्य करने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए और वैज्ञानिक इनपुट्स प्राप्त करने चाहिए।
- **सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व:** क्योंकि सभी देशों के पास ऐसे खतरे से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं होते, जैसे कि-
  - **पूंजीगत संसाधन:** निम्न आय वाले देशों को सुरक्षा जाल, नकदी हस्तांतरण तथा खाद्य और रसद लागतों हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे- मध्य अफ्रीकी गणराज्य में इस संकट से प्रभावित रोगियों के उपचार के लिए मात्र तीन वेंटिलेटर उपलब्ध थे।
  - गहन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या का उपचार करने के लिए मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक की आवश्यक आपूर्ति का उत्पादन करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं** को युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए।
    - वैक्सीन के विकास, निर्माण और समतापूर्ण वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।
- **जानकारी साझा करना:** विश्व के विभिन्न हिस्सों में वैज्ञानिक अनुसंधान, निष्कर्षों और आंकड़ों के रूप में।
  - **क्राउड सोर्सिंग:** उदाहरणार्थ- हालिया संकट में, 45,000 से अधिक शोध पत्र एक ओपन सोर्स डेटाबेस में एकत्र किए गए हैं, जो संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
  - **विगत अनुभवों से सीखना:** उदाहरणार्थ- वर्ष 2014 के **इबोला प्रकोप** के दौरान लाइबेरिया के अनुभव से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, समुदाय संचालित कार्यक्रम और स्थानीय समाधानों ने महामारी के प्रसार की दर को कम करने में सहायता की है।
  - **सफलतम प्रयास:** अन्य देशों में दोहराए जा सकने वाले किसी भी प्रकार के नवाचार, प्रौद्योगिकी, विचार को वैश्विक समुदाय के मध्य साझा किया जाना चाहिए।
- **प्रतिक्रियावादी शक्तियों को इस स्थिति का दुरुपयोग करने से रोकना:** जिसके लिए देशों को एक साथ मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसे-
  - **निजी क्षेत्र:** बड़ी दवा कंपनियों को महामारी के दौरान आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से अत्यधिक लाभ अर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि जनकल्याण हेतु कार्य करना चाहिए।
  - **आतंकवाद:** कुछ आतंकवादी समूहों द्वारा मौजूदा संकट को अपने एजेंडा के प्रसार के लिए उपयोग करने की संभावना भी उत्पन्न हुई है।
- **जन विश्वास की क्षति को रोकना:** यदि सरकारों द्वारा इस तरह की आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जाता है।
  - **भारत:** शहरी केंद्रों से प्रवासियों का सामूहिक पलायन हुआ है। अनेक प्रवासियों द्वारा पैदल यात्रा की गई है, इस दिशा में सरकार का सहयोगात्मक हस्तक्षेप सीमित रहा है।
  - **फिलीपींस:** कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भोजन और राहत आपूर्ति की कमी के लिए सरकार के विरुद्ध वृहत् स्तर पर विरोध-प्रदर्शन तथा दंगे हुए हैं।
  - **स्पेन और इटली:** इन देशों की स्थिति को देखते हुए, विश्लेषकों का मानना है कि सरकार की प्रतिक्रिया से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा संपूर्ण देश में सामाजिक अनुबंध की धारणा के संबंध में भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम

- **संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव:** 'कोविड-19 का सामना करने के लिए दवाओं, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' (International cooperation to ensure global access to medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19) नामक शीर्षक से एक प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया है। भारत ने **संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव** का समर्थन

किया है।

- **कोव-एक्सेस समझौता (COV-Access agreement):** विभिन्न देशों ने विश्व भर में कोरोनावायरस वैक्सीन और उपचार के लिए सभी को समान पहुंच प्रदान करने का संकल्प लिया है।
    - यूनाइटेड किंगडम ने वर्चूअली नॉवल **कोरोनोवायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स समिट** की सह-मेजबानी की है।
- **कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म:** इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई के लिए व्यापारिक समुदाय को एकत्र करना, लोगों की आजीविका की रक्षा करना और कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए समर्थन जुटाना है।
- **वैक्सीन का विकास:** वैश्विक नेताओं ने कोरोनावायरस वैक्सीन पर सहयोग में तेजी लाने तथा विश्व भर में अनुसंधान, उपचार और दवाओं को साझा करने का संकल्प लिया है।
- **कोविड-19 सॉलिडैरिटी रिस्पॉन्स फंड:** इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा लॉन्च किया गया है। इस महामारी से लड़ने के लिए यह अनुदान संचयन की योजना को समर्थन प्रदान करता है।
- **फास्ट ट्रैक वित्तपोषण:** इसे **विश्व बैंक** द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के रोकथाम के साथ-साथ कोविड के पश्चात् व्यापक परिणामों का सामना करने की दिशा में देशों को समर्थन प्रदान करना है।
- **बहुपक्षवाद हेतु गठबंधन (Alliance for multilaterism):** भारत द्वारा कोविड-19 से संघर्ष हेतु वर्चूअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया था। इस पहल को वर्ष 2019 में जर्मनी और फ्रांस द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा यह देशों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है।

कोविड-19 के दौरान सामूहिक कार्रवाई के समक्ष विद्यमान मुद्दे

- **बढ़ता संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद:** इसे मानवीय हस्तक्षेपों की कीमत पर बढ़ावा दिया जा रहा है, अतः बृहत् अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जैसे कि-
    - **ग्लोबल ट्रेड अलर्ट प्रोजेक्ट** के अनुसार, कम से कम 69 देशों द्वारा सुरक्षात्मक उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों या दवाओं के निर्यात को प्रतिबंधित या सीमित कर दिया गया है।
    - जर्मनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर जर्मन दवा कंपनी **क्योर वैक** को (अमेरिकी बाजार के लिए विशेष वैक्सीन उत्पादन के लिए विनिर्माण स्लॉट्स को आरक्षित करने के उद्देश्य से) अधिग्रहित करने के प्रयास करने का भी आरोप लगाया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय साइनोफोबिया:** जिससे विश्व के कुछ हिस्सों में चीन के लोगों के प्रति जेनोफोबिक (xenophobic) प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुई हैं।
    - ट्रेड वॉर के पश्चात् दोनों देशों के मध्य कोविड-19 ने यूएस-चीन प्रतिद्वंद्विता की एक नई शुरुआत की है।
    - ऑस्ट्रेलिया में भी चीन के लोगों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए मांग की गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका:** जैसे कि-
    - **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)-** इस पर कोरोनोवायरस जोखिम को कम आंकने और चीन के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।
    - **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद-** इस विषय पर संचालित एक विशेष सत्र अनिर्णीत ही समाप्त हो गया।
- **बहुपक्षीयता में अंतर्निहित दोष:** विशेषज्ञों का मानना है कि देशों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के बजाय कोविड-19 के कारण रिवेर्स माइग्रेशन, आपूर्ति श्रृंखलाओं में गिरावट और बहुपक्षीय संस्थानों की अधिकार-विहीनता सामने आई हैं, यथा-
    - **G-20:** G-20 नेताओं की बैठक में, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन कार्य-योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए। इसे WHO और चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक आपूर्ति के संदर्भ में समझा जा सकता है।
    - **G-7:** यह समूह, इस वायरस को कोरोनावायरस के बजाय 'वुहान वायरस' कहा जाए या नहीं, के मुद्दे पर उलझे रहने के कारण इस सन्दर्भ में कोई वक्तव्य जारी करने में विफल रहा।

आगे की राह

- **वित्त पोषण:** वैक्सीन के विकास और परिनियोजन के लिए धन संग्रहण, इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन (IFFIm), वैक्सीन एलायंस (GAVI) आदि का उपयोग करना।
    - कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस (CEPI) के अनुसार, तीन कोविड-19 वैक्सीन को ऐसे बिंदुओं पर उपलब्ध कराने हेतु जहां से इसे वृहत स्तर पर विनिर्मित और वितरित किया जा सके, 2 बिलियन डॉलर जुटाने की आवश्यकता है।
    - सरकारों को **वैक्सीन बॉण्ड** और उन्नत बाजार प्रतिबद्धताओं (AMCs) जैसे अभिनव वित्त तंत्र का उपयोग करना चाहिए।
        - उच्च आय वाले देशों द्वारा समर्थित एक बॉण्ड संरचना, पूंजी बाजार में धन जुटाने के अवसर प्रदान कर सकती है।
        - विकासशील देशों में उच्च रुग्णता और मृत्यु दर के कारण किसी विशिष्ट रोग के विरुद्ध अभी तक अनुपलब्ध वैक्सीन की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए AMC एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है।

- **ऋणों का निलंबन:** ऋणों का अस्थायी निलंबन किया जाना चाहिए ताकि देश, इस स्वास्थ्य संकट का समाधान करने के लिए संसाधनों को पुनर्निर्देशित कर सकें। इसमें शामिल हो सकते हैं-
    - निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) और अन्य अनुचित व्यापार उपायों का निलंबन जो वित्तीय भार को बढ़ाते हैं तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की दिशा में देशों की क्षमता को कम करते हैं।
    - उन सभी आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना, जो ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों में निर्धन लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।
- **सोशल मीडिया और समाचार संगठनों की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका:** विशेष रूप से तब, जब उनके प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और षड्यंत्र के सिद्धांतों के प्रसार का मामला सामने आता है।
- **नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण:** यह संकट वैश्विक व्यवस्था में मौजूद अन्याय के निवारण हेतु अवसर प्रस्तुत करता है।
    - अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रणालियाँ, संरचना और नीतियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सदैव सहायता प्राप्त करने के संदर्भ में हाशिए पर रहने वाले लोगों की रक्षा कर सकें तथा सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का आश्वासन प्रदान करे सकें।

2.3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका (Role of WHO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई कार्यवाहियों के भेदभावपूर्ण होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों ने पर्यवेक्षकों को इस संगठन पर चीन के प्रभाव और इसके राजनीतिकरण के संदर्भ में प्रश्न करने हेतु प्रेरित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में

- **उद्भव:** WHO की स्थापना वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक **विशेषीकृत एजेंसी** के रूप में की गई थी।
    - उस दौरान वैश्वीकरण, गत्यात्मकता और शहरीकरण के कारण रोगों के प्रसार की संभावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के विस्तार हेतु एक वैश्विक संस्था के सृजन की आवश्यकता की मांग की गई थी।
- **संरचना:** WHO की त्रि-स्तरीय संरचना है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
    - **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA):** यह नीति निर्देशन हेतु सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है, जिसमें संगठन के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं।
    - **कार्यकारी बोर्ड:** यह WHA के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक निकाय है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।
    - **सचिवालय:** इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है तथा अपनी गतिविधियों को क्रियान्वयित करने के समग्र उत्तरदायित्व के साथ यह WHO के प्रशासनिक एवं तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- **वित्तपोषण:** WHO का वित्तीयन **निर्धारित एवं स्वैच्छिक योगदान** की एक प्रणाली के माध्यम से होता है।
    - **निर्धारित योगदान (Assessed contributions)** का भुगतान सभी सदस्य देशों द्वारा किया जाता है और इसका निर्धारण देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
    - **स्वैच्छिक योगदान** एक ऐसी राशि है, जिसका भुगतान संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों, निजी कंपनियों, व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है।
        - संयुक्त राज्य अमेरिका, WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश था तथा इसके द्वारा वर्ष 2019 में निर्धारित और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के योगदानों में कुल 893 मिलियन डॉलर का योगदान किया गया था।
- **सरकारों को चुनौती देने का प्राधिकार:** अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), WHO को वे कार्यवाहियां करने का प्राधिकार प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निम्नलिखित रीति से अपनी प्रभुसत्ता के उपयोग को निर्धारित करती हैं:
    - WHO गैर-सरकारी स्रोतों से **रोग-प्रकरण सूचना** को संग्रहीत कर सकता है, इस प्रकार की सूचनाओं के बारे में सरकारों से सत्यापन की मांग कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो अन्य देशों के साथ इन सूचनाओं को साझा भी कर सकता है।
    - यहाँ तक कि किसी देश में प्रकोप का प्रसार होने पर भी WHO महानिदेशक उसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता से संबद्ध एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल **(Public Health Emergency of International Concern: PHEIC)** घोषित कर सकता है।
    - WHO को, किसी सदस्य देश द्वारा व्यापार या यात्रा प्रतिबंधों हेतु (जो WHO की अनुशंसाओं या स्वीकृत रोग नियंत्रण उपायों के अनुरूप नहीं हों) वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रामाणिकता प्रदान करने की आवश्यकता का प्रवर्तन कराने का प्राधिकार प्राप्त है।
    - IHR सदस्य देशों से किसी रोग की घटनाओं का प्रबंधन करते समय मानवाधिकारों के संरक्षण की अपेक्षा करता है, जिनका नेतृत्व WHO द्वारा किया जाता हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations: IHR) (वर्ष 2005)

- यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एकजुट होकर कार्य करने के लिए सभी WHO सदस्य देशों सहित 196 देशों के मध्य एक समझौते को निरूपित करता है।

- IHR के माध्यम से, देशों ने लोक स्वास्थ्य से संबंधित घटनाओं का पता लगाने, उनका आकलन करने और रिपोर्ट करने हेतु अपनी क्षमताओं का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन, IHR में समन्वयकारी भूमिका का निर्वहन करता है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देशों की क्षमता का निर्माण करने में सहायता करता है।
- **PHEIC:** IHR में इसे "वह असाधारण घटना जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के माध्यम से अन्य राज्यों के समक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के सृजन हेतु निर्धारित है तथा जिसके विरुद्ध संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - PHEIC के कुछ उदाहरण H1N1 इन्फ्लूएंजा महामारी (वर्ष 2009), पश्चिम अफ्रीका इबोला महामारी (वर्ष 2014), जीका वायरस का प्रकोप (वर्ष 2016) आदि हैं।

कोविड-19 के दौरान WHO की आलोचनाएँ:

- **तैयारियों का अभाव:** WHO के पास पहले से ही SARS के प्रकोप एवं आगामी वर्षों में इस संबंध में किए गए अनुसंधानों से संबंधित आंकड़े मौजूद थे।
    - वर्ष 2007 में एक शोध-पत्र के माध्यम से चीन को पहले ही तीव्र शहरीकरण, लोगों और विदेशी जानवरों के मध्य घनिष्ठ सहसंबंध तथा वन्यजीवों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए कठोर कार्यवाही न करने के साथ-साथ विषाणु की उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) प्रकृति के प्रति चेतावनी दी गई थी।
    - वर्ष 2015 में, कोरोनावायरस वंश के रोगों को तत्काल अनुसंधान और विकास की आवश्यकता वाली प्राथमिकताओं की सूची में सम्मिलित करने हेतु चयनित किया गया था।
        - इसे एक प्राथमिक कारक (महामारी के रूप में परिवर्तित होने वाले रोग) के रूप में भी चिन्हित किया गया था।
        - वर्ष 2018 में हुई WHO की प्राथमिक रोगों की वार्षिक समीक्षा में इस प्रत्याशित संभावना को दोहराया गया था।
- **घोषणा में विलंब:** कोविड-19 को **PHEIC** घोषित करने में हुए अकारण विलंब के लिए WHO की आलोचना हुई है।
    - विश्व भर की विभिन्न सरकारों द्वारा WHO से परामर्श प्राप्त करने हेतु प्रयास भी किए गए थे, किंतु WHO की आपातकालीन समिति, इसे PHEIC घोषित करने या न करने के विषय पर विभाजित हो गई थी।
        - "WHO द्वारा आरंभ में कोई निर्णय नहीं लिया गया तथा कहा गया कि रोगियों की संख्याओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनके निरंतर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई थी। साथ ही, यह भी कहा कि वायरस कितना गंभीर है, इस संबंध में निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी।
        - हालांकि, 18 देशों में संक्रमण के मामलों में दस गुना वृद्धि होने की पुष्टि होने के पश्चात् अंततः इसे PHEIC घोषित करना पड़ा।
    - इसके पश्चात्, WHO द्वारा इसे महामारी के रूप में घोषित करने में भी विलंब किया गया, विशेष रूप से तब, जब कोविड-19 में महामारी के लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे, अर्थात् विश्व भर में इसका तेजी से प्रसार हो रहा था।
- **चीन की यात्रा करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं:** WHO ने चीन में एक अन्वीक्षण दल भेजने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। फरवरी के मध्य में **संयुक्त WHO-चीन दल** द्वारा केवल वुहान की यात्रा की गई थी।
- **ताइवान का बहिष्कार:** वर्ष 1971 में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित होने के पश्चात् से ही समय-समय पर ताइवान की WHO सदस्यता को इस आधार पर अवरुद्ध किया गया कि लोकतांत्रिक रूप से शासित यह द्वीप चीन का भाग है।
    - **"वन चाइना"** सिद्धांत के प्रति WHO का निरंतर समर्थन (जो बीजिंग की चीनी सरकार को वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है) महामारी से निपटने में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गया है।
- **विषाणु के मनुष्यों से-मनुष्यों में संचरण की पहचान करने में विलंब:** विशेष रूप से, चीन के बाहर प्रथम मामले की घोषणा के पश्चात्।
    - इस स्थिति के संबंध में ताइवान द्वारा दिसंबर 2019 के अंत में यथाशीघ्र WHO को इसकी चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी WHO द्वारा विलंब किया गया।
    - हाल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि WHO चीन के पास मनुष्यों से-मनुष्यों में संचरण होने से संबंधित जानकारी होने के उपरांत भी मौन रहा।
- **व्यापार एवं यात्राओं पर प्रतिबंधों को समर्थन प्रदान नहीं करना:** देशों द्वारा कोविड-19 का सामना करने के लिए लागू किए गए यात्रा प्रतिबंधों के विरूद्ध WHO द्वारा ऐसे तर्कों को प्रस्तुत किया गया कि इन प्रतिबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों (IHR) का उल्लंघन होगा। साथ ही अधिकृत होने के बावजूद भी WHO द्वारा उल्लंघन की जांच नहीं की गई।

- इसके विपरीत, WHO ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यात्रा प्रतिबंध के अधिरोपण द्वारा भय का प्रसार एवं दोषारोपण न करने का आग्रह किया।
    - यहां तक कि इसने US द्वारा आरोपित प्रारंभिक यात्रा प्रतिबंधों की भी अत्यधिक कठोर और अनावश्यक प्रतिबंधों के रूप में आलोचना की।
- WHO के परामर्श का अनुसरण करते हुए, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (ECDC) ने यह सुझाव दिया कि यूरोपीय संघ को संक्रमित करने वाले विषाणु के संक्रमण की संभावना कम है, परिणामस्वरूप यूरोपीय देशों द्वारा अधिक सुदृढ़ सीमा नियंत्रण हेतु किए जाने वाले प्रयासों में विलंब हुआ।
- **तथाकथित स्वतंत्रता का अभाव:** यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान WHO महानिदेशक द्वारा चीन के समर्थन से अपने निर्वाचन में सफलता प्राप्त की थी, जिसके कारण चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार रहा है।
    - **चीन की तीव्र प्रतिक्रिया की प्रशंसा:** WHO के महानिदेशक ने "इस महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने की दिशा में एक नया मानक स्थापित करने" और "सूचना साझा करने हेतु खुलेपन" के लिए चीनी नेतृत्व की प्रशंसा की थी, विशेष रूप से तब जब इसके प्रकोप को गोपनीय रखने के चीन द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए थे।

WHO से संबंधित मुद्दे:

- **परिभाषित/निर्धारित कार्यों का अभाव:** कोई भी ऐसा एकल दस्तावेज़ नहीं है, जो संक्रामक रोगों के संबंध में इसके उत्तरदायित्वों, बाध्यताओं और शक्तियों का व्यापक रूप से वर्णन करता हो।
    - संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) जैसे विनियमों, विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के संकल्पों और परिचालन अभ्यासों जैसे दस्तावेज़ों का एक संग्रह, WHO की शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं।
- **अनुशंसात्मक शक्तियां:** WHO के प्राधिकार की प्रकृति अनुशंसात्मक है और इसमें सम्मेलनों, समझौतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय नामकरण को प्रस्तावित करना सम्मिलित है।
    - विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे निकायों के विपरीत, इसे अपने सदस्यों को बाध्य करने या स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- **महामारी के प्रकोप में कार्य करने की क्षमता:** किसी महामारी के दौरान संगठन के उत्तरदायित्वों में, सदस्य राज्यों के लिए निरीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन तथा दिशा-निर्देश विकसित करना सम्मिलित है।
    - इसके समन्वयकारी प्राधिकार और क्षमता कमजोर हैं और यह केवल एक तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करता है।
    - यह नियंत्रण के लिए नौकरशाही और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर है।
    - इसमें जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाली महामारी के लिए **एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता का भी अभाव** है।
- **सीमित वित्तपोषण:** WHO का वार्षिक परिचालन बजट, वर्ष 2019 में लगभग 2 बिलियन डॉलर था, जो कई चिकित्सीय विश्वविद्यालय की तुलना में कम है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के मध्य विविधीकृत है।

कोविड-19 के दौरान WHO की आलोचना के विरुद्ध तर्क

- **WHO में क्षमता का अभाव:** जैसा कि बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है, सरकारों को राजनीतिक रूप से चुनौती देने के लिए WHO के पास कार्यात्मक क्षमताओं का अभाव है।
- **इस मुद्दे पर कथित भू-राजनीति:** आरंभ से ही, देशों ने महामारी को भू-राजनीतिक संदर्भों में प्रस्तुत किया और इस त्रासदी के लिए चीन को दोषी ठहराया है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश कोविड से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जो WHO का व्यापक रूप से वित्तपोषण करते हैं।
    - वास्तव में, WHO अपने निम्नलिखित परामर्शों का अनुसरण कराने में अक्षम रहा है:
        - अमेरिका द्वारा 16 मार्च तक स्कूल बंद करने या यात्रा से बचने का निर्देश नहीं दिया गया था।
        - ब्रिटेन WHO के मानदंडों और **हर्ड इम्यूनिटी** जैसी अपनी रणनीतियों के मध्य परिवर्तन करता रहा है।
    - दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे सक्रिय देश, प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं।
- **वैक्सीन का विकास:** कोरोनोवायरस वैक्सीन और चिकित्सा संबंधी उपकरणों के विकास के लिए WHO के प्रयासों की प्रशंसा की गई है।
- **गलत सूचनाओं का खंडन:** सूचनाओं के साझाकरण और ऑनलाइन मिथ्या सूचना एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के संबंध में WHO द्वारा किए गए प्रयासों की व्यापक प्रशंसा की गई है।

आगे की राह

- WHO द्वारा सामना की जा रही आलोचना से इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और इसके अस्तित्व को अत्यधिक क्षति पहुंच सकती है।
- WHO का राजनीतिकरण एक गंभीर चिंतनीय विषय है, साथ ही इसने व्यापक वैश्विक शासन संरचना के आधारों पर पुनर्विचार करने का एक अवसर भी प्रस्तुत किया है।
- कुछ माह पूर्व घोषित WHO सुधारों को तीव्रता से क्रियान्वयित किया जाना चाहिए।
    - भविष्य में इसके तीन बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी दाताओं पर निर्भरता और कमजोर होती क्षमता का प्रभावी रूप में समाधान किया जाना चाहिए।
- भारत, संगठन की कार्यप्रणाली को स्थिरता एवं विश्वास प्रदान करने में भी योगदान कर सकता है।
    - भारत को WHO के **कार्यकारी बोर्ड** में नियुक्त किया जाएगा तथा इसके द्वारा कोविड-19 प्रकोप में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने और WHO में सुधार करने की दिशा में कार्य किया जा सकता है।

2.4. सीमापारीय नदी जल प्रबंधन (Trans-Boundary River Water Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मेकांग नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांधों के प्रभाव** को रेखांकित करने वाले एक नवीन अध्ययन ने यह प्रश्न आरोपित किया है कि क्या चीन में उद्भव होने वाली अन्य नदियों (जैसे- ब्रह्मपुत्र) पर निर्मित बांध नदी के अनुप्रवाह (downstream) पर स्थित देशों को समान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2012 में नूओज़हादू (Nuozhadu) बांध (ऊपरी मेकांग नदी बेसिन पर निर्मित) के परिचालित होने के पश्चात् निर्मित छह बांधों द्वारा **नदी का प्राकृतिक अपवाह परिवर्तित हुआ है।**
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 1992 से वर्ष 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त उपग्रह डेटा के आधार पर यह प्रदर्शित किया गया था कि औसत से अधिक वर्षा के बावजूद, **मेकांग के अनुप्रवाह में जल का गंभीर अभाव बना रहा।**
- **ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध के निर्माण को लेकर** भारत द्वारा भी **लंबे समय से चिंता** व्यक्त की जाती रही है।
    - वर्ष 2015 में, जांगमू में चीन ने अपनी प्रथम जलविद्युत् परियोजना की शुरुआत की थी, जबकि डागू (Dagu), जिएक्सू (Jiexu) और जियाचा (Jiacha) में तीन बांध निर्मित किए जा रहे हैं।
- इससे भारत के पड़ोसी देशों के साथ **सीमापारीय नदी जल प्रबंधन** पर वाद-विवाद में वृद्धि हुई है।

सीमापारीय जल प्रबंधन की आवश्यकता

- **नदियों पर निर्भरता:** वैश्विक स्तर पर दो या दो से अधिक देशों द्वारा साझा की जाने वाली 260 से अधिक नदी द्रोणियां मौजूद हैं तथा इनके संदर्भ में की गई 145 संधियां कार्यरत हैं।
    - विश्व की 45 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा की जाने वाली नदी बेसिनों में निवास करती हैं।
- **जलाभाव:** इन नदियों पर बांधों और अन्य संरचना का निर्माण जलाभाव की समस्या को उत्पन्न कर सकता है।
    - **ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट** द्वारा **जलाभाव** की विश्व के वृहत्तम सामाजिक और आर्थिक जोखिमों में सर्वप्रमुख जोखिम के रूप में पहचान की गई है तथा जिसके कारण वर्ष 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत तक की क्षति हो सकती है।
- **परिवर्तित हो रही जलवायु:** आगामी 20 वर्षों में, तेजी से परिवर्तित हो रही पारिस्थितिकी तंत्र की धारणाएं, राष्ट्रों को संसाधनों और उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए एकपक्षीय कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं।
    - भारत के **हिमाच्छादन में कमी** सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों (तीनों का उद्गम तिब्बत से होता है) में जल के अपवाह को प्रभावित करेगा।
- **अधिप्लावन (Spillover) प्रभाव:** सीमापारीय जल सहयोग, अधिप्लावन प्रभाव उत्पन्न करता है जो राजनीतिक तनाव, सुरक्षा और विदेश नीति के अन्य उद्देश्यों में सहयोग प्रदान करता है।
- **अर्थव्यवस्था का विकास:** नदियों के बेहतर सीमापारीय प्रबंधन से इनका व्यावसायिक उपयोग, जैसे- कृषि, बांध निर्माण और विद्युत् उत्पादन किया जा सकता है।
- **सॉफ्ट पॉवर:** नदियाँ, विभिन्न लोगों की पहचान, संस्कृतियों और धार्मिक अनुभूतियों का एक अविभाज्य हिस्सा होती हैं और इसलिए देशों के मध्य सहयोग भी **सॉफ्ट पॉवर कूटनीति** में सहायता कर सकता है।

सीमापारीय नदी जल प्रबंधन से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **नदी के ऊपरी क्षेत्र (riparian) में स्थित देशों को लाभ:** सीमापारीय नदियों के संदर्भ में चीन जैसे कुछ देशों में वृहत विद्युत क्षमता उपलब्ध है, क्योंकि यह नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण अधिकतम जल उपयोग करता है, जिससे निचले क्षेत्र में स्थित देशों में जलाभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
    - हिमालय को दक्षिण एशिया का **"वाटर टावर"** कहा जाता है। भारत की अधिकांश उत्तरी नदियों का उद्गम तिब्बत से होता है। चीन तिब्बत पर अपने पूर्ण नियंत्रण के परिणामस्वरूप जल आधिक्य (water hegemony) की स्थिति में है।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सत्ता के क्षेत्रीय असंतुलन, परस्पर शत्रुता, संदेह एवं एक सार्वभौमिक रूप से **बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था की अनुपस्थिति** के कारण, सीमापारीय नदियों के साझा उपयोग और साथ ही तटवर्ती पारिस्थितिकीय तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना जटिल हो गया है।
- **संघीय मुद्दे:** सीमापारीय नदी विवादों के समझौतों के समापन में विलंब होने में प्रायः राज्य प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं।
    - **प्रस्तावित तीस्ता समझौते का पश्चिम बंगाल द्वारा विरोध किए जाने** के परिणामस्वरूप भारत और बांग्लादेश के मध्य यथास्थिति बनी हुई है।
        - भारत में उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम से तीस्ता नदी का उद्गम होता है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व यह पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है।
- **नदियों के कारण सीमा विवाद:** प्रायः नदियां **दो देशों के मध्य सीमा निर्धारण** का भी कार्य करती हैं। नदी के अपवाह में नियमित परिवर्तन के कारण, ये सीमा विवाद का एक कारक भी बन सकती हैं।
    - ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य **वर्ष 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि** (जिसके तहत नेपाल में **महाकाली नदी** के साथ सीमा को सीमांकित किया गया था) की विवेचना को लेकर भारत और नेपाल के मध्य परंपरागत रूप से असहमति बनी हुई है।
- देशों के मध्य आंकड़ों के प्रभावी साझाकरण के अभाव ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन में अधिक अव्यवस्था उत्पन्न की है।
    - ब्रह्मपुत्र नदी के जल संबंधी आंकड़ों को, चीन प्रायः इसके निचले क्षेत्र में स्थित देशों के साथ साझा नहीं करता है।

भारत एवं पड़ोसी देशों के मध्य नदी जल सहयोग

- **सिंधु जल संधि (1960):** यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों के समाधान हेतु एक तंत्र प्रदान करने वाला एक सहयोगपूर्ण समझौता है।
- **भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC):** इसे वर्ष 1972 में मित्रता, सहयोग और शांति संधि के आधार पर गठित किया गया था। इसे भारत और बांग्लादेश के मध्य साझी नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने की दिशा में सर्वाधिक प्रभावी संयुक्त प्रयास सुनिश्चित करने हेतु एवं संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से गठित किया गया था।
- **भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी जल के बंटवारे पर संधि (वर्ष 1996):** यह दोनों देशों के मध्य अपनी पारस्परिक सीमा के निकट फ़रक्का बैराज पर सतही जल साझा करने हेतु किया गया एक समझौता है।
- **कोसी नदी समझौता (वर्ष 1954), गंडक नदी समझौता (वर्ष 1959), टनकपुर बैराज समझौता (वर्ष 1991) और महाकाली नदी संधि (वर्ष 1996):** इन संधियों को भारत और नेपाल के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है।
    - ये संधियां विभिन्न प्रत्याहार अधिकारों (withdrawal rights) और निर्माण एवं जल विद्युत ऊर्जा के साझाकरण हेतु उपबंधित की गई हैं।

- **भारत-भूटान समझौते:** दोनों देशों के मध्य यह सहयोग, सीमापारीय नदी जल समझौतों के प्रमुख सफल प्रयासों में से एक है।
    - **वांगचू नदी पर चुखा बांध** के निर्माण के लिए भारत और भूटान द्वारा समन्वित प्रयास किए गए हैं। इसने भूटान को निम्न लागत वाली विद्युत् का उपयोग करने में सहायता प्रदान की है तथा भारत को अतिरिक्त विद्युत् के विक्रय से भूटान को वित्तीय लाभ भी प्राप्त हुआ है।
- **भारत-चीन द्वारा जल संबंधी आंकड़ों का साझाकरण:** वर्ष 2006 में, भारत और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के लिए प्रतिवर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर तक जल संबंधी आंकड़ों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2013 और वर्ष 2015 में समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षरित समझौते को नवीनीकृत किया गया है।

VISION IAS

आवश्यक दृष्टिकोण

- **एकीकृत दृष्टिकोण:** क्षेत्रीय कूटनीति एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से लाभ साझाकरण पर बल देती है।
  - सभी ट्रांस-हिमालयी सह-तटीय देशों को न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय विधिक सिद्धांतों के आधार पर जल प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।
  - प्रकृति और सीमापारीय नदियों के उपयोग पर निर्भर रहते हुए, नदी द्रोणी से संबंधित समुदायों के लिए "समानता", "न्यायोचितता" एवं "तार्किकता" के सिद्धांतों को मानवाधिकारों और पर्यावरणीय विचारों के साथ लागू किया जाना चाहिए।
- **हितधारकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना:** स्थानीय उपयोगकर्ताओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ट्रांस-नेशनल विधायी तंत्र सहित सभी जल आयोगों में स्थानीय समितियों के प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **आंकड़ों में पारदर्शिता:** पारदर्शिता, जल पर साझाकृत लाभ के निर्माण और **"जल युद्धों (water wars)" के बजाय "जल शांति (water peace)" के विचारों** के निर्माण में सहायता करेगी।
- **संस्थागत तंत्र:** एक बहु-पार्श्व तंत्र का सृजन, जिसमें सभी सह-तटवर्ती देशों / बेसिनों को आनुपातिक शक्तियां प्राप्त होंगी। आदर्श रूप में इस निकाय के पास बेसिनों एवं उसके जल से संबंधित सीमापारीय विधायी शक्तियां उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, इस निकाय को निर्वाचित एवं प्रतिनिधित्व आधारित होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं में से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- **बर्लिन रूल ऑन वाटर रिसोर्सेस:** यह अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के उपयोग पर हेलसिंकी नियमों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून संघ के नियमों के पुनरीक्षणों का परिणाम है।
- **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नॉन-नेविगेशनल यूजेज ऑफ़ इंटरनेशनल वॉटर रिसोर्सेज (वर्ष 1997):** यह जलस्रोतों एवं इनके जल के उपयोग से संबंधित सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के उपायों से संबंधित है।
- **अमेज़न को-ऑपरेशन ट्रीटी (वर्ष 1978):** मध्य दक्षिण अमेरिका में न्यायोचित साझेदारी हेतु बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला द्वारा हस्ताक्षरित।
- **मेकांग नदी आयोग:** यह **"एग्रीमेंट ऑन दी कॉपरेरेशन फॉर दी सस्टेनेबल डेवलॅपमेंट ऑफ़ मेकांग रिवर, 1995 (मेकांग समझौता)"** हेतु एशिया में एक प्रमुख बहुपक्षीय प्रयास है। इस पर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा **"2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्य बल की रिपोर्ट"** को पब्लिक डोमेन में रखा गया।

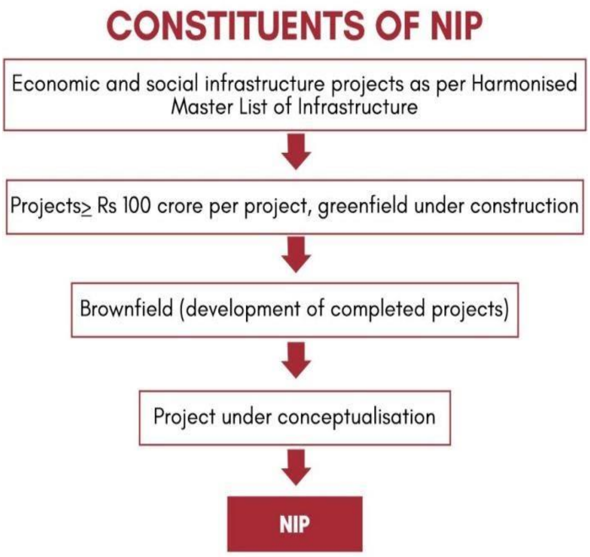

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के बारे में

- भारत को अपनी संवृद्धि दर बनाए रखने के लिए वर्ष 2030 तक अवसंरचना पर **4.5 ट्रिलियन डॉलर** व्यय करने की आवश्यकता है।
  - सरकार ने वर्ष 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की घोषणा की है।
- NIP द्वारा इसे कुशल तरीके से क्रियान्वित और सुव्यवस्थित किया जाएगा।
  - NIP की रूपरेखा निर्मित करने के लिए, **अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर लिस्ट** के अनुसार सभी **आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना** परियोजनाओं पर बल देते हुए इन परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- अपनी तरह की पहली इस **विशिष्ट प्रक्रिया के लिए** आवधिक समीक्षा का आयोजन अपेक्षित है।

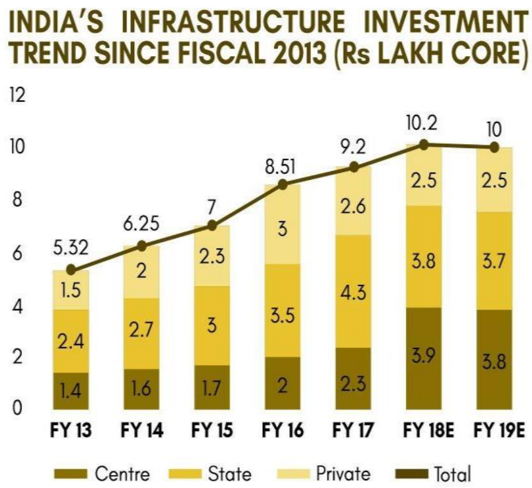

Source: Appraisal documents for five-year plans, CRIS estimates (Investments mentioned are at current prices)

अवसंरचना क्षेत्रक का महत्व

- **अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** भारत की उच्च संवृद्धि दर को बनाए रखने की महत्वाकांक्षा, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अवसंरचना एवं बढ़ती जनसंख्या पर निर्भर करती है।
  - सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार का निवेश, देश में **अवसंरचना की गुणवत्ता** पर निर्भर करते हैं।
  - अवसंरचनात्मक विकास प्रक्रियागत **अक्षमताओं** के कारण बाधित हुआ है तथा विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी लागत सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4-5 प्रतिशत के समतुल्य है।
- **अभिशासन में सुधार:** बेहतर रूप से विकसित अवसंरचना आर्थिक गतिविधियों के स्तर में वृद्धि करती है, सरकार के राजस्व आधार में सुधार करके अतिरिक्त राजकोषीय अवसरों का सृजन करती है और उत्पादक क्षेत्रों पर केंद्रित व्यय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है।
- **रोजगार के अवसरों का सृजन:** भारत की **विनिर्माण** क्षमता और इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन में सुधार करने में अवसंरचना की गुणवत्ता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना:** विश्व आर्थिक मंच के **वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक** से परिलक्षित होता है कि अवसंरचनात्मक बाधाएं भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के समक्ष प्राथमिक बाधा बनी हुई हैं।
  - **समग्र अवसंरचना गुणवत्ता** के मामले में **भारत का स्थान** 140 देशों में 70वां है। **जल और विद्युत जैसी जनोपयोगी सेवा अवसंरचना क्षेत्रों** में यह स्थान **100 से ऊपर** है।
- **निवेशकों में विश्वास का सृजन:** निर्धारित परियोजनाओं

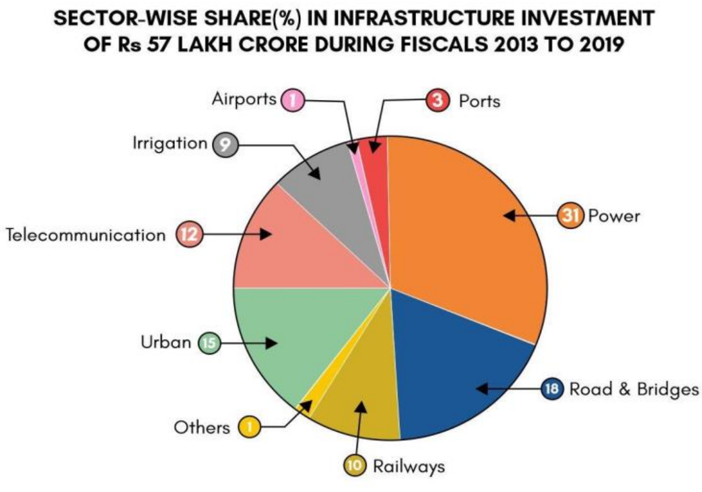

Source: Appraisal documents for five-year plans, CRIS estimates (Investments mentioned are at current prices)

को बेहतर रूप से निर्मित किया जाता है, जिनकी सक्षम अधिकारी द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी किए जाने के कारण जोखिमग्रस्त होने की संभावना कम होती है, इससे बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित होते हैं।

  - विश्वास में सुधार की अभिव्यक्ति, बेहतर रूप से परियोजनाओं के निर्माण, आक्रामक बोलियों/परियोजना वितरण में विफलता जैसी स्थितियों में कमी, वित्त के स्रोतों तक अधिकाधिक पहुंच के रूप में होती है।
- **ईज ऑफ लिविंग में सुधार:** क्योंकि विभिन्न **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को पूरा करने के लिए भारत को क्षेत्रीय और सीमापार क्षेत्रों, दोनों प्रकार के स्थानों में विश्वसनीय, संधारणीय तथा प्रत्यास्थ अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता है।
- **विकसित होती शहरी अर्थव्यवस्था की क्षमता को वास्तविकता में परिणत करने हेतु** मलिन बस्तियों के पुनर्विकास, शहरी सड़कों, जल आपूर्ति कवरेज एवं गुणवत्ता, अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के माध्यम से शहरी गतिशीलता जैसे वांछित क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है।

अवसंरचना क्षेत्रक के समक्ष प्रमुख बाधाएं

- **बृहद् परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु वित्त की उपलब्धता:** सार्वजनिक क्षेत्रक में सीमित वित्तीय अवसर तथा कंपनियों के अत्यधिक ऋण और बैंकों की अशोध्य संपत्ति सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे तुलन पत्र की समस्या।
  - साथ ही, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार अविकसित है तथा कुशल क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण तंत्र {जैसे- प्रतिभूतिकरण, क्रेडिट डेरिवेटिव (ऋण व्युत्पन्नी), क्रेडिट इंश्योरेंस (ऋण बीमा) आदि} का अभाव है।
- **नियामकीय अनिश्चितता:** प्रक्रियात्मक विलंब, भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रियाएं, मुआवजे का भुगतान, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, अनुमान से कम ट्रैफिक वृद्धि इत्यादि विभिन्न जोखिमों के कारण।
  - इन सभी के कारण, सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड के माध्यम से भारतीय अवसंरचना में निवेश की प्रक्रिया बाधित हुई है।
- **निम्नस्तरीय प्रवर्तन ढांचा:** अनुबंधों के प्रवर्तन के संबंध में भारत का स्थान 190 देशों में 163वां है।
  - ऐसे कई मामले विद्यमान हैं, जहाँ डेवलपर्स बिना किसी प्रयोजन के अनुबंध कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनुबंधों के प्रवर्तन का भय नहीं होता है।
- **भारत की अवसंरचना परियोजनाओं में होने वाला विलंब:** यह कार्यान्वियन चरण में समय और लागत में वृद्धि का कारण बनता है।
  - अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई PPP (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल में तुलना का विश्लेषण किया जा सकता है:
    - ऑस्ट्रेलिया में किसी डेवलपर द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव रखने से लेकर वित्तपोषण किए जाने तक अवसंरचना निविदा प्रक्रियाओं के लिए पूर्व निर्धारित मापदंडों की **समय सीमा 15-18** माह की होती है।
    - भारत में 23 रेलवे स्टेशनों को पुन: विकसित करने के लिए **स्विस चैलेंज मॉडल** से संबंधित **समय सीमा 30 माह** है क्योंकि निविदाएं प्रदान करने के लिए सरकारों को 18 माह तक तथा तत्पश्चात वित्तपोषण के लिए अगले 12 माह तक और प्रतीक्षा करनी होती है।

इस कार्यबल की प्रमुख अनुशंसाएं

सामान्य सुधार	• **परियोजना निर्माण की प्रक्रियाओं में सुधार करना:** इसे पारदर्शी विधायी ढांचा, अवसंरचना के लिए योजना निर्माण से संबंधित सशक्त सार्वजनिक संस्था, मॉडल दिशा-निर्देश और मानक, सुपरिभाषित वर्कफ्लो और सक्षमकारी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) आदि के माध्यम से किया जा सकता है। • **निजी क्षेत्रक प्रतिभागियों की निष्पादन क्षमता को बढ़ाना:** इसे आवश्यक क्षमता और निष्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट एवं सुसंगत नीतिगत ढांचे तथा सुदृढ़ **वैश्विक अवसंरचना डेवलपर्स** के साथ सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। • **अवसंरचना परियोजनाओं को सम्पन्न करने में सुगमता को बढ़ाना:** इसे एकल बिंदु अनुमोदन, अनुबंधों को प्रदान करने से पूर्व **अनिवार्य शर्तों**, विद्युत खरीद समझौतों जैसे तंत्रों का उपयोग करके अनुबंधों से संबंधित प्रभावी प्रस्तावों के माध्यम से किया जा सकता है। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जैसे- पर्याप्त डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए **सार्वजनिक डेटा स्रोतों** का निर्माण, डेटा आधारित नीतिगत निर्णयों को सक्षम बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड आदि उन्नत प्रौद्योगिकियों के आधार पर **स्मार्ट अवसंरचना** का निर्माण करना। • **अवसंरचना गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण:** पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, परियोजना के जीवन चक्र के दौरान स्वस्थ प्रशासन तथा

	सामाजिक एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ अनुरूपता स्थापित करना। • **आपदा लोचशीलता:** 'आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन' (CDRI) के माध्यम से ज्ञान और विशेषज्ञता को अपनाना। • **पर्यावरणीय संधारणीयता:** ऊर्जा, परिवहन और अन्य अवसंरचना में अपेक्षित स्तर पर **न्यून कार्बन निवेश** को प्रोत्साहित करने के लिए उचित **कार्बन मूल्य निर्धारण** को अपनाना। • **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** विश्वास बहाली (एंटी-ट्रस्ट रेजोल्यूशन) तंत्र को तीव्रता प्रदान करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और क्षेत्र के नियामकों के मध्य अधिक सहयोग और **राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति** को संचालित करना। • **नियामकीय परिवेश:** PPP संबंधी जोखिमों का समान आवंटन, अनुबंधों का मानकीकरण और PPP मोड पर कार्यान्वित होने वाले सभी अवसंरचना क्षेत्रों में स्वायत्त विनियमन आदि के माध्यम से इसे पूरा किया जा सकता है।
वित्तीय क्षेत्रक सुधार	• **अवसंरचना में विदेशी और निजी पूंजी को आकर्षित करना:** निवेश दिशा-निर्देशों को अवसंरचना परियोजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति, जैसे- बीमा पूँजी और पेंशन फंड के साथ संरेखित करना। • **बॉण्ड और क्रेडिट बाजारों को सशक्त करना:** एक बेहतर रूप से पूंजीकृत क्रेडिट वृद्धि करने वाली संस्था की स्थापना करना, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के अभिशासन में सुधार करना। • **भारत में म्यूनिसिपल बॉण्ड बाजारों को सुदृढ़ करना:** वित्तीय अनुशासन एवं नियमित प्रकटीकरण में सुधार करना, स्थानीय सरकारों के राजस्वों के राजस्व आधार और उत्प्लावकता में वृद्धि करना, अभिनव ऋण वृद्धि तंत्रों के माध्यम से स्थानीय सरकारों की ऋण क्षमता (creditworthiness) में वृद्धि करना और पूल्ड बॉण्ड निर्गमनों को प्रोत्साहित करना। • **परिसंपत्ति मुद्रीकरण को सुदृढ़ करना:** भूमि की बिक्री, अर्थपूर्ण अग्रिम पट्टा भुगतान सहित गैर-परिचालित परिसंपत्तियों, परिचालित सड़क परिसंपत्तियों के लिए टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल, अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (InvITs), रणनीतिक/वित्तीय निवेशकों को परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो की बिक्री और प्रतिभूतिकरण के माध्यम से ऋण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना। • **अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु उपयोगकर्ता शुल्क को सक्षम बनाना:** प्रशुल्क के स्वायत्त नियमन, अनुबंध में उल्लिखित मूल्य विनियमन प्रावधानों के आधार पर अनुबंध का विनियमन और विभिन्न अवसंरचना के विनियमन के लिए बहु-क्षेत्रीय नियामकों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
अवसंरचना वित्तीयन	• **पूंजी बाजार:** प्रस्तावित ऋण संवर्धन गारंटी निगम (Credit Enhancement Guarantee Corporation) की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए और साथ ही, सरकार को पेंशन एवं बीमा प्रणालियों में सुधार करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रकों में वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30 प्रतिशत तक बचत प्राप्त की जा सके। • **परियोजना वित्तपोषण में उचित चरण के लिए उचित संस्थान:** इसके माध्यम से वित्तीयन अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। निवेशकों का एक नया वर्ग विकसित करना अनिवार्य है, जो बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों और भविष्य निधियों से **पेशेंट कैपिटल (बीमा पूँजी)** को सक्षम बना सके। • **बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन कौशल युक्त 'विकास वित्त संस्थान (DFIs)':** DFIs में आवश्यक डोमेन विशेषज्ञता और परियोजना मूल्यांकन संबंधी कौशल होना चाहिए। सरकार द्वारा घरेलू या विदेशी पूंजी से अवसंरचना क्षेत्रक में DFIs की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक **विभेदकारी लाइसेंसिंग प्रणाली (डिफ्रेन्शियल लाइसेंसिंग सिस्टम)** पर विचार किया जा सकता है। • **बाह्य सहायता:** मंत्रालयों और नियामकों को सॉवरेन वेल्थ फंड/ग्लोबल पेंशन फंड द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियात्मक पहलुओं को सरल बनाना चाहिए तथा निवेश करने की सुगमता में सुधार करना चाहिए।

निगरानी और मूल्यांकन	• **परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान:** इसके तहत निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे:
	  ○ प्रगति, आवश्यक हस्तक्षेप और उत्तरदायी पक्षकारों को बाधित करने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान करना।
	  ○ संबंधित हितधारकों द्वारा शासन संरचना के अनुसार समय पर कार्रवाई करना और प्रदत्त मैट्रिक्स में वृद्धि करना।
	• **वे परियोजनाएं जो फ़ाइनेंशियल क्लोज़र (FC) कर चुकी हैं लेकिन अभी तक निधियों का आहरण नहीं कर पाई हैं:**
	  ○ परियोजना के दौरान उपलब्धि के विभिन्न चरणों (लागत और समय) के लिए **परियोजना निगरानी प्रणाली** की स्थापना करना।
	  ○ उधारदाताओं और इक्विटी निवेशकों जैसे हितधारकों से मिलकर बनी **संचालन समिति** का गठन करना तथा उसे उत्तरदायित्व सौंपना।

VISION IAS

	• **विकासाधीन परियोजनाएं** ○ विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना और सक्षम प्रबंधकों की नियुक्ति करना। ○ उचित जोखिम **शमन** रणनीतियों की अभिकल्पना करना। • **अवधारणात्मक चरण में स्थित परियोजनाएँ** ○ **प्रमुख मंजूरियों का मानचित्रण:** भूमि अधिग्रहण के साथ पर्यावरण, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ), वन विभाग की स्वीकृति आदि। ○ **प्रौद्योगिकी विकल्प का विश्लेषण:** आपदा प्रत्यास्थता, समग्रता आदि।

निष्कर्ष

सुनियोजित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और अधिक अवसंरचना परियोजनाओं को संभव बनाएगी, रोजगार सृजन करेगी, ईज ऑफ लिविंग में सुधार करेगी, जिससे विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा।

3.2. संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (Revised FDI Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई भारतीय कंपनियों के वित्तीय संकट का लाभ उठाकर प्रेडटॉरी विदेशी निवेशों द्वारा उनका शोषण किए जाने की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विगत 5 वर्षों में, भारत में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप क्षेत्र में चाइनीज निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2014 में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2019 में लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान और नियोजित दोनों) हो गया था।
- इसे ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान किया गया था कि चाइनीज संस्थाएं भारतीय संस्थाओं और कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोविड-19 प्रकोप के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी। वे भारतीय कंपनियों का शत्रुतापूर्ण और अवसरवादी अधिग्रहण कर सकती हैं।
- ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए, भारतीय कंपनियों का अवसरवादी अधिग्रहण किए जाने पर अंकुश लगाने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को संशोधित किया गया है।

बढ़ता चाइनीज निवेश और संबंधित चिंताएं

- वर्ष 2014 तक, भारत में विशुद्ध चाइनीज निवेश और द्विपक्षीय व्यापार संबंध अत्यधिक लेनदेन परक था अर्थात् आयात और निर्यात तक ही सीमित था और परस्पर निर्भरता नगण्य थी। हालांकि, वर्ष 2014 में भारत में चाइनीज निजी क्षेत्रक का बड़े पैमाने पर प्रवेश देखा गया और तत्पश्चात अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, अचल संपत्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में चाइनीज पूंजी एवं निवेशों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- तब से, चाइनीज निवेशकों ने भारत में 90 स्टार्ट-अप कंपनियों में लगभग **4 बिलियन डॉलर** का निवेश किया है तथा देश की 30 यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप कंपनियों में से 18 का निधीयन चाइनीज निवेशकों द्वारा किया गया है।
- यद्यपि, पूंजी के अभाव से ग्रस्त भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों के संदर्भ में चीन से निवेश प्राप्त करना लाभदायक है, क्योंकि वे अपने घरेलू बाजार में समान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य करने की क्षमता और सफलता प्राप्त कर चुकी चाइनीज कंपनियों के अनुभव और तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित हो सकती हैं, तथापि वर्तमान चिंताओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

इन निवेशों से संबंधित चिंताएं

- चाइनीज निवेश की बढ़ती व्यापकता संबंधी चिंता: **डेटा सुरक्षा, प्रचार और प्लेटफॉर्म नियंत्रण।**
- चीन के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs) व **प्रांतीय सरकारों** द्वारा भारत में लगभग 50 प्रतिशत चाइनीज निवेश किया जा रहा है। ये चाइनीज कूटनीति के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। साथ ही, निजी और SOEs में अंतर करना कठिन है, क्योंकि कई बार वे अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्संबंधित होते हैं।
- ये निवेश (निजी क्षेत्रक के निवेश सहित), **"मेड इन चाइना 2025" योजना** के भाग हैं। इस योजना का उद्देश्य **प्रौद्योगिकी का अधिग्रहण करना** है। अलीबाबा जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा पेटीएम (PayTM) जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप में निवेश किए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है।

VISION IAS

- भारत का **निवेश संवीक्षा तंत्र** विकसित देशों के समान सुदृढ़ नहीं है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उन देशों में शामिल थे जिन्होंने हुआवेई को उसकी 5G योजनाओं को कार्यान्वित करने से अवरुद्ध कर दिया था। ज्ञातव्य है कि **हुआवेई** निजी क्षेत्रक की एक बड़ी कंपनी है जिसके इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। भारत ने इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि, इसने हुआवेई को 5G के प्रारंभिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है।
- समाचार सेवाओं, वित्तीय तकनीकी सेवाओं जैसे **संवेदनशील क्षेत्रकों में बढ़ता निवेश** उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के संदर्भ में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, बाइटडांस (ByteDance), जो चीन में सेंसरशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसने भारतीय समाचार एग्रीगेटर डेलीहंट में **25 मिलियन डॉलर** का निवेश किया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन

- वर्तमान नीति के अनुसार कोई भी अनिवासी इकाई (non-resident entity) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन भारत में निषिद्ध क्षेत्रकों/गतिविधियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रकों/गतिविधियों में निवेश कर सकती है।
    - **अतिरिक्त प्रावधान:** बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक या दोनों देशों में पंजीकृत कोई इकाई **केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत ही** निवेश कर सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के लिए पहले से निषिद्ध क्षेत्रकों/गतिविधियों के साथ-साथ **रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा** जैसे क्षेत्रक/गतिविधियों में भी निवेश निषिद्ध हैं।
- संशोधित नीति के अनुसार, **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश** की कोई इकाई या भारत में निवेश से लाभ प्राप्त करने वाली किसी इकाई का स्वामी यदि ऐसे किसी देश में स्थित है या उसका नागरिक है, तो वह केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है।
    - इसका तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त अतिरिक्त प्रावधानों को हमारे **सभी पड़ोसी देशों (चीन सहित) तक विस्तारित** कर दिया गया है। हालाँकि, सरकार ने चीन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।
- इसके अतिरिक्त, संशोधन में यह भी कहा गया है कि भारत स्थित किसी इकाई में वर्तमान में या भविष्य में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वामित्व का **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप** से हस्तांतरण करने हेतु भी **सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता** होगी, यदि लाभकारी स्वामित्व उपर्युक्त नियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
    - इन दिशा-निर्देशों का निर्माण ऐसे **बहुस्तरीय लेनदेनों को नियंत्रित करने** के लिए किया गया था, जो लाभकारी स्वामित्व के लिए अंततोगत्वा भूमि सीमा साझा करने वाले सात देशों को इंगित करते थे।
    - इसका तात्पर्य यह है कि चीन (या किसी अन्य भूमि सीमा साझा करने वाले देश) से निवेश प्राप्त करने वाले निजी इक्विटी निवेशक और उद्यम पूंजी निधियों (यहां तक कि जो पहले से ही अनुबंधित हैं) को भी निवेश करने से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

स्वचालित बनाम सरकारी मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- **सरकारी मार्ग के अंतर्गत,** विदेशी निवेशक को संबंधित मंत्रालय/विभाग से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत,** निवेशक को निवेश किए जाने के पश्चात् केवल भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होता है।
- इसके अतिरिक्त, **50 बिलियन रुपये से अधिक के प्रस्तावों** को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वे किसी भी क्षेत्रक या देश से संबंधित हों।

ऐसे क्षेत्रक जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है-

- लॉटरी व्यवसाय।
- जुआ और सट्टेबाजी।
- चिटफंड।
- निधि कंपनी।
- हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (Transferable Development Rights: TDRs) का लेनदेन।
- निर्माण और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) को छोड़कर रियल एस्टेट व्यवसाय।
- सिगार, चेरूट, सिगारिलोस और सिगरेट आदि का विनिर्माण।
- ऐसे क्षेत्रक जो निजी क्षेत्रक के निवेश हेतु खुले नहीं हैं, जैसे- परमाणु ऊर्जा, रेलवे संचालन आदि।

इस नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **स्टार्ट-अप के निधीयन पर प्रभाव:** यूनिकॉर्न व छोटी स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए निधीयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि सरकारी मार्ग से निवेश का प्रावधान कई निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए, भारत की शीर्ष स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न कंपनियों, जैसे- पेटीएम, ज़ोमैटो, बिगबास्केट और ड्रीम11 आदि के आगामी वित्तीयन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- **अधिक स्पष्टता की आवश्यकता:** रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण तथा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होल्डिंग प्रतिशत जैसे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं की पहचान करने की आवश्यकता है।
- **चीन ने मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया:** चीन का कहना है कि इस नीति के द्वारा विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए निर्मित की गई बाधाएं विश्व व्यापार संगठन के भेदभाव रहित व्यवहार के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
  - **भारत का तर्क:** भारत ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के विषय में चीन के आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। भारत ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं-
    - **संशोधित नीति न तो बाजार पहुंच को और न ही किसी राष्ट्र के साथ किए जाने वाले व्यवहार को प्रतिबंधित करती है**, जो कि वैश्विक व्यापार के दो सिद्धांत हैं और इस प्रकार यह नीति विश्व व्यापार संगठन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करती है।
    - निवेश के संबंध में, ये उपाय **"व्यापार संबद्ध निवेश उपायों (TRIMS)" पर समझौते की व्याख्यात्मक सूची (Illustrative List)** के अंतर्गत नहीं आते हैं। ज्ञातव्य है कि व्याख्यात्मक सूची ऐसे उपायों का विवरण प्रस्तुत करती है जो किसी राष्ट्र के साथ किए जाने वाले व्यवहार हेतु दायित्व से असंगत होते हैं।
- **पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर अधिप्लावन प्रभाव:** भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों तक प्रतिबंधों का विस्तार म्यांमार जैसे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

भारत में होने वाले **चाइनीज निवेश में अत्यधिक असंतुलित (एकतरफा) द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने की क्षमता विद्यमान है।** हालांकि, भारतीय कंपनियों में चाइनीज भागीदारी में वृद्धि हो रही है। भारत भी कई चाइनीज कंपनियों के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। इस तथ्य का भारत की व्यापार रणनीति द्वारा व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने या चीन में भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने हेतु बेहतर रूप से लाभ उठाया जा सकता है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक ओर मित्रवत, उदार, खुले एवं आशा के अनुरूप निवेश वातावरण निर्मित करने तथा दूसरी ओर **सुरक्षा एवं गोपनीयता से संबंधित दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान** करने के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

3.3. कोविड-19 तथा निर्धनता (COVID-19 and Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा **'वैश्विक निर्धनता पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन'** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गयी।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में अनुमानित **812 मिलियन निर्धन लोग** निवास करते हैं। इस रिपोर्ट में यह अनुमान किया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यह संख्या बढ़कर **915 मिलियन** हो सकती है (सबसे खराब स्थिति में)।
- यह निम्न-मध्यम आय **(प्रतिदिन 3.2 डॉलर)** वाले देशों के लिए विश्व बैंक की निर्धनता रेखा पर आधारित है।

कोविड-19 के दौरान भारत में श्रमिकों की स्थिति

संपूर्ण भारत में फंसे हुए श्रमिकों को राहत प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के एक समूह **"सट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क" (SWAN)** द्वारा देश भर में 11,159 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए हैं:

- 74 प्रतिशत श्रमिकों के पास लॉकडाउन की शेष अवधि में जीवन निर्वाह करने के लिए उनकी दैनिक मजदूरी का आधे से भी कम शेष बचा है।
- 89 प्रतिशत को लॉकडाउन के दौरान उनके मालिकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया।
- भूख की दर राहत प्रदान करने की दर से अधिक है। लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में जिन लोगों के पास 1 दिन से कम के लिए राशन शेष है, उनका प्रतिशत 36 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जबकि सरकारी राशन प्राप्त करने वालों का प्रतिशत लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में 1 प्रतिशत से बढ़कर केवल 4 प्रतिशत हुआ है।

कोविड-19 का प्रभाव

- **अनौपचारिक क्षेत्रक की व्यापकता: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, भारत के अनौपचारिक क्षेत्रक के लगभग **400 मिलियन श्रमिकों** के निम्नलिखित कारणों से और अधिक निर्धन हो जाने की संभावना है:
  - सरकार की कठोर लॉकडाउन कार्यवाहियों के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने के लिए बाध्य हुए हैं।
  - रोजगार या घंटों की संख्या की दृष्टि से कार्यों में मात्रात्मक कमी होना।
  - छंटनी से बचने के लिए कुछ नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी में कमी किया जाना।
- **आय के स्रोतों में कमी:** इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-
  - मांग में गिरावट एवं आगत की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म व लघु उद्यमों की आर्थिक गतिविधियों (बिक्री, उत्पादन) में कमी के कारण स्व-रोजगार करने वालाें की आय में गिरावट हुई है।
  - शहरी प्रवासियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों को भेजी जाने वाली आय में गिरावट होना।
  - निर्धनता रेखा से कुछ ऊपर जीवन यापन करने वाले अधिकांश लोग जो 'गिग इकॉनमी' में कार्यरत हैं, उनके निर्धन होने की संभावना अधिक है।
  - बचत एवं बीमा कवर जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है। यह निर्धनों को लंबे समय तक नकारात्मक प्रभावों वाली उत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री जैसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बाध्य कर सकता है।
- **आउट ऑफ पॉकेट व्यय में वृद्धि:** इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं-
  - शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोग बीमारियों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होते हैं, क्योंकि वे निम्न गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ भीड़भाड़ वाली बस्तियों में निवास करते हैं।
  - यह उनकी कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है तथा बीमारी या घर के बीमार सदस्यों की देखभाल करने की आवश्यकता के कारण स्वास्थ्य व्यय में भी वृद्धि करता है।
  - लोजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
  - विद्यालय बंद होने से मिड-डे मील जैसे सरकारी कार्यक्रमों पर आश्रित निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए आहार की कमी हो सकती है।
- **आर्थिक मांग पर प्रभाव:** बेरोजगारी में वृद्धि एवं आय में गिरावट के कारण व्यय तथा खपत में कमी आ सकती है।
  - **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE)** की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में **बेरोजगारी दर** में 3 मई को समाप्त होने वाले सप्ताह तक **27.11 प्रतिशत की वृद्धि** हो चुकी थी।
  - समय के साथ शहरी क्षेत्रों में मांग में गिरावट होने से कीमतों में गिरावट के कारण दीर्घकाल में कृषि क्षेत्र में संलग्न कई लोग प्रभावित होंगे।
- **निर्धन महिलाओं पर प्रभाव:** कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त दबावों के कारण, जैसे कि -
  - विद्यालय बंद होने तथा बीमारी के प्रति सुभेद्यता के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल की आवश्यकता के कारण उनके द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है।
  - चूंकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी है, इसलिए उनके संक्रमित होने का अधिक खतरा बना रहता है।
  - घरों में ही रहने के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हो सकती है।
  - लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित कुछ क्षेत्रकों में महिला श्रमिकों की संख्या अत्यधिक है।

चुनौतियाँ

- **रोग के विषय में अनिश्चितता:** जैसा कि इस रोग से संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि जारी है, परिणामस्वरूप लॉकडाउन को 4 मई से दो सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है।
  - 80 प्रतिशत रोगियों के अलक्षणी (asymptomatic) होने तथा टीकाकरण के अभाव के कारण, सरकार के सामने संकट की भयावह स्थिति बनी हुई है।
- **वित्तीय संसाधनों की बाध्यता:** केंद्र व राज्य, दोनों स्तरों पर सार्वजनिक वित्त पर अत्यधिक दबाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण से सरकार के लिए संकटग्रस्त लोगों तक और अधिक नकद पहुँचाना कठिन हो जाता है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित मुद्दे:** जैसे- प्रलेखन तथा PDS लाभार्थियों के अद्यतीकरण का अभाव।
  - **राशन कार्डों की विविधता (Divisibility of ration cards):** PDS राशन कार्ड न तो सभी स्थानों के लिए पोर्टेबल हैं और न ही विभिन्न स्थानों पर रह रहे परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा अपने हिस्से के राशन को प्राप्त किया जा सकता है।
  - **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत 1.95 लाख मीट्रिक टन (LMT) दालों के कुल मासिक आवंटन में से 22 अप्रैल तक राज्यों द्वारा केवल 10 प्रतिशत ही जारी किया गया।

- **अपर्याप्त मुआवजा:** यद्यपि केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न कदम उठाए हैं, फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि राहत पैकेज अपने आप में अपर्याप्त हैं।

अनुशंसाएं

- **वर्तमान सुरक्षा उपायों से संबंधित कार्यक्रमों के कवरेज का नए लाभार्थियों तक विस्तार करना:** अवस्थिति-आधारित (जैसे- उच्चतम स्तर के 'कम्युनिटी ट्रांसमिशन' तथा/या आर्थिक व्यवधान वाले क्षेत्र) या रोजगार के क्षेत्रक या जोखिम वाली श्रेणियों (जैसे- छोटे बच्चों, पहले से किसी रोग से ग्रस्त व्यक्ति तथा बुजुर्ग सदस्यों वाले परिवार) पर ध्यान केंद्रित करना।
- **सुरक्षा उपायों से संबंधित कार्यक्रमों के लाभ को पोर्टेबल बनाना:** चूँकि शहरी प्रवासियों के ग्रामीण क्षेत्रों में लौट जाने की संभावना है। अत: इससे कवरेज क्षेत्रों में पूर्वानुमान सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **सामूहिक गतिविधियों का निलंबन तथा शर्तें लागू करना:** ताकि सभी सुरक्षा तंत्र कार्यक्रमों के तहत रोग-संचार के खतरे को कम किया जा सके।
- **सार्वजनिक खरीद एवं बुनियादी खाद्य पदार्थों के वितरण में वृद्धि करना:** इसके लिए निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज सहित सभी प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- **कंपनियों को समर्थन प्रदान करने हेतु नीतियां:** जिनमें छंटनी से बचने के लिए फर्मों को अनुदान एवं वेतन सब्सिडी प्रदान करना तथा कर में छूट व स्थगितकरण जैसे उपायों के माध्यम से सूक्ष्म व लघु उद्यमों को समर्थन प्रदान करना या छोटी कंपनियों को सुलभ ऋण, अनुदान एवं लक्षित अधित्याग (waivers) सम्मिलित हैं।
- **सक्रिय श्रम बाजार कार्यक्रम:** ताकि जो बेरोजगार हो गए हैं और जो प्रशिक्षण या नई नौकरियाँ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन श्रमिकों के संक्रमण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **केरल:** ऐसे सभी लोगों को जिन्हें आवश्यकता है, चाहे वे निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) हों या नहीं, उन्हें नि:शुल्क चावल प्रदान करना। मध्याह्न भोजन की होम डिलीवरी प्रदान करना तथा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ICDS के अंतर्गत पंजीकृत 26,000 बच्चों तक आहार पहुँचाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- **हरियाणा:** सभी BPL परिवारों को अप्रैल का मासिक राशन नि:शुल्क प्रदान किया गया है। सभी सरकारी स्कूल के बच्चों तथा आंगनबाड़ियों में नामांकित सभी को सूखा राशन (dry rations) प्रदान किया गया।
- **छत्तीसगढ़:** आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म-पकाये हुए भोजन के बजाय सूखा राशन वितरित किया गया।
- **उत्तर प्रदेश:** अप्रैल व मई के लिए 8.38 मिलियन से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांग जनों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभार्थियों की एक सूची में दर्ज प्रत्येक परिवार को 20 किलोग्राम गेहूं तथा 10 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है। इस सूची में 16.5 मिलियन निर्माण श्रमिक तथा दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक सम्मिलित हैं। झारखंड, राजस्थान एवं तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश ने भी **PDS के सार्वभौमिकीकरण** की घोषणा की है।
- **बिहार:** राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में धनराशि जमा करना, प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DCT) आदि का प्रावधान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान राहत के रूप में तीन माह के लिए 5 किलोग्राम चावल एवं 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।
- **तमिलनाडु:** लॉकडाउन के दौरान राज्य में 2.02 करोड़ कार्डधारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों पर ओवरटाइम एवं छुट्टियों वाले दिन कार्य कर रहे प्रत्येक सेल्समैन को 2,500 रुपये तथा पैकेजिंग करने वालों को 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। साथ ही, सभी राशन कार्ड धारकों को नि:शुल्क चावल, चीनी व अन्य आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त 1,000 रुपये भी प्रदान किए जाएंगे।

*भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के लिए कृपया **मार्च, 2020 की समसामयिकी देखिए।***

3.4. कोविड-19 के विभिन्न प्रभावों पर अन्य रिपोर्ट (Other Reports on Various Impacts of COVID-19)

3.4.1. शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सॉलिडैरिटी रिपोर्ट (Shared Responsibility, Global Solidarity Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **"साझा ज़िम्मेदारी और वैश्विक एकजुटता: कोविड-19 के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के प्रति अनुक्रिया"** (Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to socio-economic impacts of Covid-19) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में इस संकट के कई सामाजिक एवं आर्थिक आयामों से निपटने के लिए तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य अनुक्रिया के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- इस रिपोर्ट के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न व मध्यम आय वाले देशों की सहायता हेतु तथा कोविड-19 के प्रति अनुक्रिया करने एवं पुनर्बहाली के लिए एक नए **मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड** की भी स्थापना की जा रही है।
- इस रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ संयुक्त राष्ट्र की अनेक एजेंसियों के आकलन भी सम्मिलित हैं:
    - **संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, 5 से 25 मिलियन रोजगार समाप्त हो जाएंगे तथा विश्व स्तर पर श्रमिकों की आय में 860 बिलियन डॉलर से लेकर 3.4 ट्रिलियन डॉलर तक की हानि होगी।
- **व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)** के अनुसार, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है, जबकि **विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)** के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 20-30 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** का अनुमान है कि 3.6 बिलियन लोग इंटरनेट से वंचित हो जाएंगे तथा **यूनेस्को** ने अनुमान लगाया है कि 1.5 बिलियन छात्र स्कूलों से बाहर हो जाएंगे।

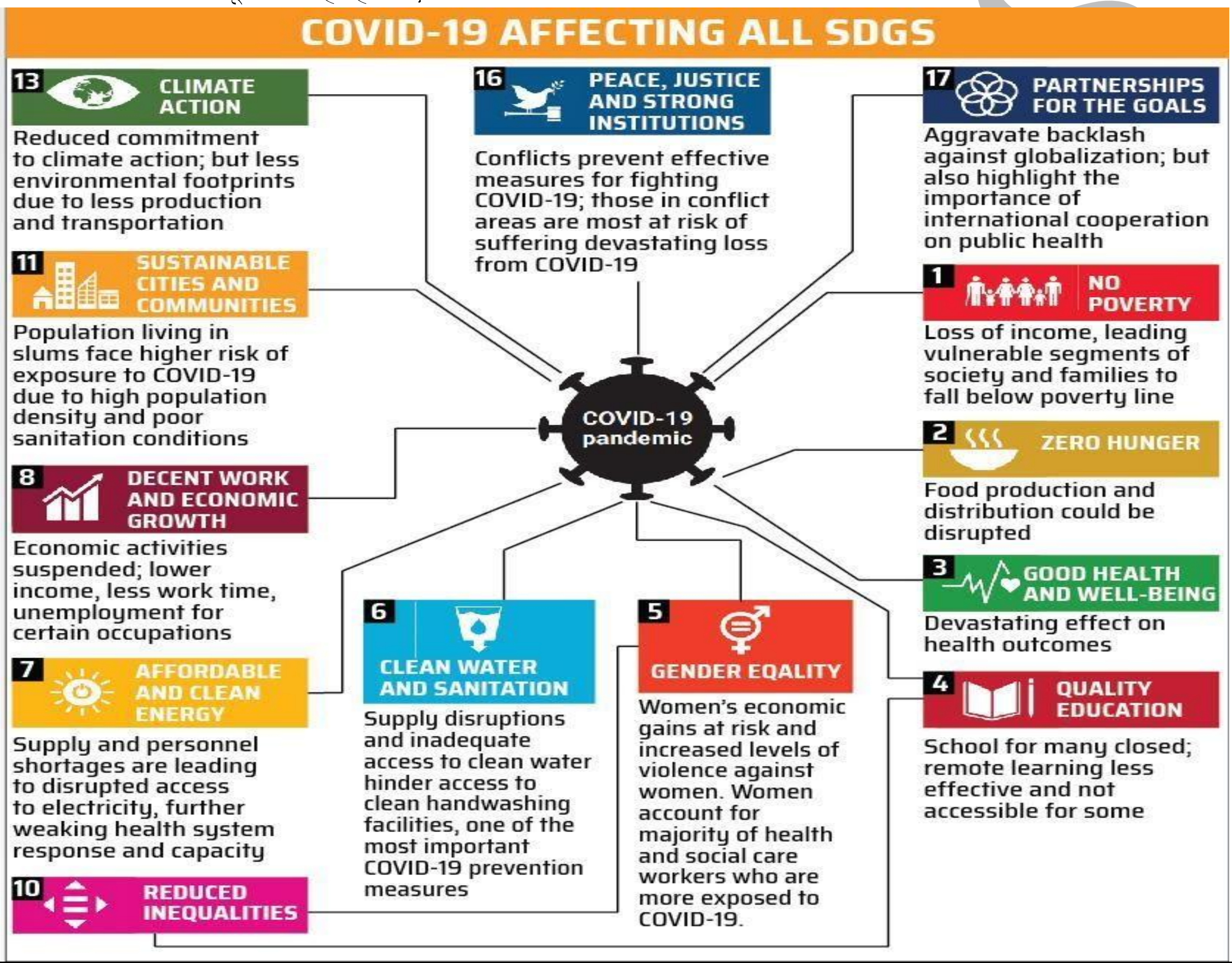

मल्टी-डोनर ट्रस्ट फंड के बारे में

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की **रणनीतिक तैयारी एवं अनुक्रिया योजना** तथा **मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (OCHA)** के अंतर्गत **कोविड-19 के लिए समेकित वैश्विक मानवीय अपील** हेतु एक पूरक कोष होगा।
- इस कोष के **तीन मुख्य उद्देश्य** हैं तथा प्रत्येक के लिए एक फाइनेंस विंडो (वित्तीय केंद्र) की स्थापना की गई है, ये हैं- वायरस के संक्रमण को रोकना, इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से सबसे सुभेद्य वर्ग की सुरक्षा करना तथा भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए देशों को अधिक प्रत्यास्थ बनाना।
    - **विंडो 1: 'आपातकाल से निपटने के लिए सरकारों एवं समुदायों को सक्षम करना'**। यह देशों को **स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPHS)** को पूर्णतः कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करेगा।
    - **विंडो 2: 'सामाजिक प्रभाव को कम करना तथा आर्थिक अनुक्रिया को प्रोत्साहित करना'**। यह नकद हस्तांतरण व खाद्य सुरक्षा सहित

तत्काल सामाजिक सुरक्षा उपायों का समर्थन करेगा।
  - **विंडो 3: 'बेहतर स्वास्थ्य लाभ'**। यह राष्ट्रीय तैयारियों के उपायों पर केंद्रित है, जैसे- महत्वपूर्ण सेवाओं का अनुरक्षण एवं संकट के दौरान कार्यबल तथा प्रयोगशाला क्षमता को बनाए रखना।
- ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई गतिविधियों के माध्यम से कोष के अंशदान की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी।

3.4.2. ILO मॉनिटर: कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क (ILO Monitor: COVID-19 and The World of Work)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने **'ILO मॉनिटर: कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क'** नामक रिपोर्ट का तृतीय संस्करण जारी किया है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- ILO **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के **जिनेवा** में स्थित है।
- यह श्रम मानकों का निर्धारण करने, नीतियाँ विकसित करने और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सम्माननीय कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए **सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों** को एक मंच प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र **त्रिपक्षीय** एजेंसी है।
- इसके भारत सहित **187** राष्ट्र सदस्य हैं।
- इसका गठन वर्ष 1919 में **वर्साय की संधि** के एक भाग के रूप में किया गया था।

ILO द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट

- विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक (World Employment and Social Outlook);
- ग्लोबल वेज रिपोर्ट (Global Wage Report); एवं
- विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट (World Social Protection Report)।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- ILO की यह रिपोर्ट **कार्य स्थिति पर कोविड-19 के संभावित प्रभावों** से संबंधित चिंताओं का मूल्यांकन करती है तथा इन प्रभावों का शमन करने और सशक्त एवं तीव्रता से रिकवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए कई नीतिगत विकल्पों को प्रस्तावित करती है।
- **वर्तमान में 81 प्रतिशत नियोक्ता और 66 प्रतिशत स्वयं श्रमिक** उन देशों में निवास और कार्य करते हैं जहाँ कार्यस्थलों को बंद करने की अनुशंसा की गयी है या आवश्यक बनाया गया है।
- संकट पूर्व स्थिति की तुलना में वर्ष 2020 की प्रथम छमाही में कार्य के घंटों की हानि निम्नानुसार होगी:
  - **वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही में वैश्विक स्तर पर कार्य के घंटों** में अनुमानित **4.5 प्रतिशत (लगभग 130 मिलियन पूर्णकालिक कार्य)** की गिरावट हुई है।
  - निम्न-मध्यम आय वाले देशों में कार्य के घंटों में अधिकतम हानि होने की संभावना है।
- **उद्यमों के समक्ष जोखिम की स्थिति:**
  - **जिन क्षेत्रों के अत्यधिक प्रभावित** होने की पहचान की गई है, उनमें आवास एवं खाद्य सेवाएं, विनिर्माण, थोक एवं खुदरा व्यापार, अचल संपत्ति और व्यावसायिक गतिविधियाँ शामिल हैं। ये क्षेत्रक निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी हैं:
    - औसतन **राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत** से अधिक का योगदान।
    - **विश्व भर में लगभग 436 मिलियन उद्यम।**

VISION IAS

- **उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में छोटे व्यवसायों की संख्या में गिरावट होने का अनुमान है।** इसके निम्नलिखित कारण हैं:
  - इनकी प्राय: ऋण तक पहुंच कम होती है;
  - इनकी परिसंपत्तियां कम होती हैं; तथा
  - इनकी सामान्य रूप से राजकोषीय उपायों और वर्तमान संकट से संबंधित प्रोत्साहन पैकेजों से लाभान्वित होने की संभावना कम होती है।

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: विश्व भर में 2 अरब** से अधिक लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं।
  - **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लगभग 1.6 अरब श्रमिक** (विश्व भर में अनौपचारिक रोजगारों का 76 प्रतिशत) लॉकडाउन उपायों और/या इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
    - **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है:** इन क्षेत्रकों में 42 प्रतिशत महिला श्रमिक, जबकि 32 प्रतिशत पुरुष श्रमिक कार्यशील हैं।
    - **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लगभग 1.1 अरब श्रमिक संपूर्ण लॉकडाउन** और अतिरिक्त 304 मिलियन श्रमिक आंशिक लॉकडाउन वाले **देशों में निवास कर रहे हैं और कार्यरत हैं।**
  - इस संकट के कारण विश्व स्तर पर अनौपचारिक श्रमिकों की आय में 60 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान है।
  - विश्व स्तर पर अनौपचारिक श्रमिकों में सापेक्ष निर्धनता दर (RP) में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
    - **सापेक्ष निर्धनता दर (RP):** यह जनसंख्या की औसत आय के 50 प्रतिशत से भी कम मासिक आय वाले श्रमिकों का अनुपात है।

3.4.3. अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट पर अद्यतन जानकारी (Update of Unctad's Trade and Development Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंकटाड ने **व्यापार और विकास रिपोर्ट, 2019** पर **"ग्रेट लॉकडाउन से लेकर ग्रेट मेल्टडाउन तक: कोविड-19 के समय में विकासशील देशों के ऋण"** (From the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the Time of Covid-19) नामक शीर्षक से अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **विकासशील देशों की उच्च और बढ़ती ऋणग्रस्तता:** इससे संपूर्ण विकासशील विश्व में **संप्रभु देनदारी की चूक (डिफ़ॉल्ट)** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - केवल वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में, विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान के लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
  - वर्ष 2018 के अंत में विकासशील देशों का कुल ऋण स्टॉक (बाह्य और घरेलू, निजी और सार्वजनिक) **उनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का 191 प्रतिशत था,** जो **अब तक का सर्वाधिक** है।
  - वर्ष 2018 के अंत में, निजी ऋण उनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का **139 प्रतिशत** था।
    - इसने उच्च जोखिम वाले अल्पकालिक निजी ऋण के व्यापक और अस्थिर प्रवाह के प्रति सुभेद्यता को बढ़ाया है।
  - वर्ष 2018 में **दीर्घकालिक बाह्य सार्वजनिक ऋण** की लागत विकासशील देशों के लिए उनकी सरकार के राजस्व का औसत 10.3 प्रतिशत (वर्ष 2012 में 6.5 प्रतिशत की तुलना में) था।
  - निम्नलिखित कारणों से विकासशील देशों में कोविड-19 से जुड़े आर्थिक संकट के कारण यह स्थिति और अधिक ख़राब हो गई है:
    - **वस्तु एवं सेवा निर्यात, विप्रेषण आदि पर नकारात्मक प्रभाव:** इनसे विदेशी ऋण दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं।
    - **पूंजी बहिर्प्रवाह एवं विकासशील देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन:** इसके कारण उनके विदेशी मुद्रा मूल्य वाले ऋण के मूल्य में भारी वृद्धि हो सकती है।

- **विकासशील देशों को ऋण बोझ से राहत प्रदान करने के वैश्विक प्रयास:**
  - कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए विकासशील देशों को कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की सहायता की आवश्यकता होगी।
  - इस दिशा में की गई कुछ वैश्विक पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
    - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा आगामी छह माह के लिए 25 सर्वाधिक निर्धन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए **देय ऋण के पुनर्भुगतान** (लगभग 215 मिलियन डॉलर) **को निरस्त कर दिया गया है।**
    - **G-20** के नेताओं द्वारा घोषित **सर्वाधिक निर्धन देशों के लिए ऋण सेवा निलंबन पहल।**

- इसके तहत वर्ष 2020 में पात्र देशों में आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों के प्रति बकाया लगभग 20 अरब डॉलर के सार्वजनिक ऋण को कवर किए जाने का अनुमान है।
- यदि सभी निजी लेनदार और सभी बहुपक्षीय लेनदार इस पहल में शामिल हो जाएं तो इस तरह के ऋण भुगतान के अंतर्गत 20 बिलियन डॉलर और शामिल सकते हैं।
  - इस संकट से निपटने में सहायता करने के लिए IMF और विश्व बैंक दोनों ने सदस्य विकासशील देशों के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की घोषणा की है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन (UNCCAD)

- अंकटाड एक **स्थायी अंतर-सरकारी निकाय** है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के **जिनेवा** में स्थित है।
- इसमें **भारत सहित 195 सदस्य** देश हैं।
- अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का भाग होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी भाग है।
- अंकटाड द्वारा प्रति वर्ष **व्यापार और विकास रिपोर्ट** जारी की जाती है।
  - इसके द्वारा वर्तमान आर्थिक रुझानों और वैश्विक चिंताओं से संबंधित प्रमुख नीतिगत मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है तथा विभिन्न स्तरों पर इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।
- यह निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करता है:
  - विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report);
  - कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट;
  - डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Digital Economy Report); एवं
  - द लीस्ट डेवलप्ड कन्ट्रीज रिपोर्ट।

- **इस प्रकार की पहलों से संबद्ध मुद्दे:**
  - ये विकासशील देशों द्वारा संचित दीर्घकालिक सार्वजनिक बाह्य ऋण भंडार के **अपेक्षाकृत छोटे भाग** के समान हैं।
  - ये **अस्थायी उपाय** हैं तथा निर्यात राजस्व, वस्तुओं की कीमतों, सरकारी राजस्व और आरक्षित संपत्तियों के साथ-साथ संकट के दौरान प्राप्त की गई नई उधारियों पर कोविड-19 **संकट के व्यापक एवं दीर्घकाल तक परिलक्षित होने वाले समष्टिगत आर्थिक प्रभावों पर विचार नहीं** करते हैं।
  - वर्धित ऋण सुविधाएँ, **वित्तपोषण के ऋण सृजक साधन** होते हैं तथा इनकी पात्रता अभी भी अत्यधिक प्रतिबंधात्मक मानदंडों पर निर्भर करती है।

अनुशंसित रणनीति: विकासशील देशों के लिए एक नए **'वैश्विक ऋण समझौते'** का सुझाव दिया गया हैं, जिसमें निम्नलिखित चरण होंगे:

- **चरण 1: स्वचालित अस्थायी स्थगन: जैसे कि सभी ऋणदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली सभी प्रवर्तन कार्रवाइयों का तत्काल और स्वचालित स्थगन,** अर्थात् महामारी के दौरान ऋण सेवा भुगतान करने में विफल रहने वाले किसी भी संप्रभु ऋणी के प्रति ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली संपत्ति जब्त करने या न्यायिक कार्यवाही को स्थगित करना।
  - यह **सामान्य तौर पर बाह्य संप्रभु ऋण की पूर्ति के लिए समर्पित संसाधनों** से राहत प्रदान करके सभी संकटग्रस्त विकासशील देशों की समष्टिगत अर्थव्यवस्था को "राहत के अवसर" प्रदान करेगा।
  - यह तात्कालिक भविष्य में **स्वास्थ्य और सामाजिक व्यय में वृद्धि** के माध्यम से कोविड-19 के आघात के प्रति प्रभावी अनुक्रिया को भी सुविधाजनक बनाएगा और **संकट पश्चात् आर्थिक रिकवरी** को भी संभव बनाएगा।
- **चरण 2: ऋण राहत और पुनर्संरचित कार्यक्रम:** केस-बाय-केस आधार पर विकासशील देशों की दीर्घकालिक ऋण संधारणीयता का पुनर्मूल्यांकन करना।
- **चरण 3: "इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्री डेट अथॉरिटी (IDCDA)" की स्थापना:**
  - इसे **संबंधित राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन** के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
  - यह पहले 2 चरणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और भविष्य में **संप्रभु ऋण पुनर्संरचना का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे** की संस्थागत और नियामकीय नींव रखेगा।

3.4.4. ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 (Global Energy Review 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** ने **"ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020: ऊर्जा की वैश्विक मांग और CO2 उत्सर्जन पर कोविड-19 संकट के प्रभाव"** (Global Energy Review 2020: The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions) नामक रिपोर्ट जारी की है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA) • IEA, **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।** • IEA में **30** सदस्य राष्ट्र हैं। • IEA का सदस्य बनने से पूर्व किसी राष्ट्र को कई मानदंडों को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए, उसके पास कच्चे तेल या उत्पाद का भंडार विगत वर्ष के निवल आयात के 90 दिनों के बराबर होना चाहिए। • **भारत IEA का सहयोगी (associate) सदस्य है।**

इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ

- लगभग 60 प्रतिशत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 4.2 अरब लोग या **54 प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या** 28 अप्रैल 2020 तक **पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन के अधीन** थी और लगभग समस्त वैश्विक जनसंख्या किसी न किसी प्रकार के कंटेनमेंट उपायों से प्रभावित है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 में **ऊर्जा की मांग और ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन** आकलन प्रदान किया गया है।
- साथ ही, यह **सभी प्रमुख ईंधनों पर कोविड-19 महामारी के असाधारण प्रभाव** का लगभग वास्तविक समय में आउटलुक भी प्रदान करती है।

वर्ष 2020 में वैश्विक ऊर्जा और CO2 उत्सर्जन	• वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही में **ऊर्जा की वैश्विक मांग में 3.8 प्रतिशत तक गिरावट** आई है। भारत की ऊर्जा मांग में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है। • उत्सर्जन में भी कमी हुई है, जो वित्तीय संकट के कारण वर्ष **2009 की 0.4 GT की विगत रिकॉर्ड कमी से छह गुना अधिक है।**
तेल	• **तेल की औसत कीमतों में तीव्र गिरावट हुई है।** इतिहास में पहली बार **वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI)** की कीमत नकारात्मक स्तर पर पहुंच गयी क्योंकि अतिरिक्त भंडारण दुर्लभ हो गया।
विद्युत	• IEA के अनुसार वर्ष 2020 में विद्युत की वैश्विक मांग में 5 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान है। यह 1930 के दशक की महामंदी के पश्चात् से सबसे बड़ी गिरावट होगी।

3.5. म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष तरलता सुविधा (Special Liquidity Facility for Mutual Funds: SLF-MF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, म्यूचुअल फंड्स पर तरलता के दबाव को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स हेतु 50,000 करोड़ रुपये की **विशेष तरलता सुविधा** की घोषणा की है।

म्यूचुअल फंड (MF) बाजार में तनावग्रस्त तरलता के कारण • कोविड-19 संकट के कारण पूंजी बाजारों में अस्थिरता का उच्च स्तर। • कुछ ऋण MF के बंद होने से संबंधित मोचन दबाव (Redemption pressures) उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड ने हाल ही में कई योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। • यह तनाव कम रेटिंग वाली क्रेडिट प्रतिभूतियों के साथ-साथ अधिक प्रतिफल व अधिक जोखिम वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं में अधिक दृष्टिगत है।

रेपो: पुनर्खरीद समझौता (रेपो) वस्तुतः डीलरों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में अल्पकालिक उधारी का एक स्वरूप है। रेपो के मामले में, एक डीलर आम तौर पर ओवरनाइट (एकदिवसीय) आधार पर निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है और थोड़े अधिक मूल्य पर अगले दिन उन्हें वापस खरीदता है। **रेपो दर:** यह वह दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) फंड के अभाव की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।

VISION IAS

वाणिज्यिक पत्र (Commercial paper): कंपनियों द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक अरक्षित प्रोमिसरी नोट्स (वचन पत्र) को कमर्शियल पेपर्स कहते हैं।

ऋण-पत्र (Debentures): कंपनी द्वारा जारी की गई और परिसंपत्तियों के विरूद्ध सुरक्षित, निश्चित दर पर ब्याज देने वाली दीर्घकालिक प्रतिभूति को ऋण-पत्र कहते हैं।

म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष तरलता सुविधा (SLF-MF) की विशेषताएँ

- SLF-MF, 'ऑन टैप' (मांग के अनुसार प्राप्य) और 'ओपन-एंडेड' सुविधा है, जो कि **सभी LAF (तरलता समायोजन सुविधा) पात्र बैंकों** के लिए उपलब्ध होगी।
    - **ऑन टैप:** यह एक पद है जिसका उपयोग उस विशेषता को वर्णित करने के लिए किया जाता है जहां किसी विशेष अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार कुछ तरलता/फंड उपलब्ध होता है।
    - **ओपन-एंडेड:** इसका आशय है कि बैंकों को जो धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई होती है, उसकी सीमा पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं होता है।
    - **LAF पात्र बैंक:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक LAF नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- इसके अंतर्गत RBI द्वारा निश्चित रेपो दर पर **90 दिन की अवधि के लिए रेपो का परिचालन** किया जाएगा।
    - इसका अर्थ है कि **RBI द्वारा** 4.4 प्रतिशत की प्रचलित रेपो दर पर **बैंकों को धन उधार दिया जाएगा।**
- बैंकों द्वारा SLF-MF के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का **विशेष रूप से MF की निम्नलिखित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** उपयोग किया जाना चाहिए:
    - MF के लिए ऋण का विस्तार करना;
    - MF द्वारा रखे गए निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बंध-पत्र, कमर्शियल पेपर्स (CP), ऋणपत्रों और जमा प्रमाण पत्रों (CD) की **प्रतिभूति** के विरूद्ध रेपो की एकमुश्त खरीद आरंभ करना।
- **इस योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रदान किए गए नियामकीय लाभ:**
    - इसके तहत प्रदान की जाने वाली तरलता सहायता **परिपक्वता तक धारित (Held To Maturity: HTM)** के रूप में वर्गीकृत किए जाने की पात्र होगी, भले ही उस श्रेणी में कुल निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हों।
        - HTM प्रतिभूतियां, परिपक्वता तक धारित करने हेतु खरीदी जाती हैं। कंपनी का प्रबंधन ऐसे बंधपत्रों (bonds) में निवेश कर सकेगा जिनकी वे परिपक्वता तक धारित करने हेतु योजना बनाएँगे। परिणामस्वरूप, अल्पावधि में तरलीकृत की जाने वाली प्रतिभूतियों की तुलना में परिपक्वता धारित प्रतिभूतियों के लिए लेखांकन का तरीका भिन्न होगा।
        - HTM खंड का लाभ यह होगा कि बंधपत्र के मूल्य में अधिक गिरावट होने की स्थिति में बैंकों को मार्क-टू-मार्केट हानि का लेखांकन नहीं करना पड़ेगा।
    - इस सुविधा के अंतर्गत जोखिम की **विशाल जोखिम ढांचे (Large Exposure Framework: LEF)** के अंतर्गत गणना नहीं की जाएगी।
        - LEF वस्तुतः बैंकों के बड़े जोखिमों के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करता है, इससे उनकी सुभेद्यता में कमी आती है।
        - **विशाल जोखिम** को एकल प्रतिपक्ष (counterparty) के प्रति बैंक के सभी जोखिमों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उसकी टियर 1 पूंजी के 10 प्रतिशत के समतुल्य या उससे अधिक होती है।
    - इस योजना के अंतर्गत अधिग्रहित और HTM श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों का परिणाम अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र देयता नहीं होगा।
    - इसके अंतर्गत MFs को दी गई सहायता को **बैंकों की पूंजी बाजार जोखिम सीमा** से छूट प्रदान की जाएगी।
- **लाभ**
    - इससे दबाव में कमी होगी तथा म्यूचुअल फंड्स को छूट पर अपने वर्तमान कमर्शियल पेपर्स को बेचने और अपने निवल परिसंपत्ति मूल्य को प्रभावित करने के बजाय इस सुविधा का उपयोग करके मोचन का वित्तपोषण करने में सहायता मिलेगी।
    - इससे अल्पकालिक डेट फंड्स का निष्पादन स्थिर होगा तथा ऋण बाजार के संबंध में निवेशकों के विश्वास में सुधार आएगा।

बैंकों का निवेश पोर्टफोलियो

- बैंकों के लिए अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत करना आवश्यक है, यथा- **परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध** और **ट्रेडिंग के लिए धारित।**
- **ट्रेडिंग के लिए धारित** और **बिक्री के लिए उपलब्ध** श्रेणियों के अंतर्गत निवेश को बाजार में समय-समय पर **चिन्हित किया जाना चाहिए।**
    - *मार्क-टू-मार्केट* **किसी खाते के उचित मूल्य को संदर्भित** करता है, जो परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के आधार पर प्रदत्त अवधि में भिन्न हो सकता है। *मार्क-टू-मार्केट*, वित्तीय स्थिति का यथार्थवादी आकलन प्रदान करता है।

- **परिपक्वाता तक धारित श्रेणी** के अंतर्गत निवेश को स्थायी प्रतिभूतियों की भांति **बाजार में चिन्हित (marked to market) करने** की आवश्यकता नहीं होती है।

3.6. सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा (Public Utility Service)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से **औद्योगिक विवाद अधिनियम (Industrial Disputes Act: IDA), 1947** के अंतर्गत 'बैंकिंग उद्योग' को **छह माह** (21 अक्टूबर तक) के लिए 'सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा' घोषित किया है।

सार्वजनिक जनोपयोगी (Public Utility) सेवाओं की विशेषताएँ

- **अपरिहार्यता:** सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाएँ **समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं। इस प्रकार, इनकी आपूर्ति निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए।
- **एकाधिकार की स्थिति:** इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में **दोहराव से बचने के लिए** सार्वजनिक जनोपयोगी उपक्रमों को सामान्य तौर पर किसी विशेष क्षेत्र में एकाधिकार प्रदान किया जाता है।
- **अत्यधिक निवेश:** सार्वजनिक जनोपयोगी संस्थाओं, जैसे- रेलवे, विद्युत कंपनी आदि के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा इन सेवाओं की आपूर्ति के विस्तार से प्रति इकाई लागत में कमी आती है।
- **सार्वजनिक विनियमन:** सामान्य तौर पर नियमित एवं कुशल सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए संसद एवं राज्य विधायिका के विशेष कानून द्वारा कुछ विशेष शक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ सार्वजनिक जनोपयोगी उपक्रमों का निर्माण किया जाता है।
- **मूल्य निर्धारण नीतियां:** सामान्य तौर पर सरकार द्वारा इन सेवाओं की मूल्य निर्धारण नीति का पथप्रदर्शन किया जाता है। इन सेवाओं की दक्षता को बनाए रखने और उनका विस्तार करने के लिए कुछ लाभ अर्जन की भी अनुमति होती है।

सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं के बारे में

- सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं में संलग्न व्यावसायिक उपक्रम सामान्य जन के लिए दैनिक आवश्यकता की आवश्यक वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति करते हैं।
- **IDA की धारा 2(n)**, सरकार को अधिसूचना जारी करके छह माह की अवधि के लिए **IDA की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग** को **'सावर्जनिक जनोपयोगी सेवा'** घोषित करने का अधिकार प्रदान करती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि **सार्वजनिक आपातकाल या जनहित की ऐसी आवश्यकता या मांग उत्पन्न हो गई है।**
- **IDA निम्नलिखित उद्योगों को 'सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं' के रूप में परिभाषित करता है:**
  - **रेलवे सेवा** (या हवाई मार्ग से यात्रियों या वस्तुओं की ढुलाई के लिए कोई भी परिवहन सेवा);
  - किसी भी **प्रमुख पत्तन या गोदी** (डॉक्) के कामकाज से जुड़ी सेवा;
  - किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का वह खंड, जिसके कामकाज पर **प्रतिष्ठान** या उसमें नियोजित श्रमिकों **की सुरक्षा निर्भर करती है;**
  - **डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन** सेवा;
  - आम जन को **विद्युत, प्रकाश या जल** की आपूर्ति करने वाले उद्योग;
  - **सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता** की प्रणाली।
- **बैंकिंग को सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा घोषित करने का प्रभाव: IDA की धारा 22 (1)** में यह प्रावधान है कि **सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति** निम्नलिखित के अतिरिक्त अनुबंध का उल्लंघन करते हुए **हड़ताल नहीं करेगा:**
  - हड़ताल करने से पूर्व छह सप्ताह के भीतर नियोक्ता को हड़ताल की सूचना दिए बिना; या
  - इस प्रकार की सूचना देने के चौदह दिनों के भीतर; या
  - उपर्युक्त अनुसार ऐसी किसी भी सूचना में निर्दिष्ट हड़ताल की तिथि की समाप्ति से पूर्व; या
  - सुलह अधिकारी के समक्ष कोई भी सुलह कार्यवाही लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाही के समापन के सात दिन पश्चात्।
- सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं की **'तालाबंदी (lockout)'** के लिए भी ऐसी ही शर्तें लागू होती हैं।
- इस प्रकार, **बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा घोषित करने** का उद्देश्य कोविड-19 महामारी में **आर्थिक संकट के समय ग्राहकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना और बेहतर तरीके से उनकी सेवा करना है।**

- **तालाबंदी (Lockout):** IDA की धारा 2(L) के अनुसार तालाबंदी से तात्पर्य है- "नियोजन स्थान का अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना, या काम का निलंबन, या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से किसी भी संख्या का नियोजन जारी रखने से मना करना"।
- **हड़ताल (Strike):** IDA की धारा 2(q) के अनुसार हड़ताल से तात्पर्य है - "किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं, या नियोजित रहे हैं, कार्य करते रहने से या नियोजन ग्रहण करने से सम्मिलित रूप से मना करना या संगठित रीति से मना करना"।

3.7. औद्योगिक संबंध संहिता पर रिपोर्ट (Report on Industrial Relations Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019'** पर एक रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विगत वर्ष लोक सभा में **औद्योगिक संबंध संहिता, 2019** विधेयक पुरःस्थापित किया गया था।
- औद्योगिक संबंध संहिता को निम्नलिखित तीन केंद्रीय श्रम अधिनियमों, यथा- **ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946** और **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के संबंधित प्रावधानों के विलय, सरलीकरण एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने के बाद तैयार किया गया है।
    - यह संहिता श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों से समझौता किए बिना विद्यमान परिभाषा और प्राधिकरण संबंधी बहुलता का समाधान करेगी।
- यह संहिता श्रम कानूनों के प्रवर्तन में **पारदर्शिता** और **जवाबदेही** को बढ़ावा देगी जिसके परिणामस्वरूप बेहतर **औद्योगिक संबंध** तथा **उत्पादकता** में वृद्धि हो सकेगी।
    - इस संहिता से आगे और **अधिक उद्यमों की स्थापना** को बढ़ावा मिलेगा तथा इस प्रकार देश में अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

इस रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं

- **कार्यान्वयन तंत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करना: इसके अंतर्गत दोनों पक्षों के अधिकारों** को रेखांकित करने वाला और ILO अभिसमय एवं भारत के संविधान पर आधारित औद्योगिक संबंधों से संबंधित **सिद्धांतों** को सम्मिलित करने वाला पृथक और विशेष अध्याय होना चाहिए।
- **परिभाषाओं में परिवर्तन:** ताकि इनके अनुप्रयोग को सुगम बनाया जा सके, जैसे कि विशेषकर जब इसे एक से अधिक राज्यों में लागू किया जाता है तो **'उपयुक्त सरकार (Appropriate Government)'** पद के संबंध में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
    - **'घरेलू सेवाओं'** को उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **अनुचित कृत्रिम विभेदन: 'कर्मचारी'** और **'श्रमिक'** जैसे निर्दिष्ट पदों के संदर्भ में, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी श्रमिक और प्रत्येक श्रमिक कर्मचारी होता है।
    - इसने अपनी पिछली रिपोर्टों को संदर्भित किया जिनमें इस प्रकार के विभेदन के कारण अधिक **भ्रम** की स्थिति उत्पन्न हुई थी और सर्वत्र **एक समान शब्दावली** की मांग की गयी थी।
    - इसके अतिरिक्त, **योजना श्रमिक (Scheme workers), गिग श्रमिक** जैसे अन्य हितधारकों और **असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रक में संलग्न सभी श्रमिकों** को कर्मचारी/श्रमिक की अनुशंसित एकीकृत परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **निश्चित अवधि के रोजगार (Fixed Term Employment: FTE):** उन स्थितियों और क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए सुरक्षात्मक एवं अग्रसक्रिय प्रावधानों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है जहां नियोक्ता नामित प्राधिकरण से FTE प्राप्त कर सकते हैं।
- **असंगठित क्षेत्रक:** ऐसे श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र सहित स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रावधानों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट करने वाला एक पृथक अध्याय होना चाहिए।
- **शिकायत निवारण समिति:** तीन वर्ष की निर्धारित समयावधि को घटाकर अधिकतम छह माह किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सौहार्दपूर्ण समाधानों को प्रोत्साहित करने हेतु इसमें महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- **श्रमिक संघ: गुप्त मतदान** के माध्यम से श्रमिक संघ के प्रति श्रमिकों के समर्थन का सत्यापन किया जाना चाहिए।
- **हड़ताल:** हड़ताल करने से पूर्व सूचना की आवश्यकता केवल जल, विद्युत जैसी सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं के साथ-साथ सार्वजनिक शांति को भंग करने या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के मामलों में लागू की जाए।
- **छंटनी (Layoff):** प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिष्ठान के बंद होने पर नियोक्ता और कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक समझौते के पश्चात् श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान को 45 दिन से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
- **पुनर्कौशल फंड:** इन शुल्कों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और छंटनी किए गए श्रमिकों के कौशल उन्नयन/प्रशिक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ

- 'श्रमिक', 'उद्योग' और 'हड़ताल' की **परिभाषाओं** में संशोधन किया गया है।
    - **कर्मचारी और श्रमिक** की पृथक परिभाषा प्रदान की गई है।
    - **निश्चित अवधि के रोजगार** को परिभाषित किया गया है और श्रमिकों के वर्गीकरण में रोजगार की एक श्रेणी के रूप में सम्मिलित किया गया है।
- **श्रमिक संघ (Trade Unions):** श्रमिक संघ को एकमात्र **"सुलहकारी संघ (Negotiating Union)"** के रूप में मान्यता प्रदान की है, यदि

उसे किसी प्रतिष्ठान में मास्टर रोल के 75% या उससे अधिक श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है।
  - यदि उसे 75% श्रमिकों का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो वार्ता के लिए **सुलहकारी परिषद (negotiating council)** का गठन किया जाएगा।
- पंजीकृत श्रमिक संघों के **विवादों** को भी **औद्योगिक अधिकरण** के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।
- श्रमिक संघ या श्रमिक संघों के महासंघ को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: **केंद्र या राज्य श्रमिक संघों** के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
- **औद्योगिक अधिकरण:** कई निकायों के बजाय, केवल औद्योगिक अधिकरणों द्वारा अपीलों की सुनवाई करने के लिए न्यायनिर्णयन निकायों के रूप में कार्य किया जाएगा।
- **सूचना अवधि:** किसी भी प्रतिष्ठान में हड़तालों और तालाबंदी के लिए 14 दिनों की सूचना अवधि की आवश्यकता को सम्मिलित किया गया है।
- **छंटनी के लिए श्रमिकों की सीमा:** कारखानों, बागानों और खानों जैसे प्रतिष्ठानों के लिए 100 श्रमिकों की सीमा को निर्धारित किया गया है। लेकिन इस सीमा को कम या बढ़ाया जा सकता है।
  - ऐसे राज्यों में जहां राज्य संशोधनों द्वारा इस सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, उन संशोधनों को संहिता में परिरक्षित किया गया है।
- **पुनर्कौशल फंड:** इसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के योगदान से छंटनी किए गए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित किया गया है।

3.8. तेल की ऋणात्मक कीमतें (Negative Oil Prices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

22 अप्रैल 2020 को अमेरिकी तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अब तक की सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। 22 अप्रैल को न्यूयॉर्क में **वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI)** के क्रूड आयल की कीमतें गिर कर **"माइनस (minus)" 40.32 डॉलर प्रति बैरल** तक पहुँच गईं जो अभी तक ज्ञात कच्चे तेल की निम्नतम कीमत है।

वैश्विक तेल की कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं?

- किसी अन्य वस्तु की भांति कच्चे तेल की कीमतें **वैश्विक स्तर पर आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती हैं।**
- **सामान्यतः वृद्धिशील अर्थव्यवस्थाएं तेल की मांग को** सृजित करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। विशेष रूप से ये उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सामग्रियों के परिवहन करने के लिए **तेल की मांग उत्पन्न करते हैं।**
- वहीं दूसरी ओर, कच्चे तेल की **आपूर्ति** मुख्य रूप से कुछ देशों या **ओपेक (OPEC)** जैसे समूहों द्वारा नियंत्रित की जाती है।
- ऐतिहासिक रूप से, OPEC (सऊदी अरब के नेतृत्व में) द्वारा उत्पादक संघ के रूप में कार्य और अनुकूल स्तर पर कीमतों को निर्धारित किया जाता था। इसके द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि करके कीमतों में कमी और उत्पादन में कटौती करके कीमतों में वृद्धि की जा सकती है।
- हाल के दिनों में OPEC द्वारा **OPEC+ के रूप में 10 अन्य देशों (रूस सहित)** के साथ मिलकर वैश्विक कीमतें और आपूर्ति निर्धारित करने के लिए कार्य किया जा रहा है।
- इस प्रकार, तेल की कीमतों की स्थिरता और इसका निर्बाध परिचालन निम्नलिखित पर निर्भर करता है-
  - **तेल की वैश्विक मांग की पूर्वानुमेयता (Predictability)।**
  - आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु परस्पर मिलकर कार्य **संचालन करने की तेल उत्पादक देशों की क्षमता।**

पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC)

- ओपेक एक स्थायी व अंतर-सरकारी संगठन है। वर्ष 1960 के **बगदाद सम्मेलन** में इसकी स्थापना की गयी थी।
- ओपेक में ईरान, इराक और वेनेजुएला सहित **13 सदस्य** शामिल हैं।
- ओपेक सदस्य देशों के पास विश्व का लगभग 82% प्रमाणित तेल भंडार विद्यमान है।
- वर्ष 2018 में, **कच्चे तेल के कुल वैश्विक उत्पादन में ओपेक सदस्य देशों की हिस्सेदारी 41%** थी।
- ओपेक और गैर-ओपेक तेल उत्पादक राष्ट्रों (रूस, कजाकिस्तान और मैक्सिको सहित 10 अन्य देश) ने कीमतों के स्थिरीकरण के लिए संयुक्त रूप से उत्पादन में कटौती करने के लिए वर्ष 2016 में एक समझौते को औपचारिक रूप प्रदान किया था। इस समूह को अनौपचारिक रूप से **'OPEC+' या 'वियना समूह'** के रूप में जाना जाता है।

ऋणात्मक तेल कीमतों के लिए उत्तरदायी कारक?

- ऋणात्मक कीमतों के लिए आपूर्ति और मांग दोनों कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

VISION IAS

- **आपूर्ति कारक:** रूस और सऊदी अरब के मध्य OPEC+ समझौता समाप्त होने से तेल के उत्पादन में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और इसके फलस्वरूप कीमतों में गिरावट हुई।
- **मांग कारक: कोविड-19 के कारण यात्रा में अत्यधिक कमी होने तथा वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन** के कारण तेल की मांग में अत्यधिक गिरावट हुई है, परिणामस्वरूप कीमतों में और अधिक गिरावट हुई है।

- मांग में अत्यधिक गिरावट के साथ तेल की निरंतर आपूर्ति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें **तेल के भंडारण के लिए विश्व भर में स्थान की कमी हो गई है।** सामान्य तौर पर तेल के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली रेलगाड़ियों और जहाजों का वर्तमान में केवल तेल के भंडारण के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह ऐतिहासिक घटना निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई है:
    - अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) के क्रूड आयल के लिए **मई माह के वायदा अनुबंध की समाप्ति** से कीमतों में गिरावट आरंभ हो गई।
    - प्रत्येक अनुबंध के तहत एक महीने तक व्यापार किया जाता है और **मई माह के लिए अनुबंध** 23 अप्रैल 2020 को समाप्त होने गया था।
    - मई माह के अनुबंध से संबंधित निवेशक **तेल की अधिक खरीद** और परिणामस्वरूप भंडारण लागत में वृद्धि नहीं करना चाहता थे।
    - वहीं दूसरी ओर, तेल उत्पादक भी दूसरा विकल्प (अर्थात् **उत्पादन बंद करना**) चुनने के बजाय अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों पर अपने तेल का विक्रय करना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि यदि वे उत्पादन बंद करने के विकल्प का चयन करते तो आगे चलकर जब उन्हें पुनः उत्पादन करना होता तो इस पर लगने वाला खर्च उनके मई माह की कम कीमतों पर होने वाली बिक्री से जनित हानि की तुलना में अत्यधिक **महंगा** सिद्ध होता।
    - अंततः, यह दोनों पक्षों (वितरण अनुबंध धारकों और तेल उत्पादकों) के लिए लाभप्रद था कि तेल उत्पादक 40 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से तेल का भुगतान करें ताकि उन्हें इसे भंडारित करने से छुटकारा मिले, क्योंकि यह उत्पादन बंद होने के उपरांत पुनः उत्पादन करने (उत्पादकों द्वारा) की प्रक्रिया की तुलना में से कम महंगा विकल्प था।

वायदा अनुबंध (futures contract) क्या होता है?

- वायदा अनुबंध वस्तुतः **भविष्य में किसी निश्चित तिथि** पर मानकीकृत गुणवत्ता की कोई **विशिष्ट वस्तु खरीदने या बेचने** का एक मानक अनुबंध होता है।
- उदाहरण के लिए, यदि तेल उत्पादक भविष्य में तेल को एक निश्चित कीमत पर विक्रय करना चाहते हैं, तो वे वर्तमान तिथि पर वायदा अनुबंध बेचकर वांछित कीमतों को निर्धारित (लॉक) कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि उपभोक्ताओं को भविष्य में कच्चा तेल खरीदने की आवश्यकता होती है, तो वे एक निश्चित कीमत की गारंटी प्रदान कर सकते हैं जिसका वे वायदा अनुबंध खरीदकर भविष्य की निर्धारित तिथि पर भुगतान करेंगे।

भारत की कच्चे तेल के संदर्भ में स्थिति

- भारत **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा तेल परिशोधक** (refiner) और **परिशोधित (refined) उत्पादों का शुद्ध निर्यातक** है।
- 2020 के दशक के मध्य तक भारत में तेल उपभोग की वृद्धि दर चीन से अधिक होने और **भारत की ऊर्जा मांग** वर्ष 2040 तक **दोगुनी** होने की संभावना है।
- भारत कच्चे तेल और LNG के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। **कच्चे तेल के लिए आयात निर्भरता 80% से अधिक** और द्रवित प्राकृतिक गैस (LNG) के लिए 45.3% से अधिक है।
- भारत की 70 प्रतिशत आयातित ऊर्जा आवश्यकता **पश्चिम एशिया** से पूर्ण होती है और केवल **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)** की भारत के **तेल आयात** में **34** प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- भारत को तेल निर्यात करने वाले शीर्ष 5 कच्चे तेल निर्यातक देश (आयात बिल के अनुसार) हैं: **इराक, सऊदी अरब, ईरान, नाइजीरिया** और **संयुक्त अरब अमीरात** (निर्यात की मात्रा के घटते क्रम में)।

भारत में कच्चे तेल का मूल्य निर्धारण तंत्र

- प्रारंभ में कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण के लिए **APM (प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र)** स्थापित किया गया था। APM द्वारा **पूल्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म** का अनुपालन किया जाता था जिसके अंतर्गत प्रशासित मूल्य प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के भारित औसत और उत्पादन की घरेलू लागत का उपयोग किया जाता था।
- **वर्ष 2002 से, APM को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया।**

VISION IAS

- APM की समाप्ति के साथ ही स्वदेशी कच्चे तेल की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबद्ध कर दिया गया, जिसका तात्पर्य है कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबद्ध होंगीं।
- APM की समाप्ति के पश्चात्, भारत सरकार द्वारा क्रमशः वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में **पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त** कर दिया गया।
- लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्रत्यक्षत: स्थानीय कीमतों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं क्योंकि रिटेल स्टेशन पर प्राप्त होने वाले ईंधन की कीमत के अंतर्गत **केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क और कर, राज्य सरकार के कर और परिचालन लागतें, खुदरा विक्रेता का लाभ तथा सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी** जैसी अतिरिक्त लागतें सम्मिलित होती हैं।
- उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाली अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा कंपनियों को निम्न दरों पर ईंधन उत्पादों की बिक्री से होने वाली किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। इन हानियों को **अंडर-रिकवरी** कहा जाता है।

3.9. WTO का शांति खंड (WTO Peace Clause)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने धान के कृषकों को प्रदान की जा सकने वाली सहायता की उच्चतम सीमा पार करने के लिए **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'शांति खंड' (पीस क्लॉज) का उपयोग किया** है। इस प्रकार भारत इस खंड का उपयोग करने वाला **प्रथम** देश बन गया है।

WTO के अंतर्गत सब्सिडियों के प्रकार

- **ग्रीन बॉक्स:** यह एक घरेलू समर्थनकारी उपाय है जिसके परिणामस्वरूप व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं होती है या केवल न्यूनतम विकृति उत्पन्न होती है।
  - इसलिए, **कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture: AoA)** के अंतर्गत इस हेतु **किसी प्रकार की कटौती प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं** हैं।
  - इनका ऐसे कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वयन किया जाता है जिनका उद्देश्य उत्पादन और कीमतों के वर्तमान स्तर को प्रभावित किए बिना किसानों को आय सहायता प्रदान करना होता है।
  - इनमें निम्नलिखित दो सहायता समूह सम्मिलित हैं:
    - **सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम:** उदाहरण के लिए- अनुसंधान, प्रशिक्षण, विपणन, संवर्धन, अवसंरचना, घरेलू खाद्य सहायता या सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा स्टॉक आदि।
    - **उत्पादकों को प्रत्यक्ष भुगतान:** जो पूर्णतः उत्पादन से असंबद्ध होते हैं, जैसे- आय की गारंटी और सुरक्षा कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आदि।
- **ब्लू बॉक्स:** ये कृषि उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से संबंधित सब्सिडियां होती हैं।
  - ब्लू बॉक्स सब्सिडियों का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके या किसानों को अपनी भूमि के एक भाग को पृथक रखने को अनिवार्य बनाकर **उत्पादन को सीमित करना** होता है।
  - इसमें प्रत्यक्षतः भूमि क्षेत्र (acreage) या पशुओं की संख्या से संबंधित भुगतान सम्मिलित होता है।
  - ब्लू बॉक्स उपाय **कटौती प्रतिबद्धताओं से मुक्त होता है।**
- **एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ़ सपोर्ट (AMS) या अंबर बॉक्स:** इसे व्यापार में विकृति उत्पन्न करने वाले घरेलू सहायता उपायों के रूप में जाना जाता है।
  - इन सहायताओं पर विभिन्न सीमाएं आरोपित की गई हैं। **"डी मिनिमिस"** (de minimis) अर्थात् न्यूनतम सहायता की अनुमति है।
  - इसके दो भाग हैं:
    - **उत्पाद-विशिष्ट सब्सिडी:** यह प्रत्येक कृषि जिंस के लिए प्रदान की जाने वाली कुल सहायता होती है, **जैसे- न्यूनतम समर्थन मूल्य।**
    - **गैर-उत्पाद विशिष्ट सब्सिडी:** समग्र रूप से कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली कुल सहायता अर्थात् उर्वरक, विद्युत, सिंचाई, बीज, ऋण आदि जैसे आदानों पर सब्सिडी।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने WTO को सूचित किया है कि वर्ष 2018-19 में इसके धान उत्पादन का मूल्य 43.67 अरब डॉलर था और इसने 5 अरब डॉलर मूल्य की सब्सिडी प्रदान की है, जो **उत्पादन मूल्य का 11.46%** थी।
- हालांकि, WTO के **कृषि पर समझौते (AoA)** के अंतर्गत **विकासशील देशों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10% निर्धारित की गई है, जो एक डी-मिनिमिस स्तर** है।
  - डी-मिनिमिस स्तर, **घरेलू सहायता की वह न्यूनतम मात्रा है** जिसकी अनुमति प्रदान की गयी है, भले ही इससे व्यापार विकृत हो।

VISION IAS

- इसलिए, **भारत ने WTO के 'पीस क्लॉज' का उपयोग किया** और तर्क दिया है कि:
  - सरकार द्वारा सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से वाणिज्यिक आधार पर निर्यात नहीं किया जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉक को भारत की निर्धन और सुभेद्य जनसंख्या की घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिग्रहित और जारी किया जाता है, न कि वाणिज्यिक व्यापार या दूसरों की खाद्य सुरक्षा को बाधित करने हेतु।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1994 में WTO के उरुग्वे राउंड के पश्चात् AoA अस्तित्व में आया था जिसने घरेलू सहायता प्रतिबद्धताओं पर मार्गदर्शन और घरेलू सहायता पर सामान्य नियम प्रस्तावित किए हैं।
  - **इस समझौते के अंतर्गत, व्यापार को विकृत करने वाले सहायता उपायों को सीमित करने हेतु,** सदस्यों ने **एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ़ सपोर्ट (AMS)** या **अंबर बॉक्स** के माध्यम से सभी घरेलू सहायता उपायों का परिमाण निर्धारित और उत्तरोत्तर इनमें कमी करके अपनी नीतियों को अनुकूल करने पर सहमति व्यक्त की है।
    - इसके अतिरिक्त, यह सब्सिडी विकासशील देशों के लिए **10%** और विकसित देशों के लिए **5%** के डी-मिनिमिस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  - साथ ही, AoA का एक महत्वपूर्ण प्रावधान **अनुच्छेद 13** के अंतर्गत यथोचित प्रतिबंध (Due Restraint) या **'पीस क्लॉज'** है, जो AoA प्रावधानों के अनुसार घरेलू सहायता उपाय प्रदान करने वाले देशों को WTO में चुनौती दिए जाने से अस्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस पीस क्लॉज को नौ वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी बनाया गया था और यह वर्ष 2003 में समाप्त हो गया।
- हालांकि, भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों के समूह **G-33** ने खाद्य सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की पूर्ति के समक्ष विद्यमान बाधाओं के कारण **वर्ष 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 4 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से पीस क्लॉज (अंतरिम शांति खंड) को पुन: प्रभावी किया।**
- **दिसंबर 2015 में आयोजित WTO के नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से पुन: पुष्टि की गई** कि किसी स्थायी समाधान पर सहमत होने और अपनाए जाने तक अंतरिम पीस क्लॉज लागू रहेगा।

पीस क्लॉज

- **पीस क्लॉज** सब्सिडी की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने पर **विकासशील देश** के खाद्य खरीद कार्यक्रमों की **WTO** में सदस्य देशों द्वारा चुनौती दिए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों (Subsidies and Countervailing Measures) पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत **ग्रीन बॉक्स घरेलू समर्थन उपाय** प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duty) कार्रवाई या अन्य सब्सिडी कार्रवाई के अधीन नहीं होंगे।
  - हालांकि, **AoA** के प्रावधानों के अनुरूप अन्य घरेलू सहायता उपाय प्रतिकारी शुल्क कार्रवाइयों के अधीन हो सकते हैं।

इसलिए, **वर्तमान 'पीस क्लॉज' के अंतर्गत, विकासशील देश AoA के तहत किसी भी विवाद को उत्पन्न किए बिना किसानों को WTO द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं।**

3.10. विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि वह अतिरिक्त 500 बिलियन के **विशेष आहरण अधिकार (SDR)** जारी करे। हालांकि, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को निरुद्ध कर दिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये नए SDR आबंटन, IMF के सदस्यों को **बिना किसी शर्त के नवीन विदेशी मुद्रा भंडार** प्रदान करते।
  - इसका उद्देश्य निम्न आय वाले देशों को कोरोनोवायरस के प्रसार के आलोक में **स्वास्थ्य एवं अन्य राजकोषीय व्यय को बढ़ावा देने में सहायता करना** था। SDR आबंटन से देशों की **व्यय शक्ति में वृद्धि होने** की अपेक्षा थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भारत ने इस प्रस्ताव को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर निरुद्ध कर दिया:
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार,** चूंकि SDR को IMF में सदस्यों के कोटे (शेयर) के अनुपात में वितरित किया जाता है। इसलिए, नवीन SDR आबंटन के माध्यम से सृजित फंड का 70% हिस्सा **G-20** देशों को प्राप्त होता, जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि **निम्न आय वाले देशों को इसका मात्र 3% अंश ही प्राप्त होता।**
  - **भारत के अनुसार,** तरलता की कमी एवं नकदी की निकासी के वर्तमान संदर्भ में SDR आबंटन की प्रभावकारिता अनिश्चित है।

- यदि देशों द्वारा "बाह्य (extraneous) या अप्रासंगिक" उद्देश्यों के लिए इस फंड का उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार की अत्यधिक तरलता प्रवाह (liquidity injection) के संभावित दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

विशेष आहरण अधिकार (SDR) के बारे में

- SDR एक **अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि है, जिसे IMF ने वर्ष 1969** में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के अनुपूरक के रूप में सृजित किया था।
    - अब तक 204.2 बिलियन SDRs (लगभग 281 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) सदस्यों को आबंटित किए जा चुके हैं।
- SDR के मूल्य की गणना **5 प्रमुख मुद्राओं की भारित बास्केट** के आधार पर की जाती है, जिसमें **अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चाइनीज रॅन्मिन्बी** एवं **ब्रिटिश पाउंड** सम्मिलित हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बास्केट विश्व की व्यापार एवं वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्षिक महत्व को प्रदर्शित करे, SDR बास्केट की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष में (या आवश्यकता पड़ने पर इससे पूर्व भी) की जाती है।
- तकनीकी रूप से, **SDR न तो एक मुद्रा है और न ही स्वयं में IMF पर दावा है।** इसके बजाय, यह IMF के सदस्यों की मुद्राओं के सापेक्ष संभावित दावा होता है।
- SDR वस्तुतः **मानक आरक्षित मुद्राओं** को अनुपूरित करके अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाता है।
- SDR, IMF तथा कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे- अफ्रीकी विकास बैंक (AfDB), बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) आदि की **यूनिट ऑफ़ अकाउंट** के रूप में कार्य करता है।
- SDR को केवल IMF के सदस्य देशों द्वारा धारित किया जा सकता है तथा व्यक्तियों, निवेश कंपनियों या निगमों द्वारा इसका धारण नहीं किया जा सकता है।
- SDR का आबंटन, सदस्य देशों के **अंतर्राष्ट्रीय भंडार को बढ़ाने की एक निम्न लागत वाली विधि** है, ताकि सदस्य अत्यधिक महंगे घरेलू या बाह्य ऋण पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें।
- IMF द्वारा SDR का उपयोग **आपातकालीन ऋण प्रदान करने** के लिए किया जाता है और इसका उपयोग विकासशील देशों द्वारा उच्च-ब्याज दरों पर उधार लिए बिना या चालू खाता अधिशेष का उपयोग किए बिना (जो आर्थिक संवृद्धि को क्षति पहुंचा सकता है) अपने मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के लिए किया जाता है।

SDR का उपयोग कैसे किया जाता है?

- IMF के **आर्टिकल्स ऑफ़ अग्रीमेंट (समझौते के अनुच्छेदों)** के अंतर्गत, कुछ विशिष्ट शर्तों के पूरा होने पर **IMF अपने सदस्यों के मध्य उनके कोटा (इसे सामान्य आबंटन के रूप में जाना जाता है) के अनुपात में SDRs का आबंटन कर सकता है।**
- इसके आबंटन के पश्चात् **सदस्य अपने SDR को अपने अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि के हिस्से के रूप में रख सकते हैं** या अपने SDR के कुछ हिस्से को या संपूर्ण SDR को बेच सकते हैं।
- सदस्य अपने तथा निर्धारित धारकों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाने योग्य मुद्राओं के लिए **SDR का आदान-प्रदान** कर सकते हैं; इस प्रकार के विनिमय स्वैच्छिक व्यवस्था या फंड के तहत निर्दिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत हो सकते हैं।
- IMF के सदस्य **IMF से संबंधित परिचालन एवं लेन-देन** में SDR का उपयोग कर सकते हैं, जैसे- ऋणों पर ब्याज के भुगतान तथा ऋणों के पुनर्भुगतान या भविष्य में कोटा वृद्धि करने हेतु।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund: IMF)

- यह 189 देशों का एक संगठन है जो **वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने,** उच्च रोजगार एवं संधारणीय आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा विश्व भर में निर्धनता को कम करने के लिए कार्य कर रहा है।
    - IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली {विनिमय दरों एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जो देशों (तथा उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है} की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
    - वर्ष 2012 में वैश्विक स्थिरता पर आधारित सभी वृहत् आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रक के मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए इसके अधिदेश को अपडेट (अद्यतित) किया गया था।
- वर्ष 1944 के **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन** में IMF का गठन हुआ था तथा वर्ष 1945 में यह परिचालन में आया।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डी.सी.।

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी के रूप में कार्य करता है। (संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो वार्ता द्वारा संपन्न समझौतों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने कार्य को समन्वित करते हैं।)

SDR के अतिरिक्त IMF द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य वित्तीय उपाय

- **त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility: RCF):** इसके तहत भुगतान संतुलन की अविलंब समस्या का सामना कर रहे निम्न आय वाले देशों (LIC) को सीमित शर्त के साथ शीघ्र रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
    - इसे **पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (PRGT)** के अंतर्गत सृजित किया गया है।
    - यह किसी देश की **निर्धनता निवारण तथा संवृद्धि** उद्देश्यों पर बल देता है।
- **त्वरित वित्तपोषण उपकरण (Rapid Financing Instrument: RFI):** इसके तहत वस्तुओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव, प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष एवं संघर्ष पश्चात् की स्थितियों तथा सुभेधता (fragility) से उत्पन्न आपात स्थितियों सहित तत्काल आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- **आपात नियंत्रण और राहत न्यास (Catastrophe Containment and Relief Trust: CCRT):** यह IMF को **प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा या सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं** से प्रभावित सबसे निर्धन एवं सुभेद्य देशों को ऋण सहायता के लिए अनुदान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है।
    - इसे **फरवरी 2015 में इबोला के प्रकोप के दौरान स्थापित किया गया था** तथा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया स्वरूप संशोधित किया गया था।

3.11. लघु वनोपज (Minor Forest Produce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के कारण देश में विद्यमान "असाधारण एवं अति कठिन" परिस्थितियों के आलोक में जनजातीय संग्राहकों को अत्यावश्यक समर्थन प्रदान करते हुए **लघु वनोपज** के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में संशोधन** किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन **49 उत्पादों** के MSP में वृद्धि की है, जो वनों से जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
- इसका कार्यान्वयन **"मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र"** नामक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत MFP एकत्र करने वाले जनजातीय लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया है।
- इस योजना की नोडल एजेंसी **ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)** ने जनजातीय लोगों के लिए प्रयोज्य आय (disposable income) सुनिश्चित करने के लिए इस वृद्धि की सिफारिश की थी।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गठित **मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ** (Pricing Cell) द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार MFPs के लिए MSP को संशोधित किया जाता है।

ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)

- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है।
- इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र वनोपजों के विपणन द्वारा उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी।

मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र:

- वर्ष 2014 में आरंभ की गई इस योजना को लघु वनोपज संग्राहकों की **आजीविका में सुधार के लिए** उनके द्वारा संग्रहित वनोपजों का उचित मूल्य प्रदान करने तथा लघु वनोपज की संधारणीय कटाई सुनिश्चित करने हेतु **एक सामाजिक सुरक्षा जाल** के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
- उस समय इन जनजातीय लोगों द्वारा गांव के बाजारों में लघु वनोपज का विक्रय किया जाता था।
- यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है, तो राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इन वनोपजों की खरीद की जाती है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है।

लघु वनोपज (Minor Forest Produce: MFP) क्या है?

- MFP को **"अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** {जिसे लोकप्रिय रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) के रूप में जाना जाता है} के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

- MFPs में वनस्पति मूल के सभी गैर-काष्ठ वनोपज सम्मिलित हैं, जैसे- बांस, बेंत (canes), चारा, पत्तियां, गोंद, मोम, डाई, रेजिन तथा कई प्रकार के खाद्य पदार्थ, यथा- नट्स, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि।
- MFP की परिभाषा में बांस एवं बेंत सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत बांस व बेंत को **"वृक्ष"** के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें अब संशोधन कर इन्हें **"वृक्ष"** की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है।
- **पेसा, 1996 {पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996} एवं FRA, 2006** के तहत MFP का स्वामित्व वनवासियों को प्रदान किया गया है।
- FRA व्यक्तिगत वन-निवासियों को वनोपजों को प्राप्त करने और बेचने का वनाधिकार प्रदान करता है, जहां वे पारंपरिक रूप से निवासी रहें हैं।

भारत में MFP का महत्व

- वनों में निवास करने वाले लगभग 100 मिलियन लोग खाद्य, आश्रय, औषधि एवं नकद आय के लिए वनोपजों पर निर्भर हैं। {वन अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट (वर्ष 2011) के अनुसार}
- जनजातीय लोग अपनी **वार्षिक आय का 20 से 40 प्रतिशत लघु वनोपजों** से प्राप्त करते हैं। ज्ञातव्य है कि इसके लिए इन्हें अपने जीवन का अत्यधिक समय व्यतीत करना पड़ता है।
- मई 2011 की **हक कमेटी** की एक रिपोर्ट के अनुसार, 14 प्रमुख MFPs (तेंदू एवं बांस सहित) का खरीद मूल्य 1,900 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- इन गतिविधियों का **महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण** से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि अधिकांश लघु वनोपजों को महिलाओं द्वारा संग्रहित व प्रयुक्त/बेचा जाता है।

3.12. जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक **"सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट" (CSE)** द्वारा **"जिला खनिज फाउंडेशन: कार्यान्वयन की स्थिति एवं उभरती सर्वोत्तम प्रथाएँ"** {District Mineral Foundation (DMF): Implementation Status and Emerging Best Practices} नामक दस्तावेज जारी किया गया।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)

- **यह राज्य सरकारों द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक स्वायत्त न्यास (ट्रस्ट) है**, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है:
    - **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र,** जहां खनन से संबंधित कार्य, जैसे- खुदाई, खनन आदि संचालित हैं।
    - **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र,** जैसे कि वे क्षेत्र जहां खनन से संबंधित गतिविधियों के कारण आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभावों से स्थानीय जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इसे **"खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDRA), 2015"** के माध्यम से अधिदेशित किया गया है तथा इसका वित्तपोषण खनिकों के योगदान के माध्यम से किया जाता है।
- DMF कोष गैर-व्यपगत होता है तथा इसका तत्काल व दीर्घकालिक निवेश, दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे राज्य योजना के लिए **अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (extra-budgetary resources)** के रूप में माना जाता है।

इस रिपोर्ट/दस्तावेज के प्रमुख निष्कर्ष

- जनवरी 2020 तक देश भर के DMF में **कुल संचयी संग्रह (total cumulative accrual)** राशि लगभग 36,000 करोड़ रुपये थी।
    - **गैर-कोयला प्रमुख खनिज खनन,** जैसे- लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर, बहुमूल्य धातु आदि का DMF संग्रह (accrual) में **लगभग 48 प्रतिशत की हिस्सेदारी** के साथ सबसे बड़ा योगदान है।
    - DMF संग्रह के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में से तीन नामतः **झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना** कोयला खनन राज्य हैं।
    - इन वर्षों में DMF संग्रह में गौण खनिजों के योगदान में भी वृद्धि हुई है।
- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में पेयजल एकमात्र ऐसा क्षेत्रक है, जिसके लिए सभी राज्यों में आबंटन किया गया है।
    - अधिकांश जिलों में आय सृजन के लिए निवेश, विशेष रूप से संधारणीय आजीविका के लिए, अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही बना हुआ है।
    - **क्योंझर** जैसे जिले जिनमें कुपोषण की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है, वे अपने DMF कोष के कुछ भाग का उपयोग तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशु-गृह (crèches) की स्थापना करने हेतु कर रहे हैं।

DMF के प्रभावी उपयोग संबंधी मुद्दे

- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** आमजन के लिए कोष निर्धारित होने के बावजूद, निर्णय लेने की प्रक्रिया में खनन प्रभावित लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है।
    - इस रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधियों, जैसे- संसद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा जिला अधिकारियों का वर्चस्व बना हुआ है।
- राज्यों के नियमों एवं प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में स्पष्ट अधिदेश होने के बावजूद, **विस्थापित लोगों** (जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई है) और जिन लोगों को किसी विशेष एवं प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता हैं, उन्हें **सम्मिलित करने के लिए कोई पहचान नहीं की गई है।**
- **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान मनमाने तरीके से किया जाना:** खनन प्रभावित क्षेत्रों के सीमांकन एवं आलेखन के लिए किसी प्रकार का उचित मानचित्रण नहीं किया गया है।
- **खराब नियोजन:** ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के राज्य नियमों में मध्यम व दीर्घकालिक नियोजन संबंधी अधिदेश के बावजूद, किसी भी जिले ने एक यथार्थ योजना नहीं बनाई है।
- **लेखा परीक्षण (Auditing):** वित्तीय लेखा परीक्षण के अतिरिक्त कोई अन्य जांच, जैसे- DMF का सोशल ऑडिट या निष्पादन ऑडिट नहीं किया जाता है।
- **निवेश मुख्य रूप से भौतिक अवसंरचना विकास पर केंद्रित है** और मानव विकास संकेतकों में सुधार पर कम ध्यान दिया गया है।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण का अभाव:** DMF निकायों की संरचना, बजट, अनुमोदन एवं कार्यों की प्रगति आदि से संबंधित स्पष्ट जानकारी प्रदान करने हेतु वेबसाइट हैं, परंतु कई राज्यों एवं जिलों में वे निष्क्रिय बनी हुई हैं।

आगे की राह

- **ग्राम सभा:** DMF का निर्णय लेने वाला निकाय खनन प्रभावित लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ समावेशी होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) में प्रतिनिधित्व कर रहे ग्राम सभा के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों रूप से खनन-प्रभावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निरूपण किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या इसी तरह के संस्थानों/विशेषज्ञ एजेंसियों से सहयोग प्राप्त की जा सकती है।
- **आवंटन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि DMF आवंटन/अनुमोदन का कम से कम 60 प्रतिशत राज्य DMF नियमों में निर्धारित 'उच्च प्राथमिकता' के मुद्दों एवं साथ ही, 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित' क्षेत्रों के लिए किया जाए।
- **शिकायत निवारण:** प्रत्येक DMF ट्रस्ट के पास एक **सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र मौजूद** होना चाहिए।
- प्रत्येक खनन जिले में **योजना एवं समन्वय के लिए एक समर्पित DMF कार्यालय** स्थापित किया जाना चाहिए। PMKKKY संबंधी दिशा-निर्देशों में पहले से ही यह निर्धारित किया गया है कि DMF फंड का 5 प्रतिशत इस तरह के व्यय के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रत्येक DMF ट्रस्ट द्वारा **वार्षिक रिपोर्ट** तैयार की जानी चाहिए तथा इसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- इसे संबंधित जिलों के जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) द्वारा संग्रहित धन का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा।
- सभी DMFs को संबंधित गांवों की ग्राम सभाओं के परामर्श से सहभागिता के आधार पर सभी प्रमुख निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया है।
- **उद्देश्य:**
    - खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जो राज्य एवं केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाओं के पूरक होंगे;
    - खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना; तथा
    - खनन क्षेत्र में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक आजीविका सुनिश्चित करना।
- **निधियों के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों** के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
    - PMKKKY फंड का लगभग 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए, जिनमें पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, कौशल विकास और स्वच्छता सम्मिलित हैं।
    - PMKKKY का लगभग 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जाना चाहिए, जिनमें भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं जलग्रहण विकास तथा खनन जिलों में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय भी सम्मिलित हैं।
- **"प्रदूषणकर्ताओं द्वारा भुगतान (Polluter Pays) सिद्धांत"** के अंतर्गत की गई गतिविधियों को PMKKKY के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जा सकता है।

VISION IAS

3.13. प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 {Draft Electricity (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हितधारकों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करने हेतु **'प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020'** को सार्वजनिक किया गया।

इस विधेयक की आवश्यकता

इस विधेयक के माध्यम से **विद्युत अधिनियम, 2003** में संशोधन किया जाएगा तथा **विद्युत क्षेत्रक एवं अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों** का समाधान किया जाएगा:

- **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) की खराब वित्तीय स्थिति:** विनियामक आयोगों ने प्रशुल्कों का परिकलन करते समय प्राय: भविष्य के लिए राजस्व प्राप्ति को विलम्बित किया है। इसके परिणामस्वरूप विवेकसम्मत लागत (prudent cost) की निम्न प्राप्ति के कारण DISCOM की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई हैं।
- **प्रशुल्क अपनाने में विलंब:** विनियामक आयोग **'केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क नीति'** के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए गए प्रशुल्कों को स्वीकार करते हैं। परन्तु, इस प्रक्रिया के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
    - इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम विनियामक आयोगों के लिए सब्सिडियां प्राप्त होने के पश्चात् प्रशुल्क निर्धारित करना अनिवार्य करता है। इस प्रकार प्रशुल्क के अंतर्गत सब्सिडी घटक शामिल होता है और लागत को प्रदर्शित नहीं किया जाता है।
- **अनुबंधों के प्रदर्शन की प्रवर्तनीयता:** वर्ष 2003 का अधिनियम विद्युत आपूर्ति और खरीद के लिए अनुबंधों को मान्यता प्रदान करता है, परन्तु विशेष रूप से अनुबंध के गैर-प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं करता है।
    - **अनुबंधों के गैर-प्रदर्शन** से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है, निवेश निर्णय बाधित हुए हैं और व्यवसाय करने की सुगमता पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है।
- **संबंधित निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के चयन के लिए कई समितियों की विद्यमानता:** इसके लिए प्रत्येक रिक्ति हेतु एक पृथक चयन समिति के गठन की आवश्यकता होती है, जिससे नियुक्तियों में अत्यधिक विलंब होता है।
- **गैर-कार्यात्मक राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC):** इसका कारण रिक्तियाँ और राज्यों द्वारा नियुक्तियों में विलंब करना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के बारे में

- इसे विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित क़ानूनों का समेकन करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में विद्युत के प्रदाय, विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने, पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने आदि के अनुकूल प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इसने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों तथा अपीलीय अधिकरण जैसे निकायों का भी गठन किया।

प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के प्रमुख प्रावधान

- **नए अनुबंध विवाद समाधान प्राधिकरण का गठन:** उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रमुख प्राधिकरण के रूप में **विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (Electricity Contract Enforcement Authority: ECEA)** की स्थापना की जाएगी, जिसे उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के मध्य विद्युत की खरीद, बिक्री या पारेषण संबंधी अनुबंधों से संबंधित मामलों पर न्यायनिर्णयन करने का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
    - इसके आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई **विद्युत अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity: APTEL)** द्वारा की जाएगी।
- **एकल चयन समिति की स्थापना की जाएगी:** APTEL, ECEA, केंद्रीय आयोग, राज्य आयोगों और संयुक्त आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु।
- **भुगतान सुरक्षा तंत्र:** जब तक कि भुगतान की पर्याप्त सुरक्षा (अनुबंध के पक्षकारों द्वारा सहमत) प्रदान नहीं की जाती है, तब तक प्रचलित अनुबंधों के अंतर्गत लोड केंद्रों द्वारा कोई विद्युत निर्धारित या पारेषित नहीं की जाएगी।
- **निर्बाध पहुंच के अंतर्गत पारेषण प्रभार निर्दिष्ट करने के लिए राज्य के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत विनियामकों को सक्षम बनाना।**
    - वर्ष 2003 के अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित निर्बाध पहुंच (open access) विद्युत के बड़े उपयोगकर्ताओं अर्थात् सामान्य तौर पर 1 मेगावाट और उससे अधिक कनेक्टेड लोड वाले को खुले बाजार से (अर्थात्, स्थानीय स्तर पर एकाधिकार प्राप्त आपूर्तिकर्ता से विद्युत खरीदने के लिए विवश होने की बजाय कई प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनियों से क्रय करना) प्रत्यक्ष सस्ती विद्युत खरीदने की अनुमति प्रदान करती है।

VISION IAS

- **लागत आधारित प्रशुल्क और प्रशुल्क संरचना का सरलीकरण:** उपयुक्त आयोग द्वारा सब्सिडी पर ध्यान दिए बिना विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा।
    - **किसी भी प्रकार की सब्सिडी को संबंधित सरकारों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रत्यक्षत: प्रदान करनी चाहिए।**
- **क्रॉस सब्सिडी में कमी:** प्रशुल्क नीति द्वारा क्रमिक रूप से क्रॉस-सब्सिडी कम करने की रीति निर्दिष्ट की जाएगी। SERC द्वारा आरोपित किसी भी अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को भी प्रशुल्क नीति में उपबंधित रीति के माध्यम से ही चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा।
- **वितरण उप-लाइसेंसधारी (DSL) या फ्रेंचाइजी को राज्य आयोग से पृथक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं:** परंतु वितरण लाइसेंसधारी आपूर्ति के अपने क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए उत्तरदायी बना रहेगा।
    - DSL या फ्रेंचाइजी उपयुक्त राज्य आयोग की अनुमति से आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर एक विशेष क्षेत्र में अपनी ओर से विद्युत वितरित करने के लिए वितरण लाइसेंसधारक द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत व्यक्ति है।
- **विद्युत का सीमा पार व्यापार: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)** को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत के सीमा पार व्यापार की निगरानी एवं विनियमन का अधिकार प्रदान किया गया है।
- राज्यों के परामर्श से **केंद्र सरकार** द्वारा तैयार और अधिसूचित की जाने वाली **राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति (NREP)** का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत ऊर्जा के नवीकरणीय और जलविद्युत स्रोतों से विद्युत खरीद का एक न्यूनतम प्रतिशत भी निर्धारित किया जाएगा।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) के तहत जलविद्युत ऊर्जा स्रोतों को सम्मिलित करना:** राज्य आयोगों को केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार RPO निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के निर्माण को निर्दिष्ट किया गया है:**
    - यह लाइसेंसधारियों या विद्युत उत्पादक कंपनियों के साथ किए गए अनुबंधों के अनुसार संपूर्ण देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के अधिकतम निर्धारण और प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा;
    - ग्रिड परिचालन की निगरानी की जा सकेगी;
    - यह अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय पारेषण नेटवर्क का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा;
    - इसे राष्ट्रीय ग्रिड का वास्तविक समय परिचालन करने का समग्र अधिकार प्राप्त होगा।

3.14. खुला बाजार बिक्री योजना (Open Market Sale Scheme: OMSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने कोविड-19 जनित चुनौतियों को देखते हुए **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** को यह निर्देश दिया है कि वह **ई-नीलामी प्रक्रिया** को अपनाने के बजाए **खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) की दरों** पर गैर-सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों को गेहूं एवं चावल उपलब्ध कराए।

अन्य संबंधित तथ्य

- गैर-सरकारी संगठन और धर्मार्थ संगठन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हजारों निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- **अभी तक केवल राज्य सरकारों और रोलर आटा मिलों जैसे पंजीकृत थोक उपयोगकर्ताओं को OMSS दरों पर FCI से स्टॉक खरीदने की अनुमति प्राप्त थी।**

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- इसकी स्थापना **वर्ष 1965** में (खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत) देश में अनाज, विशेष रूप से गेहूं की व्यापक कमी को ध्यान में रखते हुए की गई थी।
- वर्ष 1965 में किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की अनुशंसा करने हेतु **कृषि मूल्य आयोग** का भी गठन किया गया था तथा भारतीय खाद्य निगम के लिए निम्नलिखित **तीन मूलभूत उद्देश्य** अधिदेशित किए गए थे:
    - किसानों को प्रभावी मूल्य सहायता प्रदान करना;
    - समाज के आर्थिक रूप से सुभेद्य वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए अनाजों की खरीद करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करना; तथा
    - मूलभूत खाद्यान्नों के लिए बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए रणनीतिक आरक्षित भंडार बनाए रखना।

OMSS के बारे में

- OMSS, विशेष रूप से कमी के मौसम के दौरान खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए समय-समय पर खुले बाजार में सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्नों की बिक्री को संदर्भित करती है तथा इस प्रकार विशेष रूप से खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार की सामान्य कीमतों को नियंत्रित किया जाता है।

- बफर स्टॉक बनाए रखने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं (OWS) की आवश्यकता पूरी करने की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, **FCI द्वारा सरकार के निर्देशों पर खुले बाजार में गेहूं और चावल का विक्रय किया जाता है।**
- परिचालनों में पारदर्शिता स्थापित करने हेतु, FCI ने **खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)** के अंतर्गत बिक्री के लिए **ई-नीलामी प्रक्रिया** को अपनाया है।
- **भारतीय खाद्य निगम** कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड) के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके खुले बाजार में **इस योजना के परिचालन हेतु साप्ताहिक नीलामी आयोजित** करता है।
- राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति प्राप्त है, यदि उन्हें TPDS और OWS के इतर गेहूं और चावल की आवश्यकता होती है।
- OMSS के वर्तमान स्वरूप में निम्नलिखित **3 योजनाएं** सम्मिलित हैं:
    - ई-नीलामी के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री;
    - समर्पित आवागमन द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री; तथा
    - ई-नीलामी के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को ग्रेड 'A' वाले कच्चे चावल की बिक्री।

NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड)

- इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह भारत में मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं में लेन-देन करता है।
- जौ, गेहूं और सोयाबीन NCDEX पर कारोबार की जाने वाली कुछ अग्रणी कृषि वस्तुएँ हैं।

3.15. अटल नवोन्मेष मिशन (ATAL Innovation Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 के आलोक में अटल नवोन्मेष मिशन (AIM) के अंतर्गत विभिन्न पहलें आरंभ की गई हैं।

नई पहलों के बारे में

'टिंकर फ्रॉम होम' अभियान	कोलैबकैड (CollabCAD)	खेल विकास मॉड्यूल
• इसे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अटल टिंकरिंग लैब (ATL) कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपूर्ण देश के बच्चों की स्वयं परिणामी रूप से व्यस्त रखने के लिए उपयोगी **इजी-टू-लर्न ऑनलाइन** संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो सके।	• यह सहयोगात्मक नेटवर्क और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन (CAD) सॉफ्टवेयर प्रणाली है, जो 2D प्रारूपण और विस्तृत विवरण से लेकर 3D उत्पादों की डिज़ाइन तक एक अभियांत्रिकी समाधान उपलब्ध करवाती है।	• यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां **छात्र स्वयं के गेम बनाना सीख सकते हैं** और इसे दूसरों के साथ साझा भी कर सकते हैं।
• **उद्देश्य:** स्वयं की पहल के माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहित करके बच्चों में **रचनात्मकता और नवाचारिता को बढ़ावा देना।**	• **उद्देश्य: रचनात्मकता और कल्पना शक्ति** आधारित 3D डिज़ाइन निर्माण और संशोधन हेतु देश भर में **ATL के छात्रों** को एक मंच उपलब्ध करवाना।	• इसमें छात्रों की 'गेम प्लेयर्स' से 'गेम मेकर्स' की दिशा में संक्रमण की परिकल्पना की गई है।
• **CollabCAD, गेम विकास मॉड्यूल** आदि इसके भाग हैं।	• इसकी शुरुआत AIM और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।	• इसे DELL टेक्नोलॉजी और लर्निंग लिंक्स फ़ाउंडेशन के साथ साझेदारी में AIM द्वारा आरंभ किया गया है।

अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL)

- **'भारत में एक मिलियन बच्चों को आधुनिक नवोन्मेषकों के रूप में विकसित करने'** की दृष्टि से संपूर्ण भारत के स्कूलों में ATL स्थापित की गई हैं।
- ATL एक **कार्यस्थल** है, जहां युवा व्यावहारिक व क्रियाशील रीति के तहत स्वयं कार्य करते हुए अपने विचारों को आकार प्रदान कर सकते हैं तथा साथ ही, नवाचार कौशल सीख सकते हैं।
- **उद्देश्य:** युवाओं में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना तथा डिज़ाइन निर्माण मानसिकता, संगणनात्मक चिंतन, अनुकूलक अधिगम, भौतिक संगणना आदि जैसे कौशल को पोषित करना।
- **वित्तीय सहायता:** AIM प्रत्येक स्कूल को 20 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगा जिसमें 10 लाख रुपये की एकमुश्त स्थापना

VISION IAS

- लागत और प्रत्येक ATL के लिए अधिकतम 5 वर्ष की अवधि हेतु 10 लाख रुपये का परिचालन व्यय सम्मिलित है।
- **पात्रता:** सरकार, स्थानीय निकाय या निजी ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा प्रबंधित स्कूलों (न्यूनतम कक्षा छठी से दसवीं तक) में ATL स्थापित करना है।

अटल नवोन्मेष मिशन (AIM)

- यह देश में **नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा** देने के लिए भारत सरकार (नीति आयोग) की एक प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य**
  - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना;
  - विभिन्न हितधारकों को प्लेटफॉर्म और सहयोग का अवसर प्रदान करना;
  - देश के नवाचार संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करने के लिए **जागरूकता और समग्र संरचना** का निर्माण करना।
- **AIM के अंतर्गत प्रमुख पहलें**
  - **अटल टिंकरिंग लैब:** भारत के स्कूलों में समस्या समाधान की मानसिकता का निर्माण करना।
  - **अटल इनक्यूबेशन सेंटर:** विश्व स्तरीय स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नये आयाम का समावेश करना।
  - **अटल न्यू इंडिया चैलेंज:** नवाचारी उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रकों/मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
  - **मेंटर इंडिया अभियान:** मिशन की सभी पहलों की सहायता करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक, कारपोरेट और संस्थानों के सहयोग से **नेशनल मेंटर नेटवर्क** का निर्माण करना।
  - **अटल समुदाय नवाचार केन्द्र:** टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश के असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार एवं विचारों को प्रोत्साहित करना।
  - **अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज (ARISE):** MSME उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

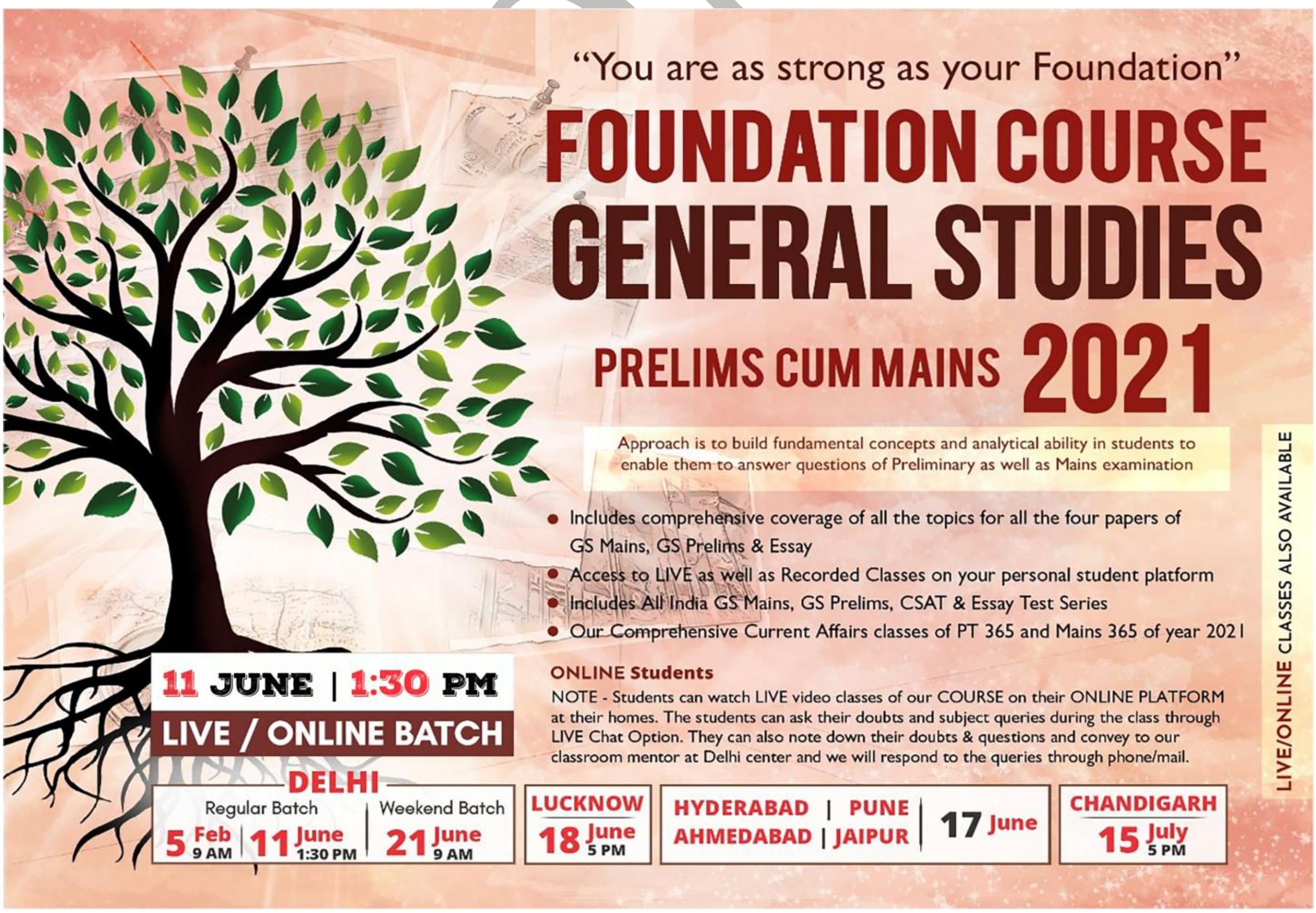

4. सुरक्षा (Security)

4.1. महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा (Epidemics and National Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी के कारण विश्व भर में व्यापक पैमाने पर जनहानि और आजीविका प्रभावित हुई है। इसके कारण जिस परिमाण पर क्षति हुई है, उससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा संकट माना जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है?

पारंपरिक अर्थों में, भौतिक खतरों से राष्ट्र, इसकी क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक संस्थानों और राष्ट्रीय संप्रभुता के संरक्षण को राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में संदर्भित किया जाता है। किन्तु, आधुनिक समय में इसकी परिभाषा व्यापक हो गई है जिनमें निम्नलिखित पहलु शामिल हैं:

- **कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियां:** ऐसी समस्याएं जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न नहीं करती हैं किन्तु एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती हैं जो बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा संकट हेतु एक शुरूआती आधार का निर्माण करती हैं। इसमें गृह-युद्ध, नृजातीय संघर्ष, अपराध और ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- **आर्थिक खतरा:** ये आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर अप्रत्यक्ष रूप से विकासात्मक गतिविधियों को बाधित करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी जनित खतरे:** विगत कुछ वर्षों में साइबर आतंकवाद,अंतरिक्ष युद्ध आदि जैसे खतरों से संबंधित घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा:** क्षय रोग, मलेरिया और एच.आई.वी. जैसे रोगों के कारण होने वाली अत्यधिक जीवन क्षति के कारण इन्हें मानव सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।

महामारी किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है?

- **यह हिंसक संघर्ष को उत्पन्न कर सकती है:** महामारी सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न करती है तथा चरम मामलों में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाली उन प्रक्रियाओं को तीव्र कर सकती है जो राज्य की विफलता को बढ़ावा देते हैं। उप-सहारा अफ्रीका में एड्स की सक्रियता के कारण हुए हिंसा के विभिन्न उदाहरण देखे जा सकते हैं।
- **जैविक हथियार:** महामारी रोगों सहित जैविक एजेंट, युद्ध के हथियार के रूप में कार्य कर सकते हैं तथा ये प्रत्यक्ष रूप से या तुरंत ही सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करते हैं। लड़ाके/आतंकी जानबूझकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को लक्षित कर सकते हैं और अपने शत्रु देश की जनसंख्या को कमजोर तथा हतोत्साहित करने के लिए रोग का प्रसार कर सकते हैं।
- **यह द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है:** महामारियां, कई क्षेत्रों में उपयुक्त नीतिगत प्रतिक्रियाओं को लेकर राज्यों के मध्य विवादों को उत्पन्न कर सकती हैं, जिसमें लोगों और वस्तुओं के आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल है, उदाहरणार्थ- MERS के प्रकोप के दौरान भारतीय प्रवासियों को लेकर मध्य-पूर्व के देशों और भारत के मध्य होने वाले विवाद।
- **मानवीय सुरक्षा:** यह अवधारणा कि मानवीय सुरक्षा वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा का भाग है, इस दृष्टि से लोगों के समक्ष संकट उत्पन्न करने के कारण महामारी को राष्ट्र के समक्ष खतरा/चुनौती माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस दृष्टिकोण से क्षय रोग भारत के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है क्योंकि इससे देश के नागरिकों के समक्ष स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो सकता है।

ऐतिहासिक संबंध: महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा

ऐतिहासिक रूप से, महामारी संक्रमण ने राष्ट्रीय सुरक्षा को विविध अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रभावित किया है, जैसे कि-

- विभिन्न विद्वानों द्वारा तर्क दिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हुए नुकसान में वर्ष 1918 के इन्फ्लूएंजा महामारी के नकारात्मक प्रभावों की भी अंशतः भूमिका रही है।
- इसी प्रकार, द्वितीय विश्व युद्ध में, कुछ क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई से हुई जनहानि (casualties) की तुलना में अमेरिका को मलेरिया से अत्यधिक नुकसान (जनहानि) हुआ था।
- अभी हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहली बार AIDS के प्रकोप को खतरे के रूप में चिन्हित किया गया तथा यह माना गया कि इससे महामारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को विस्तृत करने की अनुशंसा की गई।

महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में देखे जाने के लाभ

- **उच्च प्राथमिकता:** सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य नीति प्रतिबद्धताओं को जोड़ने से किसी मुद्दे को दी जाने वाली प्राथमिकता बढ़ जाती है और इससे उत्पन्न परिणाम के स्तर में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होने के कारण स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- **बेहतर संस्थागत संगठन:** राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी समस्या के प्रति बेहतर तरीके से परिभाषित और सुव्यवस्थित संस्थागत तरीकों/माध्यमों के उपयोग किए जाने की अधिक संभावना होती है जो बदले में एक अधिक समन्वित तथा त्वरित प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है।
- **वैश्विक प्रतिबद्धता में वृद्धि:** महामारी को एक सुरक्षा मुद्दे के रूप में माना जाना, देशों द्वारा सहयोग और तैयारियों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है।

महामारी को सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाने में निहित चुनौतियाँ

- **सभी घटनाओं को सुरक्षा खतरे के रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम:** यदि वह सब जो मानव कल्याण में ह्रास का कारण बनता है, उसे सुरक्षा खतरा माना जाएगा, तो यह शब्द किसी भी विश्लेषणात्मक उपयोगिता को खो देगा।
- **यह दृष्टिकोण विकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता है:** महामारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के एक भाग के रूप में देखने से विकासशील देशों में व्यापक स्वास्थ्य संकटों पर प्रतिक्रिया देने जैसे किसी भी नैतिक दायित्व से विकसित राज्य मुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में, इसे मानवीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में अधिक देखा जा सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग का संकट:** राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दा होने के कारण पड़ोसी देशों के मध्य सहयोग का स्तर अपेक्षाकृत निम्न हो जाता है। इससे प्रत्यक्षतः अधिक सहयोग की आवश्यकता की दिशा में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य

- भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करना।
- भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के अपने उचित स्थान की मांग को बढ़ावा देना।
- भारत के भीतर एक शांतिपूर्ण आंतरिक परिवेश सुनिश्चित करना।
- हमारे नागरिकों के लिए एक ऐसा परिवेश सृजित करना जो न्यायसंगत, उचित एवं खुशहाल प्रकृति का हो तथा उनके जीवन और आजीविका को जोखिम से रक्षा करे।

क्या भारत कोविड-19 को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरे के रूप में देख रहा है?

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980** द्वारा निपटाया जाता है। लेकिन कोविड-19 को वैधानिक रूप से दो कानूनों अर्थात् महामारी अधिनियम, 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। इस अर्थ में, अभी तक कोविड-19 को कानूनी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं माना जा रहा है।

आगे की राह

संक्षेप में, वैश्विक महामारी, राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष तीन प्रकार (घरेलू, आर्थिक और सैन्य) की चुनौतियां उत्पन्न करती है। हालांकि, महामारी को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में देखे जाने के पक्ष एवं विपक्ष में वैध तर्क दिए जाते हैं। निम्नलिखित को भी एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है:

- **इसे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंता की जगह विदेश नीति से संबंधित मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए:** रोग और स्वास्थ्य के मुद्दों को द्विपक्षीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता वाली विदेश नीति से संबंधी चिंताओं के रूप में देखा जाना उपयोगी सिद्ध हो सकता है, न कि बहुपक्षीय प्रतिक्रियाओं वाले सुरक्षा खतरों के रूप में।
- **स्वतंत्र संस्थागत तंत्र:** स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एक स्वतंत्र संस्थागत तंत्र निर्मित किए जाने से मानव और वित्तीय संसाधन तैयार किए जा सकते हैं।

4.2. रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) द्वारा पहली बार विषाक्त हमलों (toxic attacks) के लिए स्पष्ट रूप से सीरिया को दोषी ठहराया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **OPCW की जांच और पहचान टीम (Investigation and Identification Team: IIT)** ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 2017 में **सीरियन अरब एयर फ़ोर्स** द्वारा सीरिया के **लतामनाह** (Ltamenah) में तीन बार नर्व गैस सरिन और क्लोरीन का उपयोग किया गया था।
- सीरियाई अरब रिपब्लिक (अर्थात् सीरिया) में रासायनिक हथियारों के उपयोग करने वाले अपराधियों की पहचान करने हेतु वर्ष 2018 में IIT को स्थापित किया गया था।
- इससे पहले तक, OPCW को केवल रासायनिक हमले होने अथवा न होने की पुष्टि करने का अधिकार प्राप्त था, न कि रासायनिक हथियारों के उपयोग करने वाले अपराधियों की पहचान करने का।

सरिन (Sarin) के बारे में

- सरिन एक **पारदर्शी, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन तरल पदार्थ** है। हालांकि सरिन, वाष्प (गैस) के रूप में वाष्पित होकर पर्यावरण में फैल सकती है।
- यह एक **मानव निर्मित रासायनिक युद्ध एजेंट** है जिसे **नर्व एजेंट के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
- सरिन को वर्ष 1938 में जर्मनी में एक कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था। इसे GB के रूप में भी जाना जाता है।

क्लोरीन गैस के बारे में

- यह पीले-हरे रंग की दिखाई देती है। यह श्वसन वायु में प्रवेश कर तथा वायु को विस्थापित कर लोगों के श्वसन को बाधित कर सकती है।

नर्व एजेंट किस प्रकार कार्य करता है?

- ग्रंथियों और मांसपेशियों के लिए शरीर के "ऑफ स्विच" के रूप में कार्य करने वाले एंजाइम के उचित संचालन को अवरुद्ध कर सभी नर्व एजेंट विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
- एक "ऑफ स्विच" के बिना, ग्रंथियों और मांसपेशियों को लगातार उत्तेजित किया जाता है। इसके संपर्क में आए लोगों में थकान उत्पन्न होती है और वे अधिक समय तक सांस नहीं ले पाते हैं।

OPCW के बारे में

- यह **रासायनिक हथियार अभिसमय** (Chemical Weapons Convention) हेतु एक कार्यान्वयन निकाय है।
- **मुख्यालय:** हेग, नीदरलैंड।
- **रासायनिक हथियार अभिसमय या CWC,** जिसका पूरा नाम "रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग के निषेध तथा उनके विनाश पर अभिसमय" (The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction) है, **29 अप्रैल 1997** को अस्तित्व में आया था।
- CWC का उद्देश्य **पक्षकार राष्ट्रों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग का निषेध तथा सामूहिक विनाश से संबंधित हथियारों की एक समग्र श्रृंखला को समाप्त** करना है। **युद्ध हेतु रसायनों के पुनः उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले लक्ष्य** को प्राप्त करने हेतु CWC के तहत निम्नलिखित चार प्रावधानों को शामिल किया गया है:
    - OPCW द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन के तहत **सभी विद्यमान रासायनिक हथियारों को नष्ट** करना;
    - नए रासायनिक हथियारों के पुनः निर्माण को प्रतिबंधित करने हेतु **रासायनिक उद्योग की निगरानी** करना;
    - **पक्षकार राष्ट्रों को रासायनिक खतरों के विरुद्ध सहायता और सुरक्षा** उपलब्ध करवाना; तथा
    - इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को प्रोत्साहित करना और रसायनों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।

VISION IAS

- **193 राष्ट्रों** द्वारा CWC पर हस्ताक्षर और इसकी अभिपुष्टि की गई है, जिसमें **भारत** भी शामिल है।
    - **इज़राइल ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है, किन्तु इसकी अभिपुष्टि** नहीं की है।
    - **गैर-हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र हैं:** मिस्र, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान।
- वैश्विक जनसंख्या के 98% भाग को इस कन्वेंशन के तहत संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रों द्वारा घोषित किए गए 97% रासायनिक हथियारों के भंडार को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है।
- CWC द्वारा **'चुनौतीपूर्ण निरीक्षण' (challenge inspection)** पद्धति को शामिल किया गया है, जिसके तहत यदि किसी पक्षकार राष्ट्र को किसी अन्य पक्षकार राष्ट्र पर इसके अनुपालन के बारे में संदेह है, तो वह औचक निरीक्षण का अनुरोध कर सकता है।
- रासायनिक हथियारों के उन्मूलन के व्यापक प्रयासों के लिए OPCW को वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. कोविड-19 और आपदा प्रबंधन (COVID-19 and Disaster Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 के देशव्यापी प्रसार ने समान प्रकृति वाली आपदाओं से निपटने के बेहतर तरीकों पर चर्चा को प्रेरित किया है।

कोविड-19 और आपदा प्रबंधन: एक परिप्रेक्ष्य

- कोविड-19 देश की विधिक और संवैधानिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित की जाने वाली **प्रथम अखिल भारतीय जैविक आपदा है।**
- ज्ञातव्य है कि पहली बार गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा देश में किसी महामारी को **'अधिसूचित आपदा' (notified disaster)** के रूप में मान्यता दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, **भारत में पहली बार इस संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम को भी लागू** किया गया है। **वर्तमान लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत ही आरोपित किया गया है।**

आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005

- **DM** अधिनियम के तहत **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** आपदा प्रबंधन के समन्वय के लिए एक नोडल केंद्रीय निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। NDMA, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों का निर्माण करता है।
- इसी प्रकार, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रबंधन उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन सभी एजेंसियों की समन्वित तरीके से कार्य करने की परिकल्पना की गई है।
- NDMA द्वारा अब तक विभिन्न आपदाओं पर 30 दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जिनमें **'जैविक आपदा प्रबंधन पर दिशा-निर्देश, 2008'** भी शामिल है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019** भी जारी की जा चुकी है जिसमें जैविक आपदा और स्वास्थ्य आपातकाल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। यह एक व्यापक कानूनी ढांचा है जिसके तहत संघ और राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 को नियंत्रित करने संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

कोविड-19 आपदा प्रबंधन की वर्तमान रूपरेखा से संबंधित मुद्दे

- कोविड-19 से निपटने में आपदा प्रबंधन अधिनियम के वर्तमान उपयोग ने, निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया है:
  - महामारियों के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त विधिक संरचना का अभाव; एवं
  - शक्तियों का अति-केंद्रीकरण।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन के समय यह परिकल्पना की गई थी कि इसका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाएगा, जब राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदा के प्रभावों से निपटने में स्वयं असमर्थ हों, न कि इसे राज्य सरकारों के अन्य कार्यात्मक प्रणाली को नियंत्रित करने वाले एक कानूनी तंत्र के रूप में विकसित किया गया था।
- लॉकडाउन पर केंद्रीय दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए **'महामारी अधिनियम, 1897'** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों और अधिकरणों द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे लोगों, विशेष रूप से सुभेद्य जनसंख्या (प्रवासियों, झुग्गी निवासियों आदि) के मध्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक **टॉप-डाउन दृष्टिकोण** को अपनाया गया है। यह राज्यों द्वारा अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को डिजाइन और लागू करने की दिशा में उनके कौशल योग्यता को कमजोर/सीमित करता है।
- इसके अतिरिक्त, अधिकांशत: स्वास्थ्य संकट का प्रबंधन कानून और व्यवस्था का मुद्दा बन गया है। कोविड-19 से संबंधित प्रमुख सूचनाएं तथा दिशा-निर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजाए गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी किए जा रहे हैं। उपयोग की गई भाषा/शब्द, जैसे- **"लॉकडाउन", "कर्फ़्यू", "जुर्माना", "निगरानी"** आदि कानून और व्यवस्था के तहत अभी भी प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं।
- इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित हो रहे फेक न्यूज़/झूठी चेतावनी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया था और तब वर्तमान के समान सोशल मीडिया उतना सुलभ या उपलब्ध नहीं था।
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम की **धारा 54** में किसी आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के बारे में झूठी चेतावनी को प्रसारित करना एक दंडनीय अपराध है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम लॉकडाउन आदेशों के उल्लंघन पर आपराधिक दायित्वों को आरोपित** करता है। देशव्यापी स्तर पर आर्थिक नीति के संचालन के लिए यह प्रावधान इसे एक कमजोर साधन के रूप में स्थापित करता है। जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम को कभी भी एक प्रमुख आर्थिक कानून के रूप में प्रयोग करने हेतु अधिनियमित नहीं किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, संपूर्ण देश में **अधिकारियों को विवेकपूर्ण निर्णयन की अनुमति** है कि किसको अनुमति दी जाए और किस पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- **एक समेकित, अग्र-सक्रिय नीतिगत दृष्टिकोण का अभाव** है। वास्तव में, इस दौरान तदर्थ और प्रतिक्रियाशील नियम निर्धारित किए गए हैं, जोकि प्रवासी श्रमिकों के साथ किए गए व्यवहार के दौरान प्रदर्शित हुआ है। प्रवासियों के मुद्दे ने, संघ और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय की कमी को भी उजागर किया है।

कोविड-19 आपदा के वर्तमान प्रबंधन से सीख

- **सूचना प्रबंधन:**
  - विश्व भर में वायरस और इसके प्रसार से संबंधित सुर्ख़ियाँ चर्चाओं का केंद्र बन गई हैं तथा मीडिया एवं सोशल मीडिया पर सूचनाओं, भ्रामक सूचनाओं व विश्लेषणों के अत्यधिक प्रसार ने चिंता की स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है। इंटरनेट युग में सोशल मीडिया की वास्तविकता और वैश्विक कनेक्टिविटी को बनाए रखने की दिशा में आपदा प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **आपदा प्रबंधन रणनीति में 'प्रतिबंध' (Restriction) और 'बचाव' (Refrain) का समावेशन करना:**
  - अब तक, आपदा प्रबंधन का ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर रहा है कि किसी संकट को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, आपदा प्रबंधन हेतु केवल **तीन "R"** नामतः **निकास (Rescue), राहत (Relief)** और **पुनर्निर्माण (Recovery)** पर बल दिया जाता रहा है।
  - हालांकि, किसी आपदा को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए किसी को क्या नहीं करना चाहिए, इसे प्रमुखता देने की आवश्यकता है। इसलिए आपदा प्रबंधन में दो और "R", यथा- **'प्रतिबंध' (Restriction)** और **'बचाव' (Refrain)** को शामिल करने की आवश्यकता है।
    - ''प्रतिबंध' का समावेश न केवल आपदा प्रबंधन अधिनियम में मौजूद कानूनी निषेधों के महत्व को रेखांकित करने हेतु आवश्यक है, बल्कि संभावित कानूनी कार्रवाई के प्रति लोगों को भी सावधान करने के लिए आवश्यक है, जो उन्हें भ्रामक न्यूज़ को प्रसारित करने से प्रतिबंधित करेगा।
    - कानूनी प्रतिबंधों के अतिरिक्त सामुदायिक स्तर पर झूठी चेतावनियों से सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्कृति को भी बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए नियम लागू करने के अतिरिक्त, लोगों को समाचार की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और संघवाद:**
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम के केंद्रीकृत ढांचे के विपरीत, भारत की आपदा प्रतिक्रिया को अत्यधिक विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए।
  - विभिन्न राज्यों की विविध क्षमता के कारण उन्हें आपदा प्रबंधन के अधिक कुशल और विभेदीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
  - राष्ट्रीय स्तर की आपदा के लिए केंद्र के नेतृत्व में और राज्य सरकारों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, जिला प्रशासन एवं स्थानीय सरकारों तथा अन्य हितधारकों द्वारा अनुसरणीय एक **घनिष्ठ प्रशासनिक और राजनीतिक समन्वय** की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम और संघीय ढांचे की मूल भावना के अनुरूप, राष्ट्रीय एवं राज्य की राजनीतिक तथा प्रशासनिक एजेंसियों को अधिक सहयोगी और सलाहकारी होना चाहिए।
- **न्यायालयों की भूमिका:**
  - ऐसे समय में, संवैधानिक न्यायालयों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों से भेदभाव, पुलिस की ज़्यादती (police excesses), भुखमरी, चिकित्सा सहायता की कमी आदि जैसी शिकायतें चर्चा में रही हैं।
    - न्यायालयों की अधिकारिता पर सीमाएं आरोपित हैं तथा साथ ही, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान नहीं है।
  - संवैधानिक न्यायालयों को स्वत: संज्ञान (suo motu) से जनहित याचिका (PIL) दर्ज करनी चाहिए और आपदा प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर सूक्ष्म निगरानी तथा विधि का शासन सुनिश्चित करना चाहिए और आपदाओं के दौरान भी संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

कोविड-19 ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हमारी आपदा प्रबंधन रणनीति और संबंधित प्रावधानों की कमियों पर ध्यान देने हेतु अवसर प्रदान किया है। वर्तमान आपदा के प्रति बिना सोचे-समझे और अव्यवस्थित रूप से की गई प्रतिक्रियाएं, एक ही राज्य के विभिन्न विभागों के मध्य स्थानीय स्तर के संघर्षों द्वारा और अधिक जटिल हो गई हैं जिसके कारण राहत कार्य बाधित हुए हैं। आपदा प्रबंधन नीति को प्रभावी बनाने हेतु ऐसे मुद्दों से बचने और सीखने की आवश्यकता है।

VISION IAS

5.2. ग्रीन बॉण्ड (Green Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय स्टेट बैंक** द्वारा **'इंडिया INX' के ग्लोबल सिक्योरिटीज़ मार्केट प्लेटफ़ॉर्म (GSM)** पर 100 मिलियन डॉलर मूल्य के ग्रीन बॉण्ड सूचीबद्ध किए गए हैं।

इंडिया INX

- इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड (इंडिया INX) **भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है** जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस-टेक सिटी (GIFT सिटी) में स्थित है।
- **EUREX T7** के एक उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर इसका परिचालन होता है। यह विश्व का सबसे तीव्र परिचालन वाला एक्सचेंज है जिसका टर्न-अराउंड टाइम 4 माइक्रो सेकंड है।
- इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। यह BSE लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है।
- BSE एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।

इंडिया INX का वैश्विक प्रतिभूति बाजार (Global Securities Market: GSM)

- यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिक बाजार आधारित प्लेटफॉर्म है जो विदेशी निवेशकों को भारतीय और विदेशी जारीकर्ताओं (issuers) से जोड़ता है।
- यह वैश्विक **निवेशकों को किसी भी मुद्रा जोखिम के बिना** और किसी अन्य प्रमुख क्षेत्राधिकार की तुलना में एक नियामक व्यवस्था में भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है।

ग्रीन बॉण्ड्स क्या हैं?

- ग्रीन बॉण्ड, वित्तीय एवं गैर-वित्तीय या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए **ऋण उपकरण** (debt instruments) होते हैं, जिनसे अर्जित धन का उपयोग 'हरित परियोजनाओं' के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा आधिकारिक तौर पर वर्ष 2016 में प्रकाशित 'भारतीय जारीकर्ताओं के लिए ग्रीन बॉण्ड की आवश्यकताओं' के अनुसार, यदि संग्रहित धन का उपयोग निम्नलिखित में से किसी एक व्यापक श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए किया जाना है, तो ऐसी ऋण प्रतिभूतियों (debt security) को **'ग्रीन'** या **'ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज'** माना जाएगा:
  - अक्षय और संधारणीय ऊर्जा (पवन, सौर आदि);
  - स्वच्छ परिवहन (बड़े पैमाने पर परिवहन);
  - संधारणीय जल प्रबंधन;
  - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन;
  - ऊर्जा दक्षता (कुशल और हरित भवन);
  - संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन (पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि);
  - संधारणीय भूमि उपयोग (संधारणीय वानिकी और कृषि, वनीकरण आदि); एवं
  - जैव-विविधता संरक्षण।

ग्रीन बॉण्ड के लाभ

- **इससे अक्षय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा मिलता है:** आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा और शहरी संधारणीयता (लगभग 450 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष) के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारत को **आगामी दस वर्षों में 4.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की** आवश्यकता है। इसके लिए ग्रीन बॉण्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- **हरित वित्त का वैकल्पिक स्रोत:** वर्तमान में, अधिकांश हरित परियोजनाओं को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और कंपनी की बैलेंस शीट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
  - बढ़ते गैर-निष्पादित ऋणों के साथ, तरलता संकट का सामना कर रही NBFCs ने भारत को निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने में सहायता हेतु हरित वित्त के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता का सुझाव दिया है।
- **यह पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशकों को आकर्षित करता है:** पूर्व में जारी किए गए ग्रीन बॉण्ड दो-तीन गुना ओवरसब्सक्राइब होने के साथ ग्रीन बॉण्ड की मांग सुदृढ़ हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत की हरित अर्थव्यवस्था में विदेशी इक्विटी निवेशकों की बढ़ती रुचि के साथ ही हरित वित्त जुटाने हेतु वैश्विक स्तर पर अनुकूल परिवेश का भी निर्माण हो रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों की प्राप्ति:** उदाहरण के लिए, विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सभी ग्रीन बॉण्ड प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत **नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ परिवहन** की हिस्सेदारी 66% है। **(विश्व बैंक द्वारा जारी 'ग्रीन बॉण्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2019' के अनुसार)**

- कंपनियां और सरकारी संस्थाएं स्वयं को अभिनव एवं संधारणीय रूप में ब्रांडिंग कर अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं।
- ग्रीन बॉण्ड जलवायु संबंधी मुद्दों पर **निवेशकों के मध्य जागरूकता बढ़ाने** और विशेषज्ञता का निर्माण करने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

भारत में ग्रीन बॉण्ड परिदृश्य

- **भारत का प्रथम ग्रीन बॉण्ड वर्ष 2015 में 'यस बैंक लिमिटेड' द्वारा जारी किया गया था।**
- वर्ष 2016 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉण्ड के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश प्रदान करने वाला **भारत दूसरा देश (चीन के पश्चात्) बन गया था।**
- वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, चीन के पश्चात् उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य भारत **दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन बॉण्ड बाजार वाला देश है।** भारत ने वर्ष 2019 की प्रथम छमाही में 10.2 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉण्ड जारी किए थे।
- **भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा 'इंडिया INX' पर भारत का प्रथम सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड जारी किया गया है।**
- भारत में **ग्रीन बॉण्ड बाजार के विकास से संबंधित समाधानों को प्रस्तुत करने** हेतु भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) और क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव (CBI) ने वर्ष 2016 में **'इंडियन ग्रीन बॉण्ड्स काउंसिल'** की स्थापना की थी, जिसमें बैंकिंग, वित्त, बीमा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।
  - क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु परिवर्तन समाधानों की दिशा में बॉण्ड बाजार को संगठित करने के लिए कार्यरत है।

भारत में ग्रीन बॉण्ड बाजार से संबंधित चुनौतियां

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन में लागत-प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन में संरचनात्मक अवरोध और बड़े पैमाने की बाधाएं विद्यमान हैं, जिससे लघु आकार की परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना कठिन होता है।
- निवेशकों को पात्र परियोजनाओं की पहचान में सहयोग हेतु सुसंगत हरित मानकों और निगरानी तंत्र का अभाव है।
- **ग्रीन बॉण्ड मार्केट और नवीन तकनीकी क्षमता से संबंधित ज्ञान का अभाव:** जानकारी एवं नीतिगत स्पष्टता का अभाव, विगत प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों की कमी और निवेश चक्र के विभिन्न चरणों में जोखिमों की सीमित समझ आदि जारीकर्ता तथा निवेशकों के मध्य ग्रीन बॉण्ड के बारे में संशय की स्थिति उत्पन्न करते हैं।
- **ग्रीन बॉण्ड को अपनाने के लिए निम्नतम नीतिगत और नियामक प्रोत्साहन:** वर्तमान में, उधारकर्ताओं के लिए अपनी परियोजनाओं को हरित रूप में प्रमाणित करने और वित्त जुटाने के लिए सीमित प्रोत्साहन ही प्रदान किया जा रहा है।
- **भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार अविकसित है।** मलेशिया के 46% और दक्षिण कोरिया के 73% की तुलना में भारत का कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार इसकी GDP का मात्र **16%** है।
- सामान्य तौर पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) द्वारा खरीदी गई विद्युत के भुगतान में विलंब या भुगतान न होने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने वाले निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है।

आगे की राह

- **निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना:** पारदर्शिता और मानदंडों को बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए। **जलवायु से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल** (Task force on Climate related Financial Disclosures: TCFD) के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
  - हितधारकों को जानकारी प्रदान करने के क्रम में कंपनियों, बैंकों और निवेशकों द्वारा उपयोग हेतु तथा स्वैच्छिक व जलवायु से संबंधित सतत वित्तीय प्रकटीकरण को विकसित करने के लिए **वर्ष 2015 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा TCFD की स्थापना** की गई थी।
- **ग्रीन बॉण्ड बाजार के लिए घरेलू समर्थन का निर्माण करना** और भविष्य में हरित निवेश को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी क्षमता में वृद्धि करना, जैसे- नियामकों के मध्य तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना, केस स्टडी विकसित करना आदि।
- **लक्षित नीतिगत सुधार और प्रोत्साहन:** उदाहरण के लिए, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं द्वारा जारी बॉण्ड की गारंटी प्रदान करने के लिए एक ऋण गारंटी संवर्धन निगम निधि (केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तावित) को स्थापित किया जाना चाहिए।
  - अगस्त 2019 में, सरकार ने विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों को डिस्कॉम्स द्वारा बकाया राशि के भुगतान में होने वाले विलंब से संरक्षण प्रदान करने हेतु एक भुगतान सुरक्षा तंत्र को आरंभ किया था।
- **मसाला बॉण्ड और फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग मार्किट के विकास** आदि में निवेश को बढ़ावा देने हेतु संरचनात्मक बाधाओं को कम करना और विकास वित्त संस्थानों के साथ लेन-देन संबंधी जोखिम को कम करने हेतु सहयोग करना।

5.3. उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत स्टेज-IV संबंधी समय-सीमा में छूट (Supreme Court Relaxes BS-IV Deadline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा **BS-IV उत्सर्जन मानकों के अनुरूप वाहनों की बिक्री और पंजीकरण हेतु निर्धारित 31 मार्च 2020 की समय-सीमा को आगे बढ़ा** दिया गया है।

उत्सर्जन संबंधी मानदंडों का विकास

- वर्ष 1991 में पेट्रोल वाहनों और वर्ष 1992 में डीजल वाहनों के लिए **बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों के प्रथम स्टेज** को लागू किया गया था।
- वर्ष 2000 में, यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों हेतु **यूरो-I मानदंड** निर्धारित किए गए थे जो **'भारत 2000 मानदंडों' के समान** थे।
- वर्ष 2001 तक **भारत स्टेज-II मानदंड** (यूरो-2 उत्सर्जन मानदंडों के आधार पर) को लागू कर दिया गया।
    - मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजनों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को विनियमित करने हेतु 'भारत स्टेज मानदंडों' को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** द्वारा स्थापित किया गया था।
    - **इन मानदंडों के तहत शामिल उत्सर्जन गैसें हैं:** कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर।
    - ये मानदंड यूरोपीय मानकों पर आधारित हैं।
- भारत स्टेज III मानदंडों के अनुपालन की दिशा में प्रथम **'वाहन ईंधन नीति-2003'** को लागू किया गया था।
- तत्पश्चात, अप्रैल 2010 को भारत स्टेज IV को लागू किया गया।
- प्रस्तावित ड्राफ्ट **'वाहन ईंधन नीति-2025'** में निर्धारित रोडमैप के तहत चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2017 तक देश भर में BS IV मानदंडों को लागू करने तथा वर्ष 2020/2021 में BS-V उत्सर्जन मानदंडों और वर्ष 2024 से BS-VI मानदंडों के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई।
    - हालाँकि, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि के कारण, वर्ष 2016 में केंद्र ने घोषणा की थी कि **भारत में BS-V मानदंडों को लागू नहीं किया** जाएगा और वर्ष 2020 तक BS-IV मानदंडों की जगह **BS-VI मानदंडों को अपनाया जाएगा।**
- वर्ष 2018 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **1 अप्रैल 2020 से भारत में BS-IV मानदंडों** वाले वाहनों की बिक्री या पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
    - यह निर्णय दिया गया कि नए उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने से संबंधित समय-सीमा में किसी भी प्रकार का किया गया विस्तार नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि प्रदूषण का स्तर **"खतरनाक और संकटपूर्ण"** स्तर पर पहुंच चुका है।
- हालांकि, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन से उत्पन्न **"असाधारण" स्थिति** के कारण इस समय-सीमा को बढ़ा दिया है।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर** कोविड-19 के कारण, किए गए लॉकडाउन की समाप्ति के पश्चात् कुछ दिनों हेतु **BS-IV वाहनों के अनसोल्ड स्टॉक की 10% बिक्री** की अनुमति प्रदान की गयी है।
- BS-VI के लिए **ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के साथ-साथ तेल विपणन कंपनियों** दोनों को अपने संबंधित उत्पादों को परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी।
    - इष्टतम परिणामों के लिए, BS-VI के अनुपालन में विनिर्मित इंजनों में BS-VI ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि निम्न गुणवत्ता वाले ईंधन के उपयोग से नई पीढ़ी के इंजन विषाक्त गैसों की अधिक मात्रा (BS-IV इंजनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन की तुलना में) का उत्सर्जन करेंगे।

BS-VI के तहत प्रमुख मानक

- BS-VI ग्रेड वाले डीजल इंजनों और पेट्रोल इंजनों के लिए **नाइट्रोजन ऑक्साइड** के स्तर को क्रमशः 70% और 25% तक कम किया जाएगा।
- BS-IV की तुलना में BS-VI के तहत, डीजल वाहनों द्वारा उत्सर्जित होने वाले **पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सीमा को 80% तक कम** करने का प्रावधान है और साथ ही, पेट्रोल वाहनों से होने वाले PM उत्सर्जन में भी कमी के प्रावधान हैं।
- नए वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों के अतिरिक्त ये विनियमन, संदर्भ (reference) और वाणिज्यिक ईंधन के लिए विनिर्देश प्रदान करते हैं।
    - BS-IV ईंधन (50 ppm) में उपलब्ध **सल्फर** की मात्रा की तुलना में BS-VI ईंधन में सल्फर की मात्रा पांच गुना कम (10 ppm) है, जो कि 80% की कमी को दर्शाता है।
- **डीज़ल पार्टिकुलेट फ़िल्टर (DPF)** और **सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (SCR)** को BS-VI मानदंडों के साथ ही लागू किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि DPF और SCR को BS-IV मानदंडो के तहत शामिल नहीं किया गया था।
- भारत स्टेज-VI उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ पहली बार भारत में **'रियल ड्राइविंग एमिशन' (RDE)** लागू किया जाएगा।
    - यह लेबोरेटरी या सर्विस सेंटर में किए जाने वाले जांच की जगह वास्तविक समय में वाहन से होने वाले उत्सर्जन का मापन करेगा।
- **ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (OBD)** को उन सभी वाहनों के लिए अनिवार्य बनाया गया है जो वाहन मालिक या मरम्मत करने वाले तकनीशियन को विभिन्न वाहन उप-प्रणालियों की स्थिति तक पहुंच प्रदान करेंगे।

BS-VI मानदंडों को लागू करने से संबंधित चुनौतियां

- **लागत में वृद्धि:** मानदंडों के लागू होने के पश्चात् कारों की लागत में वृद्धि होगी जिससे मांग में कमी आएगी, परिणामस्वरूप ऑटोमोबाइल उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- **उच्च निवेश:** BS-VI के अनुपालन वाले ईंधन का उत्पादन करने के लिए, रिफाइनरियों को अपनी तकनीक को उच्च निवेश के साथ अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी।
- **भविष्य में व्यवधान की स्थिति:** आगामी संशोधनों को वर्ष **2023** में लागू किया जाना है, जिसके कारण उत्पादक, BS-VI अनुपालन वाले वाहनों को विनिर्मित करने हेतु हतोत्साहित कर सकते हैं। अत: संशोधन के पश्चात् व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सर्वश्रेष्ठ मानक नहीं:** यद्यपि, भारत सर्वश्रेष्ठ यूरोपीय मानकों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है, तथापि, यूरोपीय मानक का स्थान वैश्विक स्तर पर **तीसरे स्थान** पर है।
    - चीन ने अपने विनियमों के निर्माण में अमेरिका और कोरिया के प्रमुख मापदंडों को शामिल किया है तथा इस प्रकार इसकी स्थिति यूरोप से बेहतर है।

आगे की राह

- **सुदृढ़ अनुपालन प्रणाली:** सरकार को अनुपालन, दंड, उत्सर्जन वारंटी और रिकॉल कार्यक्रम की एक सुदृढ़ प्रणाली की शुरुआत करनी चाहिए। इस दिशा में वाहनों के इन-सर्विस लाइफ को कवर करने के लिए उत्सर्जन वारंटी और विस्तारित उत्सर्जन वारंटी एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।
- ऑन-रोड निगरानी के साथ-साथ OBD के अधिक प्रभावी एकीकरण की दिशा में **रिमोट सेंसिंग निगरानी के कार्यान्वयन** को सक्षम करने हेतु **केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करना चाहिए।**
- राज्यों को वाहनों में संलग्न **उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों के निरीक्षण** के लिए चेक लिस्ट को परिभाषित और जारी करना चाहिए तथा इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को रोकना चाहिए।
- **जागरूकता:** स्थानीय निकायों को BS-VI अपनाने तथा बिक्री किए जाने वाले वाहनों के लिए वास्तविक उत्सर्जन और इन-सर्विस अनुपालन आवश्यकताओं को देखते हुए वर्ष 2023 में BS-VI के विनियमों के भावी संशोधन के संबंध में सूचित एवं प्रभावी बनाने के लिए शहरों में जागरूकता का तीव्रता से प्रसार करना चाहिए।

5.4. पेटकोक (Petcoke)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में एल्युमीनियम उद्योग हेतु **कैल्सिंड पेट कोक (CPC)** और CPC विनिर्माण उद्योग के लिए **कच्चे पेटकोक** के आयात हेतु कोटा आवंटन प्रक्रिया की शुरूआत की गई है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2017 में, **पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA)** ने सिफारिश की थी कि उच्च सल्फर सामग्री की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फर्नेस ऑयल और पेटकोक के वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
    - तदुपरांत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दिल्ली और पड़ोसी राज्यों, जैसे- हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में पेटकोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- वर्ष 2018 में, **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ** वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् **पूरे देश में ईंधन के रूप में पेटकोक के उपयोग पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था।
    - केवल सीमेंट, चूना भट्टी, कैल्शियम कार्बाइड और गैसीकरण उद्योगों हेतु इसके आयात की अनुमति दी गई थी, जहाँ **इसका उपयोग फीडस्टॉक या विनिर्माण प्रक्रिया** में किया जाता है।
    - हालांकि, बाद में सरकार द्वारा **एल्यूमीनियम उद्योग में एनोड निर्माण हेतु ईंधन के रूप में उपयोग** किए जाने वाले पेटकोक की एक निश्चित मात्रा के आयात की अनुमति प्रदान की गयी थी।
    - इसके आयात प्रतिबंध से पूर्व, भारत पेटकोक का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश था।
- वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय द्वारा कच्चे पेट्रोलियम कोक के लिए **आयात सीमा** 0.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (mtpa) और कैल्सिंड पेट्रोलियम कोक के लिए 1.4 mtpa निर्धारित की गई है।

पेटकोक के बारे में

- पेटकोक, तेल रिफाइनरी प्रक्रिया {मुख्य रूप से बैरल (तेल) का अवशिष्ट भाग} का एक उप-उत्पाद (ठोस कार्बोनेसियस) है।
- यह निम्न राख सामग्री तथा निम्न वाष्पशील पदार्थ एवं उच्च सल्फर सामग्री (7% तक) युक्त 8,000 किलो कैलोरी से अधिक के उच्च कैलोरी मान वाला एक उच्च ग्रेड ईंधन है।

- **प्रकार:**
    - कच्चे रूप में, इसे **"ग्रीन कोक"** या **ग्रीन पेट्रोलियम कोक** या **कच्चा पेटकोक** भी कहा जाता है। इसे कई स्रोतों (सभी पेट्रोलियम रिफाइनरी उद्योग से प्राप्त) से प्राप्त किया जाता है।
        - विश्व भर में लगभग 80% पेटकोक का उत्पादन **"फ्यूल-ग्रेड"** पेटकोक (ग्रीन कोक) के रूप में होता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन और सीमेंट भट्टों में किया जाता है।
    - **कैल्सिंड पेट कोक (CPC)** को कच्चे पेट कोक के प्रसंस्करण द्वारा एक रोटरी भट्टे में कैल्साइन विधि से प्राप्त किया जाता है। ज्ञातव्य है कि रोटरी भट्टे में अवशिष्ट वाष्पशील हाइड्रोकार्बन को हटा दिया जाता है। कैल्सिंड पेटकोक के निम्नलिखित **औद्योगिक उपयोग** हैं:
        - एल्युमीनियम के प्रगलन हेतु इसका उपयोग किया जाता है तथा ऐसा करने हेतु यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एकमात्र विधि है।
        - टाइटेनियम डाइऑक्साइड के उत्पादन हेतु।
        - लौह अयस्क से स्टील विनिर्माण हेतु ब्लास्ट फर्नेस में फीडस्टॉक के रूप में कोयले के आंशिक प्रतिस्थापन हेतु।
        - ईंट और कांच निर्माण में।
        - अमोनिया और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन हेतु।
- **पेटकोक का पर्यावरणीय प्रभाव**
    - **ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन:** इसमें उच्च कार्बन सामग्री के कारण यह सामान्य कोयले की तुलना में 10% अधिक CO2 का उत्सर्जन करता है जिसका GHG उत्सर्जन में अत्यधिक योगदान है।
    - **उच्च सल्फर सामग्री:** निम्न श्रेणी के पेटकोक में सल्फर की उच्च मात्रा होती है जिसके परिणामस्वरूप दहन के दौरान सल्फर ऑक्साइड (SOx) का उत्सर्जन होता है। SOx के कारण नाक में जलन होती है, वायु प्रदूषण होता है और इसके कारण अम्ल वर्षा भी होती है।
    - **भारी धातुएं:** पेटकोक में **निकेल** और **वेनेडियम** जैसी भारी धातुएं भी मौजूद होती हैं जो पर्यावरण की गुणवत्ता को नुकसान पंहुचा सकती हैं और विषाक्तता को उत्पन्न कर सकती हैं।
    - **पार्टिकुलेट मैटर:** पेटकोक भंडारण और हैंडलिंग ऑपरेशन के कारण पार्टिकुलेट मैटर की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होती है जो विशेष रूप से शहरी/औद्योगिक क्षेत्रों में **फेफड़ों में जलन** का कारण बनता है।

पेटकोक से निपटने से संबंधित समस्याएँ

- **पेटकोक के उत्पादन और खपत से संबंधित आंकड़ों की अनुपस्थिति** विनियमन चुनौतियों को बढ़ावा देती हैं।
- कोयले पर अतिरिक्त उपकर लगाए जाने के कारण, **पेटकोक के पक्ष में बाजार विरूपित हुआ** है।
    - यह कई उद्योगों के लिए सर्वप्रमुख कच्चा माल बना हुआ है क्योंकि यह **कोयले से सस्ता होता है और इसकी कैलोरिफिक वैल्यू उच्च होती** है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की तेल रिफाइनरियां जो घरेलू स्तर पर पेटकोक (निम्नस्तरीय ईंधन अपशिष्ट उत्पाद) के विक्रय में असमर्थ हैं, इसकी जगह वे भारत को इसकी बड़ी मात्रा का निर्यात करती हैं। इसने **भारत को अन्य देशों द्वारा** उत्पन्न इस अपशिष्ट के लिए **डंपिंग ग्राउंड के रुप में विकसित किया** है।

निष्कर्ष

पेटकोक संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों और वास्तविक समय निगरानी में सुधार के साथ, एक विकल्प के रूप में पेटकोक के उपयोग में कमी करने हेतु कोयले के मूल्य निर्धारण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। **फ्लुइडाइज्ड बेड बॉयलर और उत्सर्जन उपचार प्रणाली** जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना तथा पेटकोक दहन से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, अन्य तरीका हो सकता है। **रेसिडू फ्यूल हाइड्रजनेशन** प्रक्रिया के माध्यम से अधिक डीजल, डामर, मोम या अन्य ईंधन तेलों में ठोस तेल के अवशेषों को परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त हाइड्रोजन का प्रयोग, नई रिफाइनरियों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है।

5.5. यूरेनियम संदूषण (Uranium Contamination)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम के **मैनचेस्टर विश्वविद्यालय** और पटना के फुलवारी शरीफ स्थित **महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र** द्वारा किए गए एक नवीन अध्ययन में **बिहार के 10 जिलों के भौम जल (ग्राउंड वाटर) में यूरेनियम संदूषण के मामले सामने आए हैं।**

अन्य संबंधित तथ्य

- यह पहली बार है जब बिहार राज्य के भौम जल में यूरेनियम की उपस्थिति पाई गई है।
- अधिकांशतः उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों के साथ-साथ गंडक नदी के पूर्वी क्षेत्रों में और झारखंड की ओर गंगा नदी के दक्षिणी भागों में यूरेनियम सांद्रता में वृद्धि हुई है।
- प्रति लीटर जल में 80 माइक्रोग्राम यूरेनियम के साथ बिहार के सुपौल जिले में यूरेनियम का सर्वाधिक स्तर पाया गया है।

 ©Vision IAS

VISION IAS

भारत में यूरेनियम संदूषण

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा निर्धारित यूरेनियम संदूषण की **अनुमेय सीमा, प्रति लीटर 30 माइक्रोग्राम** है।
- हालांकि, भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्सेनिक और अन्य विषाक्त या भारी धातुओं के लिए निर्धारित सीमा के विपरीत, भारत में **यूरेनियम के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं** की गई है।

- हालांकि, इससे पहले **केंद्रीय भूमि जल बोर्ड** की एक रिपोर्ट में **पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा** आदि सहित भारत के 16 राज्यों के जलभृतों (aquifers) से प्राप्त भौम जल में व्यापक यूरेनियम संदूषण का उल्लेख किया गया था।
- यूरेनियम कुछ गंभीर रोगों का कारण बन सकता है, जैसे-
    - यदि अनुमेय स्तर से अधिक यूरेनियम से संदूषित जल का दीर्घकाल तक पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इससे थायराइड कैंसर, ब्लड कैंसर, अवसाद (डिप्रेशन) और अन्य गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
    - कुछ अध्ययन ये दर्शाते हैं कि यूरेनियम के अत्यधिक अंतर्ग्रहण से क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है।
- यूरेनियम संदूषण **प्राकृतिक रूप से** उत्पन्न होता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों, जैसे- भौम जल का अत्यधिक निष्कर्षण आदि के कारण यूरेनियम संदूषण में वृद्धि होती है।
    - भारत के कई हिस्सों में, **जलभृतों का निर्माण** हिमालयी नदियों द्वारा **निचले क्षेत्रों में लाए गए तलछट या यूरेनियम युक्त ग्रेनाइट चट्टानों** से हुआ है।
    - **मानव उपयोग के लिए इन जलभृतों का अत्यधिक दोहन करने से जल स्तर में कमी हो जाती** है और इससे ऑक्सीकरण की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, जो जल में यूरेनियम की घुलनशीलता को बढ़ा देती है।
    - भौम जल में अन्य रसायनों (जैसे- बाइकार्बोनेट) के साथ यूरेनियम का सम्मिश्रण, इसकी घुलनशीलता को अत्यधिक बढ़ा देता है।
    - इसी तरह, नाइट्रोजन उर्वरकों के अति प्रयोग के कारण नाइट्रेट प्रदूषण भी यूरेनियम की सांद्रता में वृद्धि करते हैं।

आगे की राह

- **भौम जल में रेडियोधर्मी संदूषकों का बाह्य-स्थाने उपचार, यथा-**
    - **अवशोषण या आयन एक्सचेंज (Adsorption or ion exchange):** इसके तहत जल में घुलनशील संदूषकों को प्राकृतिक या सिंथेटिक सामग्री से निर्मित ठोस आधार पर अवशोषण के माध्यम से अभिग्रहित (capture) कर लिया जाता है।
    - **अवक्षेपण (Precipitation):** अधिकांश रूप से इसका उपयोग भूमि की ऊपरी सतह के लिए किया जाता है और इसमें pH को बढ़ाने के लिए क्षारीय तत्वों का उपयोग किया जाता है तथा ऑक्साइड या हाइड्रॉक्साइड का अवशोषण किया जाता है।
- **स्व-स्थाने रासायनिक स्थिरीकरण आधारित उपचारात्मक रणनीतियाँ, यथा-**
    - **रेडाक्स प्रौद्योगिकियाँ (Redox Technologies):** ये प्रौद्योगिकियाँ, यूरेनियम को यूरेनस (यूरेनियम IV) के रूप परिवर्तित करने हेतु भूमि की ऊपरी सतह में यूरेनियम में कमी करने के लिए ऑक्सीकरण-अपचयन की परिस्थितियों में वृद्धि कर देती हैं।
    - **फ्लशिंग प्रौद्योगिकियाँ (Flushing Technologies):** उपचारात्मक प्रौद्योगिकियों के इस समूह के अंतर्गत ठोस यूरेनियम को घोलने के लिए विभिन्न प्रकार के लीचिंग विलयन तथा घुलित यूरेनियम को हटाने के लिए हाइड्रोलिक निष्कर्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियोधर्मी संदूषण के मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने हेतु **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** जैसे तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए।

5.6. आर्कटिक ओजोन छिद्र (Arctic Ozone Hole)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में निर्मित एक दुर्लभ छिद्र बंद हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कोपर्निकस सेंटिनल-5P उपग्रह** द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर ओजोन सांद्रता में भारी कमी की पुष्टि की है।

- उपग्रह अवलोकन आधारित विश्लेषण दर्शाते हैं कि **12 मार्च को ओजोन स्तर अपने निम्नतम बिंदु (205 डॉबसन यूनिट्स) पर** पहुंच गया। जबकि तुलनात्मक रूप से देखें तो आर्कटिक क्षेत्र में, मार्च माह में ओजोन का न्यूनतम स्तर आमतौर पर लगभग 240 डॉबसन यूनिट्स अवलोकित किया गया था।
- इस दुर्लभ छिद्र के तहत **ग्रीनलैंड के आकार का लगभग तीन गुना** क्षेत्र शामिल था।
- यद्यपि, **ओजोन का इस प्रकार का निम्न स्तर कभी-कभी ही दृष्टिगत होता** है, तथापि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 1997 और वर्ष 2011 में ऊपरी वायुमंडल या समताप मंडल में इसी तरह का न्यूनतम ओजोन स्तर देखा गया था।
- इसके पश्चात्, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ तापमान में वृद्धि के कारण **ध्रुवीय भंवर या पोलर वोर्टेक्स के विखंडित** होने तथा आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन युक्त वायु के प्रवाह द्वारा ओजोन छिद्र के भरने या कम होने की प्रक्रिया तीव्र हुई थी।

- ओजोन की सघनता को मापने के लिए **डॉबसन यूनिट** सबसे प्रचलित इकाई है। एक डॉबसन यूनिट, ओजोन के अणुओं की उस संख्या को संदर्भित करती है, जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 0.01 मिलीमीटर की परत वाले शुद्ध ओजोन निर्मित करने हेतु आवश्यक होती है।
- पृथ्वी की सतह के ऊपर, **ओजोन परत की औसत मोटाई लगभग 300 डॉबसन यूनिट्स** या 3 मिलीमीटर है।

इस वर्ष आर्कटिक ओजोन छिद्र क्यों निर्मित हुआ?

- वर्ष 2020 के आर्कटिक ओजोन छिद्र का एक प्रमुख कारण यह है कि इस वर्ष की शीत ऋतु के दौरान पोलर वोर्टेक्स "अविश्वसनीय रूप से प्रबल रहा था तथा इसकी उपस्थिति सतत बनी हुई" थी।
    - पोलर वोर्टेक्स वस्तुतः पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के निकट निम्न दाब और शीत वायु से निर्मित एक विस्तृत क्षेत्र होता है। यह सदैव ध्रुवों के निकट निर्मित होता है। हालांकि, ग्रीष्मकाल में यह कमजोर हो जाता है तथा शीतकाल में प्रबल हो जाता है।
    - "भंवर" (वोर्टेक्स) शब्द से आशय वायु का वामावर्त अर्थात् काउंटर-क्लॉकवाइज प्रवाह से है जो ध्रुवों के निकट शीत वायु को बनाए रखने में सहायता करता है।
- इस प्रक्रिया के कारण, आर्कटिक की शीत वायु संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में प्रसारित होने के बजाए, अधिकांशतः आर्कटिक क्षेत्र में ही अवरुद्ध हो गई।
- इस स्थिर व अत्यंत ठंडी वायु (-78 डिग्री सेल्सियस से कम) के परिणामस्वरूप समताप मंडल (ओजोन निर्माण क्षेत्र) में सघन मेघों का निर्माण हुआ, जिन्हें **पोलर स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड (PSCs)** कहा जाता है।
- ये मेघ, मानव निर्मित रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करने हेतु एक आदर्श स्थिति का निर्माण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्लोरीन (रसायन) निर्माण के कारण अंततः ओजोन का ह्रास होता है।
- इसके अतिरिक्त, इस प्रबल पोलर वोर्टेक्स द्वारा **अन्य क्षेत्रों से ओजोन-समृद्ध वायु का आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश अवरुद्ध हो गया**, जिससे ओजोन के स्तर में कमी हो गई।
- इस प्रकार के असामान्य रूप से प्रबल पोलर वोर्टेक्स की उत्पत्ति तथा इस वर्ष इतने लंबे समय तक बने रहने के कारणों के संबंध में अब तक कोई तथ्य ज्ञात नहीं हो पाया है।

अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की तुलना में आर्कटिक ओजोन छिद्र दुर्लभ क्यों है?

- दक्षिणी गोलार्ध में सामान्य रूप से वसंत के दौरान प्रत्येक वर्ष ओजोन छिद्र अंटार्कटिक के ऊपर विकसित होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इस तरह के प्रबल ओजोन क्षरण/अवक्षय (depletion) की आवश्यक परिस्थितियाँ सामान्य रूप से निर्मित नहीं हो पाती हैं।
- आर्कटिक समताप मंडल आमतौर पर अपने **अंटार्कटिक समकक्ष की तुलना में बहुत कम पृथक** हो पाता है क्योंकि निकटवर्ती भू-भाग और पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध के मौसम प्रतिरूप को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।
- यह दर्शाता है कि उत्तरी गोलार्ध में पोलर वोर्टेक्स क्यों आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कमजोर और अधिक विकृत होता है तथा तापमान अत्यंत निम्न स्तर पर क्यों नहीं पहुँच पाता है।
- अतः आर्कटिक ओजोन छिद्र एक असामान्य परिघटना है तथा **एक दशक में इस तरह की घटना सामान्यत: एक बार** ही देखने को मिलती है। इसके विपरीत, **विगत 35 वर्षों से अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की परिघटना प्रतिवर्ष परिलक्षित हो रही है।**
- **नासा** के शोधकर्ताओं द्वारा आर्कटिक के ऊपर **"अवक्षय/क्षरण"** पद को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इस वर्ष ओजोन परत में अत्यधिक ह्रास होने के बावजूद, ओजोन का ह्रास अभी भी वार्षिक "ओजोन छिद्र" की तुलना में अत्यंत निम्न बना हुआ है जो सामान्यतः सितंबर और अक्टूबर माह में अंटार्कटिका के क्षेत्र पर घटित होता है। तुलनातमक रूप में देखे तो, अंटार्कटिका के क्षेत्रों में ओजोन का स्तर घटकर लगभग **120 डॉबसन यूनिट्स** हो गया है।

5.7. पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद (Petersberg Climate Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के कारण, पहली बार पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया।

पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के बारे में

- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन में हुए जलवायु वार्ता पर कोई निष्कर्ष न निकलने के पश्चात् **जर्मनी द्वारा इसे वर्ष 2010 में प्रारम्भ** किया गया था।
- यह विभिन्न देशों के उच्च-स्तरीय मंत्रियों और प्रतिनिधियों की **एक अनौपचारिक वार्षिक बैठक** है जो उन्हें **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाहियों** संबंधी मुद्दों पर रचनात्मक विचार-विमर्श करने में सक्षम बनाती है।
- **इस जलवायु संवाद का सह-अध्यक्ष** वह देश होता है जिसके द्वारा **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)** के आगामी सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है।

पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें संस्करण की प्रमुख विशेषताएँ

- इस संस्करण में भारत सहित लगभग 30 देशों ने भाग लिया था।
- जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इसकी सह-अध्यक्षता की गई। UNFCCC के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन (COP-26) की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम द्वारा की जाएगी।
- **इस संवाद में व्यापक रूप से निम्नलिखित विषयों को रेखांकित किया गया:**
    - कोविड-19 की समाप्ति के पश्चात् आर्थिक सुधार की योजना को, **पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों** के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
    - **वर्ष 2020 तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के जलवायु वित्त जुटाने के लक्ष्य** की पूर्ति के लिए **बहुपक्षीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया गया तथा विकासशील देशों को समर्थन** प्रदान करने की बात कही गयी।
    - पेरिस समझौते के तहत **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution: NDC) और दीर्घकालिक रणनीतियों** के विकास को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।
    - भारत ने उसी प्रकार **जलवायु प्रौद्योगिकी के सुलभ पहुँच और वहनीय लागत पर उपलब्ध** कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिस प्रकार सभी देश एकजुट होकर कोविड-19 के वैक्सीन की खोज करने में संलग्न हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

- इसे **वर्ष 1992** में अंगीकृत किया गया था। **UNFCCC, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित** करने और तापमान में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है।
- इसका **सचिवालय बॉन (जर्मनी)** में स्थित है।
- **कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP)** इस सम्मेलन की सर्वोच्च निर्णय-निर्माणकारी निकाय है।
- वे सभी राष्ट्र जो इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं, उन्हें COP में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है।
- जब तक पक्षकार देशों द्वारा इस सम्मेलन के आयोजन के पक्ष में कोई निर्णय नहीं किया जाता है तब तक इसके सम्मेलन का आयोजन **प्रति वर्ष** किया जाता है।

COP-26

- इसका आयोजन नवंबर 2020 में ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में किया जाना था, लेकिन इसे अब कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 तक स्थगित कर दिया गया है।
- इस सम्मेलन को पेरिस समझौते में उल्लिखित मानकों के अनुरूप **प्रथम "ग्लोबल स्टॉकटेक"** के रूप में आयोजित किया जाना था।
    - **ग्लोबल स्टॉकटेक,** देशों के जलवायु परिवर्तन कार्यवाहियों के प्रभाव के आकलन हेतु प्रस्तावित समीक्षा के रूप में संदर्भित करता है।

5.8. उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण (Naming of Tropical Cyclones)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** द्वारा उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए **169 नए नामों की सूची** जारी की गई।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण

- विश्व भर में **छह** क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (Regional Specialised Meteorological Centres: RSMCs) और **पांच** क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र (Tropical Cyclone Warning Centres: TCWCs) मौजूद हैं जिन्हें **उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण और संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए अधिदेशित** किया गया है।

VISION IAS

* **IMD, इन छह RSMCs में से एक है** तथा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर में निर्मित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण हेतु उत्तरदायी है।
* ये नए नाम **WMO/ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन (PTC)** के **13 सदस्य देशों द्वारा** उपलब्ध कराए गए हैं **(बॉक्स देखिए)**।
* **भारत द्वारा दिए गए चक्रवातों के नाम हैं:** गति, तेज, मुरासु (Murasu), आग, व्योम, झार, प्रोबाहो (Probaho), नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अंबुद, जलधि और वेगा।
* **उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए नामकरण प्रक्रिया की शुरुआत सितंबर 2004 में हुई थी।**
* उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवात का नामकरण तब किया जाता है जब उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति **62 किमी/घंटे से अधिक** हो जाती है।

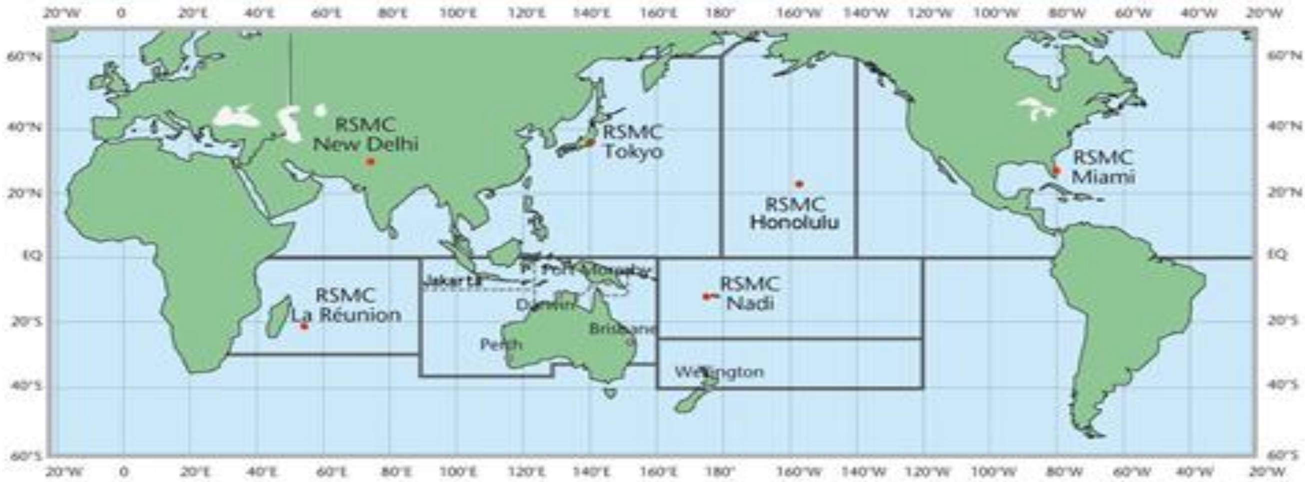

WMO/ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन (PTC) के बारे में

* यह एक **अंतर-सरकारी क्षेत्रीय निकाय** है, जिसे **वर्ष 1972** में संयुक्त रूप से विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया-प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) द्वारा स्थापित किया गया था।
* यह WMO के उष्णकटिबंधीय चक्रवात कार्यक्रम से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निगरानी और पूर्वानुमान करने में सदस्यों की सहायता करना है ताकि आपदा द्वारा होने वाली मानवीय एवं बुनियादी ढांचे की क्षति को कम किया जा सके।
* **उद्देश्य:**
    * बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी प्रणाली में सुधार हेतु उपायों को बढ़ावा देना।
    * उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़े अनुसंधान एवं पूर्वानुमान प्रयासों पर तकनीकी सूचनाएं प्रदान करना।
* **सदस्य देश:** भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

5.9. अंटार्कटिका में प्रथम ज्ञात हीट वेव का अवलोकन (Antarctica Experiences First Known Heat Wave)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका में पहली बार हीट वेव की उपस्थिति देखी गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

* वर्ष 2019-2020 में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिणी गोलार्ध के पूर्वी अंटार्कटिका क्षेत्र में इस हीट वेव की घटना को दर्ज किया गया था।
* 23 जनवरी से 26 जनवरी 2020 के मध्य न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से अधिक जबकि अधिकतम तापमान 7.5 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया था।
    * **हीट वेव को अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाले तीन क्रमागत दिनों के रूप में वर्गीकृत** किया जाता है।

इस हीट वेव की उत्पत्ति के कारण

* वर्ष 1970 के दशक के अंत से ही, वसंत ऋतु के दौरान पूर्वी अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का निर्माण होता रहा है।
* ओजोन क्षरण और आवश्यक तापन के अभाव के कारण समताप मंडल का तापमान कम हो जाता है। यह शीतलन, दक्षिणी मध्य अक्षांशों और अंटार्कटिक के मध्य **उत्तर-दक्षिण तापमान प्रवणता** को बढ़ा देता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में समतापमंडलीय पछुआ पवनें प्रबल हो जाती हैं।
    * यह ग्रीष्मकाल में सामान्यतः **"सकारात्मक" सदर्न एन्यूलर मोड की स्थिति** को उत्पन्न कर देती है। इसका आशय यह है कि दक्षिणी महासागर की पछुआ पवनों की पेटी अंटार्कटिका के निकट स्थानांतरित होकर एक **मौसमी "कवच"** (shield) का निर्माण करती है, जो समशीतोष्ण क्षेत्रों से अंटार्कटिका तक उष्ण वायु के प्रवाह को कम कर देती है।

- हालाँकि, वर्ष 2019 के वसंत ऋतु के दौरान अंटार्कटिका पर समताप मंडल में तीव्र उष्मन के परिणामस्वरूप ओजोन छिद्र के आकार में अत्यधिक कमी हुई थी। इस स्थिति ने **"नकारात्मक" सदर्न एन्यूलर मोड की स्थिति** को बनाए रखा और **कवच** को कमजोर बना दिया।

सदर्न एन्यूलर मोड (SAM), जिसे अंटार्कटिक ऑसिलेशन (AAO) के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्द्ध के मध्य से उच्च-अक्षांशों में लगभग सतत रूप से बहने वाली प्रबल पछुआ पवनों के उत्तर-दक्षिण प्रवाह (गैर-मौसमी) को संदर्भित करता है।

- वर्ष 2019 के अंत में, निम्नलिखित अन्य कारकों के कारण भी अंटार्कटिका क्षेत्र में तापमान वृद्धि को बढ़ावा मिला:
    - भारतीय मानसून के विलंब से निवर्तन के कारण **"सकारात्मक" हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole)** की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसका आशय यह है कि पश्चिमी हिंद महासागर का जल सामान्य से अधिक उष्ण हो गया था।
    - प्रशांत महासागर में इससे एवं अन्य गर्म महासागरीय क्षेत्रों से उठने वाली वायु ने ऊर्जा के स्रोतों का निर्माण किया जिसने मौसम प्रणालियों के मार्ग को परिवर्तित किया तथा समताप मंडल को अव्यवस्थित एवं गर्म करने में सहायता की।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को विश्व के शेष महाद्वीपों से पृथक करता है, किंतु यह वैश्विक जलवायु को अत्यधिक प्रभावित करता है। अंटार्कटिका, **'वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट'** को बनाए रखने में सहायता करता है। यह गहन सागरीय संचरण की एक निरंतर प्रणाली है, जो पृथ्वी के चतुर्दिक महासागरीय उष्मा को स्थानांतरित करती है और अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ वैश्विक सागरीय जल स्तर में वृद्धि करती है।
- अंटार्कटिका में विगत अनियमित ग्रीष्मकालीन अनुभवों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि आगामी वर्षों में जैविक प्रभावों की अनेक घटनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि **पृथ्वी के सबसे दूरस्थ क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं।**

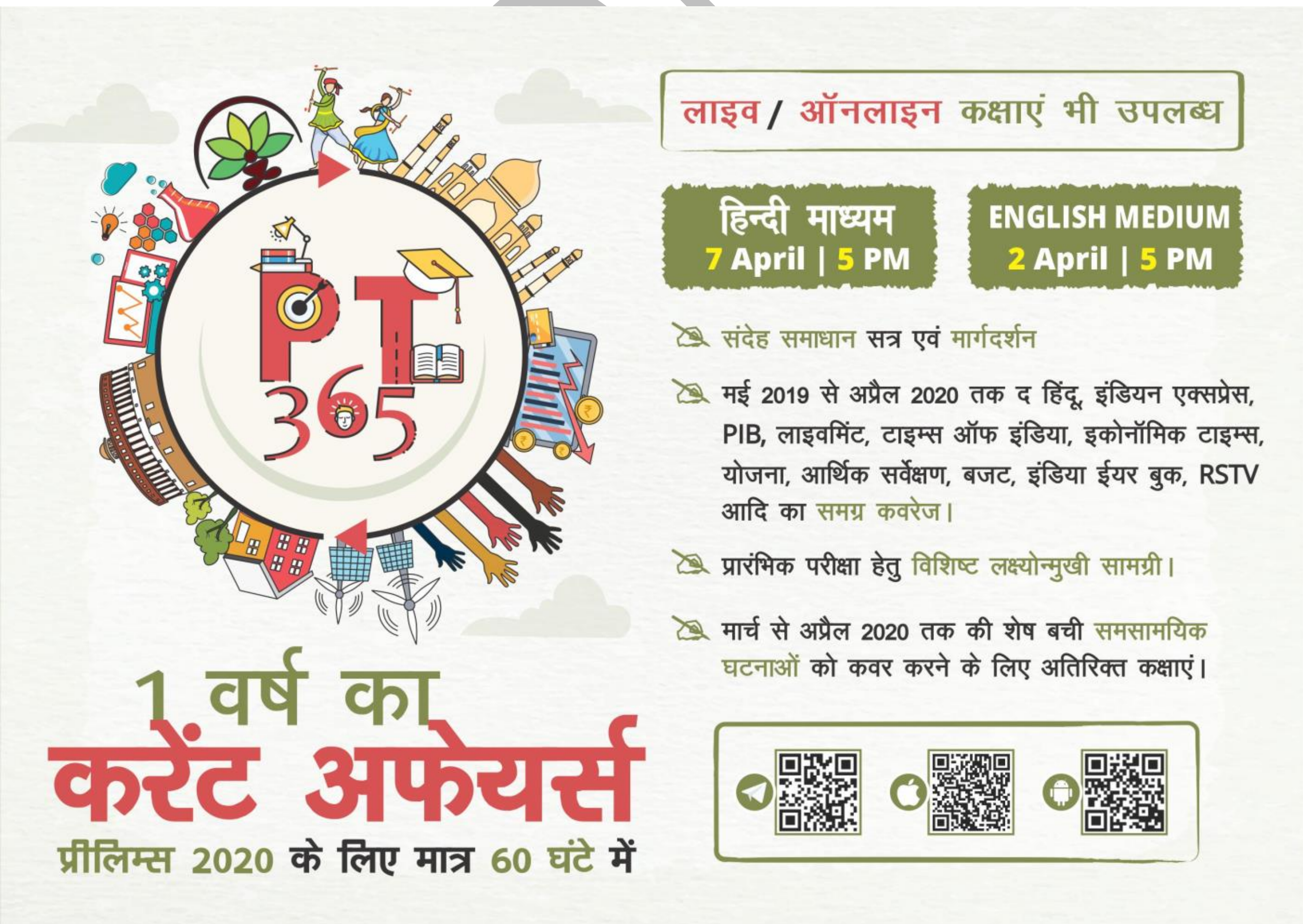

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. शहरों में महामारियों का संकेंद्रण (Urbanisation of Pandemics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व भर में कोविड-19 (COVID-19) महामारी का संकेंद्रण अधिकांशतः शहरों में ही है।

विवरण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा शहरीकरण को 21वीं सदी में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक के रूप में स्वीकार किया है। हालिया दशकों में, कई उभरते संक्रामक रोग शहरों में वर्धित पैमाने पर और निरंतर व्युत्पन्न हुए हैं।
    - उदाहरणार्थ- इबोला वायरस रोग, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS), एवियन और इन्फ्लूएंजा महामारी, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS) तथा हाल ही में उभरी कोविड-19 महामारी।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक प्रतिशत के शहरी केंद्रों में हो रहे अंतरण के परिणामस्वरूप **शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक स्थानांतरण** हुआ है जिसके कारण, शहरों में महामारी (epidemics) और सर्वव्यापी महामारी (pandemics) के अनुक्रम का संकेन्द्रण सुदृढ़ हुआ है।
- कोविड-19 मामलों की सर्वाधिक संख्या से ग्रसित देश, जैसे- स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका **अत्यधिक उच्च नगरीकृत देशों में से हैं।**
- भारत में, 26 अप्रैल तक सामान्यतया अधिक नगरीकृत राज्य/संघ शासित प्रदेश कोरोना से प्रभावित शीर्ष दस राज्यों में सम्मिलित थे। इनमें महाराष्ट्र (45% शहरीकरण), गुजरात (43%), दिल्ली (98%), तमिलनाडु (48%) आदि शामिल हैं।
    - मेगासिटी और विशाल भारतीय शहरों पर विचार करने पर इस महामारी की शहरी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। 20 अप्रैल तक **भारत के दस शहरों में कोरोनो वायरस के आधे से अधिक मामले थे।** इन शहरों में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और आगरा सम्मिलित हैं।

बढ़ते शहरीकरण से महामारियों के प्रबंधन में चुनौतियाँ

बढ़ते शहरीकरण से महामारियों के लिए उत्तरदायी कारण	**संबद्ध चुनौतियाँ**
उच्च जनसंख्या घनत्व और सार्वजनिक परिवहन की अधिकता	• प्रबंधित करने हेतु एक विशाल जनसंख्या; • सघन क्षेत्रों में मनुष्यों के मध्य रोग का सुगम प्रसार; • संपर्क ट्रेसिंग में कठिनाइयाँ (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों में अनौपचारिक संपर्क); • निम्नस्तरीय आवासन परिवेश के परिणामस्वरूप असमानताएं, जो प्रकोप की रोकथाम और नियंत्रण प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं; • खाद्य बाजारों के माध्यम से या पहले से अक्षत पारिस्थितिक तंत्र में विस्तार के कारण मानव-वन्य जीव संघर्षों में वृद्धि।
जंतुओं एवं मनुष्यों के मध्य अंतरापृष्ठ (Interface)	• कृन्तकों और अन्य जीव वाहकों सहित **निम्न-स्तरीय स्वच्छता के क्षेत्र**; • जीवित घरेलू और वन्य जीवों के बाजार; • मनुष्यों के निकट सामीप्य में बैकयार्ड फार्म्स (घरों के पश्च परिसरों में खेत भूमि) में या औद्योगिक कृषि प्रतिष्ठानों में जीवों की बढ़ती घुसपैठ आदि।
स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शासन	• **एक सीमित स्थानीय बजट के तहत हितों के मध्य प्रतिस्पर्धा**; • प्रतिक्रिया उपायों को शीघ्रता से लागू करने हेतु अपर्याप्त अधिकार; महामारी संबंधी अपर्याप्त तत्परता क्षमताएं या उप-राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर क्षमताएं; • राष्ट्रीय क्षमताओं तक पहुँचने में कठिनाइयाँ।
विषमजातीय उप-जनसंख्या (subpopulations)	• सामाजिक अंतर्क्रिया और स्वीकार्य नियंत्रण उपायों सहित सांस्कृतिक कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला;

VISION IAS

	• कुछ उप-जनसंख्या तक पहुंच में कठिनाई।
अन्य शहरी केंद्रों के लिए उच्च कनेक्टिविटी (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)	• कई आयातित घटनाओं की उच्च संभावना; • देश के अन्य भागों या अन्य देशों में रोग के तीव्र संचरण का जोखिम; • भय, यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध का कारण बन सकता है।
वाणिज्य केंद्र	• आर्थिक गतिविधि, स्थिरता और विकास में अत्यधिक व्यवधान
अपरंपरागत संवाद और अंतर्क्रिया	• कई सूचना स्रोत भ्रामक सूचना को बढ़ावा देते है; • मिथ्या सूचना का प्रसार तेजी से हो सकता है।

महामारी पश्चात् नगर नियोजन

निकट भविष्य में सोशल डिस्टेंसिंग की संभावना के साथ, हमें यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि शहर का डिज़ाइन अन्य विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, सामाजिक गतिशीलता और रोग नियंत्रण को किस प्रकार प्रभावित करता है। भविष्य की महामारियों से निपटने हेतु आवश्यक शहरी नियोजन के आधारभूत पहलुओं पर निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

- **शहरी डिज़ाइन:**
  - **शहरी आंकड़े:** उत्तम शहरी डिज़ाइन सदैव एक आवश्यकता रही है, किंतु इसे **आंकड़े और फीडबैक लूप्स** की आवश्यकता होती है। अधिकांश भारतीय शहरों में योजना और अनुसंधान के लिए आंकड़े वास्तव में संरचित नहीं हैं।
  - **विस्तृत फुटपाथ और पद यात्रा अनुकूल सड़कों** की आवश्यकता है, जिससे कि लोग संकीर्ण फुटपाथों पर एक साथ एकत्रित न हों।
  - **स्वास्थ्य सुविधाओं को अद्यतित करना।**
  - सार्वजनिक शौचालयों, अन्य सार्वजनिक स्थानों, बसों और ट्रेनों में, बस और मेट्रो स्टॉप्स व रेलवे स्टेशनों आदि पर **स्वच्छता सुविधाओं एवं सुरक्षा संबंधी सूचनाओं की उपलब्धता।**
- **आवास:**
  - आय अर्जक वर्गों में आवासों में **रहने में सुगमता (liveability) और आराम** सुनिश्चित करने के क्रम में, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कई कारकों पर विचार करना होगा, यथा- भवन वर्गीकरण (बिल्डिंग टाइपोलॉजी), संसाधन दक्षता, जल, ऊर्जा और अपशिष्ट से संबंधित सामान्य सेवाएं, स्थानीय पहलू, कनेक्टिविटी, शहरी हरियाली आदि।
  - क्षेत्रीय लाभप्रदता तथा वहनीय आवास और स्व-निर्मित बस्तियों हेतु परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मास्टर प्लान में **अवस्थिति को निर्धारित किया जाना चाहिए।** इससे जीवनयापन की आर्थिक एवं सामाजिक लागत में कमी होगी।
  - मुंबई में धारावी और शिवाजी नगर तथा नई दिल्ली में मंगोलपुरी की स्व-निर्मित बस्तियों को डिज़ाइन सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पेशेवर वास्तुकार व योजनाकार एकजुट हुए हैं। अन्य शहरों में भी इस प्रकार की पहल का प्रसार किया जाना चाहिए।

कोविड-19 के पश्चात् शहरी नियोजन की जांच-पड़ताल हेतु मूलभूत प्रश्न

- एक शहर को कितना संघनित होना चाहिए? **(एकत्रीकरण बनाम विएकत्रीकरण)**
- लोगों को किस प्रकार यात्रा करनी चाहिए? **(सार्वजनिक परिवहन बनाम निजी परिवहन)**
- लोगों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए? **(कार्यस्थल बनाम घर से कार्य करना)**
- लोगों को किस प्रकार ख़रीददारी करनी चाहिए? **(रिटेल आउटलेट्स बनाम ऑनलाइन शॉपिंग)**
- लोगों को चिकित्सकों से किस प्रकार परामर्श प्राप्त करना चाहिए? **(चिकित्सक के पास जाना बनाम टेलीमेडिसिन)**
- लोगों को किस प्रकार समाजिक बनना चाहिए? **(सामाजिक संबंध बनाम सामाजिक दूरी)**
- शहर का कितना भाग निर्माण रहित होना चाहिए? **(निर्मित शहर बनाम सार्वजनिक खुले स्थान)**
- शहर को अपने निर्धनों के लिए किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? **(मलिन बस्ती बनाम आवास)**
- डिजिटल अवसंरचना कितनी अधिक होनी चाहिए? **(डिजिटल बनाम मैन्युअल)**

- **गतिशीलता:**
  - सभी भारतीय शहरों में रेल, बस तथा ऑटो-रिक्शा सहित औपचारिक और अनौपचारिक सार्वजनिक परिवहन गतिशीलता का आधार हैं।

- विश्व भर के शहरों में **सतत गतिशीलता** को बढ़ावा देने हेतु सड़क के स्थानों का आवंटन आवश्यक रूप से पुनर्कल्पित होता जा रहा है, जो भविष्य के आघातों का सामना करने में समुत्थान क्षमता संपन्न और उचित है, उदाहरणार्थ-
  - **लंदन और डबलिन शहर,** शॉपिंग इलाकों में शारीरिक दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) को सुनिश्चित करने हेतु **अस्थायी कोन्स (cones) के साथ फुटपाथ की चौड़ाई में वृद्धि कर रहे हैं।**
  - **मिलान (इटली)** शहर निम्न लागत वाले अस्थायी साइकिल मार्ग, विस्तृत चौड़ाई वाले नवीन फुटपाथ, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा बनाए रखने आदि के साथ **पद यात्रा और साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है।**
  - **मेलबॉर्न** में ऐसे पड़ोस का परीक्षण किया जा रहा है, जहां नितांत **दैनिक आवश्यकताओं का सर्वाधिक भाग 20 मिनट** की पैदल दूरी, बाइक सवारी या सार्वजनिक परिवहन के आवागमन के माध्यम से पूरित होता हो।
  - चेन्नई और पुणे जैसे शहरों ने वर्ष 2014 के पश्चात् 100 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा के अनुकूल सड़कों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई इस वर्ष **मेगा स्ट्रीट्स प्रोग्राम** के माध्यम से अपने प्रयासों में चौगुनी वृद्धि कर रहा है, जिससे प्रेरित होकर तमिलनाडु ने 10 और शहरों में इस कार्यक्रम का विस्तार किया है।
- **स्थानिक योजना:**
  - प्रत्येक आपदा या संकट के दौरान चाहे वह बाढ़, चक्रवात अथवा महामारी हो, शहरी निर्धनों के सघन संकेंद्रण वाले क्षेत्र शहर के शेष भागों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। इन स्थानों पर अवसंरचना और सुविधाएं सामान्य समय में भी निम्नस्तरीय होती हैं।
  - इस महामारी ने पुनः निर्माण स्थलों की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जो पृथक बस्ती (ghettos) नहीं होंगी, किंतु **गैर-पृथक्कृत मिश्रित-वर्ग तथा मिश्रित-उपयोग वाले पड़ोसी क्षेत्र होंगे,** जो लोगों को एक-दूसरे की सहायता करने में सक्षम होंगे।
    - इस प्रकार के मिश्रण से यह सुनिश्चित होगा कि **उपेक्षा और निर्धनता** को किसी लघु भूखंड में परिबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुभेद्य जनसंख्या को भी शहर के केंद्र एवं इसके संसाधनों तक पहुंच प्राप्त है और जोखिम के दौरान उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष

वर्तमान कोविड-19 महामारी ने एक प्रमुख सीख यह दी है कि शहरीकरण ने लोगों और समुदायों के रहने, कार्य करने एवं वार्ता करने के तरीके को परिवर्तित कर दिया है। इसलिए, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु प्रणालियों एवं स्थानीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है। एक वैश्विक समुदाय के रूप में, हमें सुदृढ़ तत्परता वाली प्रणालियों में सामूहिक रूप से निवेश करना चाहिए एवं उनका निर्माण करना चाहिए, जो तीव्र शहरीकृत समायोजन हेतु बेहतर रूप में अनुकूलित हों।

6.2. लैंगिक हिंसा और कोविड-19 (Gender Violence and COVID-19)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **यूएन वीमेन (UN Women)** ने लैंगिक हिंसा में वृद्धि को **"शैडो पैनडेमिक" (shadow pandemic)** की संज्ञा देते हुए अपने सदस्य देशों से, कोविड-19 पर उनकी कार्य योजनाओं में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम संबंधी उपाय शामिल करने हेतु आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर घरेलू हिंसा में भयावह वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने घरेलू हिंसा को 'पूर्ण रूप से समाप्त करने' की अपील की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) ने अनुमान लगाया है कि यदि लॉकडाउन आगामी छह माह तक जारी रहता है, तो विश्वव्यापी घरेलू हिंसा के मामलों में 31 मिलियन की और अधिक वृद्धि हो जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि, भारत में 23 मार्च से 1 अप्रैल तक **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)** के पास संपूर्ण देश से घरेलू हिंसा की 69 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से अधिकांश मामले **उत्तर भारत** विशेषतया **पंजाब** से दर्ज किए गए हैं। **राज्य आयोगों** द्वारा भी घरेलू दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है।
- हालांकि, नोवल कोरोना वायरस के वैश्विक प्रसार से पूर्व के भी आंकड़े दर्शाते हैं कि **संपूर्ण विश्व में लगभग एक-तिहाई महिलाओं ने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना किया है।**

सामान्य कारण/संबद्ध मुद्दे

- **रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक मानसिकता:** पुरुष वर्चस्व और महिलाओं पर नियंत्रण, पुरुष विशेषाधिकार एवं महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति, बंध्यता अथवा पुत्र की इच्छा इस हिंसा के कुछ सामान्य कारण हैं। महिलाओं द्वारा अपने जीवन साथी से हिंसात्मक व्यवहार का सामना करने की अधिक संभावना तब होती है जब वे अल्प शिक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त अपनी सास के साथ बहस हो जाने पर साथी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार का सामना किया जाना एवं पुरुषों को अधिक अधिकार और महिलाओं की

अधीनस्थ स्थिति तथा उनका दृष्टिकोण हिंसा को स्वीकार करने वाला बन जाता है।

- विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में **परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक संबंध,** जैसे- कामकाजी महिलाओं की अपने जीवन साथी की तुलना में अधिक आय, ससुराल पक्ष द्वारा दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा करना, दहेज़ की मांग करना आदि।
- **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा विधवाओं के साथ हिंसा:** अधिकांशतया उन्हें उनके पति की मृत्यु हेतु अभिशप्त घोषित किया जाता है तथा उन्हें उपयुक्त भोजन व वस्त्रों से भी वंचित कर दिया जाता है। कई परिवारों में उन्हें पुनर्विवाह का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता। साथ ही, संयुक्त परिवारों में अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा उत्पीड़न व बलात्कार के प्रयास के मामले भी दृष्टिगत हुए हैं।

कोविड-19 के कारण किस प्रकार घरेलू हिंसा के मामलों में और अधिक वृद्धि हो रही है?

- चूंकि, लॉकडाउन के कारण लोगों की आवाजाही पर **कठोर नियंत्रण अधिरोपित** है, अतः इस दौरान महिलाओं के साथ **शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार** किए जाने की अधिक संभावना उत्पन्न हो जाती है।
  - महामारी के कारण अनिवार्य रूप से घरों में ही रहने (स्टे एट होम) जैसे नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग तथा आर्थिक अनिश्चितताओं एवं चिंताओं ने इस प्रकार की संभावनाओं को और अधिक बढ़ा दिया है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार आपदाएं उस "भौतिक और सामाजिक परिवेश" को बाधित करती हैं, जिसने आश्रय, नियमित दिनचर्या से संबंधित हिंसात्मक गतिविधियों एवं हिंसा रोकथाम प्रणालियों को सुदृढ़ किया है।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और पुलिस के दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही, ये कार्मिक अभाव जैसी समस्या से भी ग्रसित हैं, स्थानीय सहायता समूह सामर्थ्यहीन हो गए हैं या उनके पास निधियों का अभाव है तथा **घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं हेतु आश्रय केंद्र या तो अभी बंद हैं** या उनमें स्थान अनुपलब्ध हैं।
- ये सीमाएं **"दोषी व्यक्तियों को दंडमुक्त बनाती हैं"**, क्योंकि कई देशों में मौजूदा कानून महिलाओं के अनुकूल नहीं हैं। ध्यातव्य है कि चार देशों में से एक देश में विशेष रूप से महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कोई भी कानून विद्यमान नहीं है।

सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय

- **वन स्टॉप सेंटर्स को सुव्यवस्थित करना:** महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वन स्टॉप सेंटर्स (जो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को विधिक एवं मानसिक व सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं) को स्थानीय मेडिकल टीम, पुलिस और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा/NALSA) के साथ संबद्ध किया जाए ताकि उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण बाधित न हों। साथ ही, इन सेंटर्स को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS) से भी संबद्ध करने का सुझाव दिया गया है, ताकि महिलाओं द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं से निपटा जा सके।
  - लगभग 1,000 व्यक्ति लाइव वीडियो कांफ्रेंस में शामिल हुए थे, जिनमें वन स्टॉप सेंटर्स के कार्मिक के साथ-साथ संकटग्रस्त महिलाओं हेतु आश्रय आवास केंद्र **(स्वाधार गृह, उज्ज्वला होम्स आदि)** तथा कामकाजी महिलाओं के होस्टल्स के सदस्य भी शामिल थे।
- हाल ही में, **राष्ट्रीय महिला आयोग** ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल विकल्प के साथ-साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिससे महिलाओं को सहायता प्राप्त करना अत्यंत सुगम हो जाएगा।
- **राज्यों की पहलें:**
  - उत्तर प्रदेश पुलिस ने मार्च में महिलाओं की रक्षार्थ **"सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस"** नामक एक पहल का शुभारम्भ किया था, जिसमें पीड़ित महिलाओं से एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का आह्वान किया गया था, ताकि महिला पुलिस अधिकारी शिकायत का समाधान करने हेतु उन तक पहुंच सके।
  - उत्तर प्रदेश में ही एक **सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम** आरम्भ किया गया है, जिसके तहत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के विषय में जागरूकता सृजित करने, घरेलू हिंसा की पहचान करने और मुद्दों का समाधान करने के तरीकों के संबंध में सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें लोगों को फ़ोन कॉल करने और उन्हें अपना अनुभव साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
  - **"बेल बजाओ"** नामक एक अन्य अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत पुरुषों और लड़कों से घरेलू हिंसा के विरुद्ध सक्रिय होने का आग्रह किया गया है।
  - **"एमपॉवर 1 ऑन 1" (Mpower 1on1) :** यह वस्तुतः घरेलू दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने हेतु मुंबई में लॉन्च की गई एक हेल्पलाइन है, जो एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने हेतु महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा किया गया एक समन्वयकारी प्रयास है।
- **गैर सरकारी संगठन (NGOs) और नागरिक समाज:** घरेलू हिंसा के विरुद्ध कार्य करने वाले NGOs यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक सदस्य प्रतिदिन कम से कम 10 महिलाओं को कॉल करें, ताकि "महिलाओं को यह महसूस हो सके कि वे अकेली नहीं हैं।"
  - **नारी मुक्ति संगठन** जैसे NGOs नि:शुल्क परामर्श प्रदान कर व अपराध की रिपोर्टिंग हेतु ऑनलाइन सुविधा के प्रयोग द्वारा महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

VISION IAS

- **न्यायिक हस्तक्षेप: न्यायालयों द्वारा इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया गया है**
    - **जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय** ने लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित किया है तथा निर्देशों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है, जिसके तहत एक **विशेष कोष सृजित करने तथा किराने की दुकानों और औषधालयों जैसे स्थानों को महिलाओं हेतु अनौपचारिक सुरक्षित स्थल नामित करने के उपबंध शामिल हैं, ताकि महिलाएं दोषियों को सचेत किए बिना घरेलू हिंसा व दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कर सकें।**
    - हाल ही में, **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने यह निर्देश दिया है कि राज्य और केंद्र सरकार घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षार्थ उपाय सुनिश्चित करें।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की संस्तुतियां

- संयुक्त राष्ट्र ने सभी सरकारों को कोविड-19 के प्रति उनकी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना के एक मुख्य घटक के रूप में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम व समाधान हेतु उपाए करने व स्थिति में सुधार करने हेतु व्यवहार्य कार्यवाहियों को रेखांकित करने का आग्रह किया है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - ऑनलाइन सेवाओं और नागरिक समाज संगठनों में निवेश को बढ़ाना;
    - यह सुनिश्चित करना कि न्यायिक तंत्र द्वारा **दोषियों को किसी भी प्रकार की दंडमुक्ति प्रदान न की जाए** तथा महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं को **उच्च प्राथमिकता** प्रदान कर, दोषियों पर अभियोग चलाना जारी रखना चाहिए;
    - औषधालयों और किराने की दुकानों में आपात चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना;
    - आश्रय केंद्रों को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित करना;
    - दोषियों को सतर्क किए बिना इच्छुक महिलाओं को सुगम तरीके से सहायता प्रदान करना;
    - महिलाओं के साथ किसी भी रूप में हिंसा करने वाले दोषसिद्ध कैदियों को रिहा न करने के उपाए करना; तथा
    - विशेष रूप से पुरुषों एवं लड़कों पर केंद्रित लोक जागरूकता अभियानों का संचालन करना।

भारत में घरेलू हिंसा से प्रत्यक्ष रूप से निपटने वाले मुख्यतया तीन कानून विद्यमान हैं:

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

- इस अधिनियम के अंतर्गत **घरेलू हिंसा की परिभाषा को विस्तृत किया गया है,** जिसमें न केवल शारीरिक, बल्कि मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है।
- **व्यापक परिभाषा -** "घरेलू नातेदारी" में विवाहित महिलाएं, माताएं, पुत्रियां व बहनें शामिल हैं।
- यह कानून न केवल विवाहित महिलाओं को बल्कि **लिव इन रिलेशनशिप में रह रहीं महिलाओं** और साथ ही पारिवार के अन्य सदस्यों, यथा- माता, मातामही आदि को भी संरक्षण प्रदान करता है।
    - उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम **तलाक के उपरांत भी लागू होता है।**
    - न्यायालय ने यह निर्धारित करने हेतु कि कोई महिला अपने प्रति हो रहे घरेलू हिंसा में शामिल अन्य महिला के विरुद्ध भी परिवाद दायर कर सकती है, घरेलू हिंसा अधिनियम में संगत प्रावधान से **"वयस्क पुरुष" पदावली को भी निरस्त कर दिया है।**
- इस कानून के तहत महिलाएं **घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण** और **वित्तीय क्षतिपूर्ति** की मांग कर सकती हैं तथा पृथक निवास के संबंध में दोषी व्यक्ति से भरण-पोषण भी प्राप्त कर सकती हैं।
- यह **सुरक्षित आवास का अधिकार** भी प्रदान करता है अर्थात् वैवाहिक या साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक अथवा लाभप्रद हित रखती हो या नहीं। ज्ञातव्य है कि इस अधिकार को न्यायालय द्वारा पारित एक निवास आदेश के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है।
- इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट एक आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी व्यक्ति पीड़िता से संपर्क स्थापित न कर सके।
- इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्यर्थी (respondent) द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश को भंग करना, इस अधिनियम के अधीन **संज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध** होगा तथा उसे एक वर्ष तक के कारावास या 20,000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- यह महिलाओं के लिए चिकित्सीय परीक्षण, विधिक सहायता और सुरक्षित शरण हेतु सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संरक्षण अधिकारी व NGOs की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है।
- यह अधिनियम **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)** के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है। ज्ञातव्य है कि **भारत ने वर्ष 1993 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की थी।**

दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम: यह एक आपराधिक क़ानून है जो दहेज़ लेने व देने, दोनों को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इस अधिनियम के

अधीन यदि कोई दहेज़ लेता है या देता है अथवा उसकी मांग करता है, तो उसे छह माह तक के कारावास या पांच हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A: यह भी एक आपराधिक क़ानून है, जो पति व पति के उन नातेदारों पर लागू होता है, जिनके द्वारा महिलाओं (विशेषतया पत्नी) के साथ निर्दयी व्यवहार किया जाता है।

6.3. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Internal Displacement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (Internal Displacement Monitoring Centre: IDMC) द्वारा **आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट, 2020 (GRID, 2020)** जारी की गई।

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC)

- इसकी स्थापना **नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल** के एक भाग के रूप में वर्ष 1998 में की गई थी। यह एक गैर-सरकारी संगठन है, जो विस्थापन से प्रभावित लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है।
- यह नीतिगत और परिचालनात्मक निर्णयों के संदर्भ में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से आंतरिक विस्थापन पर उच्च-गुणवत्तायुक्त आंकड़े, विश्लेषण और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- वर्ष 2019 में **वैश्विक रूप से लगभग 33.4 मिलियन नए लोग विस्थापित हुए,** जिनकी संख्या वर्ष 2012 के उपरांत अब तक की सर्वाधिक है।
    - सर्वाधिक विस्थापन **दक्षिण एशियाई क्षेत्र** में हुआ है।
- **आंतरिक रूप से विस्थापित (IDPs)** लोगों की कुल संख्या लगभग **50.8 मिलियन** तक हो गई है।
    - IDPs के तहत 15 वर्ष से कम आयु के 18.3 मिलियन बच्चे शामिल हैं तथा 3.7 मिलियन 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं।
- **विस्थापन के प्रमुख कारक संघर्ष एवं हिंसा हैं:**
    - अब तक सर्वाधिक **45.7 मिलियन** लोग संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं।
        - इनमें से तीन-चौथाई विस्थापन केवल 10 देशों, यथा- सीरिया, कोलंबिया, यमन, अफ़ग़ानिस्तान आदि में हुआ है।

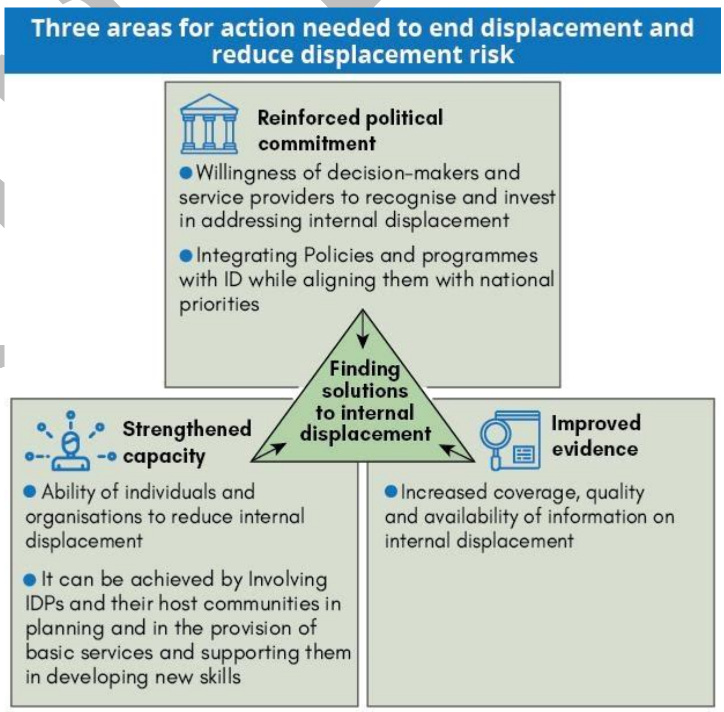

- वर्ष 2019 में विश्व में **आपदा के कारण विस्थापित होने वाले नए लोगों की सर्वाधिक संख्या (पांच मिलियन) भारत में रही है।**
    - यह जोखिमों की बढ़ती प्रबलता, अधिक जनसंख्या के प्रभावित होने, संघर्ष और सामाजिक एवं आर्थिक सुभेद्यता के उच्च स्तर के संयोजन का परिणाम था।
    - **भारत में आपदाओं के परिणामस्वरूप 5,90,000 लोग** आंतरिक विस्थापितों के रूप में जीवनयापन कर रहे हैं। आपदा के कारण होने वाले नव विस्थापन के लिए दक्षिणी-पश्चिमी मानसून और विभिन्न क्षेत्रों में सूखे के साथ-साथ फ़ानी, वायु, बुलबुल आदि जैसे विविध चक्रवात उत्तरदायी रहे हैं।
- IDPs शरणार्थियों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे देश की सीमा को पार नहीं करते हैं तथा इन्हें सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण भी प्राप्त नहीं होता है। ये राष्ट्रीय क़ानूनों के अधीन होते हैं तथा इन्हें अत्यल्प संरक्षण प्राप्त होता है।

VISION IAS

6.4. ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन (Global Education Coalition: GEC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा **ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन** (वैश्विक शिक्षा गठबंधन) का शुभारंभ किया गया।

यूनेस्को के बारे में

- यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक **विशेषीकृत एजेंसी** है, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति की स्थापना हेतु प्रयासरत है।
- **इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945** को हुई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में अवस्थित है।

ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन (GEC) के बारे में

- **ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन** संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्रक, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, कल्याणकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों आदि को सम्मिलित करने वाली एक **बहु-क्षेत्रक साझेदारी** है।
- यह कोविड-19 महामारी के कारण **शैक्षिक व्यवधान** की अवधि में बच्चों एवं युवाओं के लिए **समावेशी अधिगम अवसरों की सुविधा** प्रदान करता है।
- **GEC के उद्देश्य:**
  - 'हाई टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी एंड नो टेक्नोलॉजी' दृष्टिकोण के माध्यम से सुदूरवर्ती स्थानों पर शिक्षा प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाने और नवाचार एवं संदर्भ आधारित समाधानों को क्रियान्वयित करने में देशों की सहायता करना।
  - **न्यायोचित** समाधान और **सार्वभौमिक** पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना।
  - समन्वित प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करना तथा अतिव्यापी प्रयासों (overlapping efforts) से बचाव करना।
  - ड्रॉपआउट दरों (बीच में ही विद्यालय छोड़ने की दर) में वृद्धि से बचने के लिए विद्यालय के पुनः खुलने पर छात्रों को विद्यालय जाने की सुविधा प्रदान करना।

यूनेस्को के अनुसार स्कूल बंद होने के प्रतिकूल परिणाम

- **बाधित शिक्षा,** क्योंकि बच्चें एवं युवा वृद्धि एवं विकास के अवसरों से वंचित हुए हैं, विशेष रूप से सुविधाओं से वंचित ऐसे बच्चों को स्कूल से बाहर कम शैक्षिक अवसर प्राप्त होते हैं।
  - 191 देशों ने अपने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है जिससे शिक्षा के पूर्व प्राथमिक (pre-primary) स्तर से लेकर तृतीयक/उच्च स्तर (tertiary) तक 1.5 बिलियन से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं (विश्व भर में 10 में से 9 छात्र प्रभावित हैं)।
- **निम्न पोषण** क्योंकि बहुत से बच्चे एवं युवा, भोजन और स्वस्थ पोषण के लिए स्कूलों में दिए जाने वाले निःशुल्क या रियायती भोजन पर निर्भर होते हैं।
- **शिक्षकों के लिए भ्रम और तनाव की स्थिति विद्यमान है** क्योंकि वे प्रायः अपने दायित्वों और शिक्षण हेतु सहायता करने के लिए छात्रों के साथ किस प्रकार संबंद्धता को बनाए रखें, इस संबंध में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई हैं।
- माता-पिता, विशेष रूप वे जिनके पास सीमित शिक्षा एवं संसाधन होते हैं, अपने बच्चों को **दूरस्थ एवं आवासीय स्कूलों में भेजने में सक्षम नहीं होते हैं।**
- **दूरस्थ शिक्षा के सृजन, इसे बनाए रखने तथा इसमें सुधार करने में चुनौतियां,** क्योंकि सुदूरवर्ती शिक्षा के लिए विद्यमान पोर्टल, मांग के कारण दबावग्रस्त हो जाते हैं।
- दीर्घकालिक बंदी और आर्थिक आघात, बच्चों पर कार्य करने एवं वित्तीय रूप से तनावग्रस्त परिवारों के लिए आय उत्पन्न करने हेतु दबाव उत्पन्न करता है, इसके कारण **ड्रॉपआउट दरों** में वृद्धि होती है।
- **सामाजिक विलगन** क्योंकि विद्यालय, सामाजिक गतिविधि और मानव अंतर्क्रिया अर्थात् शिक्षा एवं विकास हेतु आवश्यक केंद्र होते हैं।

VISION IAS

- **अधिगम को मापनीय बनाने और प्रमाणित करने में चुनौतियां** क्योंकि दूरस्थ स्थानों पर परीक्षा की व्यवस्था करने की रणनीति निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती हैं, विशेष रूप से तब जब अधिगम के लिए पहुंच परिवर्तनीय हो।

सुरक्षित रूप में स्कूलों को पुनः खोलने हेतु दिशा-निर्देश

कोविड-19 महामारी और संबंधित जोखिमों के मध्य **यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** और **विश्व बैंक** ने स्कूलों के सुरक्षित रूप में पुनः खोलने पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- अपेक्षित और स्कूल से बाहर रहे बच्चों हेतु न्यायोचित पहुंच का विस्तार करने तथा दूरस्थ शिक्षण अभ्यासों को सुदृढ़ एवं मानकीकृत करने हेतु **सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्कूल खोलने और बंद करने के लिए** स्पष्ट नीतियों के साथ नीतिगत सुधार करना।
- पुनर्वापसी और लोचशीलता के लिए शिक्षा प्रणालियों की सुदृढ़ता की दिशा में निवेश कर वित्तपोषण आवश्यकताओं का समाधान करना।
- रोग के संचरण को कम करने वाली स्थितियों को सुनिश्चित करना, आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति की सुरक्षा करना और **स्वस्थ व्यवहार (हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग आदि) को बढ़ावा देना।**
- **उन अभ्यासों पर** ध्यान केंद्रित करना जो **क्षय हुए अनुदेशात्मक समय की क्षतिपूर्ति करते हों,** अध्यापन विज्ञान (पेडागॉजी) को सुदृढ़ करते हों तथा सुदूरवर्ती और दूरस्थ शिक्षा में एकीकृत दृष्टिकोण, जैसे- **हाइब्रिड लर्निंग मॉडल** का निर्माण करते हों।
- **हाशिए पर स्थित समूहों,** जैसे- पहले से ही स्कूल के बाहर रहे बच्चों, प्रवासी बच्चों आदि तक **पहुंच का विस्तार करने** हेतु स्कूल को खोलने की नीतियों और प्रथाओं को अपनाना।
- इन्हे प्रासंगिक भाषाओं और सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराते हुए **महत्वपूर्ण संवाद और आउटरीच को विविधीकृत करना।**

6.5. विद्यादान 2.0 (VidyaDaan 2.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा ई-शिक्षण से संबंधित विषय सामग्री में योगदान करने के लिए **विद्यादान 2.0** कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

विद्यादान

- **विद्यादान वस्तुतः एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें व्यक्ति** (शिक्षक, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ आदि) और **संगठन** (विद्यालय आदि) शिक्षा के क्षेत्र में **ई-शिक्षण में योगदान कर सकते हैं।**
- ये योगदान विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे- कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक की श्रेणी (ग्रेड) और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की शिक्षण परियोजनाओं द्वारा निर्धारित विषय से संबंधित अध्यापन वीडियो, अभ्यास प्रश्न , योग्यता-आधारित विषय, पाठ्य योजना आदि।
- इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुभवों, परामर्श, तनाव से राहत प्रदान करने वाले सत्र, मानसिक अथवा शारीरिक स्वास्थ्य पर सत्र, उन्नति और व्यक्तित्व विकास पर सत्र को साझा करना भी सम्मिलित हो सकता है।

विद्यादान 2.0 के संबंध में

- इस कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष रूप से कोविड-19 की पृष्ठभूमि में छात्रों (विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर दोनों पर) के लिए ई-शिक्षण विषय सामग्री की बढ़ती आवश्यकता और शिक्षण में वृद्धि के लिए स्कूली शिक्षा के साथ डिजिटल शिक्षा को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है।
- विषय-सामग्री की निगरानी अकादमिक विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा की जाएगी तथा देश भर में किसी भी समय और कहीं से भी शिक्षण को जारी रखने हेतु बच्चों के उपयोग के लिए दीक्षा (DIKSHA) ऐप जारी किया जाएगा।
- राज्य और संघ शासित प्रदेश विद्यादान 2.0 के भाग के रूप में स्वयं के कार्यक्रम को आरंभ कर सकते हैं।

दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग) के संबंध में

- वर्ष 2017 में छात्रों के लिए पूरक शिक्षण सामग्री प्रदान करने और शिक्षकों के कौशल को अपग्रेड करने हेतु MHRD द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया था।

- इस पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए **उच्च गुणवत्ता युक्त ई-शिक्षण विषय-सामग्री** उपलब्ध है।
- इस प्रकार, दीक्षा **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के रूप में** कार्य करेगी तथा **शिक्षकों को स्वयं सीखने और प्रशिक्षित होने में सहायता** प्रदान करेगी जिसके लिए मूल्यांकन संसाधन भी उपलब्ध होंगे।
- राज्य, सरकारी निकाय और निजी संगठन, अपने संबंधित शिक्षक संबंधी पहलों में **दीक्षा को एकीकृत** कर सकते हैं।
- वर्तमान में, **दीक्षा 10 भाषाओं,** यथा- हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, असमिया, मराठी, ओडिया, कन्नड़, तमिल और तेलुगू में विषय-सामग्री के सृजन तथा पठन दोनों के लिए सहायता प्रदान करती है।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. BCG वैक्सीन और कोविड-19 (BCG Vaccine and COVID-19)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व भर के शोधकर्ताओं द्वारा नोवल कोरोनोवायरस रोग (COVID-19) के विरुद्ध बेसिलस कैलमेट-गुएरिन (BCG) वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कोरोनावायरस पर महामारी विज्ञान के आंकड़े दर्शाते हैं कि तपेदिक (TB) के विरुद्ध बच्चों को नियमित रूप से प्रतिरक्षित नहीं करने वाले देशों में कोविड-19 के अधिक मामले देखे गए हैं। इन देशों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, इटली और स्पेन सम्मिलित हैं।
- हालांकि, इस अध्ययन पर विशेषज्ञों द्वारा अभी समीक्षा की जानी शेष है तथा इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं कि जीवाणु रोग के विरुद्ध उपयोग किया जाने वाला कोई टीका अथवा वैक्सीन, विषाणु जनित संक्रमण के विरुद्ध कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा भी कोविड-19 की रोकथाम हेतु BCG टीकाकरण की अनुशंसा नहीं की गई है।

बेसिलस कैलमेट-गुएरिन (Bacillus Calmette-Guerin: BCG) वैक्सीन के बारे में

- BCG वैक्सीन को **क्षय रोग के विरुद्ध उपयोग** करने हेतु वर्ष 1921 में फ्रांस में विकसित किया गया था।
- इस वैक्सीन को माइकोबैक्टीरियम बोविस (मवेशियों में क्षय रोग का एक प्रेरक एजेंट) नामक बैक्टीरियम के एक जीवित व कमजोर उपभेद से विकसित किया गया है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस (मनुष्यों में तपेदिक रोग को उत्पन्न करने वाला जीवाणु) से संबंधित है।
- यह वैक्सीन शरीर को TB के जीवाणु के विरुद्ध रोग-प्रतिकारक (antibodies) विकसित करने के लिए प्रेरित करती है और इस प्रकार इससे अन्य टीकों की तरह एक **अनुकूली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (adaptive immune response) उत्पन्न** होती है।
- हालांकि, अन्य टीकों के विपरीत **BCG वैक्सीन सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली (innate immune system) को भी सुदृढ़ कर** सकती है अर्थात् फर्स्ट लाइन डिफेंस जो कई प्रकार के रोगज़नक़ों के शरीर में प्रवेश या संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
- इस वैक्सीन की कार्यक्षमता दर लगभग 60 प्रतिशत है और इसके परिणाम भी देशों के मध्य भिन्न-भिन्न हैं।
- विश्व स्तर पर, इस हेतु किए जाने वाले टीकाकरण प्रथा के तहत सामान्यत: एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही टीकाकृत किया जाता है क्योंकि अधिकांश बच्चों में एक वर्ष की आयु तक प्राकृतिक नैदानिक/उप-नैदानिक तपेदिक संबंधी संक्रमण की संभावना अधिक होती है। यह बचपन में होने वाले तपेदिक रोग (जैसे- TB मेनिनजाइटिस और मिलियरी रोग) के गंभीर रूपों से भी संरक्षण प्रदान करता है।
- भारत में, **BCG टीकाकरण को पहली बार वर्ष 1948 में शुरू** किया गया था और तदुपरांत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में इसे शामिल कर लिया गया तथा जन्म के समय या इसके तुरंत बाद लाखों बच्चों को टीकाकृत किया जाने लगा।
- BCG वैक्सीन **SARS संक्रमण के विरुद्ध भी काफी प्रभावी सिद्ध हुई** है।
- हालिया अध्ययनों से ज्ञात होता है कि यह मधुमेह टाइप 1 वाले लोगों में **ब्लड सुगर या रक्त शर्करा** को नियंत्रित करने में कारगर रही है और अगले पांच वर्षों तक रक्त में शर्करा के स्तर (sugar levels) को बेहतर बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध हुई है। यह ब्लैडर कैंसर थैरेपी और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के जीवन संभावना को बनाए रखने में भी प्रभावी रही है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme)

- भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम' (Expanded Programme of Immunization: EPI) के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को संशोधित कर 'सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम' (UIP) के रूप में प्रारंभ किया गया, ताकि वर्ष 1989-90 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसे कार्यान्वित किया जा सके। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।
- UIP के तहत, शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 12 गंभीर रोगों (जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाले रोगों) के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। ये रोग हैं- तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खाँसी (Pertussis), टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस B, निमोनिया और मेनिनजाइटिस {हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप b (Hib) के कारण}, खसरा, रुबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) एवं रोटावायरस डायरिया। (रूबेला, JE और रोटावायरस वैक्सीन चुनिंदा राज्यों एवं जिलों में दी जाती हैं।

VISION IAS

टीकाकरण और प्रतिरक्षा के प्रकार (Immunisation and Types of Immunity)

- किसी व्यक्ति के शारीरिक तंत्र में मौजूद रोग के प्रति **एंटीबॉडी (रोग-प्रतिकारक) की उपस्थिति के माध्यम से प्रतिरक्षा को प्राप्त किया** जाता है।
  - एंटीबॉडी शरीर द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं जो विषाक्त पदार्थों या रोग वाहक जीवों को निष्प्रभावी या नष्ट कर देते हैं। एंटीबॉडी रोग-विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए- खसरा एंटीबॉडी, खसरा रोग के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति की रक्षा करेगा, किन्तु यदि कोई गल गण्ड रोग (mumps) के संपर्क में है तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- **टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को सामान्यतः एक वैक्सीन के संचालन द्वारा एक संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरक्षी या प्रतिरोधी** बनाया जाता है।
  - टीकाकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन या दुर्बल रोगजनकों को इस प्रकार प्रवेश कराया जाता है कि व्यक्ति बीमार नहीं होता, हालांकि उसमें एंटीबॉडी का बनना जारी रहता है। चूँकि व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी की प्रतियों को सुरक्षित रखता है, अतः यदि भविष्य में उसे कोई संक्रमण/खतरा पुनः प्रकट हो जाता है तो यह उससे सुरक्षा प्रदान करता है।
- मुख्य रूप से मनुष्य में दो प्रकार की प्रतिरक्षा (immunity) पायी जाती है:
  - **प्राकृतिक या सहज प्रतिरक्षा (Natural or Innate immunity):**
    - सहज प्रतिरक्षा शरीर में पहले से ही विधमान होती है और यह अविशिष्ट रक्षा तंत्र को संदर्भित करती है जो शरीर में तुरंत या प्रतिजन के प्रकट होने के कुछ घंटों के भीतर ही कार्य करने लगती है।
    - इन तंत्रों में शारीरिक अवरोध, जैसे- त्वचा, रक्त में उपस्थित रसायन और प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाएं शामिल हैं जो शरीर में बाह्य कोशिकाओं को समाप्त कर देती हैं।
  - **उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा (Acquired or Adaptive immunity):** यह दो प्रकार की होती है:

सक्रिय प्रतिरक्षा (Active Immunity)	निष्क्रिय प्रतिरक्षा (Passive immunity)
• किसी रोग के प्रकट होने पर या टीकाकरण द्वारा उपार्जित प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। किसी भी तरह से, यदि भविष्य में कोई प्रतिरक्षी व्यक्ति उस रोग के संपर्क में आता है, तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली इसे पहचान लेती है और इससे लड़ने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी का शीघ्र निर्माण करना प्रारम्भ कर देती है। • सक्रिय प्रतिरक्षा को विकसित होने में समय (सामान्यतः कई सप्ताह) लगता है किन्तु यह दीर्घकालिक होती है।	• सामान्यतः व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एंटीबाडी के उत्पादन में अक्षम रहने पर किसी रोग के विरुद्ध दिए गए एंटीबॉडी द्वारा उपार्जित प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। • नवजात बच्चा गर्भनाल (placenta) के माध्यम से अपनी मां से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। एक व्यक्ति एंटीबॉडी-युक्त रक्त उत्पादों, जैसे- प्रतिरक्षा ग्लोब्युलिन या प्लाज्मा (जिसे तब दिया जा सकता है जब किसी विशिष्ट रोग से तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता होती है) के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकता है। • निष्क्रिय प्रतिरक्षा का प्रमुख लाभ यह है कि यह तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है किन्तु यह केवल कुछ सप्ताह या महीनों तक ही रहती है। • कान्वलेसंट प्लाज्मा थेरेपी की वर्तमान में कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में पहचान की गयी है। यह कोविड रोगियों में निष्क्रिय प्रतिरक्षा विकसित करने का एक तरीका है।

7.2. कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपडेट (Updates on Various Aspects of COVID-19)

7.2.1. संचरण, परीक्षण और रोकथाम विधियां (Transmission, Testing and Prevention Methods)

ऊर्ध्वाधर रूप से प्रसारित संक्रमण (Vertically Transmitted Infection)	• हालिया साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि कोविड-19 का ऊर्ध्वाधर संचरण (वर्टिकल ट्रांसमिशन) संभव है। • ऊर्ध्वाधर संचरण वस्तुतः **एक गर्भवती महिला से उसके बच्चे में होने वाले संक्रमण को संदर्भित** करता है। यह संचरण, प्रसवपूर्व (जन्म से पूर्व), प्रसवकालीन (जन्म के तुरंत पूर्व या जन्म के तुरंत बाद का सप्ताह) या प्रसवोत्तर (जन्म के पश्चात्) हो सकता है। • जन्म के दौरान या जन्म के पश्चात् प्लेसेंटा में अथवा स्तनपान या प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से इसका संचरण हो सकता है।

	• जिन संक्रमणों को वर्टिकल ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है उनमें HIV, जीका, रूबेला और हर्पीस वायरस शामिल हैं। • भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं की देख-रेख के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पूल परीक्षण (Pool Testing)	• ICMR द्वारा कोविड-19 के टेस्ट हेतु सामूहिक नमूनों (pooled samples) के उपयोग हेतु एक **परामर्श जारी** किया गया है।
	• पूल्ड टेस्टिंग एल्गोरिदम में, कई व्यक्तियों के नमूनों को एक साथ एक ट्यूब में रखा जाता है और RT-PCR परीक्षण के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण की जांच की जाती है।
	  ○ यदि पूल्ड टेस्ट का परिणाम पॉजीटिव आता है, तब व्यक्तिगत नमूनों का परीक्षण किया जाता है, जिसे **पूल डी-कनवल्शन** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
	  ○ यदि पूल्ड टेस्ट का परिणाम निगेटिव आता है, तब सभी व्यक्तिगत नमूनों को निगेटिव माना जाता है।
	• ICMR ने सलाह दी है कि जब दो से अधिक नमूनों को एक साथ पूल (pool) किया जाता है, तब नमूनों के मिश्रण से बचने के लिए नमूनों की संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए।
	• इस पद्धति का उपयोग **कोविड-19 से अल्प प्रभावित क्षेत्रों (जहां पॉजीटिव मामलों की दर 2 प्रतिशत से कम है) में किया** जा सकता है। दो से पांच प्रतिशत के बीच संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में, अलक्षणी (asymptomatic) व्यक्तियों के मध्य सामुदायिक सर्वेक्षण निगरानी में PCR स्क्रीनिंग के नमूनों की पूलिंग की जा सकती है।

फेलूदा (Feluda) टेस्ट	• यह एक घंटे के भीतर कोरोनावायरस के नए मामलों का पता लगाने हेतु **CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक पेपर-बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप** है। • यह परीक्षण संदिग्ध व्यक्तियों के नमूनों में नोवल कोरोनवायरस के जीनोमिक अनुक्रमों को लक्षित करने और पहचानने हेतु **अत्याधुनिक जीन एडिटिंग टूल- Crispr-Cas9 का उपयोग** करता है।
चित्रा जीनलैम्प-एन (Chitra GeneLAMP-N)	• यह एक **डायग्नोस्टिक टेस्ट किट** है जो कम लागत पर 2 घंटों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि कर सकती है। • इसे श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज ऐंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन) द्वारा विकसित किया गया है। • यह रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस लूप-मीडिएटेड एम्लीइफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड (RT-LAMP) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए SARS-COV2 के N जीन का और इस जीन के दो क्षेत्रों का पता लगा सकता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भले ही वायरल जीन का एक क्षेत्र मौजूदा प्रसार के दौरान उत्परिवर्तन से गुजरा हो, पर टेस्ट असफल न हो।
nCoVSENSEs	• 10-15 मिनट के टेस्ट के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाने हेतु **रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट उपकरण** विकसित करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पुणे स्थित एक स्वास्थ्य स्टार्ट-अप **'माड्यूल इनोवेशंस'** का वित्तपोषण किया जा रहा है। • इसका उद्देश्य वायरल संक्रमण के प्रारंभिक दौर में मानव शरीर में उत्पन्न IgG और IgM एंटीबॉडी का पता लगाना है तथा इसे स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध लक्षित किया गया है, जो कोविड-19 के लिए इसे विशिष्ट बनाता है।
कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क (COVSACK)	• इस यूनिट को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से **रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL)** द्वारा विकसित किया है।

	• कोवसैक (COVSACK) वस्तुतः संदिग्ध संक्रमित रोगियों से **कोविड-19 नमूनों को लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु एक कियोस्क** है। • यह कियोस्क मानव भागीदारी की आवश्यकता के बिना स्वतः संक्रमण रहित हो जाता है, जिससे यह प्रक्रिया संक्रमण के प्रसार से मुक्त हो जाती है। • कियोस्क केबिन की परिरक्षण स्क्रीन स्वास्थ्य कर्मी को नमूना लेते समय एयरोसोल/ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से सुरक्षा प्रदान करती है। यह स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) को बदलने की आवश्यकताओं को कम करता है।
एक्रीलोसौर्ब (AcryloSorb)	• यह संक्रमित श्वसन स्रावों (infected respiratory secretions) के सुरक्षित प्रबंधन के क्रम में तरल श्वसन तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों की सॉलिडिफिकेशन एवं डिसइंफेक्शन के लिए एक **अत्यधिक उन्नत सुपर एब्सॉरबेंट सामग्री/वस्तु** है। • इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साईंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। • यह अपने शुष्क वजन की तुलना में कम से कम 20 गुना अधिक तरल पदार्थ को अवशोषित कर सकता है और इसमें स्व-स्थाने कीटाणुशोधन हेतु विसंदुषण (decontaminant) भी सन्निहित होते हैं। • यह प्रौद्योगिकी, अस्पताल के कर्मचारियों के जोखिम को कम करती है, जोकि कार्मिकों के लिए बोतलों एवं कनस्तरों की सफाई और उनके पुर्नउपयोग तथा विसंक्रमण (disinfecting) के लिए आवश्यक है तथा निपटान को सुरक्षित एवं सरल बनाता है।
कर्मी बोट (KARMI Bot)	• यह **एर्नाकुलम (केरल)** के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य संक्रमण के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से कोरोनोवायरस रोगियों को भोजन और औषधियां उपलब्ध कराने हेतु तैनात किया गया **एक रोबोट** है। • इस रोबोट को **ASIMOV रोबोटिक्स** (यह केरल स्टार्ट-अप मिशन के "मेकर विलेज" के तहत कार्य करने वाली कंपनी है) द्वारा विकसित किया गया है।

7.2.2. वैक्सीन और अन्य उपचार पद्धतियां (Vaccines and Other Treatment Methods)

वैक्सीन और ड्रग परीक्षण के लिए उच्च-स्तरीय कार्य बल	• कोरोनोवायरस रोग (कोविड-19) के लिए वैक्सीन और ड्रग परीक्षण हेतु सरकार द्वारा एक उच्च-स्तरीय कार्य बल का गठन किया गया है। • इस कार्य बल का उद्देश्य कोविड-19 के उपचार हेतु वैक्सीन विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रयासों से संबंधित प्रगति की निगरानी तथा सरकारी सुविधा प्रदान करने एवं वैक्सीन विकास के मार्ग को प्रसस्त करने के लिए **जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य** करेगा।
कोरोफ्लू (CoroFlu) वैक्सीन	• इसे **भारत बायोटेक लिमिटेड** द्वारा विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी फ्लुजेन के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। सितंबर 2020 तक इसका मानव परीक्षण किया जाएगा। • यह **फ्लुजेन** के **फ्लू वैक्सीन कंडिडेट M2SR** पर आधारित होगी, जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध अतिरिक्त प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु कोरोनोवायरस SARS-CoV2 से जीन अनुक्रम को वैक्सीन कंडिडेट में प्रविष्ट कराया जाएगा। • M2SR की तरह कोरोफ्लू को कोरोनोवायरस और इन्फ्लूएंजा द्वारा संक्रमण के प्राकृतिक मार्ग का अनुकरण कर, अंतः नासा (intranasally) रूप से नियंत्रित किया जाएगा और यह प्रतिरक्षा तंत्र की विविध प्रणालियों को सक्रिय करता है।

प्राण-वायु	• यह AIIMS, ऋषिकेश के सहयोग से **IIT-रुड़की द्वारा विकसित तथा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर** है। • यह वेंटिलेटर श्वसन पथ में विभिन्न अवरोधों के प्रति उपयोगी होगा तथा **सभी आयु वर्ग के रोगियों** (विशेष रूप से वृद्ध जनों के लिए) हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। • इसके अतिरिक्त, इसे कार्य करने के लिए संपीड़ित वायु की आवश्यकता नहीं होती है और विशेष रूप से यह ऐसे मामलों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब अस्पताल के वार्ड या खुले क्षेत्र को ICUs में परिवर्तित किया जाना हो। • इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, यथा- स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग, सभी ऑपरेटिंग मापदंडों हेतु टच स्क्रीन कंट्रोल तथा तापमान और आद्रता नियंत्रण (श्वसन के दौरान लिए जाने वाले वायु के सन्दर्भ में)।
रूहदार	• यह **स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग** करते हुए IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IUST), पुलवामा, जम्मू और कश्मीर द्वारा निर्मित **एक कम लागत वाला वेंटिलेटर** है। • यह गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगी के जीवन को बचाने के लिए **आवश्यक पर्याप्त श्वसन सहायता** प्रदान कर सकता है।
VITAL (वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली)	• यह **एक नया उच्च दाब वेंटिलेटर** है जिसे **नासा के इंजीनियरों** द्वारा विकसित किया गया है। इसे विशेष रूप से कोरोनवायरस (COVID-19) रोगियों के उपचार हेतु तैयार किया गया है। • **VITAL को शीघ्र ही निर्मित** किया जा सकता है और इसका पारंपरिक वेंटिलेटर की तुलना में **अधिक आसानी से रख रखाव** किया जा सकता है तथा इसमें **बहुत कम कलपुर्जों का उपयोग** किया गया है, जिनमें से कई वर्तमान में मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से संभावित विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध हैं।

7.2.3. ट्रैकिंग और निगरानी (Tracking and Surveillance)

COVID क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम (COVID Quarantine Alert System)	• **दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग और C-DOT द्वारा** इस एप्लिकेशन को विकसित किया गया है जो किसी भी पहचान किए गए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्वारंटाइन स्थान से कहीं भी जाने पर स्वत: ईमेल या SMS भेज कर सूचित कर सकता है। • यह प्रणाली एक सामान्य सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म पर डिवाइस के लोकेशन सहित फोन डेटा को समानुक्रमित/संग्रहित करती है तथा **कोविड-19 रोगियों द्वारा, निगरानी या आइसोलेशन का उल्लंघन करने की स्थिति में स्थानीय एजेंसियों को अलर्ट** जारी करती है। • यह **केरल के जियो-फेंसिंग ऐप** पर आधारित है जिसका उपयोग कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है।
नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड कन्टेनमेंट (NAADI)	• इसे कोविड-19 रोगियों या देश भर में क्वारंटाइन किए गए लोगों की गतिविधियों का पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने हेतु डेटा विज्ञान-आधारित उपकरण के रूप में **प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)** द्वारा विकसित किया गया है। • यह **उपकरण संक्रमित या संदिग्ध रोगियों से सही जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक** बनाएगा, जो संभवतः संक्रमित या क्वारंटाइन होने से दो-तीन सप्ताह पूर्व उन स्थानों को भूल गए हों, जहां वे गए थे।
संयम ऐप (Saiyam App)	• होम क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और वास्तव में उनकी घर पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अंतर्गत शामिल पुणे नगर निगम द्वारा**

	"संयम" नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। • यह मोबाइल एप्लीकेशन GPS ट्रैकिंग से युक्त है, जो क्वारंटाइन नागरिकों के घर से बाहर निकलने की स्थिति में शहरी प्रशासन को तुरंत अलर्ट प्रदान करता है और स्थानीय वार्ड या स्थानीय पुलिस को सूचना भेज दी जाती है, जिसके बाद प्रशासन, संबंधित परिवार के साथ संपर्क करता है।
कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्वास्थ्य देखभाल विश्लेषिकी आधारित अनुसंधान का उपयोग करके सुपर-कंप्यूटिंग (SAMHAR - COVID-19)	• राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) के तत्वावधान में **प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC)** द्वारा SAMHAR-COVID19 हैकाथॉन की की घोषणा की गयी है। ○ NSM वस्तुतः **NVIDIA और OpenACC** के समन्वय में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एक पहल है। • **यह हैकाथॉन विशेषकर शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, MSMEs, स्टार्ट-अप और उद्योगों के लिए खुला** मंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भविष्यवाणी, पूर्वानुमान तथा हेल्थकेयर मॉडल निर्माण के लिए अभिनव एवं कार्यान्वयन योग्य विचारों को उपलब्ध कराना है, जो सुपरकंप्यूटरों एवं AI तकनीक का संयुक्त उपयोग कर महामारी के प्रकोप के विज्ञान की व्याख्या/गणना करने के तरीके में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है।

7.2.4. जागरूकता सृजन और शिकायत निवारण (Awareness Generation and Grievance Redressal)

कोविड ज्ञान वेबसाइट	• इसका उद्देश्य **कोरोनावायरस रोग से संबंधित भ्रामक सूचनाओं को रोकना** तथा इस महामारी के प्रकोप से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं को लोगों तक उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना है। • **टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) तथा टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC)** द्वारा इस पहल को प्रारम्भ किया गया है।
प्रकृति- भारत में कोरोना संक्रमण और संचरण की भविष्यवाणी तथा आकलन (PRACRITI- Prediction And Assessment Of Corona Infections And Transmission In India)	• भारत में कोविड-19 के प्रसार से संबंधित भविष्यवाणी हेतु यह **IIT, दिल्ली के शोधकर्ताओं** द्वारा विकसित एक **वेब-आधारित डैशबोर्ड** है। • यह विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध प्रत्येक जिले और **राज्य के R0 वैल्यू के आधार पर भारत में कोविड-19 मामलों का विस्तृत राज्यवार एवं जिलेवार पूर्वानुमान प्रदान** करता है। ○ R0 उन लोगों की कुल संख्या को संदर्भित करता है, जिन्हें एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण हो सकता है। • IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस मॉडल की विशिष्ट विशेषता कोविड-19 के प्रसार वाले जिले/राज्य की सीमा में जनसंख्या के आवागमन प्रभाव का आकलन करना है।
कोविड-19 से संबंधित शिकायतों के समाधान हेतु राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड	• कोविड-19 से संबंधित प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत **लोक शिकायत और सुझावों** पर गठित अधिकारियों के एक सशक्त समूह की अनुशंसाओं के अनुसरण में इसे **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** द्वारा विकसित किया गया है। • इसका उद्देश्य **केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की शिकायतों का समाधान उपलब्ध** कराना है।

	• **शिकायतों की प्रकृति मुख्यतः** क्वॉरंटीन सुविधाएं, लॉकडाउन का पालन न होने संबंधी शिकायतें, आवश्यक आपूर्ति से संबंधित शिकायतें, जांच संबंधी शिकायतें, ऋणों पर ब्याज पुनर्भुगतान का पुनर्निर्धारण, विदेशों से लोगों को निकालने के अनुरोध आदि से संबंधित है।
कोविड इंडिया सेवा	• **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं/प्रश्नों पर रियल टाइम समाधान प्रदान करने के लिए इसे प्रारंभ** किया गया है। • प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकता है। • विशेषरूप से कोविड-19 महामारी जैसी संकट की स्थिति में, व्यापक पैमाने पर पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस सेवा को शुरू किया गया है।
स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल	• लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी से संबंधित समस्याओं का सामना करने वाले छात्रों की सहायता के लिए इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा प्रारंभ किया गया है। • यह मदद चाहने वाले छात्रों को शिक्षण संस्थानों (जो उन्हें समर्थन प्रदान करने हेतु तैयार हैं) के साथ जोड़ता है और छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों, जैसे- छात्रावास, ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षाएं, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य आदि को संबोधित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।
युक्ति पोर्टल	• "ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण के साथ कोविड से मुकाबला करता युवा भारत (Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation: YUKTI) पोर्टल" **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा किए गए **प्रयासों तथा पहलों की निगरानी एवं रिकॉर्ड करने हेतु एक विशिष्ट पोर्टल और डैशबोर्ड** है। • यह पोर्टल इस संकटकालीन अवधि में छात्र संवर्धन नीतियों, प्लेसमेंट से संबंधित चुनौतियों एवं छात्रों के शारीरिक व मानसिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की दिशा में सहयोग प्रदान करेगा।
लॉकडाउन लर्नर्स	• **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (United Nations Office of Drugs and Crime: UNODC)** द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। यह कोविड-19 और सतत विकास लक्ष्य (SDGs), शांति तथा विधि के शासन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के संबंध में भारत में **छात्रों और शिक्षकों के मध्य ऑनलाइन संवादों की एक श्रृंखला** है। • **एजुकेशन फॉर जस्टिस इनीशिएटिव (E4J)** (दोहा घोषणा-पत्र के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक कार्यक्रम का एक घटक) के तहत विकसित, इन संवादों का उद्देश्य सुभेद्य समूहों और साइबर अपराध, भ्रामक सूचना, लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव व भ्रष्टाचार आदि जैसे मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना है। ○ E4J द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों के लिए डिज़ाइन की गई शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से अपराध को रोकने तथा विधिक संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। • लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज छात्रों को एक्टिविटी-आधारित लर्निंग के माध्यम से परामर्श और ज्ञान क्षमता प्राप्त करने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिभा

VISION IAS

	एवं कौशल का उपयोग करने तथा इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान के लिए विचारों और समाधानों को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करती है।
किसान रथ मोबाइल एप	• इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रारम्भ तथा **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित किया गया है। • यह कृषि और बागवानी उत्पादन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों हेतु परिवहन वाहनों की उपलब्धता की दिशा में किसानों एवं व्यापारियों को सहयोग प्रदान करेगा। • प्राथमिक परिवहन के तहत फार्म से मंडियों तक आवाजाही, FPO कलेक्शन सेंटर और वेयरहाउस आदि शामिल होंगे। द्वितीयक परिवहन के अंतर्गत मंडियों से अंतराज्यीय और अन्तः राज्यीय मंडियों, प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशन, गोदामों, थोक विक्रेताओं आदि के लिए आवागमन शामिल होगा। • यह ऐप रेफर (रेफ्रिजरेटेड) वाहनों द्वारा शीघ्र नष्ट हो जाने वाले वस्तुओं के परिवहन में भी व्यापारियों को सुविधा/सहयोग प्रदान करता है।

7.2.5. क्षमता निर्माण और नवोन्मेष संवर्धन (Capacity Building and Promoting Innovation)

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) पोर्टल	• इसे महामारी से कुशलतापूर्वक निपटने के क्रम में अग्रिम पंक्ति (फ्रंट लाइन) में तैनात कर्मियों के क्षमता निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। • चिकित्सकों, नर्सों, पराचिकित्सक कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, तकनीशियनों, सहायक नर्सिंग मिडवाइव्स (ANMs), राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों, विभिन्न पुलिस संगठनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी,भारत स्काउट और गाइड तथा स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक अन्य लोगों के लिए iGOT पर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म और सहयोग ऐप (Integrated Geospatial Platform and SAHYOG App)	• वर्तमान कोविड-19 के प्रकोप के दौरान निर्णय लेने में मदद करने एवं रिकवरी चरण में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बेहतर प्रबंधन की दिशा में क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों के निर्धारण में सहयोग करने हेतु उपलब्ध भू-स्थानिक डेटासेट मानकों पर आधारित सेवाओं और विश्लेषणात्मक उपकरणों को मिलाकर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म निर्मित किया है। • मोबाइल एप्लिकेशन "सहयोग" के साथ-साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SoI) द्वारा तैयार और प्रबंधित वेब पोर्टल को इस महामारी के प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों को सुदृढ़ करने तथा समुदाय भागीदारी के माध्यम से कोविड-19 विशिष्ट भू-स्थानिक डाटासेट का संग्रहण करने के लिए अनुकूलित किया गया है। यह मोबाइल एप्लिकेशन "आरोग्य सेतु" मोबाइल एप्लिकेशन का पूरक होगा। • यह एकीकृत भू-स्थानिक मंच, कोविड-19 के प्रकोप के दौरान राष्ट्र के स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन को मजबूत करेगा तथा स्थानिक डेटा, सूचना और मानव, चिकित्सा, तकनीकी, अवसंरचनात्मक एवं प्राकृतिक संसाधनों के मध्य लिंकेज प्रदान कर सामाजिक-आर्थिक सुधार प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा।
हैक द क्राइसिस - इंडिया	• यह कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हेतु **गैर-चिकित्सीय विकल्प की खोज हेतु** शुरू किया गया एक ऑनलाइन हैकाथॉन है। • यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), भारत सरकार द्वारा समर्थित है। यह हैकाथॉन एक **वैश्विक पहल का हिस्सा** है और इसका आयोजन **'हैक ए कॉज - इंडिया' और 'फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन, पुणे'** द्वारा किया जा रहा है।
चैलेंज कोविड-19	• विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक **स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान - भारत (NIF)** द्वारा इसे शुरू किया गया है।

कम्पटीशन (C3)	• इसका उद्देश्य **रचनात्मक विचारों और नवाचार प्रयासों को आमंत्रित** करना है जो कोविड-19 के प्रसार को कम करने या समाप्त करने की दिशा में सरकारी प्रयासों को तीव्र कर सकते हैं। • घर पर लोगों को लाभप्रद कार्य में शामिल करने, विशेषकर लॉकडाउन के दौरान पोषण के लिए स्वस्थ भोजन और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPEs) तथा कोविड-19 के दौरान जनसंख्या के विभिन्न हिस्सों की बदलती आवश्यकताओं आदि के लिए भी विचारों को आमंत्रित किया गया है।

7.3. इंडियन इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग (Indian Initiative on Earth Biogenome Sequencing: IIEBS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जवाहर लाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान (JNTBGRI) को **इंडियन इनिशिएटिव ऑन अर्थ बायोजीनोम सीक्वेंसिंग (IIEBS)** में भाग लेने के लिए चयनित किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- IIEBS के लिए JNTBGRI को एक **जैविक ज्ञान और संसाधन केंद्र** के रूप में चयनित किया गया है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस परियोजना में JNTBGRI की कार्यात्मक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु 143.89 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

IIEBS के बारे में

- इस परियोजना का उद्देश्य देश में **पादपों और पशुओं की सभी ज्ञात प्रजातियों की आनुवंशिक सूचनाओं को डिकोड** करना है।
- नई दिल्ली स्थित **राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान** इस हेतु एक समन्वय केंद्र है तथा इसमें कुल 24 संस्थान शामिल हैं।
- **IIEBS के प्रारंभिक चरण में** 440 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ पादपों और पशुओं की **1,000 प्रजातियों** की समग्र जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा जिसे **पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया** जाना है।
- यह परियोजना **अर्थ बायोजीनोम परियोजना (EBP)** का एक भाग है।

इस परियोजना का महत्व

- यह परियोजना संकटग्रस्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों के **संग्रह तथा संरक्षण** को सक्षम बनाएगी।
- **बायोपाइरेसी को रोकने** के लिए डिकोड की गई आनुवांशिक सूचना भी एक उपयोगी उपकरण सिद्ध हो सकती है।
  - बायोपाइरेसी, **पादपों और पशुओं के आनुवंशिक कोड के अनुचित/शोषणकारी उपयोग** को संदर्भित करता है। जहाँ देशों को क्षतिपूर्ति प्रदान किए बिना, उनसे सामग्री या प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
- EBP में भारत की भागीदारी देश के भीतर **जीनोमिक्स और जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा** देगी।

अर्थ बायोजीनोम परियोजना के बारे में

- यह वर्ष 2018 में प्रारम्भ किया गया एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें विश्व भर के अनेक वैज्ञानिक और वित्त प्रदाता शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य दस वर्षों की अवधि में पृथ्वी के सभी **यूकेरियोटिक जैव विविधता** के **जीनोम को अनुक्रमित करना, सूचीबद्ध करना और उन्हें चिन्हित** करना है।
- **विजन:** जैव विविधता के संरक्षण और मानव समाज को बनाए रखने के विकल्पों को स्थापित करने की दिशा में जीव विज्ञान के लिए एक नए आधार को निर्मित करना।

JNTBGRI के बारे में

- यह वर्ष 1979 में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित **एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन** है।
- बाह्य-स्थाने संरक्षण और उष्णकटिबंधीय पादपों की विविधता के संधारणीय उपयोग के क्षेत्र में इसे **राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में चिन्हित किया गया है।

जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में

- एक जीनोम किसी **जीव के डीओक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) का समग्र समुच्चय** होता है।
- **जीनोम के अनुक्रमण का तात्पर्य** किसी जीव में बेस पेयर के सटीक क्रम को परिभाषित करने से है।

VISIONIAS

- बेस पेयर के व्यवस्थित क्रम या उनके पैटर्न में होने वाले उत्परिवर्तन और परिवर्तन, किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य या ख़राब स्वास्थ्य, वंशानुगतता या उपार्जितता के बारे में सूचना प्रदान कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- यूकेरियोटिक ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में एक केन्द्रक और कोशिकांग होता है और ये एक प्लाज्मा झिल्ली से आवरित होते हैं।
- इसमें प्रोटोजोआ, कवक, पादप और पशु शामिल हैं।
- प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जिनमें एक सुसंगठित केन्द्रक या झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे- जीवाणु।

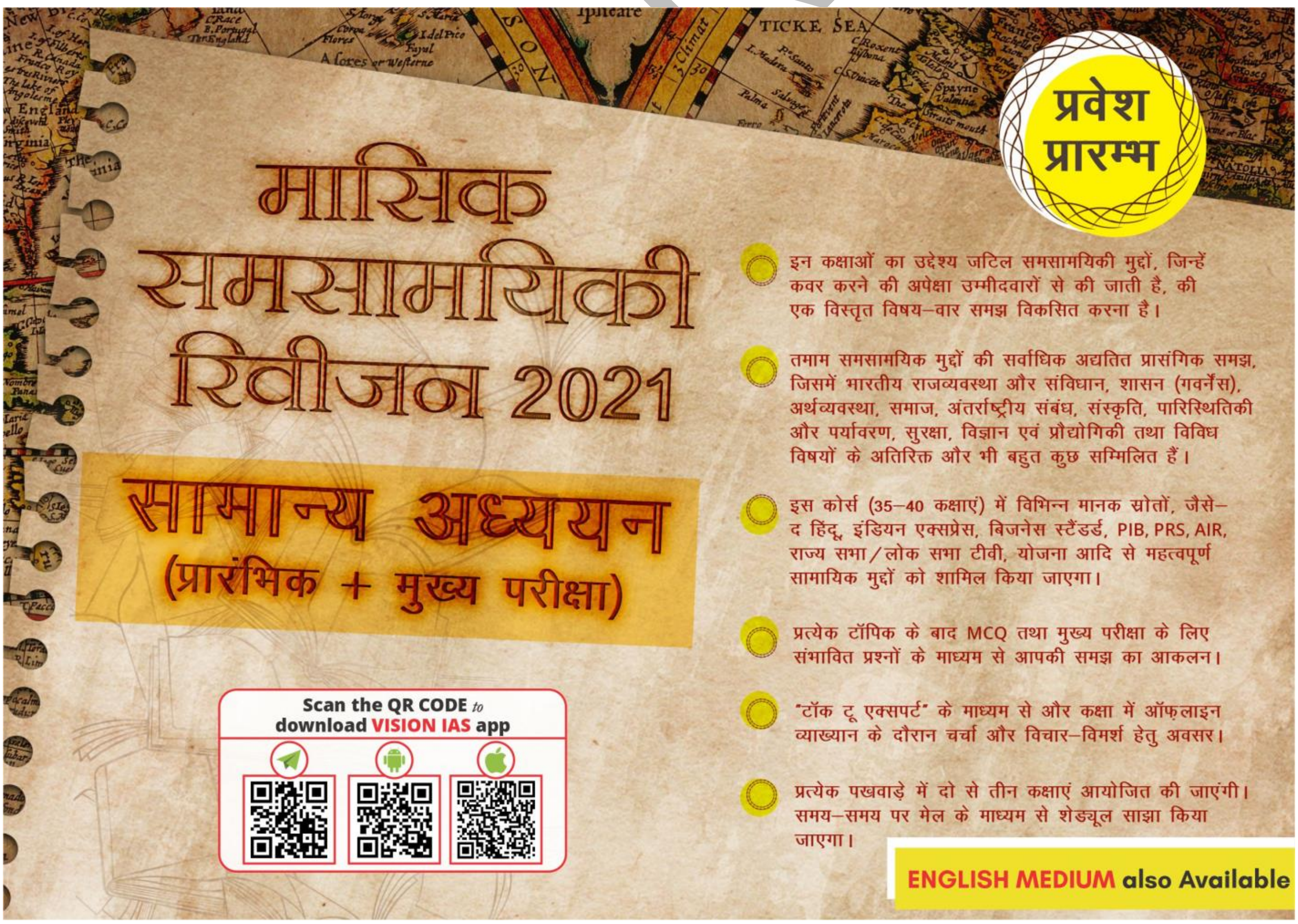

8. संस्कृति (Culture)

8.1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची (National List for Intangible Cultural Heritage: ICH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की राष्ट्रीय सूची जारी की गई।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की राष्ट्रीय सूची के विषय में

- यह भारत की अमूर्त विरासत में अंतर्निविष्ट **भारतीय संस्कृति की विविधता के अभिज्ञान** का एक प्रयास है।
- इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों से **विविध अमूर्त सांस्कृतिक तत्वों के विषय में** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **जागरूकता सृजित** करना तथा उन तत्वों को संरक्षण प्रदान करना है।
  - **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत,** समुदायों के अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित, उनके द्वारा सृजित व निरंतर रूपांतरित, पर्यावरण तथा प्रकृति और इतिहास के साथ उनकी अंतर्क्रियाओं पर निर्भर **प्रथाओं, प्रतिनिधित्वों, अभिव्यक्तियों एवं ज्ञान** को संदर्भित करती है।
  - यह वैश्वीकरण के आधुनिक परिवेश में सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- यह पहल संस्कृति मंत्रालय के **विज़न 2024** का एक भाग है।
  - विज़न 2024 के तहत देश के स्मारकों और परंपराओं की गहन एवं अमूल्य विरासत एवं संस्कृति के सूचीकरण, अनुरक्षण तथा प्रदर्शन के कार्य को पूर्ण करने हेतु समयसीमा निर्धारित की गई है।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने संबंधी यूनेस्को के अभिसमय (वर्ष 2003)** का अनुसरण करते हुए इस सूची को पांच विभिन्न क्षेत्रों (डोमेन) में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अंतर्निहित हैं:
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं एवं अभिव्यक्तियां;
  - निष्पादन कलाएं;
  - सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव संबंधी समारोह;
  - प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान एवं प्रथाएं; तथा
  - परंपरागत शिल्प कौशल।
- इस सूची के अंतर्गत विषयों को वर्ष 2013 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित **"भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण"** योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं से समानुक्रमित किया गया है।
- वर्तमान में, इस सूची में 100 से अधिक तत्वों को शामिल किया गया है। **इसमें देश के उन 13 तत्वों** को भी शामिल किया गया है, जिन्हें **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची** में पहले से ही अन्तर्लिखित (अंकित) किया गया है।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षण योजना

- इस योजना का शुभारंभ विविध संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों, चिन्हित गैर-संस्कृति मंत्रालय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों पर बल देने एवं इन्हें पुन: सक्रिय करने के प्रयोजनार्थ किया गया था ताकि ये भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण व संवर्धन के लिए कार्यकलापों/परियोजनाओं हेतु कार्य कर सकें।
- इस योजना में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, निष्पादन कलाओं, सामाजिक प्रथाओं, रीति-रिवाज़ों और उत्सव संबंधी समारोहों, प्रकृति एवं विश्व से संबंधित ज्ञान व प्रथाओं, पारंपरिक शिल्प कौशलों आदि के वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराओं और अभिव्यक्तियों जैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विषयक सभी मान्यता प्राप्त कार्य क्षेत्र शामिल होंगे।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने संबंधी यूनेस्को का अभिसमय (UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)

- वर्ष 2003 में अंगीकृत, यह अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का **प्रथम बाध्यकारी बहुपक्षीय दस्तावेज़ है,** जिसका प्रयोजन सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा और उनकी सूची को वर्धित करना है।

- इसका उद्देश्य देशों को उनके राज्यक्षेत्रों में विद्यमान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु प्रेरित करना है।
- यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें:
  - कुटियाट्टम (केरल का संस्कृत रंगमंच);
  - पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चारण;
  - रामलीला;
  - रम्मन (उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव);
  - छऊ नृत्य (पश्चिम बंगाल);
  - मुडियेट्टु (केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच व नृत्य नाटक);
  - कालबेलिया (राजस्थान का लोक नृत्य);
  - लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण: ट्रांस-हिमालयी लद्दाख क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का सस्वर पाठ;
  - संकीर्तन (मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य);
  - जांडियाला गुरु (पंजाब) के ठठेरों का कांसा और ताम्र बर्तन निर्माण शिल्प;
  - नवरोज़;
  - योगासन; तथा
  - कुम्भ मेला।

8.2. किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार (Qissa Khwani Bazaar Massacre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार के 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- 1930 के दशक में नमक सत्याग्रह से उद्भूत विरोध प्रदर्शनों के दौरान **खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान** को गिरफ्तार कर लिया गया था। खुदाई खिदमतगारों का एक समूह पेशावर के किस्सा ख्वानी (कहानीकार) बाजार में एकजुट हुआ।
- **स्थिति को नियंत्रित करने हेतु** ब्रिटिश सैन्य दल ने निहत्थे समूह पर गोलियां चला दी, जिससे 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

खान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान और उनका योगदान

- उनका जन्म 1890 ई. में हुआ था तथा **फख्र-ए-अफगान** ("पश्तूनों का गौरव"), **बादशाह खान** या **बाचा खान** (सरदारों का राजा) उनके उपनाम थे।
- वे पश्तूनों (अथवा पठान; पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान का एक मुस्लिम नृजातीय समूह) के नेता थे तथा कालांतर में **महात्मा गाँधी के अनुयायी बन गए थे।**
- गफ़्फ़ार ख़ान ने **वर्ष 1919** में रौलट अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश किया था, बाद में वे खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए तथा वर्ष 1921 में उन्हें उनकी मातृभूमि पश्चिमोत्तर सीमांत प्रान्त में जिला खिलाफत समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था।
- उन्होंने पश्तूनों के मध्य **लाल कुर्ती आंदोलन (खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वर के सेवक)** की स्थापना की थी।
  - प्रारंभिक अवस्था में यह एक **समाज सुधार संगठन** था, जो शिक्षा और अफगानी समाज में विद्यमान रक्तरंजित संघर्षों के अंत पर केंद्रित था, परन्तु कालांतर में यह **राजनीतिक संगठन** में परिवर्तित हो गया।
  - इसने भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में **अहिंसक राष्ट्रवादी आंदोलन** का पक्ष पोषण किया था तथा पश्तूनों में राजनीतिक चेतना के सृजन का आह्वान किया था।
- अहिंसक प्रतिरोध में खान की निष्ठा के सम्मान में उनके घनिष्ठ सहयोगी अमीर चंद बोम्बवाल द्वारा उन्हें **सीमांत गाँधी** उपनाम से विभूषित किया गया था।

VISION IAS

- उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन का पक्ष लेते हुए **भारत के विभाजन के प्रस्ताव का दृढ़तापूर्वक विरोध किया था।**
- जून 1947 में, ख़ान और अन्य खुदाई खिदमतगारों द्वारा **बन्नू प्रस्ताव** की घोषणा की गई थी, जिसमें पश्तूनों को, ब्रिटिश भारत के सभी पश्तून क्षेत्रों को समायोजित करते हुए एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान राज्य का विकल्प दिए जाने की मांग की गई थी।
    - बाद में, एक जनमत संग्रह के पश्चात् सीमांत प्रांत नव स्वतंत्र पाकिस्तान का भाग बन गया।
- गफ़्फ़ार ख़ान ने वर्ष 1928 में पश्तो भाषा में एक मासिक राजनीतिक पत्रिका **"पश्तून"** का प्रकाशन आरंभ किया था। उनकी आत्मकथा **"मेरा जीवन और संघर्ष"** वर्ष 1969 में सार्वजनिक हुई थी।
- **वर्ष 1987** में उन्हें **भारत रत्न पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था तथा यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे **प्रथम गैर-भारतीय** थे।
    - भारत रत्न से सम्मानित अन्य गैर-भारतीय व्यक्ति **नेल्सन मंडेला (वर्ष 1990)** हैं।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. सामाजिक कलंक: कोविड-19 (Social Stigma: COVID-19)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व भर में, कोविड-19 के प्रकोप ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, संक्रमित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों, कुछ नृजातीय समूहों तथा इस रोग से संक्रमित प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अनुचित व्यवहार को बढ़ावा दिया है।

सामाजिक कलंक क्या है तथा इससे कौन प्रभावित हैं?

- स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक कलंक एक व्यक्ति या ऐसे लोगों के समूह के मध्य **नकारात्मक जुड़ाव** को इंगित करता है जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएँ और एक विशिष्ट रोग का प्रसार पाया जाता है।
- **HIV महामारी के आरंभिक दिनों** से लेकर वर्तमान कोरोनोवायरस संकट तक, प्रभावित जनसंख्या के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संक्रामक रोगों को लेकर जन सामान्य में गहन रूप में विकसित कलंक (स्टिग्मा) की भावना से निपटने की रही है।
  - उदाहरण के लिए, HIV के प्रकोप के संबंध में अतीत में LGBT जनसंख्या को दोषी माना जाता रहा है।
- कोविड-19 के संदर्भ में, मुख्य रूप से लोगों के तीन समूहों के प्रति नकारात्मक व्यवहार रहा है:
  - **क्वारंटाइन में रह रहे लोगों** (चाहे उनका टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं) के साथ सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है।
  - **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यकर्ता:** डॉक्टरों से लेकर अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों तक को कार्य के दौरान हिंसा सहित तिरस्कार एवं भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
  - **पहले से ही सुभेद्य वर्ग:** प्रवासी श्रमिक, पूर्वोत्तर के लोग, धार्मिक या अन्य उत्पीड़न के शिकार वे लोग जो परंपरागत रूप से भेदभाव का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस रोग से जोड़ कर देखा जा रहा है तथा वे अनुचित दोषारोपण का सामना कर रहे हैं।

दोषारोपण (stigmatization) के कारण

- **भय एवं चिंता:** यह एक नया रोग है और जिसके विषय में अनेक तथ्य अब भी अज्ञात हैं। रोग के विषय में ज्ञान का अभाव इसके संबंध में भय व चिंता उत्पन्न करता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए इस भय को 'दूसरों' से संबद्ध करना आसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप 'अन्य लोगों' पर दोषारोपण किया जाता है।
- **मिथ्या समाचार तथा भ्रामक जानकारी:** कोविड-19 से संबंधित जानकारी के अभाव एवं यह रोग कैसे प्रसारित होता है, इस संबंध में लोगों में अल्प ज्ञान बना हुआ है, जिसके कारण ऐसा दोषारोपण किया जा रहा है। साथ ही, बड़े पैमाने पर मिथ्या समाचारों तथा भ्रामक सूचनाओं के कारण भी इसके परिमाण में वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों एवं क्षेत्रों को ही संक्रमित माना जा रहा है जो विशुद्ध रूप से सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से प्रचारित झूठी रिपोर्टों पर आधारित है।
  - भ्रामक समाचारों का प्रसार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन में व्याप्त रूढ़ियों एवं पूर्वाग्रहों को प्रबल बना सकता है, जैसे- केवल कुछ समुदायों के लोग ही इस रोग से संक्रमित हो रहे हैं।
- **लेबलिंग एवं संबंध जोड़ना:** दोषारोपण तब होता है जब वायरस तथा वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित कर दिया जाता है; जब उठने वाले प्रश्न को, क्या दोष दिया जाए से किसे दोष दिया जाए के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है।
  - **कोविड-19 को "चीनी वायरस" कहना कोविड-19 को चीनी लोगों से जोड़ता है,** भले ही उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस रोग के संक्रमण हेतु दोषी न हो।

- कोविड-19 क्वारंटाइन से मुक्त होने के पश्चात् भी कुछ व्यक्तियों पर दोषारोपण किया गया है भले ही उनसे दूसरों को वायरस से संक्रमित करने की संभावना न हो। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उसे संक्रमित मान लिया जाता है।

दोषारोपण से किसी को लाभ नहीं होता है

- **संक्रमित/क्वारंटाइन किए हुए लोग**
  - **यह स्थिति उनके सामाजिक जीवन को बाधित करती है:** न केवल उन पर दोषारोपण किया जाता है, बल्कि पहचान किए गए रोगियों के परिवारों व दोस्तों के साथ बाद में भी असमानतापूर्वक व्यवहार किया जा सकता है। दोषारोपण, दोषारोपित समूहों व उन समुदायों में जिनमें वे निवास करते हैं उनके भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।
- **हिंसा एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है:** ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां संदिग्ध व्यक्ति ने परेशान किए जाने के भय से आत्महत्या कर ली है।
- **अप्रत्यक्ष सामाजिक बहिष्कार:** दोषारोपित समूहों को सामाजिक परिवर्जन या अस्वीकृति, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास या रोजगार से बहिष्कृत होना पड़ सकता है।
- **मृत्यु दर में वृद्धि:** कोविड-19 या फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्ति, दोषारोपित किए जाने के भय से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप उपचार में विलंब के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है।
- **संपूर्ण समुदाय**
  - **दोषारोपण संचार/चर्चा को बाधित करता है:** जिन व्यक्तियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है वे प्राय: सहायता प्राप्त करने या लक्षणों पर चर्चा करने से भी डरते हैं। ऐसा करके वे स्वयं को तथा दूसरों को खतरे में डालते हैं और साथ ही, संक्रमण की दर में वृद्धि करते हैं।
  - **सामाजिक संरचना को क्षति:** दोषारोपण अन्य लोगों के प्रति भय या क्रोध उत्पन्न कर सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
  - **अवांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहन:** दोषारोपण के कारण उत्पन्न, भेदभाव से बचने के लिए लोग रोग छिपाने के लिए बाध्य हो सकते हैं तथा यहां तक कि यह उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से भी हतोत्साहित कर सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया है कि दोषारोपण का सामना करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं

क्या करना चाहिए	क्या नहीं करना चाहिए
• आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के **प्रयासों की सराहना करनी चाहिए** तथा उनके व उनके परिवारों के प्रति सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। • भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध **केवल प्रामाणिक जानकारी को ही साझा करना चाहिए।** • किसी भी संदेश को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से पूर्व कोविड-19 से संबंधित किसी भी **जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करनी चाहिए।** • कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके लोगों की **सकारात्मक कहानियों को साझा करना चाहिए।**	• उन लोगों के **नाम या पहचान का कभी भी प्रचार-प्रसार नहीं करना चाहिए**, जो प्रभावित हैं या क्वारंटाइन हैं। • भय एवं डर का प्रसार करने से बचना चाहिए। • हेल्थकेयर एवं सफाई कर्मियों या पुलिस कर्मियों के प्रति **अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए**। वे हमारी सहायता करने के लिए हैं। • कोविड-19 के प्रसार के लिए **किसी समुदाय या क्षेत्र पर दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए।** • जिनका उपचार चल रहा हो, उन लोगों को कोविड **पीड़ितों के रूप में संबोधित करने से बचना चाहिए**। उन्हें "कोविड से **ठीक हो रहे लोगों**" के रूप में संबोधित करना चाहिए।

आगे की राह

- **समानुभूति को प्रोत्साहित करना:** प्रभावित लोगों के साथ समानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सामाजिक विश्वास का निर्माण करने में सहायता करेगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाता निडर व प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं।
- **पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु प्रशिक्षण:** पहले उत्तरदाताओं को इस दोषारोपण का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण से निपटना उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
- **अभियान को जारी रखना:** महामारी के समाप्त होने के पश्चात् भी दोषारोपण-विरोधी अभियान (anti-stigma campaign) को जारी रखा जाना चाहिए। भय एवं भ्रम की स्थिति में, रोग से ग्रसित लोगों के लिए, दोषारोपण एक स्थायी कलंक बन जाता है।

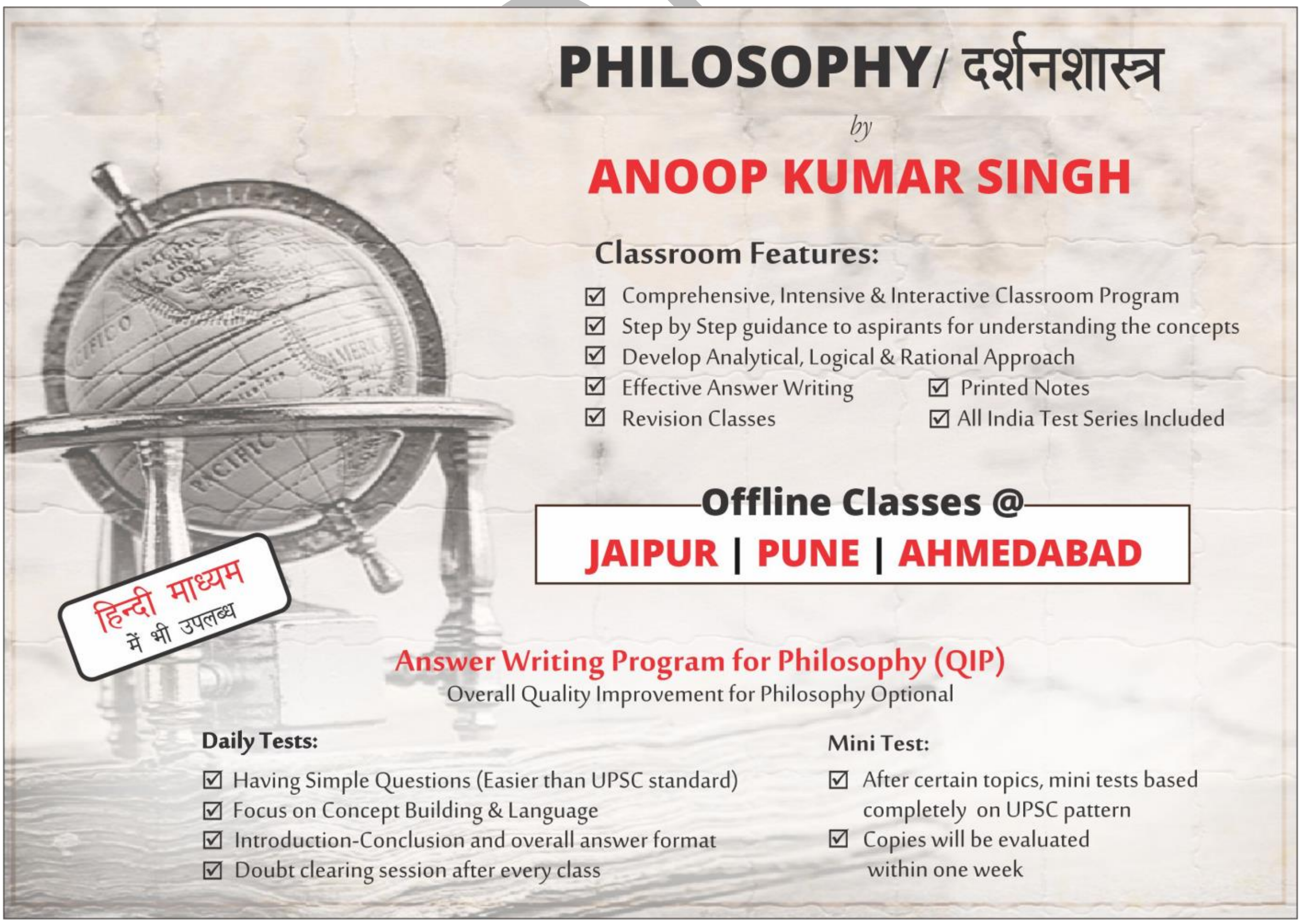

10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

10.1. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नामनिर्देशन का मुद्दा (Issue of nomination of Maharashtra Chief Minister)

- हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्विरोध चयन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा 28 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण की गई थी। अतः उनके लिए यह अनिवार्य था कि वे 6 माह की समाप्ति (28 मई) से पूर्व राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित हों, अन्यथा उन्हें मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ता। उनके पास एक विकल्प यह भी था कि त्यागपत्र देने के पश्चात् वे पुनः मुख्यमंत्री के पद की शपथ लें।
  - **अनुच्छेद 164(4) के अनुसार,** कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- इससे पूर्व, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से अनुशंसा की थी कि राज्य विधान परिषद (SLC) में राज्यपाल द्वारा नाम-निर्देशन के लिए आरक्षित सीटों में से एक के लिए मुख्यमंत्री को नामनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि **कोरोनावायरस के प्रसार के कारण निर्वाचन स्थगित कर दिया गया था।**
- राज्य में अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए, राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग (EC) से राज्य विधान परिषद में रिक्त सीटों को भरने का अनुरोध किया।
- **त्यागपत्र देने के पश्चात् पुन: शपथ ग्रहण:** वर्ष 2001 में, उच्चतम न्यायालय ने **एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य वाद** में यह निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति को निर्वाचित हुए बिना 'निरंतर छह माह' के कार्यकाल के लिए पुन: मंत्री नियुक्त करने की अनुमति देना **संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत** है।
- **विधान परिषद के लिए नामनिर्देशन:** इसका प्रावधान अनुच्छेद 171(5) के तहत किया गया है:
  - **अनुच्छेद 171(5) के अनुसार,** राज्यपाल "साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति" को विधान परिषद के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकता है।
  - विधान परिषद में दो सीटों का कार्यकाल 6 जून को समाप्त हो रहा है। जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक वर्ष से कम अवधि का कार्यकाल शेष रहने पर उसे भरने को प्रतिबंधित करता है। ज्ञातव्य है कि यह सीमा नामनिर्देशन पर लागू नहीं होती है।

10.2. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले (Bodoland Territorial Area Districts: BTAD)

- हाल ही में, **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (BTC)** द्वारा शासित असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (BTAD) के पांच वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के उपरांत उन्हें राज्यपाल शासन के अधीन लाया गया।
- कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाए रखने के दिशा-निर्देशों के कारण परिषद के निर्वाचनों को स्थगित कर दिया गया था।
- राज्यपाल ने संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए BTAD पर नियंत्रण का निर्णय लिया है।

बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (BTC) के बारे में

- इसका गठन **छठी अनुसूची** के उपबंधों के अंतर्गत किया गया है और राज्यपाल इसका संवैधानिक प्रमुख होता है।
- वर्ष 1993 में **ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन** के साथ **प्रथम बोडो समझौते** द्वारा सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ एक **बोडोलैंड स्वायत्त परिषद** का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में कुछ वित्तीय और अन्य शक्तियों के साथ **BTC** का सृजन किया गया था।
- BTC को 40 से अधिक विषयों पर विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों एवं प्रकार्यों के माध्यम से सशक्त बनाया गया है।
- BTC में **46 सदस्य शामिल** होते हैं, जिनमें 40 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 6 सदस्यों को असम के राज्यपाल द्वारा BTC क्षेत्र के प्रतिनिधित्वहीन समुदायों से नामनिर्दिष्ट किया जाता है, उनमें कम से कम दो सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।
  - ज्ञातव्य है कि यह छठी अनुसूची का एक अपवाद है, जो अधिकतम 30 सदस्यों के लिए ही अनुमति प्रदान करता है, जबकि BTC में 46 सदस्य शामिल हैं।
- इस परिषद का उद्देश्य, शिक्षा के क्षेत्र में बोडो लोगों के विकास, भूमि अधिकारों के संरक्षण, भाषाई आकांक्षा, संस्कृति और उनकी नृजातीय पहचान पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ BTAD का त्वरित विकास करना है।

VISION IAS

10.3. प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (Press Freedom Index)

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 में भारत का स्थान **वर्ष 2019 में प्राप्त स्थान की तुलना में दो स्थान घटकर 142 हो** गया है।
- यह **पेरिस** स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन **रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF)** द्वारा जारी किया जाता है।
- यह सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान करता है।
- रैंकिंग हेतु प्रयुक्त मापदंड हैं- बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया परिवेश एवं स्व-सेंसरशिप, विधायी ढांचा, पारदर्शिता और समाचार व सूचना के संपादन का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता।

10.4. भारत का अमेरिका की 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' में स्थान बरकरार (India remains on U.S. Priority Watch List)

- हाल ही में, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिव (USTR) कार्यालय द्वारा अपने व्यापारिक भागीदारों के **बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों** के संरक्षण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर अपनी वार्षिक **स्पेशल 301 रिपोर्ट** जारी की गई है।
- ऐसे व्यापारिक भागीदार, जो वर्तमान में IP अधिकारों के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंताएं प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है।
- IP अधिकारों के पर्याप्त संरक्षण की कमी के कारण **भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बनाए रखा गया है।**
- इसमें औषध क्षेत्र में प्रतिबंध, चिकित्सा उपकरणों पर उच्च सीमा शुल्क, केंद्रीकृत IP प्रवर्तन एजेंसियों की अनुपस्थिति आदि से संबंधित चिंताओं को रेखांकित किया गया है।

10.5. सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑरिजिन (Certificate of Origin)

- हाल ही में, कोविड-19 संकट के दौरान शिपमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 'सर्टिफ़िकेट ऑफ़ ऑरिजिन' (CO) जारी करने हेतु एक **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म** विकसित किया गया है।
- CO एक महत्वपूर्ण **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेज़** है, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी विशिष्ट निर्यात शिपमेंट में मौजूद वस्तुएँ उस विशेष देश से पूर्ण रूप से प्राप्त या वहां उत्पादित, विनिर्मित या संसाधित होनी चाहिए।
  - ये दस्तावेज़ **उत्पाद की 'राष्ट्रीयता' और 'सामग्री' की घोषणा** करते हैं तथा सीमा शुल्क या व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक द्वारा एक घोषणा के रूप में भी कार्य करते हैं।
  - ये दस्तावेज़ मुक्त-व्यापार समझौतों (FTA) के तहत सीमा शुल्क रियायतों का दावा करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं।
- एक निर्यातक को आयातक देश के लैंडिंग पोर्ट पर CO जमा कराना आवश्यक होता है।
- सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑरिजिन **दो प्रकार** के होते हैं:
  - **गैर-अधिमान्य CO:** यह प्रमाणित करते हैं कि वस्तुओं के साथ किसी प्रकार का अधिमान्य व्यवहार (preferential treatment) नहीं किया जाता है। इन्हें "सामान्य CO" के रूप में भी जाना जाता है।
  - **अधिमान्य CO:** यह प्रमाणित करते हैं कि जब वस्तुएँ इन विशेषाधिकारों का विस्तार करने वाले देशों को निर्यात की जाती हैं, तो इनके लिए निम्न प्रशुल्क दरें या छूट प्रदान की जाती हैं।
- व्यापार समझौतों में 'रूल्स ऑफ़ ऑरिजिन' अध्याय एक वैध CO (अधिमान्य CO) को जारी करने के दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते हैं।

10.6. बैंक ऑफ स्कीम्स, आइडियाज़, इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल (Bank of Schemes, Ideas, Innovation & Research Portal)

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने MSMEs पर **बैंक ऑफ स्कीम्स, आइडियाज़, इनोवेशन और रिसर्च पोर्टल** लॉन्च किया है।
- यह पोर्टल MSMEs को **केंद्र और राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सभी योजनाओं तक पहुंच** प्रदान करेगा।
- इसमें प्रयोक्ताओं द्वारा इस क्षेत्र से संबंधित विचारों, नवाचारों और शोध को अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है।
- इसमें विचारों की **क्राउड सोर्सिंग** तथा प्राप्त विचारों का क्राउड सोर्सिंग द्वारा ही **मूल्यांकन** और उन्हें रेटिंग प्रदान करने की विशेषताएँ समाहित की गई हैं, जिससे निर्णय निर्माण में सहायता प्राप्त होगी।
- यह विचार, नवाचार और अनुसंधान से युक्त प्रयोक्ताओं के साथ संबद्ध होने हेतु **उद्यम पूंजी की सुविधा** प्रदान करता है तथा इसमें भविष्य में बैंकों, सरकारी प्रयोगशालाओं, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स व विदेशी सहयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए भी विकल्प उपलब्ध हैं।
- इससे **ग्रामीण जनजातीय ज्ञान एवं कौशल** से संबंधित **अनुसंधान गतिविधियों** में सहायता प्राप्त होगी।

10.7. SIPRI द्वारा जारी 'ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, 2019' रिपोर्ट (Trends in World Military Expenditure, 2019 Report by SIPRI)

- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - वर्ष 2019 में **कुल वैश्विक सैन्य व्यय**, 1,917 बिलियन डॉलर था, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के **2.2%** के समतुल्य था।
    - वर्ष 2019 में (वर्ष 2018 से अधिक) वर्ष 2010 के उपरांत से सैन्य व्यय में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
  - वर्ष 2015 और वर्ष 2019 को छोड़कर, वर्ष 2010–19 में **विश्व सैन्य भार** में प्रति वर्ष गिरावट परिलक्षित हुई है।
    - GDP के भाग के रूप में सैन्य व्यय को **सैन्य भार (military burden)** के रूप में जाना जाता है।
  - वर्ष 2019 में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में **भारत तीसरे स्थान** पर रहा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर था।
  - **दक्षिण एशिया में सर्वाधिक सैन्य व्यय भारत का ही था।** इसमें वर्ष 1990-2019 तक 259% और वर्ष 2010-19 तक 37% की वृद्धि हुई थी। हालांकि, भारत का सैन्य भार **वर्ष 2010 में GDP के 2.7% से घटकर वर्ष 2019 में 2.4% हो गया था।**
    - **चीन** और **पाकिस्तान** के साथ भारत का तनाव एवं प्रतिद्वंद्विता इसके बढ़ते सैन्य व्यय हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक है।
- **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संस्था युद्धों एवं संघर्षों, शस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध कार्य करती है।

10.8. वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (Global Terrorism Index)

- हाल ही में, नीति आयोग ने **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक** में भारत को प्रदान की गई **'आतंक से प्रभावित देश'** संबंधी रैंकिंग पर प्रश्नचिह्न आरोपित किया है।
- यह सूचकांक **ऑस्ट्रेलिया** स्थित **इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP)** द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और यह मुख्यतया मैरीलैंड विश्वविद्यालय (University of Maryland) में नेशनल कंसोर्टियम फ़ॉर स्टडी ऑफ़ टेररिज़्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज़्म (स्टार्ट/START) द्वारा समानुक्रमित **वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस (GTD)** पर आधारित होता है।
- इसका उद्देश्य विश्व की 99.7% जनसंख्या को कवर करते हुए 163 देशों पर आतंकवाद के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण करना है। **वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) में विगत पांच वर्षों में हुए आतंकवादी हमलों का अध्ययन किया जाता है।**
- वार्षिक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI), 2019 के अनुसार भारत, विश्व में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में **7वें स्थान पर है।**
- नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत को दक्षिणी सूडान, सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन आदि जैसे संघर्ष-ग्रस्त देशों से भी ऊपर रैंक प्रदान करने के लिए IEP की कार्यप्रणाली और अपारदर्शी फंडिंग पर भी प्रश्नचिह्न लगाया है।
- देशों के मध्य आतंकवाद की परिभाषा में अत्यधिक विविधता व्याप्त है। वर्ष 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में लंबित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय सहित आतंकवाद की सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य परिभाषा का अभाव, **GTI सूचकांक की गणना में अस्पष्टता का एक बड़ा कारण है।**

10.9. यू.एन.75 पहल (UN75)

- UN75 पहल के अंतर्गत **'रिजॉल्वड टू कंबाइन आवर एफर्ट्स'** शीर्षक के तहत वैश्विक संवाद के प्रथम तीन माह के निष्कर्षों को जारी किया गया है।
- प्रतिक्रियाओं से ज्ञात होता है कि लोगों का मानना है कि **जलवायु और पर्यावरण** मानवता के भविष्य को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे, इसके पश्चात् द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः **संघर्ष एवं हिंसा** तथा **स्वास्थ्य जोखिम** विद्यमान हैं।

इस पहल से संबंधित तथ्य

- वर्ष 2020 में अपनी 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु, संयुक्त राष्ट्र ने UN75 नामक **वांछित भविष्य के निर्माण में वैश्विक सहयोग की भूमिका पर व्यापक और समावेशी वैश्विक संवाद** पहल का शुभारंभ किया है।
- UN75 पहल के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ यह परिभाषित करने हेतु लोगों को एकजुट होने हेतु प्रोत्साहित करेगा कि किस प्रकार बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष 2045 (संयुक्त राष्ट्र की 100वीं वर्षगांठ) तक एक बेहतर विश्व की स्थापना में सहायता कर सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में **कोई भी व्यक्ति**, ऑनलाइन और ऑफलाइन या औपचारिक अथवा अनौपचारिक संवादों में सम्मिलित हो सकता है।
- UN75 पहल में निम्नलिखित **तीन विस्तृत प्रश्नों** पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है:

VISION IAS

- हम कैसा भविष्य निर्मित करने की इच्छा रखते हैं?
- क्या हम सही पथ पर अग्रसरित हैं?
- अंतराल को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही आवश्यक है?

- इसके निम्नलिखित **तीन घटक** हैं:
  - एक नए वैश्विक संवाद को आकार प्रदान करने हेतु विभिन्न समूहों, विशेषकर वे जिनकी प्राय: उपेक्षा की जाती है, को एकजुट कर **लोगों को परस्पर संबद्ध करना।**
  - वार्ता करने एवं वार्ताओं को सुने जाने हेतु लोगों के लिए खुले माध्यमों के सृजन के द्वारा **उन समूहों की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करना।**
  - प्रतिक्रिया, साझाकरण और समाधान के समर्थन द्वारा **कार्रवाई को प्रेरित करना।**
- परिणाम, सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की आधिकारिक स्मृति में प्रस्तुत किए जाएंगे और परिणामों को अग्रेषित करने की सर्वोत्तम रीति पर अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2021 में प्रस्तुत की जाएगी।

10.10. बल्क ड्रग्स के उत्पादन हेतु EIA अधिसूचना में संशोधन (EIA Notification Amended for Production of Bulk Drugs)

- नॉवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक संकट से उत्पन्न सामान्य स्थिति का समाधान करने एवं विभिन्न दवाओं की उपलब्धता या उत्पादन में वृद्धि करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना (वर्ष 2006) में एक संशोधन** किया है।
- विभिन्न रोगों के उपचार के लिए विनिर्मित बल्क ड्रग्स या मध्यवर्ती उत्पादों (intermediates) के संबंध में सभी परियोजनाओं या कार्यकलापों को वर्तमान **'A' श्रेणी से 'B2' श्रेणी** में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- **EIA 2006 की अधिसूचना के तहत, परियोजनाओं को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया है:**
  - **'A' श्रेणी** की परियोजनाओं में सभी भौतिक अवसंरचनाएं शामिल हैं, जिनका आकार और लागत अनुसूची में परिभाषित कुछ न्यूनतम स्तरों से अधिक है। **इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति केंद्रीय स्तर पर प्रदान की जाती है।**
  - **B2 श्रेणी** की परियोजनाओं (संभवत: अल्प महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ) का मूल्यांकन और स्वीकृति राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
    - यद्यपि, **B1 श्रेणी** के तहत शामिल परियोजनाओं को भी EIA और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता होती है, परन्तु **B2 श्रेणी** में शामिल परियोजनाओं को बेसलाइन डाटा के संग्रहण, EIA अध्ययनों एवं सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता से छूट प्रदान कर दी गई है।
- वर्तमान में, ऐसे प्रस्तावों का पुनर्वर्गीकरण राज्य स्तर पर मूल्यांकन के विकेंद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए किया गया है, जिससे कि प्रक्रिया को त्वरित किया जा सके।
- सरकार द्वारा यह कदम देश में अल्पावधि में महत्वपूर्ण दवाओं/ड्रग्स की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ उठाया गया है।
- यह संशोधन **30 सितंबर, 2020** तक प्राप्त होने वाले सभी प्रस्तावों पर लागू होगा।

10.11. ग्लोबल ग्राउंड वाटर मैप्स (Global Groundwater Maps)

- **नासा (NASA)** और **यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का-लिंकन (University of Nebraska-Lincoln)** द्वारा मृदा आर्द्रता तथा भौमजल स्तर के आकलन हेतु उपग्रह-आधारित, साप्ताहिक वैश्विक मानचित्र विकसित किया गया है।
- इन वैश्विक मानचित्रों को विकसित करने हेतु **ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन (GRACE-FO)** उपग्रहों के आंकड़ों का प्रयोग किया गया था।
  - ग्रेस-एफओ (GRACE-FO), **नासा और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो-साइंसेस** द्वारा संचालित एक मिशन है, जिसका शुभारंभ वर्ष 2018 में भौमजल भंडार, वृहत झीलों तथा नदियों में जल की मात्रा, मृदा की नमी, हिम चादर एवं ग्लेशियर और महासागरों में अतिरिक्त जल की वृद्धि के कारण समुद्र के जल-स्तर में होने वाले परिवर्तन की निगरानी के क्रम में **पृथ्वी के जल संचलन को ट्रैक करने हेतु** किया गया था।
  - ग्रेस-एफओ मिशन वर्ष 2002-2017 तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले मूल ग्रेस (GRACE) मिशन का उत्तरवर्ती है।
- इसके तहत **तीन विभिन्न गहराइयों**: धरातलीय मृदा की नमी, जड़ क्षेत्र (root zone) मृदा नमी (लगभग सतह से 3 फुट की गहराई तक) तथा उथले भौमजल पर जल के वितरण से संबंधित भिन्न अवधि आधारित **मानचित्र** तैयार किया गया है।

- वैश्विक मानचित्र उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध है।
- मानचित्र के संभावित लाभ:
    - मृदा नमी और भौमजल आंकड़ों के आधार पर **कृषि फसलों का प्रबंधन** और उनकी **उपज के पूर्वानुमान** हेतु।
    - **सूखे की स्थितियों के पूर्वानुमान** हेतु।
    - **विश्व के सभी भागों में उत्पाद की समान** सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।
    - जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन आदि **के प्रभावों को** संबोधित करने में सहयोग करने हेतु।

10.12. उतराखंड में दुर्लभ हिम तेंदुआ देखा गया (Rare Snow Leopards Spotted in Uttarakhand)

- उत्तराखंड के **नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान** में हिम तेंदुआ के एक युग्म को देखा गया है।

हिम तेंदुओं के बारे में

- इसे **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर (IUCN)** द्वारा **वल्नरेबल** के रूप में वर्गीकृत तथा भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की **अनुसूची 1** के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- इसे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन्डैन्जर्ड स्पीशीज़ (CITES) और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ (CMS) के **परिशिष्ट I** में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत में, हिम तेंदुए हिमालय और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र (मुख्यत: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत) में **3,000 मीटर से 5,400 मीटर** की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
- **जोखिम:** पर्यावासों का विखंडन, फर, हड्डियों, पंजे आदि के लिए अवैध शिकार, स्थानीय लोगों द्वारा अपनी प्रतिरक्षा स्वरूप किया गया हमला, जलवायु परिवर्तन आदि।
- **हिम तेंदुए निम्नलिखित 12 देशों के कुछ हिस्सों में पर्यावासित है:** अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान।

नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान

- यह उत्तराखंड में **नंदा देवी पर्वत** (7,816 मीटर) के निकट स्थित है।
- इसके उत्तर पश्चिम में **वैली ऑफ फ्लॉवर्स नेशनल पार्क** स्थित है। जिसे वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था।
- नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलो की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों **नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र** में अवस्थित है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ष 2004 में **यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व** के तहत शामिल कर लिया गया था।
- यह समृद्ध विविधता युक्त क्षेत्र, एशियाई काले भालू, हिम तेंदुआ, भूरे भालू और नीले भेड़िए सहित दुर्लभ और इन्डैन्जर्ड जानवरों का पर्यावास स्थल भी है।
- इस उद्यान से **ऋषि गंगा नदी** प्रवाहित होती है।

10.13. ग्रेट बैरिएर रीफ का वृहद् स्तर पर विरंजन (Great Barrier Reef's Mass Bleaching)

- वर्ष 2020 में ग्रेट बैरियर रीफ के सभी तीन भागों (अर्थात् उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भाग) में गंभीर प्रवाल विरंजन घटना दर्ज हुई है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्षेत्र में पहली बार वृहद् स्तर पर विरंजन की घटना वर्ष 1998 में घटित हुई थी।
- **विश्व की वृहत्तम प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र** ग्रेट बैरियर रीफ, **ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित** है। विगत पांच वर्षों में विरंजन की यह तीसरी बड़ी घटना है।
    - 400 प्रकार के प्रवाल, 1,500 मछलियों की प्रजातियों और 4,000 प्रकार के मोलस्क के साथ ग्रेट बैरियर रीफ में विश्व की वृहत्तम प्रवाल भित्तियों का संग्रह मौजूद है।

    - किसी अन्य विश्व धरोहर संपदा में इस प्रकार की जैव विविधता नहीं पाई जाती है।
- अभिलिखित रूप में यह देखा गया है कि प्रवाल विरंजन की घटना का सर्वाधिक व्यापक प्रसार, **जलवायु परिवर्तन से हुई तापमान में वृद्धि** के कारण हुआ है।

VISION IAS

- ग्रेट बैरियर रीफ में विरंजन की पांच वृहत घटनाएं - वर्ष 1998, वर्ष 2002, वर्ष 2016, वर्ष 2017 और वर्ष 2020 में घटित हुई हैं। ये सभी घटनाएँ वैश्विक उष्मन के परिणामस्वरूप हुए महासागरीय तापमान में वृद्धि के कारण घटित हुई हैं।
    - वृहत विरंजन और एक के पश्चात् दूसरी विरंजन की घटना के मध्य घटता अन्तराल, एक चिंता का विषय है क्योंकि प्रवाल विरंजन के बाद प्रवाल कालोनियों के निर्माण की दर सामान्यत: मंद हो जाती है।

10.14. सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल (Daporijo Bridge Over Subansiri River)

- **यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक रणनीतिक उपयोग वाला पुल** है, क्योंकि यह भारत और चीन के मध्य सीमांकित वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) क्षेत्र में मानव एवं सामग्री के तीव्र संचलन की सुविधा प्रदान करेगा।
    - सुबनसिरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली एक सहायक नदी है।
- इस पुल का निर्माण **सीमा सड़क संगठन (BRO)** द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सोशल डिसटेन्सिंग मानदंडों का पालन करते हुए किया गया है।
    - BRO, रक्षा मंत्रालय के तहत भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क के विकास एवं प्रबंधन हेतु एक कार्यरत निकाय है।

10.15. अनाक क्राकाटाओ (Anak Krakatau)

- यह इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के मध्य **सुंडा जलडमरूमध्य (strait)** में स्थित एक **ज्वालामुखी द्वीप** है।
- अनाक क्राकाटाओ (जिसका अर्थ क्राकाटाओ का शिशु है) का निर्माण प्रसिद्ध क्राकाटाओ ज्वालामुखी द्वारा ही हुआ था। वर्ष 1883 में इसमें हुए विस्फोट के कारण व्यापक **सुनामी** और **वैश्विक शीतलन** की परिघटना घटित हुई थी।
    - हाल ही में, इसमें विस्फोट हुआ है।

10.16. आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व की पूर्व सूचना देने वाला नवीन मॉडल (New Model To Predict Ionospheric Electron Density)

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्थान, **भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान (IIG)** के शोधकर्ताओं द्वारा एक **वैश्विक आयनमंडलीय मॉडल पर आधारित आर्टीफिशियल न्यूरल नेटवर्क (ANNIM)** विकसित किया गया है।
- ANNIM आयनमंडलीय इलेक्ट्रॉन घनत्व की **परिवर्तनशीलता की पूर्व-सूचना** उपलब्ध कराता है।
- आयनमंडलीय **इलेक्ट्रॉन घनत्व** व्यापक स्तर पर सौर जनित एवं पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न प्रक्रियाओं दोनों के द्वारा प्रभावित होता है।
- **संचार और नौवहन** के लिए आयनमंडलीय परिवर्तनशीलता की **निगरानी** महत्वपूर्ण है, तथा इसमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पोजिशनिंग की त्रुटियों की गणना में अनुप्रयोगिक संभावनाएं विद्यमान हैं।
- **आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क** एक कम्प्यूटेशनल मॉडल है जो पैटर्न की पहचान, वर्गीकरण, क्लस्टरिंग, सामान्यीकरण, रैखिक और गैर रैखिक डेटा फिटिंग और टाइम सीरीज के अनुमान जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मानव मस्तिष्क (या जैविक न्यूरॉन्स) के समान गणना कर सकता है।

आयनमंडल के बारे में

- यह पृथ्वी के वायुमंडल में **आवेशित कणों की एक परत** है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 550 किलोमीटर तक विस्तृत है।
- आयनमंडल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) सहित अनेक कक्षीय उपग्रह परिक्रमा करते हैं।

10.17. भारत पढ़े ऑनलाइन (Bharat Padhe Online)

- हाल ही में, **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD)**, ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारितंत्र को बेहतर बनाने के क्रम में लोगों के विचार आमंत्रित करने के उद्देश्य से 'भारत पढ़े ऑनलाइन' नामक एक **साप्ताहिक अभियान** की शुरुआत की है।
- इस अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में मौजूद किसी भी बाधा को समाप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ प्रत्यक्ष सुझाव/समाधान साझा करने की दिशा में भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करना है।
    - देश भर के शिक्षाविशारद (educators) और शिक्षक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को साझा कर सकते हैं।
- इस अभियान के तहत मानक ऑनलाइन शिक्षा पारितंत्र, भारत में वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा परिदृश्य की सीमाएं, परंपरागत कक्षाओं में सामना की जाने वाली चुनौतियों जैसे मुद्दों को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से संबोधित/चिन्हित किया जा सकता है।

- वर्तमान में कोविड19 लॉकडाउन के लागू होने के कारण कई स्कूलों और कॉलेजों द्वारा शिक्षा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों का चयन किया गया है।

10.18. परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश (UGC Guidelines on Examinations and Academic Calendar for the Universities)

- इन दिशानिर्देशों की प्रकृति सलाहकारी है तथा विश्वविद्यालय कोविड-19 महामारी पर विचार करते हुए अपनी कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।
- **प्रमुख अनुशंसाएँ:**
  - विश्वविद्यालय, लघु अवधि में प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु परीक्षाओं की वैकल्पिक सरलीकृत प्रणालियों को अपना सकते हैं।
  - अकादमिक कैलेंडर से संबंधित छात्रों के मुद्दों के समाधान हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक **कोविड-19 प्रकोष्ठ** का गठन किया जाना चाहिए।
  - तीव्र निर्णय निर्माण हेतु भी UGC के अधीन एक कोविड-19 प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए।
  - वर्चुअल क्लासरूम एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का विकास करना और तकनीक के उपयोग के संदर्भ में सभी शिक्षण कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
  - लॉकडाउन की अवधि को सभी छात्रों/शोधरत अभ्यर्थियों को 'उपस्थित होने के समान' (deemed to be attended) समझा जा सकता है।

10.19. हॉस्पिटल इमपैनलमेंट मॉड्यूल लाइट {Hospital Empanelment Module (HEM) LITE}

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत अधिक संख्या में निजी अस्पतालों को शामिल किए जाने हेतु **हॉस्पिटल इमपैनलमेंट मॉड्यूल (HEM) लाइट** की शुरुआत की गई है।
- कोविड-19 के प्रकोप के कारण, राज्यों में कई **ऐसे चिकित्सालयों को समर्पित कोविड-19 सुविधाओं के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है** जिनके द्वारा अत्यधिक संख्या में AB PM-JAY के तहत रोगियों का उपचार किया जा रहा है।
  - यह इसलिए किया जा रहा है **ताकि कोविड-19 के परीक्षण और उपचार** को AB PM-JAY योजना के तहत सम्मिलित किया जा सके।
- कैंसर, हृदय संबंधी रोगों और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए निरंतर उपचार की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु **HEM लाइट** का शुभारंभ किया गया है।
- **HEM लाइट,** अस्पतालों को निम्नलिखित के लिए अनुमति प्रदान करता है:
  - गंभीर बीमारियों (जैसे- कैंसर इत्यादि) के लिए नियमित उपचार प्रदान करने हेतु स्वयं को PM-JAY के तहत सूचीबद्ध करना; अथवा
  - स्वयं को केवल कोविड-19 अस्पतालों में परिवर्तित करना।
- **HEM लाइट** के तहत अस्पतालों को केवल **तीन माह की अस्थायी अवधि के लिए** सूचीबद्ध किया जाएगा।
- सूची में सम्मिलित करने का कार्य **राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)** द्वारा किया जाएगा जो राज्य सरकार की शीर्ष निकाय है तथा ये राज्यों में AB PM-JAY के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।

10.20. चीन द्वारा वुहान नाम से संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा (China to Launch Communication Satellites Named after Wuhan)

- अपने अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट-ऑफ़-थिंग्स (IoT) प्रोजेक्ट के लिए **शिन्युन-2 01 और 02 (Xingyun-2 01 and 02)** नामक दो संचार उपग्रहों को चीन द्वारा लांच किया जाएगा।
- **शिन्युन-2 01** को **"वुहान"** नाम दिया गया है जिसे शिन्युन सैटेलाइट कंपनी द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
- **यह उपग्रह 80 उपग्रहों से युक्त** इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स संचार हेतु **निम्न भू कक्षा में स्थित उपग्रह समूहों (लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन)** के लिए कार्य करेगा तथा इसका **समुद्र, वानिकी और अभियांत्रिकी मशीनरी से संबंधित उद्योगों में** परीक्षण/प्रयोग किया जाएगा।
- **इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)** किसी भी उपकरण को इंटरनेट से और अन्य संबद्ध उपकरण से जोड़ने की संकल्पना है, जिसमें सभी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके तथा अपने आस-पास के परिवेश के बारे में डेटा एकत्र एवं साझा किया जाता है।

10.21. तियानवेन-1 (TIANWEN-1)

- **तियानवेन-1** चीन का प्रथम मंगल अन्वेषण मिशन है जिसे इस वर्ष के अंत में लांच किया जाएगा।
- इस मिशन में मंगल ग्रह की सतह से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण हेतु एक **कक्षीय अंतरिक्ष यान, लैंडिंग क्राफ्ट और एक वियोज्य (detachable) रोवर** को शामिल किया गया है।
- इससे पूर्व चीन द्वारा वर्ष 2011 में **यिंगहुओ-1 (Yinghuo-1)** नामक अन्वेषण प्रोब को मंगल ग्रह पर भेजने का प्रयास किया गया था। इसे रूसी अंतरिक्ष यान की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था।
    - यह प्रयास इससे संपर्क टूटने और तत्पश्चात पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान इसके नष्ट हो जाने के कारण विफल हो गया था।
- अब तक केवल **अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और भारत** ही मंगल पर मिशन भेजने में सफल रहे हैं।
- भारत अपने **प्रथम प्रयास** में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक यान भेजने वाला प्रथम देश भी है।

10.22. सनराइज मिशन (Sunrise Mission)

- हाल ही में, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट (SunRISE) मिशन की घोषणा की गई है।
- **यह सनराइज मिशन अंतरिक्ष में सूर्य द्वारा सौर कण तूफानों (solar particle storms) के रूप में प्रचलित विशालकाय मौसमी तूफानों के सृजन और निर्गमन से संबंधित अन्वेषण में सहायता करेगा।**
- **सौर तूफान** सौर सतह से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के **द्रव्यमान और ऊर्जा वाले विस्फोट हैं,** जैसे- सौर ज्वाला (फ्लेयर्स), कोरोनल मास इंजेक्शन आदि।
- इस प्रक्रिया में भंडारित चुंबकीय ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो सतह के निकट या सूर्य के कोरोना में स्थित गर्म गैसों की गति को तीव्र कर देती है।
- प्रायः ये कण सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के साथ-साथ अन्तर्ग्रहीय अंतरिक्ष (इंटरप्लेनेटरी स्पेस) में पृथ्वी और उससे आगे भी पहुंच जाते हैं।
- जब पदार्थ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ट्रैप्ड रेडिएशन बेल्ट से टकराते हैं, तो यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में कणों को निर्मुक्त करता है जिसके कारण **ध्रुवीय ज्योति (Aurora) उत्पन्न होती है।**
- समान आवेशित कण स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं जो **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के साथ साथ कम्पास रीडिंग को प्रभावित कर सकते हैं।**
- परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लंबी पाइपलाइनों के रूप में विद्युत को प्रेषित कर सकते हैं अथवा विद्युत ग्रिडों में विद्युत तरंगों को सृजित कर सकते हैं जिससे ब्राउन आउट (किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में कमी या कटौती) एवं ब्लैक आउट (विद्युत् आपूर्ति की विफलता) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

10.23. डेमो-2 मिशन (DEMO-2 Mission)

- यह नासा (NASA) समर्थित स्पेस-एक्स (SpaceX) के **क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट** (Crew Dragon spacecraft) द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजने हेतु प्रारंभ एक मिशन है।
- वर्ष 2011 में नासा के **स्पेस शटल फ्लीट** के सेवानिवृत्ति के पश्चात् इसे नासा के प्रथम क्रू (crew) लांच के रूप में नियोजित किया जाएगा। वर्ष 2011 के पश्चात्, रूसी **सोयूज़** अंतरिक्ष यान, ISS पर मानव को भेजने का एकमात्र साधन रहा है, जिसके माध्यम से अधिकांशत: दीर्घकाल के लिए क्रू को ISS पर भेजा गया।
- इसमें एक **फाल्कन 9 रॉकेट (स्पेस एक्स द्वारा निर्मित)** का उपयोग किया जाएगा। वर्ष 2019 में स्पेस एक्स द्वारा अपने **डेमो (DEMO)-1 मिशन** के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी **प्रथम क्रू-रहित परीक्षण उड़ान को** लांच किया गया था।
- **स्पेस एक्स,** अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाने और वापस लाने हेतु नासा द्वारा उपयोग की जाने वाली **दो वाणिज्यिक कंपनियों में से एक** है। दूसरी कंपनी **बोइंग** है।
- ISS, **निम्न भू कक्षा** (low Earth orbit) में स्थापित एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन (रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह) है।
- ISS कार्यक्रम पांच भागीदार अंतरिक्ष एजेंसियों {संयुक्त राज्य अमेरिका की **नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)**, रूस की **रॉस्कॉस्मॉस**, जापान की **जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA)**, यूरोप की **यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA)** और कनाडा की **कनाडियन स्पेस एजेंसी (CSA)**} द्वारा संचालित एक **बहु-राष्ट्रीय सहयोगात्मक परियोजना** है। अंतरिक्ष स्टेशन के स्वामित्व और उपयोग को अंतर-सरकारी संधियों और समझौतों द्वारा शासित किया गया है।

* यह एक **माइक्रो ग्रेविटी** (microgravity) और स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च लेबोरेट्री **(अंतरिक्ष वातावरण अनुसंधान प्रयोगशाला)** के रूप में कार्य करता है जिसके अंतर्गत एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी (खगोल-विज्ञान), मौसम-विज्ञान, भौतिकी और अन्य क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं।

10.24. चंद्रमा का डिजिटल भूगर्भिक मानचित्र (Digital Geological Map of Moon)

* हाल ही में, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) द्वारा **चंद्रमा के एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र** को प्रकाशित किया गया है।

चंद्रमा के एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र के बारे में

* यह चंद्रमा का प्रथम डिजिटल, एकीकृत, समग्र, भूगर्भिक मानचित्र है जो **(1: 50,00,000 स्केल)** पर चंद्रमा के भूगर्भिक संरचना को प्रदर्शित करता है।
* इसे **नासा (NASA) और लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट** (Lunar & Planetary Institute) के सहयोग से USGS द्वारा विकसित किया गया है।
* इसमें ज्वालामुखी विवरों (craters), द्रोणियों (basins), भूक्षेत्र (terra), मैदानी क्षेत्र (plains) और ज्वालामुखी जैसी विशेषताओं के आधार पर चंद्रमा की समग्र सतह को 43 भूगर्भिक इकाइयों में मानचित्रित एवं वर्गीकृत किया गया है।

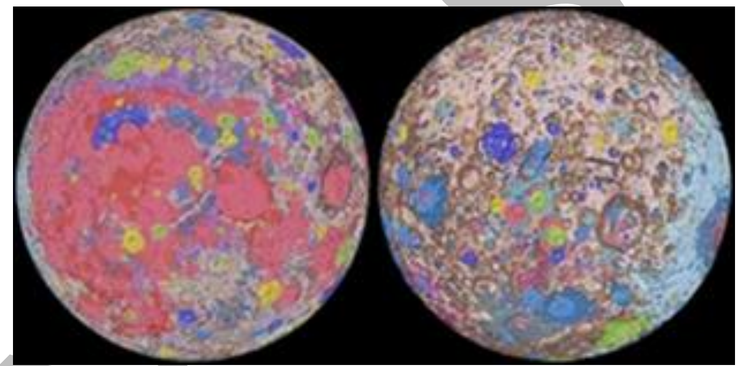

* यह **भविष्य के चंद्र मिशनों** की योजना निर्माण में सहायता प्रदान कर सकता है।
* **यह मानचित्र निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं:**
  * नासा का अपोलो मिशन
  * जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का सेलेनोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग एक्सप्लोरर (**SELENE/सेलिनी**) मिशन।
  * नासा का **लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर** आदि।

चन्द्रमा की सतह से संबधित तथ्य

* चंद्रमा की सतह को दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, **हाइलैंड्स** (Highlands) (चंद्र सतह का 83%) और **मारिया** (Maria)।
* **हाइलैंड्स प्राचीन, पर्वतीय क्षेत्र हैं।** यह चंद्रमा की मारिया सतह की तुलना में प्रकाशित (light) क्षेत्र है।
* **मारिया, चंद्रमा का अंधकारमय क्षेत्र** है। मारिया समुद्र के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द है। हालांकि, मारिया पर जल उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर लावा प्रवाह के अवशेष मौजूद हैं।
* चंद्रमा की सतह पर उल्का प्रभाव द्वारा निर्मित चंद्रमा पर असंख्य ज्वालामुखी विवर विद्यमान हैं।

10.25. लीथियम संपन्न विशालकाय तारें (Lithium Rich Giant Stars)

* हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन **भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics: IIA)** के शोधकर्ताओं ने **सैकड़ों लीथियम (Li) संपन्न विशालकाय तारों की खोज** की है।
* लिथियम (Li) **बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस (BBN)** से उत्पन्न तीन मूल तत्वों में से एक है। अन्य दो तत्व हाइड्रोजन और हीलियम (He) हैं।
* लिथियम (Li) संपन्न विशाल तारों की खोज से यह संकेत मिला है कि Li तारों में उत्पादित हो रहा है और इंटरस्टेलर मीडियम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
* IIA की टीम ने पहली बार विशाल तारों में लिथियम की वृद्धि को दर्शाया है जिसका संबंध केवल तारों के केंद्र में हीलियम के दहन से है। इन विशाल तारों को **लाल तारे अर्थात् रेड क्लंप जाइंट** के रूप में भी जाना जाता है (तारकीय विकास के अंतिम चरणों में समाप्त होता एक तारा)।

बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस सिद्धांत

* प्रारंभिक ब्रह्मांड में, तापमान इतना अधिक था कि सभी पदार्थ पूर्णतया **आयनित और विघटित** हो गए थे।
* बिग बैंग के तीन मिनट पश्चात् ही, ब्रह्मांड का तापमान 10^{32} केल्विन से कम होकर अर्थात् तीव्रता से घटकर लगभग 10^9 केल्विन हो गया था।

- इस तापमान पर, न्यूक्लियोसिंथेसिस या हल्के तत्वों का निर्माण हो सकता है। कम समय अंतराल में, ड्यूटेरियम (एक न्यूट्रॉन से आबद्ध एक प्रोटॉन) का निर्माण करने हेतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टक्कर हुई।
- तत्पश्चात हीलियम और ट्रिटियम की अल्पमात्रा (एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन) के निर्माण हेतु अधिकांश ड्यूटेरियम की अन्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से टक्कर हुई।

10.26. फॉमलहॉट बी (Fomalhaut B)

- हाल ही में, **शोधकर्ताओं द्वारा पूर्व में खोजे गए एक्सोप्लेनेट फॉमलहॉट बी के एक एक्सोप्लेनेट नहीं होने की पुष्टि की गई है,** किंतु यह समय के साथ विस्तारित दो प्लेनेटसीमल्स (planetesimals) की टक्कर से बचा हुआ धूल का एक विशालकाय बादल है।
- पृथ्वी से 25 प्रकाश-वर्ष की दूरी पर अवस्थित **फॉमलहॉट बी**, वर्ष 2004 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा दृश्य प्रकाश में खोजे गए प्रथम एक्सोप्लेनेटों में से एक था।
- प्रारंभ में यह चमकीला, कूल डॉट के रूप में आकाश में तीव्रता से गतिमान होते हुए प्रतीत होता था, किन्तु दस वर्ष पश्चात् वह डॉट अदृश्य हो गया।
- एक्सोप्लेनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो सूर्य के अतिरिक्त अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने वाले तारों की अत्यधिक चमक में अदृश्य हो जाने के कारण इन्हें टेलिस्कोप से प्रत्यक्ष रूप में देखना अत्यंत कठिन होता है।

10.27. केप्लर-1649c (Kepler-1649c)

- यह **पृथ्वी के आकार** का एक बहिर्ग्रह (exoplanet) है जो पृथ्वी से 300 प्रकाशवर्ष की दूरी पर अवस्थित है। इसे **नासा** के केप्लर स्पेस टेलीस्कोप (वर्ष 2018 में सेवा मुक्त हो गया) द्वारा खोजा गया था।
- यह हैबटबल जोन (habitable zone) में अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। हैबटबल जोन एक तारे के आसपास का ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक चट्टानी ग्रह पर तरल जल मौजूद हो सकता है।
- यह पृथ्वी से केवल 1.06 गुना बड़ा है और केप्लर-1649c पर एक वर्ष पृथ्वी के केवल 19.5 दिनों के समतुल्य होता है।
- पृथ्वी के विपरीत, केपलर-1649c एक लाल बौने ग्रह (red dwarf) की परिक्रमा करता है, जो कि तारकीय ज्वालाओं (flare-ups) के लिए जाना जाता है जो ग्रह के वातावरण में किसी भी संभावित जीवन की उत्पत्ति के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकती हैं।

10.28. जून अल्मीडा (June Almeida)

- जून अल्मीडा एक **विषाणुविज्ञानी** (virologist) थीं जिन्होंने प्रथम मानव कोरोनावायरस की संरचना तैयार की थी।
- वैज्ञानिक डी. जे. टायरेल और एम. एल. बीनो द्वारा वर्ष 1965 (पशुओं में इस रोग के पाए जाने के पश्चात्) में **B814** नामक प्रथम मानव कोरोनावायरस की खोज की गई थी। उन्होंने एक बच्चे (जिसमें सामान्य सर्दी के लक्षण और संकेत विद्यमान थे) के नासिका (nasal) की सफाई के दौरान इस विषाणु को पृथक किया था।
- वर्ष 1967 में, अल्मीडा ने नमूनों को एकत्रित किया तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नामक तकनीक के माध्यम से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके इन्हें देखने का प्रयास किया।
  - इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा नमूनों पर इलेक्ट्रॉनों की एक बीम को छोड़ा जाता है और तत्पश्चात नमूने की सतह के साथ कणों की अंतर्क्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तुलना में अत्यंत लघु होती हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए सुस्पष्ट, सूक्ष्म विवरणों के साथ एक छवि को प्रदर्शित करती है।
  - वह इस विषाणु की एंटीबॉडीज के साथ प्रतिक्रिया करने के पश्चात् इसकी संरचना के निर्माण में सक्षम हुईं। विषाणु स्वयं एंटीबॉडीज से संबद्ध हो जाते हैं और तब इसकी संरचना को ऋणात्मक अभिरंजन (Negative staining) (जिसमें पृष्ठभूमि अभिरंजन होती है, जहां नमूने को अस्पृश्य रूप में छोड़ दिया जाता है, इसलिए यह दृश्यमान होने लगता है) का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है।

10.29. सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite)

- हाल ही में, **कोरोनवायरस (कोविड-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु डिसइंफेक्टेंट टनल में किए गए सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिड़काव को लोगों के लिए हानिकारक पाया गया।**
- सोडियम हाइपोक्लोराइट (जिसे सामान्यतः **ब्लीच** के रूप में जाना जाता है) का उपयोग प्रायः एक कीटाणुनाशक एजेंट के रूप में किया जाता है।
- यह एक **व्यापक स्तर का कीटाणुनाशक** है जो विषाणु, जीवाणु, कवक और माइकोबैक्टीरियम को डिसइनफेक्ट करने हेतु अत्यधिक प्रभावी है।

VISION IAS

- **सोडियम हाइपोक्लोराइट के 0.5% के घोल** (जिसे **'डाकिन सॉलूशन'** के रूप में जाना जाता है) का उपयोग बड़ी मात्रा में रक्त की बूंदों सहित शारीरिक द्रव्यों से संदूषित क्षेत्रों को डिसइनफेक्ट करने में किया जाता है।
- हालांकि, सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल (सॉलूशन) अस्थिर होता है और क्लोरीन मुक्त करने पर शीघ्र ही विखंडित हो जाता है तथा इसके कई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं।
- व्यक्तियों पर क्लोरीन का छिड़काव करने से **आंखों और त्वचा में जलन** तथा **मिचली एवं उल्टी जैसे संभावित जठरांत्र (gastrointestinal)** संबंधी **प्रभाव** हो सकते हैं।
- सोडियम हाइपोक्लोराइट के अन्तःश्वसन के कारण **नाक, गले और श्वसन मार्ग की श्लेष्मा झिल्ली में जलन उत्पन्न हो सकती है तथा यह ब्रोन्कोस्पास्म का कारण भी बन सकता है।**
- हाइपोक्लोराइट की अधिक सांद्रता (10-15%) के संपर्क में आने से कई अंगों को गंभीर क्षति पहुँच सकती है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, डिसइंफेक्टेंट सतहों पर प्रतिक्रिया करते हैं किंतु मानव शरीर पर नहीं तथा यह लोगों को क्षति पहुंचा सकते हैं।

10.30. साइटोकाइन स्टॉर्म (Cytokine Storms)

- साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम के कुछ लक्षणों को कोविड-19 के कुछ मामलों में देखा गया है जिससे मृत्यु दर में वृद्धि हुई है।

साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम (CSS) से संबंधित तथ्य

- **'साइटोकाइन'** नाम को **ग्रीक शब्दों साइटो** और **कीनोस** से लिया गया है, जिनका अर्थ क्रमशः **कोशिका** और **गतिविधि** होता है।
- साइटोकाइन शरीर में विभिन्न कोशिकाओं द्वारा निर्मुक्त **सूक्ष्म प्रोटीन** होते हैं। इसमें **संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिक्रिया को समन्वित करने तथा शोथ या इन्फ्लेमेशन (inflammation) को सक्रिय करने** के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली भी शामिल है।
- इन्फ्लेमेशन का एक महत्वपूर्ण **सुरक्षात्मक कार्य** है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स (inflammatory mediators) के स्राव से उस क्षेत्र में रक्त के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, जो बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त ऊतक तक ले जाने में सक्षम बनाता है, जिससे रोग उपचार की प्रक्रिया को सहायता प्राप्त होती है।
- इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित न किए जाने की स्थिति में **साइटोकाइन स्टॉर्म** सक्रिय हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप **प्रतिरक्षा कोशिकाओं और साइटोकाइन का अत्यधिक उत्पादन होता है।**
- इस स्थिति में **प्रतिरक्षा कोशिकाएं संक्रमित शारीरिक अंगों से बाहर फैलने लगती हैं और स्वस्थ ऊतकों पर को क्षतिग्रस्त करना प्रारंभ कर देती हैं,** जिससे लंग इन्फ्लेमेशन (lung inflammation) और तरल पदार्थ का निर्माण होने लगता है तथा श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है।
- CSS को वर्ष 1918-20 के **स्पेनिश फ्लू** तथा हाल के वर्षों में **H1N1 (स्वाइन फ्लू) और H5N1 (बर्ड फ्लू) के प्रकोप में मृत्यु का प्रमुख कारण** माना जाता है।
- साइटोकाइन स्टॉर्म के मामले में, प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के लिए स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है। लेकिन कोविड-19 के मामले में, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि स्टेरॉयड लाभकारी हैं या हानिकारक।

10.31. एंथुरियम (Anthurium)

- हाल ही में, **राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (National Innovation Foundation: NIF) - भारत** ने ऊतक संवर्धन तकनीक के माध्यम से **एंथुरियम की चार किस्मों** के अत्यधिक गुणन और बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा प्रदान की है।
- **एंथुरियम आकर्षक घरेलू पुष्पों के पौधों में से एक है।** ये दिखने में आकर्षक होने के साथ-साथ आस-पास की वायु को भी शुद्ध करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टोल्यून, जाइलीन और एलर्जी जैसे हानिकारक वायुजन्य रसायनों को समाप्त करते हैं।
- एंथुरियम के आकर्षक और **सुंदर पुष्पक्रम** (पुष्पन की प्रक्रिया) के कारण इसका **आर्थिक महत्व अत्यधिक** है।
- नासा ने इसे **वायु शोधक पादपों** की सूची में भी शामिल किया है।
- **NIF इंडिया,** वर्ष 2000 में स्थापित **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था** है।
- NIF **जमीनी स्तर पर तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्रीय पहल** है।

VISION IAS

10.32. सेल्फ-सर्विस ब्लॉकचेन ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिज़नेस (Self-Service Blockchain Track and Trace Platform for Businesses)

- हाल ही में, **"सेल्फ-सर्विस ब्लॉकचेन ट्रैक एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिज़नेस"** को लॉन्च किया गया।
- यह पायलट प्लेटफॉर्म, **विभिन्न कंपनियों और स्रोतों से ब्लॉकचेन-आधारित आपूर्ति श्रृंखला डेटा की कल्पना करने में सक्षम है।**
- यह विनिर्माण पारिस्थितिकी प्रणालियों में **पारदर्शिता और स्थिरता में तीव्रता लाने हेतु** निर्मित **प्रथम सार्वजनिक ब्लॉकचैन-आधारित प्लेटफॉर्म है।**
- इस प्लेटफॉर्म का निर्माण **वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम** के सहयोग से एवरल्डर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (ITC) और लेनजिंग ग्रुप द्वारा किया गया है।
- इसे **ITC की न्यूट्रल साइट** पर आयोजित किया जा रहा है।

10.33. मेज़ रैनसमवेयर (Maze Ransomware)

- हाल ही में, IT सेवा प्रदाता कम्पनी **कॉग्निजेंट** को **मेज़ रैनसमवेयर** के हमले का सामना करना पड़ा।
- रैनसमवेयर हमला किसी नेटवर्क में **कंप्यूटरों को संक्रमित करता है** तथा कंप्यूटरों में स्थित **फ़ाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है, फिर इन फ़ाइलों की पुनर्प्राप्ति के लिए हमलावर द्वारा फिरौती की मांग की जाती है।**
- **मेज़ रैनसमवेयर** स्वयं के सर्वर पर डेटा को स्थानांतरित कर देता है और तब तक उस पर नियंत्रण बनाए रखता है, जब तक कि उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है। फिरौती का भुगतान नहीं करने की स्थिति में हमलावर **डेटा** को ऑनलाइन सार्वजनिक कर देते हैं।
- वर्ष 2019 में, वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म **कास्परस्की सिक्योरिटी** ने तीन प्रमुख रैनसमवेयर- **रयूक, पर्ग और स्टॉप** की पहचान की थी। भारत में स्थित कंप्यूटरों पर इन तीनों रैनसमवेयरों का हमला हुआ था।

10.34. एक्सरसाइज एनसीसी योगदान (Exercise NCC YOGDAN)

- **एक्सरसाइज एनसीसी योगदान** के तहत, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में असैन्य अधिकारियों की सहायता करने के लिए कैडेट्स की सेवाओं का विस्तार किया गया है।
- इसके लिए, NCC ने अपने कैडेट्स की **अस्थायी नियुक्ति** हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  - **NCC कैडेट्स के लिए परिकल्पित कार्य:** कॉल सेंटरों की कार्मिक आवश्यकता को पूरा करना; राहत सामग्री/दवाओं/खाद्य/आवश्यक वस्तुओं का वितरण; सामुदायिक सहायता; डेटा प्रबंधन तथा पंक्ति (queue) एवं यातायात प्रबंधन।
  - कैडेट्स को **कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए या सक्रिय सैन्य कर्तव्यों के लिए अथवा हॉट स्पॉट्स पर नियोजित नहीं किया जाएगा।**
  - इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल वरिष्ठ मंडल के स्वयंसेवक कैडेट को ही नियोजित किया जायेगा।

NCC के बारे में

- NCC एक **स्वैच्छिक संगठन** है जो पूरे भारत में उच्च विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेट्स की भर्ती करता है। यह देश का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है।
- इसे **राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम** के तहत वर्ष 1948 में गठित किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- इसकी **अध्यक्षता एक महानिदेशक** (लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी) द्वारा की जाती है। यह **रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।**
- **आदर्श वाक्य (Motto):** एकता एवं अनुशासन।
- कैडेट्स पर अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् सक्रिय सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं होता है, लेकिन सैन्य सेवा में चयन के दौरान उन्हें सामान्य उम्मीदवारों पर **वरीयता प्रदान की जाती है।**

10.35. स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल (Stranded in India Portal)

- पर्यटन मंत्रालय ने **'स्ट्रैंडेड इन इंडिया'** नामक पोर्टल की शुरुआत की है।
- इसका उद्देश्य **लॉकडाउन की स्थिति में** अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सभी सेवाओं के बारे में **जानकारी का प्रसार करना** है।
- यह देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायता नेटवर्क के रूप में भी कार्य करेगा।
- इस पोर्टल पर **कोविड-19 हेल्पलाइन नंबरों** के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की गई है, जिससे विदेशी पर्यटक, सहायता के लिए सूचना, **राज्य-आधारित/क्षेत्रीय पर्यटन सहायता बुनियादी ढांचे** आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

VISION IAS

10.36. सुर्ख़ियों में रहे त्यौहार (Festivals in News)

त्यौहार का नाम	विवरण

रोंगाली बिहू	• यह **असम** में मनाया जाता है। इसे **बोहाग बिहू** भी कहा जाता है।
	• यह **असमिया नव वर्ष** की शुरुआत का प्रतीक है।
	• **असम के लोग वर्ष में तीन बार बिहू मनाते हैं,** जो तीन फसल चक्रों को इंगित करते हैं -
	  ○ भोगाली/माघ बिहू (जनवरी),
	  ○ रोंगाली/बोहाग बिहू (अप्रैल), और
	  ○ कोंगाली बिहू (अक्टूबर)।

बैसाखी	• यह **पंजाब** में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। • सिखों के लिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि वर्ष 1699 में, गुरु गोविंद सिंह (सिखों के 10वें आध्यात्मिक गुरु) ने **खालसा पंथ** की स्थापना के रूप में इस त्योहार का चयन किया था।
नब बर्षो	• यह **पश्चिम बंगाल** में मनाया जाता है। इसे **पोइला बैसाख** भी कहा जाता है। • लोग अपने घरों के आँगन को चावल और जल के मिश्रण से बनी रंगोली से सजाते हैं, जिसे **अल्पोना** कहा जाता है।
पुथंडु (पुथुवर्षम/पिराप्पू)	• यह **तमिलनाडु** में मनाया जाता है। **संगम साहित्य** में भी इसका उल्लेख है।
विशु	• यह **केरल** में मनाया जाता है। इस त्यौहार में भक्तों द्वारा **भगवान विष्णु** एवं **भगवान कृष्ण** की पूजा की जाती है।
महा विशुव संक्रांति	• यह ओडिया नव वर्ष की शुरुआत को इंगित करता है। इस दौरान के **श्री जगन्नाथ मंदिर** में विशेष पूजा आयोजित की जाती है।
जूड शीतल	• यह **बिहार** में मनाया जाता है। इसे **मैथिली नववर्ष** भी कहा जाता है। इस त्योहार में लोग मंदिर के पुजारियों को जल युक्त मिट्टी के घड़े दान करते हैं।
मेरु जात्रा	• यह दक्षिण ओडिशा (विशेष रूप से गंजम जिले) में मनाया जाता है। यह 21 दिनों तक चलने वाले **'डंडा नाता'** नामक त्यौहार के अंत का प्रतीक है।
चैत्र जात्रा	• इसे ओडिशा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर में मनाया जाता है। यह मंदिर **रुशिकुल्या नदी** के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित है।

अंबुबाची मेला	• यह गुवाहाटी के **कामाख्या मंदिर** में पीठासीन देवी की वार्षिक रजोधर्म का प्रतीक है। इसे **'पूर्व का महाकुंभ'** भी कहा जाता है।
	• यह भारत के पूर्वी हिस्सों में प्रचलित **तांत्रिक शक्ति पंथ** के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है और इसे अमेटी या तांत्रिक प्रजनन उत्सव के रूप में भी जाना जाता है।
	• कामाख्या मंदिर, **ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है।**
	  ○ **यह 51 शक्तिपीठों में से एक है** और मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक चट्टान योनी (मादा जननांग) का प्रतीक है।
	  ○ शक्तिपीठ, शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल हैं, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव की संगिनी सती के अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
	• केरल के **अल्लेप्पी जिले** में **चेंगन्नूर महादेव मंदिर** (जिसे भगवती मंदिर भी कहा जाता है) में इसी प्रकार के रीतिरिवाज का पालन किया जाता है।

10.37. निहंग (Nihangs)

- 'निहंग' सिख योद्धाओं का एक समुदाय है, जिसकी पहचान नीले परिधान, तलवार एवं भाला जैसे हथियारों और स्टील के चक्कर (quoits) से सजी पगड़ी के द्वारा की जाती है।

VISION IAS

* **वर्ष 1699 में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा** के गठन से निहंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ लोग इस पंथ को **"गुरु दी लाडली फौज"** (गुरु की पसंदीदा सेना) होने का दावा करते हैं।
* **प्रथम सिख शासन (1710-1715 ई.)** के पतन के पश्चात् और अफगान आक्रमणकारी **अहमद शाह दुर्रानी** (1748-1765 ई.) के हमले के दौरान सिख पंथ का बचाव करने में निहंगों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
* वर्तमान समय में निहंग एक छोटे समुदाय के रूप में संगठित हैं तथा **ये खालसा आचरण संहिता का इसके विशुद्ध अर्थों में अनुसरण करते हैं।** ये **लौकिक गुरु के प्रति किसी निष्ठा को स्वीकार नहीं करते हैं** और भगवा (अन्य सिखों और सिख योद्धाओं की भांति) के बजाय अपने तीर्थस्थलों के ऊपर एक नीला निशान **साहिब (झंडा)** फहराते हैं।

10.38. देखो अपना देश (Dekho Apna Desh)

* हाल ही में, कोविड-19 की पृष्ठभूमि में, **पर्यटन मंत्रालय** ने **"देखो अपना देश"** नामक वेबिनार श्रृंखला आरंभ की है।
* इस वेबिनार के माध्यम से भारत की विविध एवं उल्लेखनीय धरोहर तथा संस्कृति का प्रदर्शन किया जायेगा। **इसमें भारत के स्मारकों, पाक-शैलियों, कलाओं, नृत्य रूपों, प्राकृतिक भू दृश्यों, त्योहारों और समृद्ध भारतीय सभ्यता के अन्य पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार यह पर्यटकों को एक आभासी (वर्चुअल) यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा।**

VISION IAS

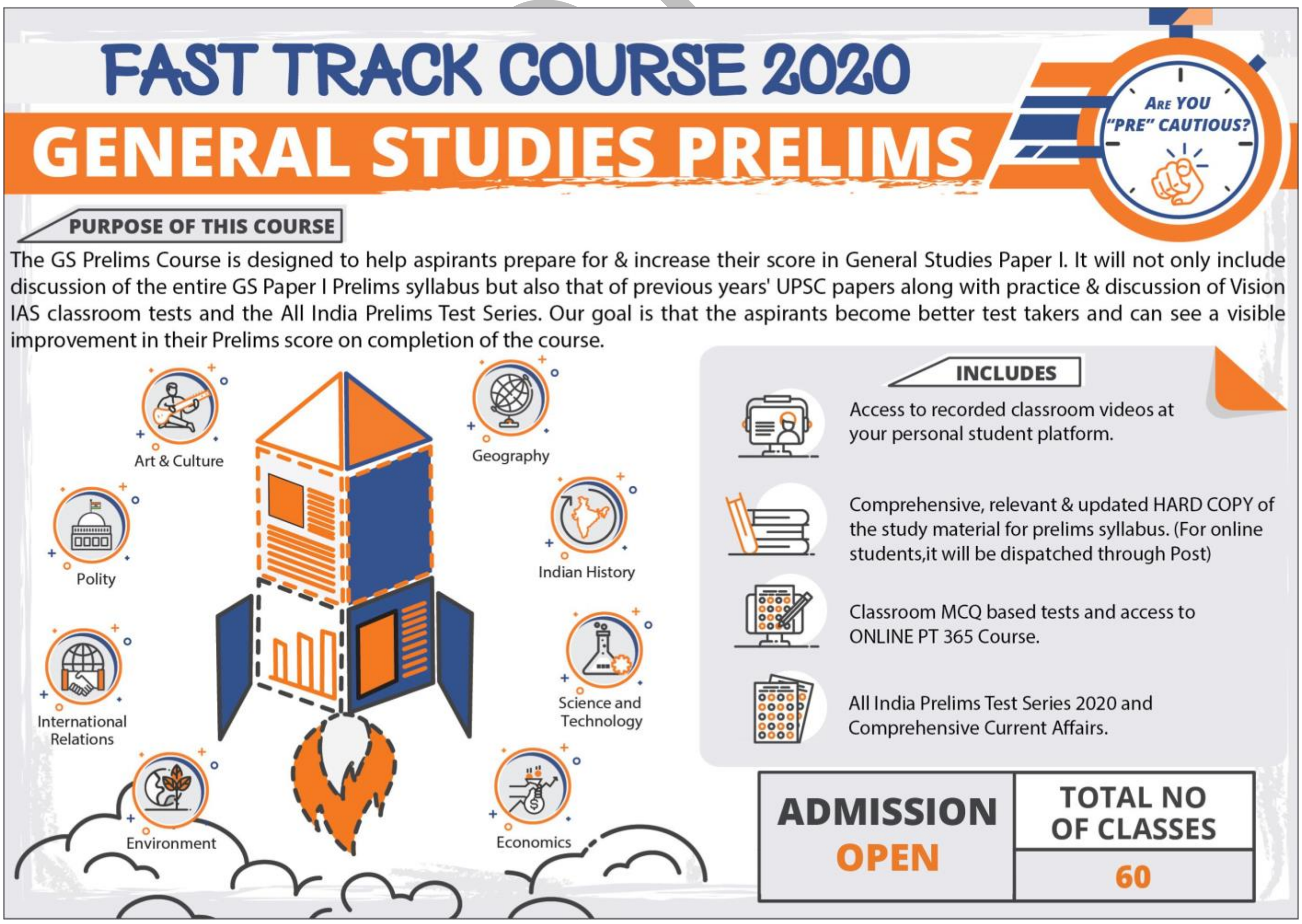

11. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

11.1. पीएम केयर्स फंड (PM-CARES Fund)

- उच्चतम न्यायालय ने **'आपात स्थितियों में प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' (पीएम केयर्स फंड)** की वैधता और कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकृत कर दिया।
- यद्यपि पहले से ही प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) विद्यमान है जिसमें लोग दान (डोनेशन) दे सकते हैं, किंतु केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए एक विशिष्ट कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- इस फंड के अग्रलिखित प्रावधानों, यथा- CAG द्वारा इस फंड का ऑडिट नहीं किया जा सकता और यह केवल प्रधान मंत्री के प्रति उत्तरदायी है आदि को लेकर मीडिया तथा राजनीतिक विरोधियों द्वारा विरोध किया गया था।

मानदंड (Parameter)	**प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)**	**पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund)**
गठन	जनवरी 1948 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा।	वर्ष 2020 में, कोविड-19 के प्रकोप के दौरान।
उद्देश्य	• पाकिस्तान से विस्थापितों की सहायता हेतु सृजित किया गया था। • वर्तमान में इसके द्वारा बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों और दंगों एवं दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान की जाती है। • हृदय शैल्य चिकित्सा (हार्ट सर्जरी), किडनी प्रत्यारोपण, एसिड अटैक आदि जैसे चिकित्सा उपचार के क्रम में आंशिक व्यय भुगतान हेतु सहायता प्रदान की जाती है। • PMNRF में सूचीबद्ध अस्पतालों की एक सूची प्रदान की गई है (जिसमें सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के अस्पताल सम्मिलित हैं), तथा इसमें निजी अस्पतालों की भी एक सूची निर्धारित की गई है जिन्हें इसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।	• मानव निर्मित या प्राकृतिक किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात अथवा किसी अन्य प्रकार के आपात, आपदा या संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता एवं समर्थन प्रदान करना। • स्वास्थ्य देखभाल या औषधीय सुविधाओं, अन्य आवश्यक अवसंरचना का सृजन या उन्नयन, संबंधित अनुसंधान का वित्तपोषण या किसी अन्य प्रकार की सहायता। • इसके द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, धन भुगतान का अनुदान प्रदान किया जाएगा या प्रभावित जनसंख्या के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कदम बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी द्वारा उठाए जाएंगे।
प्रशासनिक तंत्र	• आयकर अधिनियम के तहत एक न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और **इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है।** इसे मानद आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।	• **प्रधान मंत्री को पीएम केयर्स फंड का पदेन अध्यक्ष बनाया गया है** और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री, इस कोष के पदेन न्यासी हैं। • न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी जिसमें अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और लोक कल्याण क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। • न्यासी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति न्यायोचित तरीके से समुदाय के कल्याणार्थ हेतु कार्य करेगा।

VISION IAS

कोष के लिए योगदान	• व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा **केवल स्वैच्छिक दान** स्वीकार किया जाता है। • सरकार के बजटीय स्रोतों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तुलन पत्रक (बैलेंस शीट) से योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता है। • **विदेशी अंशदायी विनियमन अधिनियम (FCRA)** के तहत छूट प्रदान की गई है, इसलिए वर्ष 2011 के पश्चात् एक सार्वजनिक न्यास के रूप में विदेशी योगदान प्राप्त हुआ है।	• इसके तहत व्यक्तियों / संगठनों से प्राप्त होने वाला **सभी स्वैच्छिक योगदान** को शामिल किया जाता है तथा इसे कोई बजटीय सहयोग प्रदान नहीं की जाती है। • FCRA के तहत छूट होने के कारण यह **विदेशों में स्थित व्यक्तियों और संगठनों से डोनेशन तथा योगदान को स्वीकार कर सकता है।**
कोष का वितरण	• प्रधान मंत्री के विवेकाधीन	• न्यासियों द्वारा निर्धारित मानदंड / नियमों के अधीन
कोष के लिए दान	• आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100% छूट हेतु यह 80G के लाभ के लिए पात्र है। • यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में भी गणना किए जाने के लिए भी पात्र है।	• यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100% छूट के लिए 80G के लाभ हेतु पात्र है। • यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में भी गणना किए जाने के लिए भी पात्रता प्रदान की जाएगी।
अंकेक्षण	• इसका सरकार के इतर किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जायेगा। वर्तमान में सार्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट इसके लेखा परीक्षक हैं।	• न्यासियों द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा इसका अंकेक्षण किया जाएगा।

11.2. उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान पर विशेष बल (Intensification of Research in High Priority Areas: IRHPA)

हाल ही में, इस योजना के तहत कोविड-19 और संबंधित श्वसन तंत्र संबंधी विषाणु जनित संक्रमणों हेतु नए एंटीवायरल, वैक्सीन और वहनीय निदान प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

उद्देश्य	**विशेषताएँ**
उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रस्तावों का समर्थन प्रदान करना जहां बहु-विषयक / बहु-संस्थागत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और उस विशिष्ट अध्ययन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना।	• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के स्वायत्त संस्थान, **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)** द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावों के सृजन पर बल दिया जाएगा। • पहचान किए गए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनिवार्य सुविधाओं को इस योजना के माध्यम से समर्थन प्रदान किया जाता है। • इस परियोजना की सामान्य अवधि 5 वर्ष (COVID-19 के लिए 3 वर्ष) है। • परियोजना की स्थापना, कार्यक्रम की पूर्ण अंतर्विषयक और बहु-संस्थागत रूपांतरण हेतु विभिन्न विभागों / संस्थानों से पूरक विशेषज्ञता युक्त कम से कम दो सह-मुख्य अन्वेषकों (PI) के साथ **एक मुख्य अन्वेषक (PI) के नेतृत्व में स्थापित अनुसंधान समूहों को ध्यान में रखते हुए की गई है।** • भारत में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों के साथ

VISION IAS

	विश्वविद्यालयों, उनके संबद्ध कॉलेजों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER),भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और अन्य स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक इस योजना के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। • इससे पूर्व, 3-D बायोप्रीटिंग, नैनो स्केल पर पदार्थो के उभरते गुणों, नेग्लेक्टेड डिजीज (उपेक्षित रोग) के लिए औषधि की खोज हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।

11.3. ई-नाम प्लेटफॉर्म (E-NAM Platform)

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने **ई-नाम प्लेटफॉर्म की नई विशेषताओं** का शुभारंभ किया।

उद्देश्य	विशेषताएँ
• कृषि वस्तुओं में अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु राज्यों और देश भर के बाजारों को एक कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत करना। • विपणन/लेनदेन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बाजारों की दक्ष कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु इन्हें सभी बाजारों हेतु एक समान बनाना; • क्रेताओं तक ऑनलाइन पहुँच को बढ़ावा देकर किसानों के लिए बेहतर विपणन अवसरों को प्रोत्साहित करना, किसान और व्यापारी के मध्य सूचना संबंधी विषमता को समाप्त करना, कृषि-वस्तुओं की आपूर्ति और वास्तविक मांग के आधार पर रियल टाइम प्राइस का निर्धारण करना, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, कीमतों को उपज की गुणवत्ता के साथ संबद्ध करना आदि के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देना; • **क्रेताओं द्वारा सूचित नीलामी को बढ़ावा देने हेतु गुणवत्ता आश्वासन के** लिए गुणवत्ता विश्लेषण की प्रणाली स्थापित करना; तथा • **उपभोक्ताओं के लिए** स्थिर कीमतों और **गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की उपलब्धता** को बढ़ावा देना।	• इसे वर्ष 2015 में देश भर में कृषि उपज विपणन समितियों (APMCs) को संबद्ध करते हुए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में शुभारंभ किया गया था। • **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)** इसकी क्रियान्वयन करने वाली प्रमुख एजेंसी है। • इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को निःशुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी और इसके अतिरिक्त, संबंधित उपकरणों और अवसंरचना की आवश्यकताओं के लिए प्रति मंडी या बाजार अथवा निजी मंडियों को **30 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करेगी।** • 982 थोक विनियमित बाजारों / APMC बाजारों को अब तक ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है। • मंडी/बाजार में स्थानीय व्यापारियों के लिए, द्वितीयक व्यवसाय हेतु ई-नाम एक वृहत राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। • थोक खरीदार, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक आदि स्थानीय मंडी / बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होने में सक्षम होने से लाभान्वित होते हैं, जिससे इनके मध्यस्थता लागत में कमी आती है। • **निधि आबंटन:** इसे एग्री-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। **ई-नाम में प्रारंभ किए गए नए मॉड्यूल:** • **परक्राम्य भांडागार रसीद (Negotiable Warehouse Receipt) (e-NWRs) मॉड्यूल:** चयनित **भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)** पंजीकृत गोदामों से अपने संग्रहित उत्पाद का प्रत्यक्ष व्यापार करने के लिए लघु और सीमांत लोगों को सक्षम बनाने हेतु ○ इससे लाजिस्टिक व्यय की बचत हो सकती है तथा यह किसानों को बेहतर आय प्रदान कर सकता है।

VISION IAS

	• **किसान उत्पादक संघटन (FPO) ट्रेडिंग मॉड्यूल:** नीलामी के लिए अपने परिसरों / संग्रहण केंद्रों से अपने उत्पादों को अपलोड करने में FPOs को सक्षम बनाने हेतु। ○ इससे मंडियों के कार्यभार में कमी और लेन-देन की लागत को कम करने में सहायता मिलेगी। • **लॉजिस्टिक मॉड्यूल:** वृहत लॉजिस्टिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों को संबद्ध करना, जो उपयोगकर्ताओं को विविध विकल्प प्रदान करेगा। ○ यह कृषि उपजों के निर्बाध परिवहन में सहायता करेगा और सुदूरवर्ती खरीदारों के लिए ऑनलाइन परिवहन सुविधा प्रदान कर ई-नाम के तहत अंतर-राज्य व्यापार को बढ़ावा देगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS